अष्टम माला, खंड 11, अंक 17

बुधवार, 11 दिसम्बर, 1985
20 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 6/8/86

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 11 दिसम्बर, 1985/20 अग्रहायण, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 32, पंक्ति 17, ता०प्र०संख्या "*37" के स्थान पर "*337" पढ़िये।

पृष्ठ 71, नीचे से पंक्ति 5, अ०प्र०संख्या "348" के स्थान पर "3483" पढ़िये

पृष्ठ 102, नीचे से पंक्ति 5, अ०प्र०संख्या "3605" के स्थान पर "3504" पढ़िये।

पृष्ठ 157, पंक्ति 7, "राज्य मंत्री" के स्थान पर "उप-मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 164, पंक्ति 14, "राजस्था" के स्थान पर "राजस्थान" पढ़िये।

पृष्ठ 220, पंक्ति 21, "अध्यक्ष महोदया" के स्थान पर "सभापति महोदया" पढ़िये।

पृष्ठ 221, पंक्ति 3, 21, 27, पृष्ठ 222, पंक्ति 8, पृष्ठ 225, पंक्ति 6, पृष्ठ 226, पंक्ति 17, पृष्ठ 228, पंक्ति 6, पृष्ठ 230, नीचे से पंक्ति 2 व 4, पृष्ठ 236, पंक्ति 12 व 17, पृष्ठ 237, पंक्ति 4, पृष्ठ 245, पंक्ति 9, पृष्ठ 247, नीचे से पंक्ति 4, "सभापति महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदया" पढ़िये।

पृष्ठ 246, प्रथम पंक्ति "मैं राज्य मंत्री" के स्थान पर "के राज्य मंत्री" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 11, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 17, बुधवार, 11 दिसम्बर, 1985/20 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	6—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 326, 329, 330, 333, 335 और 336	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—153
तारांकित प्रश्न संख्या : 325, 327, 328, 331, 332, 334 और 337 से 347	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3438 से 3479, 3481 से 3557, और 3559	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	153—157
राज्य-सभा से संदेश	157
अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1985 ...	158
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	158—159

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... 159

9वां प्रतिवेदन

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति 159

कार्यवाही-सारांश

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 159—165

(एक) बैंकों को बैंक ड्राफ्ट, बिलों, चैकों और अन्य सेवाओं पर सेवा प्रभार न बढ़ाने के निदेश देने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित 159

(दो) अधिक क्रय केन्द्र खोलकर, भारतीय पटसन निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में मेस्टा फसल खरीदे जाने की आवश्यकता

श्री एस० एम० भट्टम 160

(तीन) आम आदमी को आवास उपलब्ध कराने के लिए नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री अनूप चन्द शाह 161

(चार) रसायनों पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में सुरक्षोपाय न अपनाने के दोषी निर्माताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्राधिकारियों को अधिकार देने हेतु व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे 161

(पांच) बिहार के दरभंगा जिले में रसियाड़ी गांव के निकट कमला बलान नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता

श्री राम भगत पासवान 162

(छह) विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केरल के लेवी सीमेन्ट के कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री के० कुन्जम्बू 162

(सात) दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कालिजों के अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच विवाद को शीघ्र हल करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य 163

(आठ) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लोगों को पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 164

"शिक्षा की चुनौती-नीति परिप्रेक्ष्य" के बारे में प्रस्ताव (--जारी) ... 165—236

श्री आनन्द गजपति राजू 165
श्री ए० चार्ल्स 167
डा० सुधीर राय 170
श्रीमती बसव राजेश्वरी 175
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 178
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 183
श्रीमती फूलरेणु गुहा 185
श्रीमती गीता मुखर्जी 187
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 191
श्री एडुआर्डो फैलीरो 195
प्रो० सैफुद्दीन सोज 199
श्री आर० जीवरत्न 209
श्री श्याम लाल यादव 212
श्री जी० एम० बनातवाला 218

पृष्ठ

प्रो० पी० जे० कुरियन 222

श्री शांता राम नायक 225

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 227

श्री रणबीर सिंह 231

श्री मूलचन्द डागा 233

श्री के० एन० प्रधान 234

आधे घंटे की चर्चा ... ... 237—247

दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए धनराशि का आबंटन 237

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 237

श्री वी० एन० गाडगिल 238

श्री हरीश रावत 242

श्री रेणुपद दास 244

श्री मूल चन्द डागा 245

लोक सभा

बुधवार, 11 दिसम्बर, 1985/20 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, सभी टिप्पणियों, पत्रों तथा प्रत्येक वस्तु को कमरों के अन्दर ताले में जो बन्द कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में हम इस सभा में कार्य नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके अन्तर्गत इस पर चर्चा की जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। किस नियम के अन्तर्गत दी जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय, चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके अन्तर्गत इस पर चर्चा की जा सके। यदि आप सभी नियमों की अवहेलना करना चाहते हैं तो आप जो चाहे करें। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके अन्तर्गत इस पर कोई चर्चा की जा सके।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यदि आप सभी नियमों की अवहेलना करना चाहते हैं; तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही चलती रहे तो सभा चलती रहेगी। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं; तो मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रश्न-काल से पहले मैं इस चर्चा को शुरू कर सकूं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सुनना चाहें तो सुनें। अन्यथा मैं कार्यवाही नहीं चला सकता। इधर देखिये : समस्या यह है कि प्रशासनिक संबंधी सभी मामलों पर आपसी सहयोग से बातचीत की जा सकती है; और मैं आपके बीच बैठकर इस पर बातचीत कर सकता हूं। मेरे लिए कोई विरोधी पक्ष है न ही कोई सत्ता पक्ष है, जहां तक प्रशासन का सवाल है। मैं आपके साथ बैठकर बातचीत कर सकता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। मैं यह आधार क्यों लूं ? मेरा इससे व्यक्तिगत रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनावश्यक ही, श्री उन्नीकृष्णन ने मुझसे नाराजगी प्रगट की है। मेरे दिल में उनके प्रति कोई वैर-भाव नहीं है और उनके दिल में भी मेरे प्रति कोई वैर-भाव नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मेरी यह मंशा बिल्कुल भी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना होता। मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूं और मैं हमेशा सुनूंगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्नीकृष्णन् जी उस तरह से उत्तेजित नहीं हुए होते तो मैं अवश्य सुनता। मैं सदा ही सुनता हूं। मैं हमेशा उनकी बात सुनूंगा, जब तक मैं यहां पीठासीन हूं। इस पर कोई मुसीबत नहीं है क्योंकि इसके विपरीत मेरा स्वभाव नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई अपना कमरा खाली करें। इससे मुझे क्या लाभ है? मैं तो केवल आपके कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपने जिस प्रकार से ऐसा किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको केवल इस तरह से व्यक्त करता हूं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं : आप आ सकते हैं मैं आप सबको बुला सकता हूं— सत्ता दल के सदस्य, तथा अन्य सभी।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : किस समय ?

अध्यक्ष महोदय : किसी समय, जो आप कहें—अभी नहीं, उससे पहले। आप 3 बजे आ सकते हैं; आप दो बजे आ सकते हैं। आप किसी समय आ सकते हैं। कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रोक नहीं लगा रहा हूं···अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं या कह सकता हूं? मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि बातचीत के लिए हर समय द्वार खुले हैं। मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि कमरा किसको मिलता है बशर्ते कि आप मुझे कमरे उपलब्ध करायें। मैं आपको कमरे आवंटित कर दूंगा; और बशर्ते कि आप नियम तय कर लें, मैं उनका पालन करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कह रहा हूं। यही मैं कहना चाहता हूं। यह अनावश्यक था···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

फिर आप अनावश्यक ही उत्तेजित हो रहे हैं। नहीं। उधर देखिये।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नहीं सुनते तो मैं क्या कह सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, सिवाय उसके जो मैं कहता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। आप सब एक साथ बोल रहे हैं और अनावश्यक ही सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस समस्या पर बातचीत करना चाहते हैं, तथा उस पर भी जिसका हवाला श्री उन्नीकृष्णन् ने अभी दिया है, अर्थात्, किस प्रकार से मैंने खाली करवाया था—उसका भी मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरे एक वर्ष का समय था और आपके पास भी इन बातों को निपटाने के लिए इतना ही समय था। अन्यथा मैंने ऐसा नहीं किया होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर आप बोल रहे हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों को सुना था; मैंने अध्यक्ष महोदय द्वारा हमेशा अनुसरण की गयी परम्पराओं को सुना और जिनका हमेशा सदन द्वारा अनुसरण किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कुछ नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कभी यह नहीं कहा। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता जिसे मैं समझ न सकूं। मैं अपना वायदा पूरा करता हूं; और मैं उनको रखूंगा तथा उनका पालन करूंगा। आपका स्वागत है। मैं सत्ता दल को भी बुलाऊंगा। आप इस पर फैसला कर सकते हैं। जो आप तय करेंगे मैं उनका पालन करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दो बजे आइये। दो बजे का समय निश्चित कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं।

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : जिस प्रथा की आपने बड़ी उदारता से इस सभा में अनुमति दी है मेरा उस पर एक मूलभूत एतराज है। इस सदन के कार्य परिचालन के लिए यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक है। जो मैंने कल कहा था मैं उसी स्थिति पर कायम हूं। अध्यक्ष का पद और उनके

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रशासन के बारे में इस सभा में चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम नहीं कर सकते।

(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। आप मेरे कक्ष में दो बजे आइये। आप सभी दो बजे आमन्त्रित हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि यह चर्चा समाप्त हो। मैं सत्ता पक्ष तथा विरोध पक्ष के सदस्यों को अपने कक्ष में दो बजे के लिए आमन्त्रित करता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मिलने का समय नहीं है। यह सामान्य परम्परा है जिसका मैं अनुसरण करता रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य परम्परा है जिसका मैं अनुसरण करता रहा हूं। जब भी कोई बात होती है तो मैं दलों के सभी सदस्यों को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्यों को विदित होना चाहिए कि अध्यक्ष के कार्यालय के बजट पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है।···(व्यवधान) अध्यक्ष के कार्यालय से संबंधित किसी भी फाइल पर इस सदन की किसी भी चर्चा में प्रश्न नहीं किया जा सकता।···(व्यवधान) अतः मेरा

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कहना है कि आप कृपया इन बातों पर चर्चा अपने कक्ष में कीजिए न कि इस सभा में।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वसुदेव जी, आप ही ने तो करवाया है, मेरे से यह काम, और अब भी आप ही कर रहे हैं।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। आप ही को खड़ा करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के० राममूर्ति।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 में संशोधन

*326 श्री एस० एम० गुरड्डी†
श्री तम्पन थामस
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नागरिक के लिए प्रदूषण रोकने के नियमों का उल्लंघन करने वाले औद्योगिक एककों के विरुद्ध शिकायत करने का कोई वैधानिक उपबन्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में समुचित संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन किसी व्यक्ति को अभियोजन चलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

श्री एस० एम० गुरड्डी : जैसा कि आप जानते हैं कि सीमेंट उद्योग में धूल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। व्यवसाय-जनित स्वास्थ्य हानियों से सम्बन्धित समिति ने कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हैं। इन प्रतिमानों का उद्योगों द्वारा अनुसरण नहीं किया जाता है और ऐसे उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक कई बार टी० बी०, कैंसर तथा सांस की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। क्या सरकार ने उन उत्पादन एककों के खिलाफ कार्यवाही की है जो जहरीली गैसें तथा बहिष्प्रवाही पदार्थ बाहर छोड़ते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आज के कानून के अनुसार बोर्ड कार्यवाही करने के लिए समक्ष है और जब कभी भी यह पता लगता है कि सीमेंट कारखाने निर्धारित सीमा से बाहर जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं, दोनों राज्य बोर्ड तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा। अगर कोई सीमेंट कारखाना केन्द्रीय बोर्ड के अधिकार में है तो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

श्री एस० एम० गुरड्डी : ए० आर० सी० सीमेंट कारखाना उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उत्पादन कर रहा है। प्रधानमन्त्री ने स्वयं अप्रैल, 1985 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री को समुचित कार्यवाही करने के लिए लिखा था। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही करने का सम्बन्ध है उसके लिए मुझे जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी और मैं इसे माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा। परन्तु पर्यावरण मन्त्री ने सभा में एक वक्तव्य दिया था कि अधिनियम तथा बोर्ड को ऐसी कड़ी शक्तियां दी गई हैं ताकि कुछ प्रभावी कार्यवाही की जा सके। सभा में वक्तव्य देते समय यह भी उल्लेख किया गया था कि निजी तौर पर भी कोई व्यक्ति अपराध करने वाले उद्योगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेगा।

श्री एस० एम० गुरड्डी : आपने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है, क्या केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस में कोई प्रौद्योगिकी मानदंड परिवर्तन करने की संभावना है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने सदन में यह भी कहा था कि हम अधिनियम पर भी विचार कर रहे हैं और हम इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं। अब क्या मानदन्डों को बदला जाये अथवा नहीं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। परन्तु बोर्ड मानदन्डों तथा स्तरों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है और अगर इन स्तरों का अनुसरण नहीं किया जाता तो कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थम्पन थामस। अनुपस्थित, श्री राजू

श्री आनन्द गजपति राजू : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कानून के तहत नियंत्रित किया जायेगा; अगर हां तो यह कानून कैसा होगा, और इसका नियंत्रण करने वाला प्राधिकरण कौनसा होगा। क्या यह कोई न्यायाधिकरण होगा ? अगर कोई न्यायालय में जाता है तो इसमें और देरी हो जाएगी।

क्या आप न्यायाधिकरण की बात सोच रहे हैं अथवा किसी ऐसी व्यवस्था की बात जो इसका विनियमन कर सके ? अन्यथा यह एक भारी समस्या बन जायेगी। नदियों में बहुत ही बहिःस्राव है और वायु-प्रदूषण भी बहुत है। क्या माननीय मंत्री इसकी ओर गंभीरता से ध्यान देंगे और इस संबंध में कुछ करेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यही तो मैंने सदन में कहा है। दो अधिनियम हमें उपलब्ध हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत अधिकार हैं और बोर्डों को मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है और यदि उन मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ताकि इन मानदण्डों का पालन कराया जा सके। बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को अधिक निवारक, अधिक कारगर बनाने के लिये कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है और संशोधन कानून में किए जायेंगे। बोर्डों को अधिक कारगर बनाया जाएगा और गैरसरकारी व्यक्तियों को भी उन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है जो इन मानदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा।

हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, वायु (प्रदूषण, निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 में लागू हुआ। क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उसके लागू होने के बाद, उल्लंघन करने के आरोप में कितनी इन्डस्ट्रीज के खिलाफ आज तक कार्यवाही की गई : यदि नहीं की गई तो न करने के क्या कारण थे ? क्या आप समझते हैं कि अधिनियम में और अमैंडमैंट्स लाने की जरूरत है, इसकी आवश्यकता आपको कब महसूस हुई ताकि एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। चूंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आप 5 साल बाद भी यही कह रहे हैं कि विचार करेंगे लेकिन पिछले चार साल तक आपने कोई कदम नहीं उठाया, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, आज तक 515 इन्डस्ट्रीज के विरुद्ध एक्शन लिए गए हैं। इस कानून में जो पैनल्टी का प्रोवीजन है, उसमें लिखा हुआ है कि इम्प्रीजनमैंट या फाइन कोई एक दिया जा सकता है। मगर हम फाइन को भी बढ़ाने की सोच रहे हैं और इम्प्रीजनमैंट को भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। क्या दोनों पैनल्टीज एक साथ दी जा सकती हैं अथवा नहीं, उसकी इम्पलीकेशन क्या हो सकती हैं, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कार्यवाही कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, इस एक्ट को और ज्यादा इफैक्टिव रूप से लागू करने के लिए दूसरे स्टैप्स भी लिए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी । अनुपस्थित

श्री बी० वी० देसाई । अनुपस्थित

श्री टी० बशीर ।

केरल के लिए औद्योगिक योजनाएं

*329. श्री टी० बशीर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तुत की गई, वर्तमान एककों के विस्तार सहित, औद्योगिक योजनाओं का विवरण क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

केरल राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के प्रारूप में कुल परिव्यय 3,300 करोड़ रु० का प्रावधान है । इसमें से उद्योग तथा खनिज क्षेत्रक के लिए 325 करोड़ रु० का प्रस्ताव किया गया था । योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा केरल के मुख्य मन्त्री के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान, केरल राज्य की सातवीं योजना का कुल आकार, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, 2100 करोड़ रु० निर्धारित किया गया था । सातवीं योजना (1985-90) के कुल परिव्यय में से, उद्योग तथा खनिज क्षेत्रक का भाग 207 करोड़ रु० स्वीकृत किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रु०)
1. मझौले तथा बड़े उद्योग	126
2. खनन	4
3. ग्राम तथा लघु उद्योग	77
जोड़	207

इस विवरण के परिशिष्ट में केरल सरकार द्वारा सातवीं योजना के प्रारूप में शामिल की गई

स्कीमें तथा प्रस्तावित परिव्यय दिए गए हैं। परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर, केरल सरकार उद्योग तथा खनिज क्षेत्रक के लिए 207 करोड़ रु० की कुल योजना परिव्यय में से, योजनावार परिव्यय निर्धारित करेगी।

परिशिष्ट

केरल की सातवीं योजना के प्रारूप में, उद्योग और खनिज क्षेत्रक के अन्तर्गत, शामिल की गई मुख्य स्कीमें

	करोड़ रु० केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय
क. मझौले और बड़े उद्योग	
1. केरल राज्य वित्तीय निगम	2.00
2. केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम	25.00
3. केरल राज्य वस्त्र निगम	6.20
4. केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम	50.00
5. औद्योगिक विकास क्षेत्र	5.00
6. विभागीय उद्यम	5.00
क. केरल राज्य औद्योगिक उद्यम लिमिटेड	14.39
ख. केरल खनिज तथा धातु लिमिटेड	10.00
ग. सीताराम वस्त्र लिमिटेड	0.30
घ. इस्पात औद्योगिक केरल लिमिटेड	7.96
ङ. केरल रोलिंग मिल्स लिमिटेड	2.00
च. मालाबार सीमेंट लिमिटेड	5.00
छ. स्कूटर्स केरल लिमिटेड	0.50
ज. केरल ओटोमोबाइल्स लिमिटेड	0.40
झ. चलकुडी रिफैक्ट्रीज	0.50

ञ. विशेष रिफ्रैक्ट्री परियोजना	13.00
ट. ट्को केबल कम्पनी	4.00
ठ. यूनाइटेड इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1.00
ड. ट्रांसफार्मर्स और इलैक्ट्रीकल्स (केरल) लिमिटेड	5.00
7. अन्य स्कीमें	
(1) प्रबन्ध विकास केन्द्र	0.25
(2) मानस चीनी मिल्स सहकारी लिमिटेड	0.50
(3) राज्य निवेश सहायता अनुदान	10.00
(4) विद्युत शुल्क पर सहायता अनुदान	5.00
(5) ब्याज शुल्हित बिक्री कर ऋण	15.00
(6) व्यवहार्य रिपोर्ट आदि बनाना	1.00
(7) सहकारी कताई मिलें	3.20
(8) त्रिवेन्द्रम कताई मिल्स लिमिटेड	0.30
(9) कोचीन में आयात प्रक्रिया केन्द्र	10 00
(10) केरल राज्य आयात व्यापार विकास परिषद	1.00
(11) रीवा इंटलाइजेशन	2.00
	200.50

ख. खनन (खनन और भूविज्ञान विभाग)	
1. निर्देशन और प्रशासन	9.00
2. खनिज और अन्वेषण	
3. रसायन प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	0.08
4. कार्मिक प्रशिक्षण	0.02
5. मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना	0.35
6. पत्थर कटाई और पालिश इकाई	0.15

7. केरल खनिज अनुसंधान और विकास परियोजना	2.20
8. पलैसर स्वर्ण खनन परियोजना	0.80
	4.50
ग. ग्राम तथा लघु उद्योग	
1. लघु उद्योग	70.00
2. खादी तथा ग्राम उद्योग	9.00
3. नारियल	18.00
4. हथकरघा	14.00
5. विद्युत करघा	4.00
6. हस्तशिल्प	5.00
	120.00
कुल जोड़ (उद्योग तथा खनिज क्षेत्रक)	325.00

श्री टी० बशीर : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगाई गई और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कितनी केन्द्रीय पूंजी लगाने का सुझाव है ?

श्री ए० के० पंजा : छठी योजना में 2175 करोड़ रु० की लागत का अनुमान था और अंतिम लागत 1550 करोड़ रुपये थी। सातवीं योजना के लिए राज्य द्वारा 3300 रुपये की कुल लागत का अनुमान है और कुल लागत 2100 रुपये स्वीकृत हुई है।

श्री टी० बशीर : मैं औद्योगिक क्षेत्र के विषय में पूछ रहा हूं।

श्री ए० के० पंजा : उद्योगों और खनिज पदार्थों के लिए राज्य सरकार ने सातवीं योजना में 325 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह केन्द्रीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री टी० बशीर : औद्योगिक क्षेत्र के लिए छठी योजना में केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में कितनी पूंजी लगाई गई और सातवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में कितनी पूंजी लगाने का सुझाव है ?

श्री ए० के० पंजा : जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र के ब्यौरे का संबंध है, मेरे पास आंकड़े हैं। किन्तु मेरे पास राज्य औद्योगिक क्षेत्र के लिए सातवीं योजना और छठी योजना की कुल लागत के आंकड़े हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आप एकत्र करके इसे सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री ए० के० पंजा : इसके लिए विशेष सूचना की आवश्यकता है।

श्री टी० बशीर : केरल राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में कुल लागत केवल 2.3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 23 लाख है। इन लोगों को काम में लगाने के लिए राज्य में तेजी से औद्योगीकरण करने की आवश्यकता है। क्या मन्त्री इस बात की ओर ध्यान देंगे जब वह औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्धारण करेंगे ?

नारियल जटा, हथकरघे तथा काजू जैसे परम्परागत उद्योग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस विषय में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी जा रही है ?

श्री ए० के० पंजा : प्रश्न का पहला भाग कार्यवाही के लिए अनुरोध है। जहां तक जटा का संबंध है छठी योजना में 8 करोड़ रुपये की लागत का सुझाव था। इसमें से पूर्वानुमानित व्यय 12.43 करोड़ रुपये है। यह कुशल निष्पादन है। जहां तक सातवीं योजना का संबंध है, इसमें 18 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है और अन्तिम लागत के विषय में चर्चा हो रही है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस एरोमैटिक कम्पलेक्स का क्या हुआ जिसकी कोचीन में स्थापना होने वाली थी ?

श्री ए० के० पंजा : मुख्य प्रश्न केरल की औद्योगिक योजनाओं से संबंधित है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे इस बात का खेद है कि वह उद्योग और कृषि में अन्तर नहीं कर सकते हैं। यदि माननीय मंत्री को यह बात मालूम नहीं है, तो उन्हें इसका उत्तर नहीं देना चाहिए था और न ही इस प्रश्न को स्वीकार करना चाहिए था। उन्हें यह प्रश्न उद्योग में भेजना चाहिए था।

श्री ए० के० पंजा : मुझे कृषि तथा उद्योग के बीच अन्तर मालूम है, यदि माननीय सदस्य प्रश्न को देखें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि वह पूरी सूची जिसमें औद्योगिक योजनाओं और विकास के विषय में ब्यौरा दिया गया है सभा पटल पर रखी गई है, उसमें मध्यम तथा बड़े उद्योगों के विषय में ब्यौरा···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे आश्चर्य है कि यह औद्योगिक योजना नहीं है।

राष्ट्रीय एटलस का प्रकाशन

*330. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत के सीमा क्षेत्रों को गलत ढंग से दर्शाते हुए भारत के मानचित्र प्रकाशित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ ऐसे कितने मामले उठाये गये और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) हमारे राष्ट्रीय एटलस का नवीनतम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था।

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) 1983-85 की अवधि में भारत की बाह्य सीमा को गलत चित्रित करने के 33 मामले विदेशी सरकारों और प्रकाशकों के साथ उठाए गए हैं। बहुत से मामलों में सम्बद्ध संगठनों ने हमारी स्थिति को स्वीकार किया है और अपने भावी संस्करणों में अपेक्षित सुधार करने का वायदा किया है। बाकी मामलों में हमारी ओर से अभी कार्रवाई चल रही है।

(ग) हमारे राष्ट्रीय एटलस का अद्यतन संस्करण 1982 में प्रकाशित किया गया था।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने यह पूछा कि "इन मामलों की संख्या क्या है जो संबंधित अधिकारियों के साथ उठाए गए हैं", किन्तु उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसे टालने का प्रयास किया। मुझे मालूम नहीं कि क्या उन्होंने प्रश्न देखा है और उसका उत्तर न देना ठीक समझा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, पहले तो आप थोड़ा कहिए कि प्रश्न को देखें, फिर उत्तर दें। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। अगर प्रश्न का उत्तर आया है तो मेहरबानी करके बताइए कि किन-किन देशों ने कब-कब अपने मानचित्रों में भारत की सीमा को गलत दर्शाया है, भारत सरकार ने कब-कब क्या कार्यवाही की, उससे सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई और कब तक वह अपने मैप्स में सुधार कर देंगे।

श्री बी० आर० भगत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की है कि 'बी' सवाल में हमने पूरी तफसील नहीं की और देशों का नाम नहीं लिया। माननीय सदस्य बड़े पुराने मैम्बर हैं, वह पार्लियामेंट्री तरीके को जानते हैं। यह एक तारांकित प्रश्न है, पूरक प्रश्न के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : हमने जवाब दिया कि 33 केसिज में हमने यह बात उठायी है। अगर आप चाहते हैं कि तारांकित प्रश्न में 33 देशों के नाम देते हुए और क्या बात उठाई है तब तो यह बात

बनती कि इन्होंने पूरक प्रश्न पूछा उसका जवाब दे देंगे, इनको चाहिए था अतारांकित प्रश्न पूछना तो पूरी तफसील से स्टेटमेंट हम दे देते।

जहां आपने पूछा है सभी देशों की बात, तो मैं इस मौके पर जिक्र नहीं कर सकता लेकिन जैसा मैंने कहा अधिकांश देशों ने—और इसमें सरकारें तो कम ही हैं ज्यादातर प्राइवेट निजी व्यक्ति हैं, पब्लिकेशन्स हैं जो इन्होंने छापे हैं तो ये बुक्स का पब्लिकेशन करने वालों ने बहुत सारे मामलों में इन्होंने मान लिया है और कहा है कि करेक्ट करेंगे लेकिन कुछ जो विशेष देश हैं, मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, जैसे कि अमरीका है तो यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में जो मैप्स छपते हैं, ज्यादातर जम्मू-कश्मीर की सीमा के बारे में, इन्होंने ज्यादातर अपने मैप्स में लाइन आफ एक्चुअल कन्ट्रोल बिटवीन इंडिया एण्ड पाकिस्तान जो है उसको दिखाया है। इंडिया एण्ड चाइना बाउन्ड्री में इन्होंने इंडियन क्लेम लाइन को दिखाया है और चाइनीज की तरफ से लाइन आफ एक्चुअल कन्ट्रोल है उसको दिखाया है। सिक्किम के बारे में वह हिन्दुस्तान का हिस्सा है—इसको दिखाया है।

इसी तरह से पाकिस्तान का जिक्र मैं कर दूं। जो वेस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप है और सोवियत यूनियन ने तो जैसा इंडिया का केस है, जम्मू एण्ड कश्मीर एज पार्ट आफ इंडिया उसको दिखाया है। इंडिया चाइना बाउन्ड्री में, ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर में हिन्दुस्तान के पजेशन में दिखाया है, वेस्टर्न सेक्टर में चीन का जो पजेशन है उसको दिखाया है। सिक्किम को भारत का हिस्सा दिखाया है।

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा चीनी संरेखण में दिखाई गई है।

[हिन्दी],

चीन का जो एलाइन्मेंट है उसकी तरफ से पाकिस्तान का दिखाया है और सिक्किम को हिन्दुस्तान का हिस्सा अलग दिखाया है। जम्मू कश्मीर में जो पोजीशन है वह दिखाई है। इसी तरह से और देशों का भी है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री मूल चन्द डागा : जिनसे आपने पत्र-व्यवहार किया है और जिन देशों ने आपको आश्वासन दिया है कि हम करेक्ट कर लेंगे वे कौन-कौन से देश हैं। कब उन्होंने आश्वासन दिया और कब वे इंप्लीमेंट कर लेंगे—यह मेहरबानी करके आप बतला दीजिए।

श्री बी० आर० भगत : जैसा मैंने कहा, वेस्टर्न यूरोप के देश हैं उनसे जब जिक्र हुआ तो उन्होंने मान लिया है और जैसा मैंने कहा बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन्स वाले हैं, वे भी मान गए हैं। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, बंगलादेश है, इसकी पूरी तफसील कि किन-किन देशों ने कब किया, क्या क्या किया, इसका स्टेटमेंट माननीय सदस्य को दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, आपने यह उत्तर दिया है कि बहुत से मामलों में सम्बद्ध संस्थाओं ने हमारी स्थिति स्वीकार की है और हमें आश्वासन ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री जयपाल रेड्डी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री हमें यह बता दें कि क्या मालदीव सरकार ने अपने मानचित्रों में सिक्किम को एक स्वतन्त्र देश के रूप में दिखाया है।

श्री बी० आर० भगत : मुझे यह मालूम नहीं है कि मालदीव अपने मानचित्रों में ऐसा दिखा रहे हैं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे मानचित्रों को देश में न बांटा जाए, विशेषकर देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थियों में, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? दूसरा, ऐसे मानचित्रों में गलत प्रकाशन के बारे में हमने इन देशों को जो विरोध-पत्र दिया है उसके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं हुई हैं ?

श्री बी० आर० भगत : ऐसे मानचित्र जो हमारी स्थिति के अनुसार ठीक नहीं किए जा रहे हैं उनकी हमारे देश में अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ गैर-सरकारी प्रकाशनों में, यदि उन्हें इस बात की अनुमति दी गई है, प्रकाशनों ने टिप्पण के तौर पर यह लिखा है कि यह मानचित्र न तो सही हैं और न ही प्रमाणिक हैं। तत्पश्चात् इसकी अनुमति दी जाती है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : हाल ही में एक प्रेस-रिपोर्ट आयी थी जिसमें यह कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लगभग 200 वर्ग मील भूमि वस्तुतः समर्पित की गई है और "लिजा" जैसी विदेशी जनजातियों द्वारा उस पर कानूनन अतिक्रमण कर लिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है और सरकार ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

श्री बी० आर० भगत : यह एक अलग प्रश्न है। यह मानचित्र का प्रश्न नहीं है। अतः इसके लिए मुझे एक अलग सूचना मिलनी चाहिए।

श्री कमल चौधरी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के लिए अपना पक्षपोषण करते रहने और यह चिल्लाते रहने से कि यह सीमा-रेखा नहीं है यह अधिक व्यवहार्य नहीं होगा कि वह हमारे देश के ऐसे मानचित्रों को जिनमें सही सीमा-रेखा दी गई हो अन्य देशों को भेजे और उस पर उन देशों की सहमति ले, क्योंकि वास्तविक नियन्त्रण रेखा का हमारे देश के सीमांकन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : वास्तविक नियन्त्रण रेखा हमारी ओर से नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा उन सभी मानचित्रों में वास्तविक नियन्त्रण रेखा के प्रत्येक मामले में तो उन्होंने दिखाई है हमने

उन्हें स्पष्ट कर दिया है। हमने इस विषय पर 33 मामलों में बात की है और अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

जहां तक प्रमाणिक मानचित्रों का सम्बन्ध है हमारा राष्ट्रीय एटलस सही विवरण दे रहा है। इसे 1982 में पुन: मुद्रित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इस सुझाव के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है कि हमारे मानचित्र वहां भेजे जाएं।

श्री कमल चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के लिए अपने पक्ष की पुष्टि करने के बजाए यह उचित होगा कि वह हमारे राष्ट्रीय मानचित्र की सही प्रति जिसमे सीमांकन भी दिखाया गया हो अन्य देशों को भेजे और उनसे उसकी पुष्टि करा ले ताकि वे देश इस बारे में गलती न करें।

श्री बी० आर० भगत : महोदय, हमने ऐसा किया है।

श्री एस० एम० भट्टम : कुछ सरकारों ने मानचित्र में शुद्धि नहीं की है जिसके लिए हमारी सरकार ने मांग की है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा न करने का क्या कारण है ? क्या उन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है और इस विषय में उनकी सतर्क आपत्ति क्या है ? संक्षेप में, उनके शुद्धि न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बी० आर० भगत : हां, कुछ सरकारें ऐसी भी हैं जैसे पाकिस्तान और कुछ अन्य सरकारें जिनकी इस सम्बन्ध में स्थिति मालूम है। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, किन्तु जैसा मैंने पहले कहा हमने अपनी स्थिति उन सबके सामने स्पष्ट की है। जहां तक राष्ट्रीय एटलस में हमारे मानचित्र का संबंध है हमारी स्थिति स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। यह पहले 1957 में प्रकाशित हुआ था और फिर यह 1982 में संशोधित कर फिर प्रकाशित किया गया। यह स्थिति उनको और प्रकाशकों को भी समझाई गई है। बहुत से मामलों में इसे ठीक किया गया, किन्तु ऐसे मामलों में जहां यह ठीक नहीं हुए हैं इस देश में उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। इस देश में ऐसे मानचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इनमें से कुछ जिनको अनुमति दी गई है उन्हें इस शर्त पर अनुमति दी गई है कि उनमें यह टिप्पणी दी हुई होनी चाहिए कि यह मानचित्र सही अथवा प्रमाणिक नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आयोजना दल

*333. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं तथा समस्याओं की उपेक्षा के बारे में व्यापक असंतोष फैला हुआ है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग आयोजना दल गठित करने का है; और

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों, विशेषकर सिक्किम के विकास के लिए विशेष वित्तीय तथा अन्य सहायता देने की आवश्यकता है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) इस निष्कर्ष को कोई आधार नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं तथा समस्याओं की उपेक्षा की जा रही है। पर्वतीय राज्य, यानी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए विशेष श्रेणी में आते हैं। जहां तक अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों की बात है, उनकी योजनाओं के लिए लगभग पूरी की पूरी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम—इन दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत "निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र" भी आते हैं। इनमें से पहले में, यानी, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, असम के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, तमिलनाडु में नीलगिरी और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के 3 सब-डिवीजन आते हैं। दूसरे में यानी पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम में, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के, और गोवा संघ राज्य क्षेत्र के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। इन दोनों में कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ख) पश्चिमी घाट सहित पर्वतीय क्षेत्रों पर एक सलाहकार समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्यय काफी सीमा तक केन्द्रीय सहायता में से ही पूरे किये जाते हैं, और उत्तरोत्तर योजना अवधि में, इस राशि में, निरंतर पर्याप्त वृद्धि होती रही है।

डा० जी० विजय रामा राव : अपने देश के सिक्किम और हिमाचल अन्य और अन्य पहाड़ी राज्यों में पानी, खनिज पदार्थ और विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण के लिए अच्छा पर्यावरण जैसे संसाधन बहुतायत से उपलब्ध हैं किन्तु योजना आयोग ने इन सब संसाधनों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विशेषकर इन क्षेत्रों के विकास के लिए परिवहन और इस प्रदेश में पाए जाने वाली वन सम्पत्ति के दोहन के सम्बन्ध में कोई योजना बनाने को इच्छुक है।

श्री ए० के० पंजा : जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को पता है कि इस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर,

मेघालय और नागालैंड जैसे पहाड़ी राज्य भी विशेष दर्जे में आते हैं। इन राज्यों में परिवहन और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। वास्तव में जो भी समितियां गठित की गई उन्होंने तीन प्रमुख बातों पर बल दिया है। पहली, लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं। दूसरी, जलाशयों का प्रबन्ध। तीसरी, सामान माल परिवहन किस प्रकार सुगम बनाया जाए। अर्थात् संचार व्यवस्था को किस प्रकार सुधारा जाए। इन सब बातों की व्यवस्था वहां मौजूद है। यदि कोई और विशेष सुझाव है; तो उस पर विचार किया जा सकता है। ये सभी प्रमुख समितियां इन सब पहलुओं पर विचार कर चुकी हैं।

डा० जी० विजय रामा राव : आन्ध्र प्रदेश में भद्राचलम और अराकलोया, दो पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दोनों क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान नहीं की जाती है। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इन दोनों क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करने की इच्छुक है।

श्री ए० के० पंजा : यदि ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र "पहाड़ी क्षेत्र" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें सहायता मिलेगी। उनमें से एक क्षेत्र राज्य की सीमा के साथ-साथ फैला हुआ है और दूसरे क्षेत्र के कुछ भागों को पहाड़ी क्षेत्र की परिभाषा के अन्तर्गत चिन्हित किया जा रहा है। जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, इसके कुछ भागों को पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है। यदि यह पहाड़ी क्षेत्र की परिभाषा के अन्तर्गत आता है; तो उसे भी पहाड़ी क्षेत्र के समान ही सहायता मिलेगी।

डा० वी० वेंकटेश : पहाड़ी क्षेत्रों की क्या परिभाषा है ?

श्री ए० के० पंजा : भू-वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के अनुसार इस समय इसके कई मानदण्ड रखे गए हैं जैसे कि उस क्षेत्र का ढलान 30 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।

डा० वी० वेंकटेश : पहाड़ी क्षेत्र सभी प्रकार की परिवहन तथा संचार सुविधाओं से वंचित हैं। इनके अभाव में पहाड़ी क्षेत्र के अनेक व्यक्ति निरक्षर हैं। यदि इन लोगों को शिक्षित न किया गया तो देश की अखण्डता को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मैं प्रधान मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को शिक्षित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ए० के० पंजा : मेरे माननीय मित्र का यह कहना गलत है कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों में साक्षरता कम है। वास्तविकता यह है कि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में साक्षरता दर बहुत अधिक है।

डा० वी० वेंकटेश : सिक्किम की क्या स्थिति है ?

श्री ए० के० पंजा : सिक्किम की स्थिति इस समय सबसे अच्छी है। (व्यवधान) विश्वविद्यालय की स्थापना दूसरी बात है। किन्तु इस समय इस परिव्यय पर और पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या ध्यान दिया जा रहा है, इन पहलुओं पर बात कर रहे हैं। महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्रों को सर्वाधिक प्राथमिकता

दी जा रही है। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिये जाने पर बल दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के तत्काल बाद मैंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मुख्य मन्त्री उपस्थित थे और इस बैठक में माननीय प्रधान मन्त्री ने प्राथमिकताओं के बारे में बातचीत की थी और मुख्य मन्त्रियों को यह पता लगाने तथा सस्थापित करने का निदेश दिया गया था कि ये सारे कार्य वहां चल रहे हैं अथवा नहीं। जहां तक प्रति व्यक्ति व्यय का सम्बन्ध है; माननीय सदस्य ने सिक्किम के बारे में पूछा है। सिक्किम के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

पांचवीं योजना	—	1906 रुपये
छठी योजना	—	5809 रुपये
सातवीं योजना	—	10952 रुपये

अखिल भारतीय औसत 1493 रुपये है।

श्रीमती डी० के० भंडारी : मुझे आशा है कि सम्भवतः माननीय मन्त्री महोदय को पता होगा कि सिक्किम अपने देश का सबसे छोटा राज्य है और अपने देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना में यह प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। क्या माननीय मंत्री महोदय मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार इस राज्य के अपने ही संसाधनों का उपयोग कर इस पिछड़े राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रही है ?

श्री ए० के० पंजा : माननीय सदस्य को सिक्किम के बारे में विशेष जानकारी है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस राज्य का प्रति व्यक्ति व्यय सर्वाधिक है जो न केवल अखिल भारतीय औसत से अधिक है अपितु वह सभी पहाड़ी राज्यों से अधिक है। सिक्किम का प्रति व्यक्ति व्यय का औसत 10952 रुपये है। अतः आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है; विशेषकर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के सम्बन्ध में। और इन मूलभूत आवश्यकताओं में स्वाभाविक है कि शिक्षा, अन्य विशेष सेवाएं, परिवहन, संचार और बिजली आदि आती हैं।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सातवीं योजना में सिक्किम के लिए कुल 230 करोड़ रुपये का प्रावधान है और केन्द्रीय सरकार 247.62 करोड़ रुपये दे रही है। इस प्रकार हम योजना का 107 प्रतिशत भाग दे रहे हैं।

श्रीमती डी० के० भंडारी : महोदय, सिक्किम को सामान्य केन्द्रीय सहायता दिए जाने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं किन्तु मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहती हूं कि सिक्किम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ?

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, हम सिक्किम को हर प्रकार की सहायता देते हैं और

हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि सिक्किम उसका उपयोग आत्मनिर्भर बनने के लिए कर रहा है।

श्रीमती डी० के० भंडारी : महोदय, हम सदा केन्द्र पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि अरावली हिल्स राजस्थान के अन्दर है, जहां कुछ दिन पहले प्रधान मन्त्री जी भी होकर आए हैं ? वहां के आदिवासियों की हालत बहुत खराब है और यह जो हिल्स के लिए असिसटेंश दी जाती है यह राजस्थान के पहाड़ी एरिये को नहीं दी जा रही है। क्या आप इसे राजस्थान को भी दिलाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, वह क्षेत्र विशेष श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके बारे में हमें निर्धारित मानदंडों की कुछ व्यापक रूपरेखा के अनुसार निर्णय लेना होगा क्योंकि जहां तक इन विशेष क्षेत्रों का सम्बन्ध है, प्रत्येक पहाड़ी क्षेत्र को विशेष सहायता दी जा रही है। किन्तु विशेष श्रेणी की सहायता पाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित हैं और उसके आधार पर विशेष क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : वहां के लोगों की हालत बहुत खराब है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी पहाड़ के बारे में बताना चाहता था लेकिन भूल गया।

[अनुवाद]

सम्पूर्ण समुद्र विदोहन के लिए उपाय

*335. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चरणबद्ध तरीके से सम्पूर्ण समुद्री सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए व्यापक आंकड़ा आधार और प्रौद्योगिकी विकल्प तैयार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय क्या किये गये हैं;

(ग) समुद्री सम्पदा के विदोहन हेतु इससे हमारी आशा कहां तक पूरी होगी; और

(घ) क्या अब तक हिन्द महासागर गहन खनन कार्य में कोई प्रगति हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ा केन्द्र में, जो राष्ट्रीय समद्र विज्ञान संस्थान, गोवा में स्थित है, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आंकड़ों तथा सूचना तन्त्रों को संग्रहित, संसाधित तथा प्रसारित करने के लिए व्यापक आंकड़ा आधार पहले से ही उपलब्ध है। समुद्री सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी के विकास के वास्ते अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना के निर्माण हेतु गहन प्रयास जारी हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उपर्युक्त आंकड़ा केन्द्र को उन्नत करना तथा विभिन्न महत्व के क्षेत्रों को विकसित करना प्रस्तावित है।

(घ) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय हिन्द महासागर में दो खान स्थलों का पता लगाया गया है और भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग को गहन समुद्र तल खनन कार्य के लिए दो स्थलों में से एक के पंजीकरण एवं आबंटन के लिए आवेदन किया हुआ है। गहरे समुद्र तल से प्राप्त किए गए नाड्यूल्स से धातुओं के निष्कर्षण में यथेष्ट प्रगति की गई है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि ओसन के एक्सप्लोरेशन के लिए, खनन कार्य में प्रगति हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो गोवा में स्थापित है, उसमें रिसर्च और डवलपमेंट की एक्टीविटीज को बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यक्रम है और उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह जो रिसर्च लेबोरेटरी सी०एस०आई०आर० के नीचे है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि हम एक साल में तीन से चार करोड़ रुपये इस उद्योग पर खर्च करते हैं। उसमें जो काम किया जाता है, वह अलग-अलग प्रकार का है। पहले तो जो हमारी इकोनोमिक ग्रोथ है, उसके अन्दर ओसन में जो लिविंग और नान-लिविंग सम्पत्ति पाई जाती है, उसके सेम्पल ले कर के, जांच पड़ताल करके यह देखा जाता है कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है।

दूसरे मौसम पर समुद्र का क्या असर होता है, उसका अध्ययन किया जाता है।

तीसरे समुद्र के पानी का लोहे, लकड़ी और दूसरे पदार्थ जो हैं उन पर क्या असर होता है, वह भी देखा जाता है। उसकी मदद से हम अपने शिप्स, बन्दरगाह वगैरहः को प्रोटेक्शन देने के सम्बन्ध में भी हम सोचते हैं। तीसरा जो है पोलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो वहां लाए गए हैं समुद्र से, जो सेंट्रल इंडियन ओशन से लाए गए हैं, उसकी जांच-पड़ताल का काम भी किया जाता है वहां पर और उसके बाद

कंप्यूटराइज डाटा किस प्रकार से तैयार करें और डिसिमिनेट करें, उसके सम्बन्ध में भी काम किया जाता है। इस प्रकार से अनेक काम वहां पर किए जाते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जो नोड्यूल्स प्राप्त हुए हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें किस प्रकार की धातु और कितनी-कितनी तादाद में प्राप्त हो सकेगी, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, ये पोलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं, ये सेंट्रल इंडियन ओशन में पाए गए हैं, दो जगह पर वो नोड्ल्स मिले हैं, उनको निकाल कर प्रयोगशालाओं में धातु निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कोबाल्ट, निकल, कापर और जिंक आदि धातुएं उससे निकली हैं और वो पोलीमेटेलिक नोड्ल्स जो हैं, उसमें से धातु किस प्रकार से निकाली जाए, उसके ऊपर भुवनेश्वर और दूसरी दो-तीन लेबोरेटरीज हैं, उनके अन्दर प्रयोग किया जा रहा है और इस काम को किया जा रहा है, लेकिन कितने पैमाने पर इसको पूरा कर पाते हैं, इसकी पूरी-पूरी जानकारी अभी नहीं है। कुछ जानकारी जरूर है मगर पूरी-पूरी जानकारी अभी नहीं है। नोड्यूल्स निकालने के लिए यूनाइटेड नेशंस से पहले परमीशन लेनी पड़ती है और उसके लिए जो सीबैड अथारिटी को एप्लीकेशन देते हैं। सीबैड अथारिटी से परमीशन मिलने के बाद एक्सप्लाइटेशन का काम होता है। अभी दो जगह पर नोड्ल्स का पता चला है और इसकी परमीशन के लिए हमने सीबैड अथारिटी को एप्लीकेशन भी परमीशन के लिए दी है एक के बारे में हमें परमीशन मिल जाएगी और परमीशन मिलने के बाद नोड्ल्स निकालकर उसको उपयोग में लाने का काम हम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में जो टेक्नालाजी है वह अभी संसार में भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है कि किस प्रकार से इसको निकाला जाए और कर्मशियल लेवल पर इसका कैसे उपयोग किया जाए। अभी तक पूरी मालूमात संसार में भी नहीं है, हिन्दुस्तान की बात तो अलग है, मगर इसका काम हिन्दुस्तान में भी और बाहर भी हो रहा है और ऐसा माना जाता है कि 10-15 साल के अन्दर पूरी टेक्नालाजी हाथ में आ जाएगी और जमीन के साथ-साथ समुद्र से भी धातु निकाल कर संसार में मनुष्य जाति उसका उपयोग कर सकेगी।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल : भारत के पास विशाल सागरतट है। इतना ही नहीं हमारे पास वहां अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हम अपनी भूमि तट से 250 नाटीकल मील तक सागर-अन्वेषण कर सकते हैं। अतः हम अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों से भी 250 समुद्री मील तक सागर-अन्वेषण कर सकते हैं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं? जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि समुद्र-तल प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती है, क्या हमें यह अनुमति केवल बम्बई तट या विशाखापटनम-तट के निकटवर्ती तटों तक के लिए दी गई है अथवा यह अनुमति अंडमान और निकोबार के तटों के निकट भी अनुसंधान करने के लिए मांगी जा रही है।

समुद्री खाद्य पदार्थ के लिये, पिण्डों के लिये तथा तेल की खोज करने के लिए समुद्र तल में

अनुसंधान करने के लिए तीन खोजी जहाजों की खरीद की बातचीत चल रही थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये तीन खोजी जहाज खरीद लिये गये हैं अथवा नहीं ?

मैं माननीय मन्त्री महोदय से इन दो मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : भारत का एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र भारत की भूमि क्षेत्र के दो-तिहाई के बराबर है। जहां तक एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र का संबंध है, उसके संबंध में भारत के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण या संयुक्त राष्ट्र से अनुमति प्राप्त करें। एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र पर भारत का आर्थिक एकाधिकार है और भारत इस क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। खुले समुद्र के संसाधनों का उपयोग करने के लिए समुद्र-तल प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और उसके लिये हमने समुद्र-तल प्राधिकरण से अनुमति मांगी थी न कि आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करने के लिये। भारत के आर्थिक क्षेत्र के चेतन और जड़ पदार्थों के रूप में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब हमारा विचार बहुत सारा क्षेत्र शामिल करने का तथा यह पता लगाने का है कि क्या हो रहा है। हम दो जहाज, एक सागर कन्या तथा दूसरा सागर संपदा प्राप्त कर चुके हैं। सागर कन्या का उपयोग आर्थिक क्षेत्र तथा खुले क्षेत्र में चेतन और जड़ पदार्थों के रूप में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने के लिये किया जाता है। सागर संपदा का उपयोग भारत के चेतन संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये किया जाता है। हमारे पास 'गवेषिणी' नाम का एक तीसरा जहाज है जिसका उपयोग सर्वेक्षण के लिये किया जा रहा है।

"परती भूमि पर वानिकी को बढ़ावा देने हेतु कदम"

*336. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय राज्यों द्वारा उन किसानों को, जो अपनी भूमि पर वानिकी फसलें उगा रहे हैं, दी जा रही विशेष सहायता की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने वानिकी को चाय तथा काफी जैसी बागान-फसलों के समान मानने के संबंध में विचार किया है;

(ग) किसानों द्वारा परती भूमि पर वानिकी को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1985-86 में परती भूमि पर वानिकी को बढ़ावा हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सारे देश में फार्म वानिकी को विकसित किया जा रहा है।

(ख) अन्य बागान फसलों के समान वानिकी के लिये संस्थागत वित्त इत्यादि का लाभ उठाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। चाय और काफी को वन फसल नहीं माना जाता।

(ग) किसानों सहित जनता द्वारा परती भूमि पर वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित कदम प्रस्तावित हैं :—

(1) जनता की नर्सरियां—नर्सरियों को विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और छोटे और सीमान्त किसानों, स्कूलों, औरतों के दल इत्यादि द्वारा नर्सरियां लगायी जाएंगी।

(2) वृक्ष उगाने के लिये जमीन को पट्टे पर दिये जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

(3) फार्म वानिकी को बढ़ावा देने के लिये वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों का गठन।

(4) परती भूमि का विकास करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(5) ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य वृक्ष तथा घासों को, जिनकी महिलाओं को आवश्यकता होती है, को बढ़ावा देने के लिये महिला मण्डलों तथा अन्य महिला संगठनों का उपयोग किया जायेगा।

(6) जहां कहीं भी परिस्थितियां अनुकूल हैं, वहां बीज बोये जायेंगे।

(7) वृक्ष फसलों के साथ घास और अन्य चारे को उगाया जायेगा।

(8) फार्म वानिकी के अनुपात को बढाने का प्रस्ताव है। यह जनान्दोलन के विकास करने में सहायक होगा।

(9) कुछ चुने हुए जिलों में गहन परती भूमि विकास।

(घ) 1985-86 में वृक्षारोपण के लिये आवंटित निधियों की राशि 450 करोड़ रुपये है।

श्री डी० पी० जदेजा : मेरा प्रश्न कतिपय राज्यों द्वारा फार्म वानिकी पर विशेष ध्यान दिये जाने से संबंधित था क्योंकि वानिकी अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होगी। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि राज्य-वार फार्म वानिकी के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है तथा इस परियोजना में गुजरात के कौन-कौन से जनपदों को सम्मिलित किया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में किये गये नियतन का प्रश्न है, यह लगभग 2500 करोड़ रुपये है। मुझे बताया गया है कि फार्म वानिकी के लिए अलग से कोई नियतन नहीं किया गया है। यह राशि वन लगाने के लिए है। जहां तक विशेष रूप से गुजरात राज्य से संबंधित जानकारी का प्रश्न है, मैं जानकारी एकत्रित करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री डी० पी० जडेजा : मैंने खास तौर से उल्लेख किया था कि फार्म वानिकी को चाय तथा काफी बागान के बराबर का विशेष दर्जा दिया जाना चाहिये। माननीय मन्त्री कहते हैं कि चाय तथा काफी बागानों को फार्म वानिकी के बराबर नहीं समझा जायेगा। क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि सुधार के लिए और, यदि आवश्यक हो तो, घास तथा अन्य उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विशेषकर सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए, कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं ?

श्री शिवराज बी० पाटिल : वन लगाना तथा बागान दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। अगर हम वन लगाने को बागान लगाने के बराबर मान लें तो कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं। वाणिज्य मन्त्रालय कतिपय रियायतें तथा कतिपय सुविधायें बागाम मालिकों को देता रहा है और वह चाय तथा काफी के बागानों के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। वन लगाने के लिए भी कतिपय सुविधायें दी जाती हैं और भिन्न-भिन्न राज्य भिन्न-भिन्न सुविधायें दे रहे हैं। पौध स्वतन्त्र रूप से दी जा रही है। बागान मालिकों को भी कुछ धनराशि दी जाती है। वृक्षों के फलों के उपयोग की भी अनुमति दी जाती है।

जहां तक नई प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के तरीकों से घास लगाई जा सकती है। बीज को वायुयान द्वारा फैलाया जा सकता है। तथा लेग्युमिनोसी टैंकों का भी वायुमण्डल से भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि घास को भी सहायता मिल सके। अन्य आनुवंशिकी तरीके हैं जो वास्तव में प्रयोग में नहीं हैं; परन्तु वे विकास-प्रक्रिया में हैं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : इन योजनाओं को लागू करने के लिए क्या ढांचा बनाया गया है तथा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? अथवा क्या यह राज्य-वार आवंटित की जाती है ? कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा समाज वानिकी की विशेष जातियों को क्षेत्रवार पता लगाया जाता है अर्थात् किस खास प्रकार की वानिकी की किसी खास क्षेत्र के लिए, उसके मौसम इत्यादि के अनुसार, आवश्यक होती है ? कौन-सी एजेंसी है जो क्षेत्र-वार इन विशेष जातियों का पता लगा रहा है ? इसे लागू करने के लिए ढांचा क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, वन लगाने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें योजनाएं तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करती हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं। कुछ राज्यों में बीज बांटे जाते हैं तथा कुछ राज्यों में पौध बांटी जाती है। कुछ राज्यों में बागान मालिकों को धन दिया जा रहा है। कुछ राज्य बागान मालिकों को वृक्षों के फलों के प्रयोग की अनुमति दे रहे हैं। केन्द्रीय स्तर पर हम धन तथा अन्य सुविधाएं दे रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मद्रास में राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना

*325. श्री के० राममूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयोग हेतु कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर के निर्माण के लिए मद्रास में एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राममूर्ति समिति की सिफारिशें

*327. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को सातवीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की भूमिका के संबंध में राममूर्ति समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राममूर्ति समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) योजना आयोग की क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) राममूर्ति समिति की सिफारिशों का सारांश बताते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद से इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए, परिषद की एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए, सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

रामभूर्ति समिति की सिफारिशों का सारांश

(1) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की एक मुख्य भूमिका होती है और वे राष्ट्रीय योजना का अभिन्न भाग होनी चाहिए। तथापि, ऐसी स्कीमों की संख्या सीमित होनी चाहिए और उनका मूल उद्देश्य परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ करना होना चाहिए।

(2) स्कीम को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में लिया जा सके, इसके लिए उसे निम्न-लिखित में से किसी न किसी मापदंड को पूरा करना चाहिए।

(क) इसका सम्बन्ध प्रदर्शन, मार्गदर्शी परियोजना, सर्वेक्षण और अनुसंधान से होना चाहिए या;

(ख) इसका स्वरूप क्षेत्रीय या अन्तर्राज्यीय होना चाहिये या;

(ग) इसका उद्देश्य सारे देश के लिए या एक क्षेत्र के लिए संस्थागत कार्य-ढांचे के निर्माण का होना चाहिए या;

(घ) इसका स्वरूप, उस निश्चित समय सीमा के भीतर उस दृष्टांत सा होना चाहिए, जिस समय सीमा में रखे गए प्रयोजन सिद्ध किए जाने हैं।

(3) राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की पहचान कर उन्हें राज्य योजना के अंतर्गत उप-योजना में ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें परिव्यय निर्धारित हों तथा विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान हो। इस तरह, सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य योजनाओं के भाग के रूप में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण रोजगार, गरीबी कम करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए अलग-अलग उप-योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।

(4) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय परिव्यय, राज्य-योजनाओं के निमित्त सकल केन्द्रीय सहायता के छठे भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए उप-योजना वाली, समिति की सिफारिश यदि नहीं मानी जाती है तो केन्द्रीय परिव्यय को छठे भाग तक सीमित रखना यथार्थ नहीं होगा। इसके बाव-जूद, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय परिव्यय, राज्य योजनाओं के निमित्त सफल सहायता के तीसरे भाग से अधिक नहीं होना चाहिए और ये उपाय किए जाने चाहिये कि सातवीं योजना के अन्त तक, यह अनुपात प्राप्त हो जाये।

(5) अखिल भारतीय व्याप्ति के कार्यक्रम तभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में लिए जाने चाहिये जब कार्यक्रम का परिव्यय 25 करोड़ रु० से अधिक हो। अगर, व्याप्ति कुछ राज्यों तक ही सीमित हो तो पांच वर्ष की अवधि में परिव्यय 10 करोड़ रु० से

कम नहीं होना चाहिए। ये सीमाएं ऐसी मार्गदर्शी परियोजनाओं या सर्वेक्षणों पर लागू नहीं होंगी जो योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों।

(6) ऐसी स्कीमें जिनके परिचालन के अन्त में प्रतिबद्धदेयता राज्य सरकारों के प्रभार में आ जानी हों, उन्हें अनिवार्य रूप से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। वे स्कीमें जो तत्वतः केन्द्रीय प्रायोजित स्वरूप की हों, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों की तरह न तो चलाई जानी चाहिए और न ही वर्गीकृत की जानी चाहिए।

(7) सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की पहचान, योजना के निरूपण के समय कर ली जानी चाहिये और उन स्कीमों के सम्भावित परिव्ययों तथा वित्त पोषण की रूपरेखा को, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के समय, अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए।

(8) योजना अवधि के बीच में शुरू की गई, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए, पूरी राशि भारत सरकार द्वारा दी जानी चाहिये।

(9) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों पर उस समय विचार-विमर्श होना चाहिये जब राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा हो।

(10) केन्द्रीय मन्त्रालयों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि राज्यों के विभाग, नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन की वांछनीयता के बारे में, योजना और वित्त विभागों से पहले अनुमति प्राप्त कर लें।

(11) केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के निमित्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उद्देश्यों के बारे में, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क, परामर्श आदि होना चाहिये। राज्यों को कहा जाना चाहिए कि वे, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में बताये गये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विस्तृत योजनाएं तैयार करें जिनका केन्द्रीय स्तर पर सक्षम समिति द्वारा परीक्षण और अनुमोदन हो।

(12) राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और प्रबोधन केवल केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तक सीमित न हो बल्कि उसमें समूची राज्य योजना को लिया जाये और यह काम मंत्रालय तथा योजना आयोग दोनों द्वारा जारी किया जाना चाहिये।

(13) सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए वित्तीय मंजूरियां व्यय वित्त समिति द्वारा जारी की जानी चाहिये।

(14) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं, जिनके जरिये राज्य संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियां दी जाती हैं, के बीच समन्वय के लिए प्रभावशाली

व्यवस्था होनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि, ऐसे केन्द्रीय अभिकरणों के माध्यम से चलाई जा रही विकासात्मक स्कीमों के अन्तरलंयन प्राप्ति के लिए, राज्य योजना में पर्याप्त परिव्यय रखे जा रहे हैं।

(15) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई नई स्कीमों के बारे में सूचना देने के निमित्त, प्रभावशाली सूचना प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि अन्य राज्य, अपनी स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में, विभिन्न राज्यों द्वारा चलाये जा रहे सफल उद्यमों को अपनाने की संभावना की जांच कर सकें।

प्रोटो-टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन तैयार करना

*328. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटो-टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन तैयार करने और उसका निर्माण करने के कार्य में भारत लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या रिएक्टर का आकार कोयले पर आधारित ताप-विद्युत केन्द्रों के समान होगा; और

(घ) यदि हां, तो यह रिएक्टर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी, हां।

(ख) 500 मेगावाट

(ग) जी, हां।

(घ) निर्माण-—कार्य सन् 2000 तक पूरा कर दिए जाने की योजना है।

राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित चार-सूत्री कार्यवाही

*331. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र मण्डल शिखर सम्मेलन ने विकासशील देशों की चिन्ताजनक आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान दिया है और इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल चार-सूत्री कार्यवाही करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन चार-सूत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चार-सूत्रों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन सुझावों से विश्व की अर्थव्यवस्था में कहां तक सुधार होने की संभावना है।

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन ने यह स्वीकार किया है कि विकासशील देशों को आज जिन संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उनमें यह जरूरी है कि बाहरी पर्यावरण को सुधारने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए अर्थात विकास की दर ऊंची हो और संरक्षण वाले उपायों को वापस लेना शुरू किया जाएं, खासतौर पर औद्योगिक देशों में; ब्याज की दरें कम हों और बाहरी सहायता विदेशी पूंजी निवेश में काफी वृद्धि हो तथा उनकी आंतरिक अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाएं।

(ग) इस दिशा में कार्रवाई मोटे तौर पर सम्बन्धित देशों पर निर्भर करती है। कुछ विषय सम्बद्ध विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय फोरमों के भी विचाराधीन है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के संचालन में सुधार होने से भी अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता मिल सकती है। इस संबंध में चौगम शिखर सम्मेलन में यह नोट किया गया था कि विकास और अन्तरिम समितियों की 1986 के वसंत में होने वाली बैठकों में सम्बद्ध मसलों पर ज्यादा गहराई से विचार करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

(घ) इन सुझावों का यदि सभी संबंधित देशों द्वारा निष्पादन और कार्यान्वयन किया जाये तो इनसे विश्व में अनुकूल आर्थिक पर्यावरण तैयार करने में सहयोग प्राप्त होगा और औद्योगिक तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को परस्पर मजबूत करने में प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

"ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण"

***332. श्री सी० जंगा रेड्डी**
श्री आनन्द सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्टूबर, 1985 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के कारण दिल्ली में तेजाबी वर्षा की स्थिति पैदा हो सकती है; तथा ऐसे विद्युत संयंत्रों से सारे देश में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है;

(ख) इससे सम्बन्धित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेजाबी वर्षा होने की स्थिति में शहरों, गांवो और वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार विभिन्न स्थानों पर दर्ज किये गये आंकड़ों से पता लगता है कि देश में तेजाबी वर्षा की समस्या का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ग) तेजाबी वर्षा से भवन तथा स्मारक क्षय हो जाते हैं, कृषि पैदावार तथा वन विकास घट जाता है और यह जल निकायों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

[अनुवाद]

संघ चिकित्सा सेवा आयोग

*334. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक्टरों की नियुक्ति के लिए एक संघ चिकित्सा सेवा आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह आयोग कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(घ) इस आयोग की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

"हिमालय में चीड़ के वनों को बचाने की कार्यवाही"

* ·37. श्री रेणु पद दास : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा हिमालय में, विशेष रूप से जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में, चीड़ के वनों की सुरक्षा हेतु अब तक क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या लीसा निकालने की विनाशकारी प्रक्रिया के सम्बन्ध में देहरादून वन अनुसंधान संस्थान की सिफारिशें लागू की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) सिफारिश किए गए तरीके की क्षमता का अध्ययन करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर ने एक समिति का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और क्रमिक रूप से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि वे अपने खुद के राज्य वन अनुसंधान संगठन द्वारा सुझाए अलग तरीके अपना रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(क) हिमालय में वनों को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए पर्वतीय राज्यों को विशेष क्षेत्र माना गया है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिनियमन।

3. वन सम्पदा के संरक्षण के लिये राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त विधि-निर्माण सहित बढ़े हुए सुरक्षा उपाय अपनाना।

4. क्षेत्रों में निम्नलिखित वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना :—

(1) सम्बन्धित राज्यों द्वारा हिमालय अंचल में चीड़ तथा अन्य प्रजातियों का व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण।

(2) नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(3) हिमाचल प्रदेश में भारत-जर्मन धोलाधार फार्म वानिकी परियोजना।

(4) उत्तर प्रदेश में हिमालय जल-विभाजक प्रबन्ध परियोजना।

(5) बाढ़-प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जल-विभाजक प्रबन्ध।

(6) सुधारी हुई भूमि उपयोग पद्धतियों को अपनाना।

(7) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी।

(8) वनों के प्रबन्ध के लिए प्रतिमानों का निर्धारण।

उपरोक्त उपायों के अलावा राज्यों ने लीसा निकालने के लिए चीड़ वृक्षों के दोहन पर भी सीमा निर्धारित कर दी है तथा वन अपराधों के सम्बन्ध में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

"अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को
वीरान होने से बचाने के उपाय"

*338. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्तूबर, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "ट्रेजर आइ-लैण्ड्स टर्निंग वेस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह को वीरान होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि इस प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटन की गई है, तो कितनी है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामले की जानकारी है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार पत्र की रिपोर्ट सरकार द्वारा अधिकृत एक अध्ययन पर आधारित है। विशेषज्ञ दल द्वीप समूह के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं। निधियों का आबंटन अध्ययनों के निष्कर्षों पर निर्भर होगा।

कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र

*339. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में परमाणु संयंत्र स्थापित किए जाने के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचाव करने के उपाय किए गए हैं; और

(घ) उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बचाव के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में बताने और उनका भय दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) :(क) जी, हां।

(ख) अब तक लगभग 18.5 करोड़ रुपये अन्वेषण सम्बन्धी कामकाज पर और ऐसे उपस्करों को पहले से ही मंगाने हेतु व्यय किए जा चुके हैं जो लम्बी अवधि में प्राप्त होते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रदर्शनियों और विशेषज्ञों के वक्तव्यों के माध्यम से लोगों से सम्पर्क किया जा रहा है तथा उन्हें संयंत्र के अन्दर लगाई गई सुरक्षा प्रणालियों और सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जा रहा है।

पाकिस्तानी पत्तनों पर नौसैनिक संस्थापनाएं

*340. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत, श्री पी० कुलन्दइवेलु : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि पाकिस्तानी पत्तनों पर बड़े नौसैनिक जहाजों और सामरिक महत्व की अन्य संस्थापनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था किस उद्देश्य से की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान पाकिस्तान के मैंकरान तट के साथ पत्तनों और बन्दरगाहों के विकास की योजनाओं से सम्बन्धित रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है। पता चला है कि इनका उद्देश्य नौसेना और वायुसेना यूनिटों की संचालन क्षमता को अधिक गतिशील बनाकर उपयोग में लाने का है। अब तक ये सुविधाएं केवल करांची में ही उपलब्ध थीं।

(ग) देश की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर भारत सरकार निरन्तर नजर रखती है, ताकि रक्षा तैयारी बनाये रखने के लिए उचित उपाय किए जा सकें। भारतीय नौसेना को निरन्तर हथियारों से लैस, आधुनिकीकरण एवं विकसित किया जा रहा है।

"देहाती ईंधन लकड़ी उगाना"

*341. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की ईंधन लकड़ी अध्ययन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार

ईंधन की लकड़ी का राज्य-वार उत्पादन और उसकी मांग कितनी है; और

(ख) देहाती ईंधन लकड़ी उगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) योजना आयोग की ईंधन लकड़ी अध्ययन समिति की रिपोर्ट में ईंधन की लकड़ी का राज्यवार उत्पादन और उसकी मांग का उल्लेख नहीं किया गया है। बहरहाल, 1975-76 के स्तर पर वार्षिक ईंधन की लकड़ी का उपभोग का अनुमान 133 मिलियन मीट्रिक टन लगाया गया था।

(ख) प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ईंधन की लकड़ी और चारे की फसल के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। ईंधन की लकड़ी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत, पौधे उगाये जा रहे हैं :—

(1) निःशुल्क पौध वितरण सहित फार्म वानिकी कार्यक्रम सहित राज्य क्षेत्र में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम।

(2) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के पौध रोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवृत्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी।

जब भी वृक्ष काटे जाते हैं, ईंधन की लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए अन्य रोपण कार्य अर्थात इमारती लकड़ी के वृक्ष भी उगाए जा सकते हैं। वनरोपण के लिए जन-आन्दोलन के द्वारा ईंधन की लकड़ी/चारे के वृक्षों की पौध बढ़ाने के लिए अन्य कदम उठाये जा रहे हैं, जो नीचे दिये गए हैं।

(1) जनता की नर्सरियां—नर्सरियों का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा इन्हें लघु तथा सीमान्त किसानों, विद्यालयों, महिला दलों आदि के द्वारा उगाया जाएगा।

(2) वृक्ष उगाने के लिए भूमि को पट्टे पर दिए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

(3) फार्म वानिकी को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों का गठन।

(4) परती भूमि का विकास करने के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(5) ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य वृक्ष तथा घासों को, जिनकी महिलाओं को

आवश्यकता होती है, को बढ़ावा देने के लिए महिला मंडलों तथा अन्य महिला संगठनों का उपयोग किया जाएगा।

(6) जहां कही भी परिस्थितियां अनुकूल हैं वहां बीज बोये जायेंगे।

(7) वृक्ष फसलों के साथ घास और अन्य चारे को उगाया जायेगा।

(8) फार्म वानिगी के अनुपात को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(9) कुछ चुने हुए जिलों में गहन परती भूमि विकास।

सातवीं योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन

*342. **श्री अनिल बसु** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में औद्योगिक उत्पादन की किन-किन मदों पर बल दिया गया है;

(ख) क्या इन उत्पादों के लिए देश में मण्डी उपलब्ध होगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कमजोर वर्गों सहित अधिकांश जनता इस प्रकार के उत्पादन से लाभान्वित होगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं योजना में जिन-जिन मदों पर बल दिया गया है, वे हैं—ऊर्जा संबंधी मदें अर्थात पैट्रोलियम, कोयला और बिजली; मूल धातुओं जैसे इस्पात, एल्यूमिनियम, जस्ते और सीसे का उत्पादन, सड़क परिवहन, वाहन, मशीन उपकरण, उर्वरक, पैट्रोलियम मध्यवर्ती पदार्थ, प्लास्टिक्स, इलैक्ट्रानिकी सामान, सिन्थेटिक रेशे, चीनी वनस्पति, कपड़ा आदि।

(ख) जी, हां। सामग्री संतुलनों और निवेश-उत्पादन माडलों के समुच्चय की सहायता से, विस्तृत अध्ययन के आधार पर, योजना में इन सभी मदों के, मांग-पूर्ती संतुलन का अनुमान लगाया जा चुका है।

(ग) जी, हां। गरीबी कम करने, बेरोजगारी घटाने, और आय तथा खपत के पुनर्वितरण के निमित्त प्रस्तावित कार्यक्रमों से होने वाले परिणामों से, जिस तरह की मांग हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही योजना में उत्पादन स्तरों का निर्धारण किया गया है।

गंगा की सफाई के कार्य में "श्रमदान" और युवकों का योगदान

*343. श्री अख्तर हसन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा की सफाई के कार्य में "श्रमदान" और युवकों का योगदान शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में जनता का सहयोग किस सीमा तक है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) गंगा कार्यकारी योजना के गठन और कार्यान्वयन में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए इस समय विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

(1) नदी गुणवत्ता और जलीय जीवन आदि को समझने के लिए चुनिन्दा घाटों की सफाई और रख-रखाव, नदी किनारों को सुन्दर बनाना, वृक्षारोपण, विशेष जागरूकता कार्यक्रम जैसी गतिविधियां आरम्भ करने के लिए विभिन्न स्थानों पर युवकों के लिए "श्रमदान" और शिविर आयोजित करना जैसी गतिविधियां;

(2) नदी प्रदूषण की समस्याओं के बारे में जन-जागरूकता विकसित करने हेतु एक बहु-प्रचार माध्यम (मल्टी-मीडिया) और बहु-भाषीय (मल्टी-लिंगुअल) कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

(3) गंगा कार्यकारी योजना और इसकी प्रगति के बारे में सूचना के प्रचार हेतु दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा प्रेस के साथ मिलकर प्रबन्ध किया जा रहा है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मस्कट में भेंट

*344. श्री सत्येन्द्र सिंह
श्री यू० एच० पटेल } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने मस्कट की अपनी हाल की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) क्या साइचिन क्षेत्र में निरन्तर हो रही छुटपुट मुठभेड़ों पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सियाचिन ग्लेशियर और उसके आस पास का इलाका हमेशा से ही हमारे नियन्त्रण में रहा है और यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की 18 नवम्बर, 1985 को ओमान में हुई बातचीत के दौरान सियाचीन ग्लेशियर का मामला भी उठाया गया।

ब्रिटेन द्वारा प्रौद्योगिकी की पेशकश

***345. श्री बी० तुलसी राम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के उद्योग राज्य मन्त्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटेन द्वारा भारत के विकास के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के अन्तरण की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित उच्च प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी प्रौद्योगिकी फ्रांस से प्राप्त नहीं की जा सकी;

(घ) इस प्रकार की सहायता से भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास में कहां तक रुकावट आयेगी; और

(ङ) ब्रिटेन से किन-किन क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त की जाएगी ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) ब्रिटेन के उद्योग राज्य मन्त्री की यात्रा के दौरान कोई विशिष्ट प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का जनता से बर्ताव

***346. श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता के साथ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के बर्ताव की गुणवत्ता पर महत्व दिया जा रहा है;

(ख) जनता के साथ अधिकारियों के बर्ताव में अधिक आदर और सम्मान हो, इसके लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ग) उच्च वर्गों के अधिकारियों द्वारा जनता के साथ बेहतर बर्ताव किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनको दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेना होता है। इन पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों में कामकाज का एक नया वातावरण और सदाचार विकसित करना तथा आम आदमी की, विशेष रूप से सर्वाधिक गरीबी और सामाजिक रूप से उपेक्षित लोगों की समस्याओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण तैयार करना शामिल है। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गांवों और जन जातीय क्षेत्रों के दौरे करना भी शामिल है ताकि अधिकारियों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति विकसित हो सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं के बारे में उनके कार्य-निष्पादन और आम लोगों के साथ उनके सम्बन्धों को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्शाया जाता है।

एन्टार्कटिका के लिए पांचवां अभियान दल

*347. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पांचवें भारतीय एन्टार्कटिका अभियान दल के इस महीने रवाना होने की योजना है;

(ख) क्या कतिपय शीर्षस्थ अनुसंधान संस्थान इस अभियान में भाग लेने पर पुनर्विचार कर रहे हैं और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा तो इस अभियान से अलग होने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या चौथे अभियान दल में भाग लेने वाले कुछ वैज्ञानिकों का अनुभव उत्साहवर्द्धक नहीं था तथा उनमें से एक वैज्ञानिक ने तो इस बारे में प्रधान मन्त्री को लिखा भी था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब भी पांचवें अभियान तथा भावी अभियानों को जारी रखने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) पांचवां अंटार्कटिक अभियान गोवा से 30-11-1985 को 5.30 बजे सायं गोवा से रवाना हुआ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। पांचवें अभियान में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने अंटार्कटिका में ग्रीष्मकालीन दल के लिए दो वैज्ञानिकों को तथा शीतकालीन अनुभव प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक को भेजा है।

(ग) और (घ) अंटार्कटिका के चार अभियानों के सदस्यों को अंटार्कटिका को बाद के अभियानों में अपेक्षित सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी टिप्पणियां और सुझाव आमन्त्रित करते हुए पत्र भेजे गए थे। प्राप्त प्रत्युत्तरों को भावी अभियानों के आयोजन में सम्मिलित किया गया है/किया जा रहा है।

[अनुवाद]

"कृष्णा नदी की सफाई के लिये सहायता"

3438. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी को घरेलू और औद्योगिक प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा के किनारे बसे 27 बड़े शहरों के पानी के निकास तथा अन्य संबंधित सुविधाओं में सुधार के लिए सातवीं योजना के दौरान 250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या दक्षिण में किसी नदी के लिए कोई राशि पर्याप्त रूप से रखी गई है तथा क्या कृष्णा नदी पर इसके लिए विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने कृष्णा नदी के जल का प्रदूषण समाप्त करने के लिए कुछ निधियां आवंटित करने का निर्णय किया है क्योंकि इस नदी का जल मद्रास को पीने के पानी की सुविधा हेतु जाता है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 250 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

गंगा नदी में घरेलू स्रोतों से होने वाले प्रदूषण भार को कम करने के लिए 27 बड़े श्रेणी-1 शहरों/नगरों के लिये तैयार की गई स्कीमों में जल निकासी एवं मलजल उपचार सुविधाओं का सुधार प्रमुख घटक है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में राकेट परीक्षण स्थल के चयन के बारे में निर्णय

3439. **डा० चिन्ता मोहन**
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री चिन्तामणि जैना } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में राकेट परीक्षण के उस स्थल के निर्णय के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके बारे में स्थानीय निवासियों ने उचित पुनर्वास किए बिना विस्थापित किए जाने के कारण आपत्ति की थी;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्वास योजनाएं तैयार करते समय न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और जातिगत बातों को ध्यान में रखा जाएगा; और

(ग) क्या सरकार विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के भविष्य के बारे में योजना तैयार करते समय उनसे बातचीत करेगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। इस संबंध में राज्य सरकार ने व्यापक पुनर्वास योजनाएं बनाई हैं जो उन प्रभावित निवासियों को पुनर्वास एवं रोजगार प्रदान करेंगी। यह भी महसूस किया जाता है कि एक बार जब परियोजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने लगेगी तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

आदिवासियों के जन जीवन में सुधार करने के लिए प्रधान मन्त्री के निदेश

3440. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों की दशा जानने के लिए प्रधान मन्त्री ने राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रधान मन्त्री ने क्या निदेश दिये थे; और

(ग) उन निदेशों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या अनुवर्ती, कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रधान मन्त्री ने संकेत दिया था कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निवेश की योजना बनाते समय आपूर्ति की जाने वाली उत्पादन परिसम्पत्ति स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होनी चाहिए।

(ग) कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता के बारे में लिखा

था। हाल ही में 29 और 30 नवम्बर, 1985 को ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस कार्यक्रम की पुनरीक्षा की गई थी।

[अनुवाद]

पंजाब की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कदम

3441. श्री तेजा सिंह दर्दी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पंजाब की अर्थव्यवस्था जो पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में गड़बड़ी की स्थिति के कारण काफी बिगड़ गई है, का विशेष सर्वेक्षण करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं योजना में पंजाब की अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। पंजाब राज्य की सातवीं योजना के लिए 3285 करोड़ रु० के परिव्यय के लिए सहमति हुई है जोकि छठी योजना के परिव्यय के मुकाबले 67.86 प्रतिशत अधिक है। पंजाब सरकार को 1985-86 की योजना का उपयुक्त आकार रखने के उद्देश्य से, सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्य को 100 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता का और थीन बांध के लिए 45 करोड़ रु० की अतिरिक्त सहायता तथा सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए 15 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है और 75.62 करोड़ रु० के मध्यावधि ऋण की मंजूरी दी गई है।

राज्य की सातवीं योजना में, थीन बांध परियोजना के लिए, 500 करोड़ रु० की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, राज्य में एक रेलवे कोच निर्माण फैक्ट्री, केन्द्रीय क्षेत्रक में, स्थापित की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

पाकिस्तान का काश्मीर को अपना क्षेत्र मानने का दावा

3442. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में 21 अक्तूबर, 1985 को पाकिस्तानियों की बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कश्मीर को पाकिस्तान का "अभिन्न अंग" के रूप में उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे वक्तव्य से भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने सम्बन्धी प्रयासों में कमी आएगी; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस दावे पर कोई औपचारिक राजनयिक विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। पाकिस्तान रेडियो के अनुसार 21 अक्तूबर, 1985 को न्यूयार्क में पाकिस्तानी समुदाय को सम्बोधित करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था "काश्मीर पाकिस्तान का कवच है।"

(ख) और (ग) सरकार की इस स्थिति से पाकिस्तान की सरकार को विभिन्न अवसरों पर अवगत कराया गया है कि काश्मीर के विषय में इस प्रकार के उल्लेख शिमला समझौते के विपरीत हैं। हमने हमेशा यह बात कही है कि जम्मू और काश्मीर का समूचा राज्य भारत का अभिन्न अंग है और जो बात तय होनी है वह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान ने भारत के जिस प्रदेश पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है उसे वह खाली करे।

बम्बई पासपोर्ट कार्यालय का कार्यचालन

3443. श्री गुरु दास कामत : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पासपोर्ट कार्यालय के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) इस समय पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) पासपोर्ट जारी करने में बम्बई पासपोर्ट कार्यालय द्वारा औसतन कितना समय लिया जाता है; और

(घ) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब को दूर करने के लिए बम्बई पासपोर्ट कार्यालय में कोई अध्ययन किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) सरकार पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण की बराबर समीक्षा करती रहती है और बम्बई स्थित पासपोर्ट कार्यालय सहित इन कार्यालयों को सुचारू रूप देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर काउंटर पर सेवा की देखरेख करने के लिए वहां पर दो अतिरिक्त अधिकारी नियमित रूप से तैनात किए गए थे। इसी प्रकार, तीन अधिकारी अपने-अपने अनुभागों के और करीब चले गए थे ताकि वे अपने स्टाफ और उनके कार्यकरण की और बेहतर तरीके से निरीक्षण कर सकें।

(ख) 1-12-85 तक लम्बित पड़े आवेदनपत्रों की संख्या 21451 थी।

(ग) आमतौर पर पुलिस प्राधिकारियों से पासपोर्ट आवेदकों के बारे में स्पष्ट सुरक्षा और पहचान सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं।

(घ) पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई का मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि उनके कार्यकरण पर निगरानी रखी जा सके और उसमें सुधार लाया जा सके।

अपराध और उपभोक्तावाद में सम्बन्ध

3444. श्री विनेश सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपराध और उपभोक्तावाद के बीच सम्बन्ध पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने इस पर कोई अनुसंधान किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"कलकत्ता में गंगा बेसिन सम्मेलन

3445. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण केन्द्र ने अनेक केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों की सहायता से नवम्बर, 1985 के अन्तिम सप्ताह के दौरान कलकत्ता में गंगा बेसिन सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया था;

(ख) क्या इस सम्मेलन में देश में विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के अलावा थेम्स वाटर अथारिटी जैसे कुछ विदेशी अभिकरणों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरणों के सम्बन्ध में इस मामले में क्या अनुगामी कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था।

(1) अपशिष्ट जन संचयन एवं परिवहन

(2) अपशिष्ट जन उपचार एवं पुनर्उपयोग

(3) ऊर्जा प्राप्ति एवं उत्पाद विपणन तथा नदी जल गुणवत्ता प्रतिरूपण

(4) औद्योगिक अपशिष्ट प्रबन्ध की समस्याएं और वित्त व्यवस्था

(5) औद्योगिक अपशिष्ट उपचार प्रणाली।

(घ) सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

"वनों का समाप्त होना"

3446. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत लकड़ी के पैकिंग के डिब्बों का प्रयोग करने से धीरे-धीरे वन कटते जा रहे हैं और परिस्थितिकी अपकर्ष हो रहा है; और

(ख) पैकिंग डिब्बों के निर्माताओं से वनों की रक्षा करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश के कुछ भागों में परम्परागत पैकिंग केस बनाने के लिये लकड़ी के उपयोग से वनों का कुछ मात्रा में रिक्तीकरण तथा निम्नीकरण हुआ है।

(ख) सरकार ने पैकिंग बक्सों सहित लकड़ी का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग को प्रतिस्थापित करने की सिफारिश करने हेतु एक अन्त:मंत्रालय दल स्थापित किया है। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्र मण्डल देशों में व्यापार बाधाएं

3447. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मण्डल देशों में कोई व्यापार बाधाएं हैं जिससे उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्र मण्डल शासनाध्यक्षों की हाल की बैठक में इन व्यापार बाधाओं को दूर करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रस्तावों के निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०ग्रार० नारायणन) : (क) और (ख) राष्ट्र मण्डल देशों के बीच तट शुल्क और गैर तट-शुल्क पाबंदियों के रूप में व्यापार प्रतिबन्ध मौजूद हैं। अब राष्ट्र मण्डल अपने सदस्य देशों में व्यापार को उदार बनाने का मंच नहीं रह गया है। अब प्रवृत्ति यह है कि व्यापार में बहुपक्षीय आधार पर अथवा क्षेत्रीय आधार पर उदारता बरती जाए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान समुद्री सम्पत्ति का उपयोग

3448. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजनावधि के दौरान समुद्री सम्पत्ति का उपयोग जारी रखने पर अधिक जोर दिये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किन क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताविक योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी ग्रौर ग्रन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अनुसंधान कार्य के लिए मुख्य क्षेत्र होंगे : अनुकूलतम उपयोग के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सजीव और निर्जीव संसाधनों का सर्वेक्षण, पोलिमेटालिक नाड्यूल्स कार्यक्रम, अंटार्कटिक अनुसंधान, समुद्री प्रदूषण का नियन्त्रण, समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास, अन्तर्जलीय प्रौद्योगिकी का विकास तथा समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्धित मानव संसाधन विकास।

ठक्कर ग्रायोग की रिपोर्ट

3449. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठक्कर आयोग की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और क्या इसे इसी सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) क्या सरकार ने ठक्कर आयोग की कार्यावधि बढ़ाई है और यदि हां, तो कब तक के लिए ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) ठक्कर जांच आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) ठक्कर जांच आयोग का कार्यकाल 31-12-1985 तक बढ़ा दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण

3450. श्री हरिहर सोरन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीती जिले को बाकी देश के साथ जोड़ने का सरकार का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां किसी सुरंग अथवा सभी मौसमों के लिए उपयुक्त कोई सड़क बनाई गई है; और

(ग) इस बारे में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) लाहौल स्पीति घाटी से गुजरने वाला मनाली-लेह मार्ग, रोहतांग और अन्य दर्रों पर हिमपात और हिम-स्खलन के कारण सारा साल खुला नहीं रहता है। रोहतांग दर्रे पर एक सुरंग बनाने के बारे में सम्भाव्यता अध्ययन किया जा रहा है। इस बीच में इस सड़क पर सुधारात्मक कार्य एवं बर्फ हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सड़क पहले से अधिक अवधि तक यातायात के लिए खुली रहे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिकी उपक्रम की स्थापना

3451. श्री महेन्द्र सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मध्य प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए एक उपक्रम की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में इस समय इलेक्ट्रानिकी के लिए केन्द्रीय उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकार देश भर के किसी भी अनुमत्य क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देती है। मध्य प्रदेश के लिए किसी प्रकार के विशिष्ट उपाय नहीं अपनाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने का प्रयास करती है। इलेक्ट्रानिकी विभाग जब भी जरूरी हो आवश्यक मार्गदर्शन करता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नर बलि

3452. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
डा० जी० एस० राजहंस } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ऐसे आधुनिक समय में उड़ीसा में नर बलि की भयंकर घटनाओं की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया है;

(ख) क्या 7 अक्तूबर, को सुकिन्दा में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी की खान संख्या-एक में एक और नर बलि दी गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में ऐसी नर बलि की जांच कर रही है; और

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में 60 से अधिक नर बलि दी गई हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) "लोक व्यवस्था" का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में है। इसी प्रकार 'पुलिस" का विषय भी है। इसलिए "लोक व्यवस्था" बनाए रखना जिसमें पुलिस ऐजेन्सियों के तन्त्र के माध्यम से अपराधों को रोकना और पता लगाना शामिल हैं, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान नर बलि के केवल 8 मामले सरकार के ध्यान में आये हैं। इन 8 मामलों में से 3 मामलों को उनकी जांच पड़ताल होने के बाद नर बलि का मामला नहीं बताया गया था। सुकिन्दा की खान में 7 अक्तूबर, 1985 को नर बलि का कोई मामला सूचित नहीं किया गया। लेकिन इस तारीख को अचानक उत्तेजना भड़कने के कारण एक हत्या हुई थी।

पुलिस संगठन में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कदम

3453. श्री चिंत महाता
श्री जितेन्द्र सिंह
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में पुलिस संगठन और अन्य सरकारी संगठनों में

भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उपाय इस प्रकार हैं : फासने की शिकायत पुलिस स्टेशन को भेजी जाती है, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जा रहा है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अन्तर्गत छापे मारने का कार्य तेज किया जा रहा है और जिला सतर्कता एकक और दिल्ली पुलिस की सतर्कता ब्रांच ने कदाचार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगरानी तेज कर दी है ।

पाकिस्तान प्रशिक्षित उग्रवादी

3454. श्री ए०जे०वी० बी० महेश्वर राव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित पांच सौ उग्रवादी 18 अगस्त से 25 अगस्त 1985 की अवधि के बीच सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने इन उग्रवादियों को स्टेनगन एवं औजारों से लैस किया है;

(ग) पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ताकि न केवल और अधिक घुसपैठ को बल्कि भारत में अपराध करके उग्रवादियों को वापस पाकिस्तान भाग जाने से रोका जा सके; और

(घ) जो उग्रवादी पहले ही भारत में आ चुके हैं उन्हें पकड़ने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । फिर भी, अब तक गिरफ्तार किये गये उग्रवादियों से की गई पूछताछ से पता चला है कि पाकिस्तान उन्हें स्टेनगनों, रिवाल्वरों तथा ग्रेनेडों से लैस कर रहा है ।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है । सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य निवारक एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाई जाती है, छापे मारे जाते हैं, और गश्त का आयोजन किया जाता है । सीमा सुरक्षा बल द्वारा अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई हैं । अवैध रूप से जाने/आने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है । उग्रवादियों को पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने के लिए, जो पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके हैं, संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच-पड़ताल तथा छीनबीन और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है ।

"वानिकी के लिए बीज बैंक की स्थापना"

3455. श्री साइमन तिग्गा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वानिकी के लिए बीज बैंक स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस बैंक के केन्द्रों का ब्योरा क्या है और उन वृक्षों के नाम क्या हैं जिनके बीज बैंक में उपलब्ध होंगे; और

(ग) नर्सरी विकास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वानिकी के लिए बीज आवश्यकता का अभी पूर्णतया मूल्यांकन नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में अनेक ब्यौरों का लगातार अध्ययन किया जा रहा है । जहां तक संभव हो वर्तमान संस्थाओं/आधारभूत सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा ।

(ख) क्षेत्र का अभी पता लगाया जा रहा है तथा ऐसे केन्द्रों और प्रजातियों का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वनरोपण के लिए जन सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विकेन्द्रीकृत नर्सरियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

"कार्यदल का गठन"

3456. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास के लिए कार्यदल की स्थापना के लिए योजना में कोई प्रगति हुई है और कार्यदल का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक गठित किये गए कार्यदल का ब्यौरा क्या है और उनके कार्यकरण का संक्षिप्त ब्योरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुवर्ती वर्षों के दौरान कुछ और कार्यदलों का भी गठन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रादेशिक सेना के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पारिस्थितिक कृतिक

बल कार्यरत है। 243 व्यक्तियों की संख्या सहित उत्तर प्रदेश में कृतिक बल जनवरी, 1983 से कार्यरत है और इसने शाहजहांपुर प्रखण्ड (जिला सहारनपुर) में वृक्षारोपण तथा मृदा संरक्षण कार्य किये हैं।

अप्रैल, 1985 से मसूरी के ढलानों पर खनन किये गये क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कृतिक बल को कियारकुली जल ग्रहण भेज दिया गया है।

द्वितीय कृतिक बल जुलाई, 1983 से राजस्थान में बीकानेर के निकट इन्दिरा गांधी नहर के बाएं किनारे पर कार्यरत है। इस कार्य दल में 668 व्यक्ति हैं। इसकी गतिविधियों में वृक्षारोपण, चरागाह विकास तथा बालू टिब्बा स्थिरीकरण सम्मिलित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनुदान

3457. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कितनी राशि का अनुदान दिया गया

(ख) उसमें कितनी राशि हरिजन सेवक संघ को दी गई; और

(ग) अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों को 1,30,04,076 रुपये की राशि दी गई थी।

(ख) हरिजन सेवक संघ को 1984-85 के दौरान 23,72,366 रुपये की राशि दी गई।

(ग) कल्याण योजनाओं के कार्यान्वियन और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहायतानुदान के प्रयोग के बारे में निष्पादन का मूल्यांकन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निदेशकों द्वारा किया जाता है जो संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यकरण की सांवधिक जांच करते हैं। इस मंत्रालय के अधिकारी भी अपने दौरे के दौरान इन संस्थाओं का दौरा करते हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सिपाहियों की भर्ती में अनियमितताएं

3458. **श्री सरफराज अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्द्रपुर (बिहार) में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सिपाहियों की चयन सूची रद्द कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके रद्द करने का कारण चयन में की गई कुछ अनियमितताएं थीं;

(ग) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई भर्ती के लिए कार्यवाही कब तक आरम्भ की जाएगी ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) चन्द्रपुरा यूनिट के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तत्कालीन कमांडेंट तथा अन्य संबंधित अधिकारियों, जिनके बारे में दोषी होने के आरोप हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) जब भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबलों के पद रिक्त होंगे ताजा भर्ती की जाएगी। कांस्टेबलों की वरीयता सूची के रद्द होने के परिणामस्वरूप वे रिक्त पद अन्य राज्यों में की गई भर्ती से भरे गए हैं।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कम्प्यूटर की त्रुटि

3459. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के दानापुर केन्द्र से सिविल सेवा परीक्षा में बैठे सभी उम्मीदवार कम्प्यूटर परीक्षा के अनुसार असफल हो गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब छात्रों ने इसका प्रतिरोध किया, अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा पुनः जांच करवाई गई और अनेक उम्मीदवार उत्तीर्ण पाए गए थे;

(ग) क्या ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं जिनमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गई अंक तालिका में उम्मीदवार को उत्तीर्ण दिखाया गया है जबकि बाद में कम्प्यूटर से तैयार की गई अंक तालिका में उम्मीदवार को असफल घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि प्रतिभाशाली छात्रों का भविष्य कम्प्यूटर की किसी गलती से अवरुद्ध न हो ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। वे सभी उम्मीदवार जो दानापुर के कुल सात उप-केन्द्रों में से चार से सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1985 में बैठे थे असफल हुए थे।

(ख) परिणामों की घोषणा के बाद, कुछ उम्मीदवारों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, आयोग ने पूरे परिणामों की पुनः जांच की थी। परिणामस्वरूप, दानापुर, पटना के चार उप-केन्द्रों के 190 उम्मीदवारों सहित, 232 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाए गए थे और तदनुसार, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया था।

(ग) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग अंक तालिकाएं नहीं तैयार की जाती हैं। अतः अंक तालिका में विसंगति से संबंधित किसी मामले को ध्यान में लाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मशीन स्कोरों की पुनः जांच करने और स्कोरिंग मशीन के गलत कार्यकरण का पता लगाने के लिए नए कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। परिणामों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य वैध प्रतिबन्ध (वैलीडेशन) चैक्स, भी विकसित किए गए हैं। ये पूर्वोपाय, कम्प्यूटर की गलती से किसी उम्मीदवार के भविष्य को हानि पहुंचाने वाली सम्भावनाओं से बचाएंगे।

गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों के लोगों के बारे में किया गया सर्वेक्षण

3460. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन संस्थान द्वारा बिहार के कुछ राज्यों में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 95 प्रतिशत से भी अधिक अनुसूचित जातियों के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और "अस्पृश्य" के रूप में माने जाने के अलावा वे असामान्य परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेत्रहीनों के कल्याणार्थ धनराशि का आवंटन

3461. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में नेत्रहीनों को अधिक सुविधाएं देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनाओं के लिए 34 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है :—

(1)	राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास	12 करोड़ रुपये
(2)	छात्रवृत्तियां, सहायक यंत्र एवं उपकरणों की सप्लाई तथा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	20 करोड़ रुपये
(3)	जिला पुनर्वास केन्द्र	1 करोड़ रुपये
(4)	रोजगार कार्यालयों में विशेष सैलों की स्थापना	1 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय संस्थानों के लिए की गई व्यवस्था को छोड़कर, अन्य आवंटन सभी विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए किये गये हैं जिसमें दृष्टिबाधितार्थ व्यक्ति भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के विकास के लिए प्लान के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था और गैर-प्लान के अन्तर्गत लगभग 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए सर्वेक्षण

3462. श्री विजय कुमार यादव : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और योजना मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न शहरों में मूल्यों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां। शहरी अश्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान अंकमाला का आधार वर्ष (1960) संशोधित करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 1982-83 के दौरान 59 चुने हुए केन्द्रों में एक मध्य-वर्गीय परिवार जीवन निर्वाह सर्वेक्षण आयोजित किया था।

(ख) से (घ) सर्वेक्षण के अन्तर्गत संगृहीत आंकड़े प्रोसेस किए जा रहे हैं।

टी० वी० ट्रांसमिशन के लिए डिस्क

3463. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए गैर-सरकारी डिस्क के निर्माण हेतु कितने लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा कुल कितनी डिस्क अधिष्ठापित की गई हैं, किन-किन स्थानों पर अधिष्ठापित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन डिस्कों के लिए कोई मानक मूल्य निर्धारित किया है;

(घ) क्या यह सच है कि इन डिस्कों को कम्पनियों द्वारा अत्यधिक मूल्यों पर बेचा जाता है; और

(ङ) क्या सरकार अत्यधिक मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दूरदर्शन प्रसारण के लिए गैर-सरकारी डिस्क का विनिर्माण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क का निर्माण पूरा किया जाना

3464. **श्री वांगफा लोवांग** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क कार्य दल द्वारा अरुणाचल प्रदेश में रोइंग से अनिनी तक सड़क का निर्माण वर्ष 1969 में आरम्भ किया गया था और उक्त सड़क अभी तक अधूरी पड़ी है; और

(ख) कितना किलोमीटर सड़क का निर्माण अभी बाकी है और वह सड़क कब तक पूरी बनकर तैयार हो जाएगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रोइंग से अनिनी तक जाने वाली सड़क का क्षेत्र दो सड़कों को मिलकर बना है अर्थात रोइंग-हुनली (89.75 कि० मी०) और हुनली-अनिनी (148.75 कि० मी०)। रोइंग-हुनली का सड़क क्षेत्र का कार्य सीमा सड़क संगठन को 1969 में सौंपा गया था जो 1976 में बनकर पूरा हो गया। हुनली-अनिनी का सड़क क्षेत्र का काम सीमा सड़क संगठन को 1976 में सौंपा गया था जो 113 कि० मी० तक बनकर पूरा हो गया।

(ख) हुनली-अनिनी सेक्टर की लगभग 36 कि० मी० सड़क 1987 तक बनकर पूरी होने की सम्भावना है।

ट्राम्बे के थोरियम संयंत्र को अन्यत्र ले जाना

3465. प्रो० मधु दण्डवते : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे में थोरियम संयंत्र को बम्बई से अन्यत्र ले जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मजदूर संगठनों और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयंत्र को अन्यत्र ले जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने ट्राम्बे, बम्बई में स्थापित मौजूदा पुराने संयंत्र की जगह बम्बई से बाहर किसी स्थान पर एक नया थोरियम संयंत्र लगाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। नये स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ख) इंडियन रेअर अर्थ्स कर्मचारी यूनियन ने बम्बई से बाहर नया संयंत्र लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उपर्युक्त यूनियन से प्राप्त पत्र के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) जब नया संयंत्र किसी अन्य स्थान पर लगाया जाएगा और मौजूदा पुराने संयंत्र को बन्द कर दिया जाएगा, तो जो कर्मचारी नये स्थान पर जाना चाहेंगे उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अन्य कर्मचारियों को विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग के बम्बई स्थित अन्य यूनिटों में नौकरी दी जाएगी। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होना चाहेंगे, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा।

वी० सी० आर० के निर्माण के लिए सहयोग

3466. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी की इलेक्ट्रानिक्स फर्म "ग्रंडिग" के द्वारा वीडियो कैसेट रिकार्डर्स का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम (इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन) द्वारा किए गए सहयोग समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी की फर्म वी० सी० आर० के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और जानकारी का अन्तरण करेगी; और

(ग) प्रस्तावित सहयोग में वी० सी० आर० के देशीय निर्माण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी बचत होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सहयोग सम्बन्धी किसी करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। किन्तु, इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (ई० टी० एण्ड टी०) ने दिनांक 7 नवम्बर, 1985 को पश्चिम जर्मनी की मैसर्स ग्रंडिग के साथ भारत में वीडियो कैसेट रिकार्डरों का विनिर्माण करने की दृष्टि से एक संयुक्त उद्यम की स्थापना तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने, प्रशिक्षण देने, प्रौद्योगिक उत्पादन करने सम्बन्धी सुविधा देने तथा निर्यात सम्बन्धी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से आधार बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) इस समय कोई आकलन करना कठिन है।

कनाडा से आतंकवादियों की निकासी

3467. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे और भारत में आतंकवादियों गतिविधियों में संलग्न भारतीयों की सूची तैयार की है;

(ख) क्या यह सूची कनाडा की सरकार को उन व्यक्तियों को निष्कासित करने के अनुरोध के साथ भेज दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। लेकिन यह

सूची पूरी नहीं है क्योंकि इसकी हमेशा समीक्षा की और इसे अद्यतन बनाने की जरूरत होती है।

(ख) कनाडा की सरकार का ध्यान विशिष्ट मामलों की ओर आकृष्ट करते हुए उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि कनाडा के कानून के अन्तर्गत वे उपयुक्त कार्यवाही करें।

(ग) कनाडा की सरकार ने कुछ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिनके खिलाफ आतंकवादी होने का संदेह है और उसने यह आश्वासन दिलाया है कि वह कनाडा में सभी आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भरसक प्रयत्न करेगी।

इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिए जापानी जानकारी

3468. **श्री के० कुञ्जम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिकी का विकास करने तथा इस क्षेत्र में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान के साथ बातचीत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) उच्च प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में सरकार विकसित देशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक होगी, जिसमें जापान भी शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न किस्म की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए भारत की निजी पार्टियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जापान के विनिर्माणकर्ताओं के साथ सहयोग संबंधी कुछ करार किए हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च की गई धनराशि

3469. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए छठी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इस बारे में कितनी उपलब्धी प्राप्त हुई;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों की ओर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा छठी योजना में कुल व्यय की गई राशि 2059.68 करोड़ रु० थी। विभिन्न कार्य-

क्रमों के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय और व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित थे :

(करोड़ रु०)

	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1. क्षेत्र विकास कार्यक्रम		
(क) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (रे० वि० का०)	94.85	73.55
(ख) सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम (सू० प्र० क्ष० का०)	4040.30	335.58
(ग) पश्चिमी घाट विकास सहित पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (प० क्षे० वि० का०)	560.00	555.65
(घ) पूर्वोत्तर परिषद कार्यक्रम (पू० प० का०)	340.00	381.15
(ङ) जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम	485.00	485.00
2. औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन स्कीमें।	228.75	228.75
	2112.90	20 9.68

(ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों की वास्तविक उपलब्धियों को संख्याओं में बता पाना हमेशा संभव नहीं होता है। इसलिए वित्तीय व्यय को सामान्यत: वास्तविक उपलब्धियों का भी, मोटे तौर पर एक संकेतक समझा जाता है। इसके अनुसार, लक्ष्य का 97.48 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सातवीं योजना में भी इसे जारी रखा जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन

3470. श्री प्रतीश चन्द्र सिन्हा }
श्री हुसैन दलवाई } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम वाले कुछ संगठनों ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अंशदान प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, विदेशी अंशदान की राशि क्या है, किन स्रोतों से और किन तरीकों से यह राशि प्राप्त की गई तथा इन संगठनों और व्यक्तियों द्वारा यह विदेशी अंशदान किस प्रयोजन के लिए तथा किस तरीके से उपयोग किया गया;

(ग) इन मामलों में यदि कोई अनियमितता हुई है, तो क्या है; और

(घ) क्या सरकार को विदेशी अंशदान प्राप्त कर रही संस्थाओं जबकि ये संस्थाएं सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं, के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उत्तर के लिए अपेक्षित सामग्री 10,000 (दस हजार) से अधिक एसोसिएशनों से सम्बन्धित हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदान प्राप्त किया और इस प्रकार अपेक्षित ब्यौरों के साथ उत्तर इतना विस्तृत हो जायेगा कि इसको सभा पटल पर रखना व्यवहार्य नहीं होगा । फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष एसोसिएशन/संस्थान के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ग) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के संदेहास्पद उल्लंघन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और इनकी जांच पड़ताल की जा रही है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1982, 1983 और 1984 के दौरान विदेशी अभिदान प्राप्त करने के लिए एसोसिएशनों/संस्थानों का विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन पंजीकरण अपेक्षित नहीं था ।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं

3471. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक आरक्षण की नई नीति के लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए "भूतपूर्व सैनिक" शब्दों की परिभाषा करने हेतु, मन्त्रालय को अभ्यावेदन देते रहे हैं;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में गठित एक उच्चाधिकार समिति पहले ही उक्त शब्दों को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता स्वीकार कर चुकी है; और

(ग) इस मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने "भूतपूर्व सैनिकों" की परिभाषा के आधार पर, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों की जांच की है और इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जारी करेगा।

[हिन्दी]

पुलिस अनुसंधान ब्यूरो में वैज्ञानिकों की नियुक्ति

3472. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस व्यवस्था और तंत्र के कार्यकरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु अगस्त, 1970 में पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ब्यूरो में पुलिस अधिकारियों के अलावा अपराध विज्ञान विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की नियुक्ति भी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना के बारे में तारीख 28 अगस्त, 1970 के भारत सरकार के संकल्प सं० 8/135/68-पी-1 (पर्स-1) की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है। ब्यूरो में पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त, निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वैज्ञानिकों जिनके पास अपराध विज्ञान में डिग्री हो, की नियुक्ति की जाती है।

विवरण

संख्या 8/135/68-पी-1 (पर्स-1)

भारत सरकार, गृह मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त, 1970

संकल्प

भारत सरकार ने, देश में पुलिस संगठन, प्रणाली और पद्धति के आधुनिकीकरण के लिए

समय-समय पर कदम उठाए हैं। 1963 में जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई तो, इसमें अपराध रिकार्ड और सांख्यिकी प्रभाग और अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई थी। 1966 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसंधान प्रभाग के निरीक्षण, मार्ग और निर्देशन के लिए पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। आधुनिकीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस विषय में अधिक स्पष्ट और सक्रिय रूप से रुचि लेने हेतु और बदलते समाज में पुलिस समस्याओं के त्वरित और व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा देश में पुलिस की पद्धतियों और प्रणालियों में विज्ञान और तकनीकी के शीघ्र प्रयोग हेतु गृह मन्त्रालय में शीघ्र पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना करने का निर्णय किया है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में निम्नलिखित प्रभाग होंगे :—

(i) अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन

(ii) विकास

उपर्युक्त प्रभाग के कार्य का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनसंधान प्रभाग देश में पुलिस सेवाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का पता लगायेगा और विभिन्न संस्थानों, संगठनों, मन्त्रालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों के प्रमुखों, राज्य के पुलिस महानिदेशकों और अन्य अभिकरणों तथा इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के समन्वय से इस क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करेगा, प्रोत्साहित करेगा और निर्देशन करेगा।

विकास प्रभाग, भारत में और अन्य देशों में, पुलिस कार्य में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग में विकास की समानता को बनाये रखेगा और भारत में पुलिस कार्य में उचित उपकरण और तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से नई प्रक्रियाओं और प्रणालियों का अध्ययन करेगा।

ब्यूरो परीक्षण करेगा और इसके परिणामों को सूचनार्थ और उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस बलों को परिचालित करेगा।

भारत सरकार को सलाह देने के अतिरिक्त यदि राज्य सरकारों को आवश्यकता होगी तो ब्यूरो अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले मामलों में उन्हें सलाह देगा।

ह०/—
(एल० पी० सिंह)
सचिव, भारत सरकार

तत्काल

सं० 8/135/68-पी०-1 (पर्स-1, नई दिल्ली -1, 28 अगस्त, 1970

आदेश : -

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, निदेशक आसूचना ब्यूरो, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, महा निदेशक सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, निदेशक एन० पी० ए०, कमान्डेन्ट सी०एफ०आई०एस०, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन प्रभाग

1. पुलिस को प्रभावित करने वाले सामान्य अपराध और समस्याओं का विश्लेषण तथा अध्ययन, अर्थात

(क) अपराध की प्रवृत्तियां तथा कारण।

(ख) अपराध का निवारण, निवारात्मक उपाय, उनकी कारगरता तथा अपराध से सम्बन्ध।

(ग) पुलिस बलों के संगठन, प्रशासन प्रणालियां तथा तकनीक तथा उनका आधुनिकीकरण।

(घ) जांच पड़ताल के तरीकों में सुधार, वैज्ञानिक उपकरणों तथा उपस्करों के प्रयोग की उपयोगिता तथा परिणाम।

(ङ) कानूनों की अपर्याप्तता, और

(च) बाल अपराध।

2. राज्यों के पुलिस अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता, अनुसंधान परियोजनाओं का संसाधन तथा समन्वय, प्राकार बाह्य अनुसंधान का प्रयोजन।

3. पुलिस अनुसंधान सलाहकार परिषद से संबंधित कार्य।

4. पुलिस की समस्याओं के अध्ययन से संबंधित सम्मेलनों और गोष्ठियों का आयोजन करना तथा उनमें भाग लेना।

5. समाज सुरक्षा तथा अपराध निवारण कार्यक्रमों में भाग लेना।

6. अपराधों के निवारण तथा अपराधियों के साथ बर्ताव के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में भाग लेना।

7. अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

8. अपराधों के अखिल भारतीय आंकड़ों का रखा जाना।

9. अपराध की प्रवृत्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण।

10. पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान से संबंधित प्रलेखन।

11. (i) अनुसंधान प्रतिवेदनों, समाचार तथा अनुसंधान एवं विकास पत्रिका का प्रकाशन।

(ii) भारत में अपराध का प्रकाशन।

(iii) आत्महत्या, दुर्घटनाओं, सम्पत्ति के खोने और बरामदगी तथा पुलिस के हित की अन्य सूचनाओं से संबंधित रिपोर्टों तथा समीक्षाओं का प्रकाशन।

II. विकास विभाग

भारत में पुलिस बलों द्वारा प्रयोग किये जा रहे विभिन्न प्रकार के उपकरणों की कारगरता की समीक्षा तथा नीचे दिये गये क्षेत्रों में नये उपकरणों का विकास :—

(i) शस्त्र तथा गोला बारूद;

(ii) दंगों को नियंत्रित करने वाले उपकरण;

(iii) यातायात नियंत्रण उपकरण;

(iv) पुलिस परिवहन, तथा

(v) जांच पड़ताल के उपकरणों सहित विविध वैज्ञानिक उपकरण।

2. उक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अन्य वैज्ञानिक संगठनों तथा संस्थानों तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र उपक्रमों से सम्पर्क, विकास कार्यक्रमों का समन्वय तथा पुलिस उपकरणों के देशी उत्पादन को बढ़ावा देना।

3. पुलिस के कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर तकनीकी का प्रयोग।

4. केन्द्रीय अपराध विज्ञान सलाहकार समिति के कार्य में भाग लेना।

5. केन्द्रीय चिकित्सा-विधि संस्थान तथा केन्द्रीय अपराध विज्ञान तथा न्यायिक विज्ञान संस्थान की स्थापना से संबंधित कार्य।

6. पुलिस कार्य में विज्ञान तथा तकनीक के प्रयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए द्विवार्षिक अखिल भारतीय शिनाक्त अधिकारी सम्मेलन तथा अन्य गोष्ठियों तथा सेमीनारों का आयोजन।

7. दंगा नियन्त्रण उपकरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशकों की स्थायी समिति से संबंधित कार्य।

[अनुवाद]

सिक्किम में इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करना

3473. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिक्किम में कोई इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा एकक केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का एक संयुक्त उद्यम होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य में ऐसा एकक स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सरकार देश भर के किसी भी अनुमत्य क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देती है। यदि राज्य सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने का प्रयास करती है तो इलेक्ट्रानिक विभाग सिक्किम में ऐसी इकाइयों की स्थापना करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्रेणी "क" में शामिल किए गये पर्वतीय जिलों में अधिक इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया है कि श्रेणी "क" के 'विशिष्ट क्षेत्र जिलों' में स्थापित किये जाने वाले इलेक्ट्रानिक उद्योगों के मामले में 25% की दर से केन्द्रीय पूंजीनिवेश की राशि की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

"आतिशबाजी उद्योगों को वायु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अन्तर्गत लाने के लिए ज्ञापन"

3474. **श्री विष्णु मोदी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आतिशबाजी उद्योगों को वायु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में लाने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सुझाव पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जासूसी कार्य में लगे पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

3475. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में जम्मू कश्मीर और पंजाब में जासूसी के कार्य में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ग) पाकिस्तान की सीमा से गैर कानूनी ढंग से आने वाले विदेशियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 1-7-1984 से 30-6-1985 तक की अवधि के दौरान जासूसी गतिविधियों के लिए पंजाब में सात तथा जम्मू और काश्मीर में आठ पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए गए।

(ख) इस अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए विदेशी जासूसों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमा पार से विदेशियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा सेना सहित सुरक्षा बलों द्वारा सतर्कता को तेज कर दिया गया है।

एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के प्रयास में मृत सैनिकों की संख्या

3476. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के प्रयास में कितने सैनिकों की मृत्यु हुई;

(ख) इन अभियानों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) क्या इन अभियानों में भारी जोखिम को देखते हुए, सरकार सैनिकों को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करने से हस्तोत्साहित करेगी और इस काम को अन्य व्यक्तियों के लिए छोड़ देगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान पांच सैनिक अफसरों की मृत्यु हुई। ये पांचों अफसर प्रथम भारतीय थलसेना एवरेस्ट अभियान दल, 1985 के सदस्य थे। इस अभियान पर लगभग 62.74 लाख रुपये खर्च हुए।

(ग) जी, नहीं।

रक्षा विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम

3477. श्री अनादि चरण दास : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक विश्वविद्यालयों में रक्षा विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रमों के ब्यौरे सहित उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सेना मुख्यालय ने एक पृथक रक्षा विश्वविद्यालय अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने हेतु एक अध्ययन दल गठित किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) अध्ययन दल ने एक रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक निष्पत्ति में प्रगति की दर

3478. श्री विजय एन० पाटिल : क्या योजना मन्त्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में उसके किन क्षेत्रों में कमियां पाई गईं;

(ख) क्या औद्योगिक निष्पत्ति की औसत प्रगति दर 6% रही, जो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या धीमी प्रगति, विशेषरूप से निर्माणकर्ता उद्योगों के संबंध में जांच किए गए मूलभूत मसलों को सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) भारतीय उद्योग की एक कमजोरी यह रही है कि लागत और किस्म की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है क्योंकि यह संरक्षण के वातावरण में कार्य करता रहा है। भारत और शेष विश्व के बीच बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी अन्तर का भी, पुरानेपन की बढ़त, लागत में वृद्धि और गुणवत्ता के अपर्याप्त उन्नयन पर प्रभाव पड़ा है।

विभिन्न उद्योगों में योजना लक्ष्य के मुकाबले उत्पादन में कमी अल्पावधि उपादानों और अन्य अपेक्षाकृत दीर्घावधि स्वरूप के उपादानों के कारण हो सकती है। अनेक उद्योगों में उत्पादन पर, विद्युत की अपर्याप्त और अनियमित उपलब्धता के कारण प्रभाव पड़ा। वस्त्र उद्योग के मामले में लम्बे अर्से की श्रमिक अशान्ति और अपर्याप्त मांग, पटसन विनिर्माण के मामले में कच्चे माल की कमी, इस्पात के मामले में कोकिंग कोयले की कमी और इस्पात का उपयोग करने वाले उद्योगों के मामले में उपयुक्त किस्म के इस्पात का अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भी उत्पादन कम हुआ।

(ख) छठी योजना में औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि का लक्ष्य सात प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया था। परन्तु प्राप्त संवृद्धि दर 5.5% थी। कई उद्योगों में, जिनमें एल्युमीनियम, जस्ता, पैट्रो-रसायन मध्यक, सीमेंट आदि शामिल हैं। छठी योजना में नई क्षमता में वृद्धि न्यूनाधिक लक्ष्य के अनुरूप रही है। लेकिन, इस्पात, सीमेंट अलौह धातुओं, उर्वरकों आदि जैसे कुछ मूल उद्योगों से उत्पादन में कमी हुई है। मशीनी औजार, कारों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स जैसे कुछ उद्योगों में उत्पादन, लक्ष्य से अधिक रहा है।

(ग) सातवीं योजना का उद्देश्य, उद्योग क्षेत्र में 8 प्रतिशत से अधिक समग्र औसत संवृद्धि दर प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय उद्योग को उत्पादकता का उच्च स्तर और आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करनी होगी। उद्योग के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ, उत्पादन के उपादानों का इस्तेमाल करने में, अधिक अच्छी कुशलता को सम्बद्ध करना होगा। सातवीं योजना में, महत्वपूर्ण क्षेत्रकों अर्थात विद्युत, रेलवे, इस्पात तथा कोयला के निष्पादन तथा कुशलता में सुधार, और समग्र आर्थिक संवृद्धि तथा गरीबी दूर करने तथा रोजगार सृजित करने के विशेष कार्यक्रमों, के जरिए क्रय शक्ति में वृद्धि करने की भी परिकल्पना है इनसे, उद्योग क्षेत्रक में वांछित संवृद्धि दर को प्राप्त करना सुनिश्चित हो सकेगा। उद्योग क्षेत्रक के लिए कार्यनीति के मुख्य तत्व हैं :—पूंजी का कुशल उपयोग, आधारभूत सुविधाओं में सुधार, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और उन्नयन, उत्पादकता और निर्यात के लिए बल दिए जाने वाले क्षेत्र।

दिल्ली पुलिस के कार्यकरण की समीक्षा

3479. **श्री राम भगत पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली की सामान्यतया और गरीब लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए यमुना पार क्षेत्र की विशेषतया पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने श्री एस० डी० श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया था। दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अध्ययन दल की सिफारिशों पर चरण-बद्ध रूप से 3 अपर पुलिस जिलों, 12 उपडिवीजन और 37 पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अधिक वाहन, नियंत्रण कक्ष को सुदृढ करने, कुछ संवेदनशील कार्यों के लिए आधुनिक उपकरणों को खरीदने जैसी मूल संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यमुना पार क्षेत्र में प्रथम चरण में 2 पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं।

दिल्ली में पुलिस द्वारा वेश्यालयों से लड़कियों का पता लगाना

3481. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1984 और 1985 के पहले 8 महीनों के दौरान पुलिस द्वारा विभिन्न वेश्यालयों से कितनी लड़कियों का पता लगाया गया;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस धंधे में अनेक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हैं; और

(ग) इस अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न वेश्यालयों से 1984 में 9 और 1985 (अगस्त, 1985 तक) 14 लड़कियों का पता लगाया गया।

(ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में सक्रिय कोई अन्तर्राज्यीय गिरोह ध्यान में नहीं आया है।

(ग) कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जाती है। ऐसे अपराधों का पता लगाने के लिए फांसने वाले साधन प्रयोग किए जाते हैं। दिल्ली की अपराध शाखा के अन्तर्गत कार्य कर रहा एक दुराचार विरोधी कक्ष इस संबन्ध में आसूचना एकत्र करता है और जहां अपेक्षित हों वहां उचित कार्यवाही करता है।

"इंदिरा गांधी हिमालयन पर्यावरण संस्थान हेतु प्रावधान"

3482. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी हिमालयन पर्यावरण संस्थान के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है और चालू वर्ष के दौरान इस पर कितनी धन राशि खर्च होने की सम्भावना है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर संस्थान द्वारा अनुसंधान कार्य किया जाएगा;

(ग) क्या इसके लिये वांछित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां भूमि का अधिग्रहण किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन्दिरा गांधी हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान के लिय 300 लाख रुपए के आबंटन की व्यवस्था की गई है। चालू वर्ष के दौरान 50.00 लाख रुपये का आबंटन है और इस धन राशि को खर्च किए जाने की आशा है।

(ख) संस्थान का एक विकेन्द्रीकृत ढांचा होगा जिसकी इकाइयां विद्यमान विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं में स्थित होंगी। इनमें गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की; कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल; उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग; हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सोलन ? जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

इसके अलावा, मुख्य संस्थान की स्थापना जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी मिशन चलाना

348 . **श्री जयप्रकाश अग्रवाल**
श्रीमती किशोरी सिंह
श्री माणिक रेड्डी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तत्काल आवश्यकता वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष प्रौद्योगिकी मिशन चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई प्रौद्योगिकी मिशनों की सूचियां क्या हैं और इन मिशनों का लक्ष्य क्या है तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। राष्ट्रीय प्राथमिकता के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सातवीं योजना अवधि में सरकार का कुछ प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) सातवीं योजना में सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्धित तथा उपयुक्त प्रयोग द्वारा कृषि, उद्योग तथा विभिन्न अवसंरचना खण्डों के प्रमुख क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय सकारात्मक "थ्रस्ट" देने के लिए योजना बना रही है। इसके लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इन क्षेत्रों/खन्डों के निर्धारित लक्ष्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखना है तथा निकट भविष्य में किए गये निवेशों पर पर्याप्त, अर्थपूर्ण तथा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर प्रतिलाभ प्रदान करना है। इसके लिए एक एकीकृत, लक्ष्याभिमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयास की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी विकास और इसके अनुप्रयोग के प्रति लक्ष्याभिमुख दृष्टिकोण संगति को संवर्द्धित कर सकता है और प्रेरणा प्रदान कर सकता है, ऐसी सजीव सहलग्नताएं स्थापित कर सकता है जो ऐसे क्षेत्रों के बीच सप्राण और सक्रिय हैं जो अन्यथा अलग-अलग लघु वर्गों में बंटे रहना चाहते हैं। साथ ही इनसे उस तात्कालिकता, सहभागिता तथा प्रतिबद्धता की भावना पैदा होगी जो नियोजित समयबद्ध लक्ष्यों के भीतर अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में, इस समय कुछ ऐसे विशिष्ट, प्रौद्योगिकी मिशनों, उद्देश्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में लक्ष्याभिमुख दृष्टिकोण अपनाने का पहले से ही सफलता पूर्वक अनुसरण किया जा रहा है।

महिलाओं के रोजगार के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं

3484. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1981-82 और 1982-83 में सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत मंजूर की गई योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) प्रशिक्षण लेने और एक वर्ष कार्य करने के बाद 1985-86 के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरतमन्द और गरीब महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को भी लाभप्रद रोजगार और स्वतः रोजगार प्रदान करने के लिए आय उत्पादक एककों की सहायता दी जाती है। 1981-82 और 1982-83 के दौरान पश्चिम बंगाल में क्रमशः 75 और 61 एककों को सहायता दी गई।

(ख) उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

सातवीं योजना में गुजरात के लिए जनजातीय उपयोजना

3485. **श्री छीतुभाई गामित** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात में जनजातीय उप योजनाओं के लिये कितनी धन-राशि आवंटित की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित की जाने वाली सम्भावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल जनजातियों के उत्थान के लिये प्रस्तावित विशिष्ट योजनाएं कौन सी हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान जनजातीय उप-योजना के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव का विवरण संलग्न है। जन-जातीय उपयोजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कुल प्रावधान 540.01 करोड़ रुपए हैं।

(ग) मूल जनजातियों के उत्थान की योजनाओं में "क्यारी" भूमियों का विकास, फलों की कलमों और पौधों, बैल तथा बैलगाड़ियों, दुधारू पशुओं, बकरियों की पूर्ति, मुर्गीपालन विकास आदि शामिल हैं। वानिकी क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं में लघु वन उत्पादन एकत्र करना, घास काटना और गट्ठे बनाना, जंगली लकड़ी और चारकोल की पूर्ति आदि शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत मूल जनजाति बच्चों के अभिभावकों को परिवार के लिये खाद्यान्न, पुस्तकें, वर्दियां देकर प्रोत्साहन देना और अन्य शैक्षिक सहायता शामिल है। पीने के पानी के कुएं स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिये जाते हैं। सिंचाई, सहकारिता ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, रोजगार और प्रशिक्षण तथा कला और संस्कृति के अन्तर्गत भी योजनाएं तैयार की गई हैं। मूल जनजातियों के विकास के लिये 1980-85 के दौरान गुजरात सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 72.30 लाख रुपए की राशि दी गई थी।

विवरण

सातवें पांच वर्ष 1985-90 की जनजाति क्षेत्र उपयोजना

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कुल जनजातीय उपयोजना परिव्यय 1985-90
	2	3
1.	कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	12,067.73

1	2	3
2.	ग्रामीण विकास	2,216.95
3.	सहकारिता	1,203.80
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	8,292.05
5.	विद्युत विकास	1,523.00
6.	उद्योग तथा खनिज	2,750.00
7.	परिवहन तथा संचार	4,[illegible]00.00
8.	सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	12,809.08
9.	आर्थिक सेवाएं	502.00
10.	सामान्य सेवाएं	3,932.54
11.	मध्याह्न भोजन	8,250.00
12.	विज्ञान सम्बन्धी सेवाएं तथा अनुसंधान	—
13.	न्यूकलियस बजट	2,553.00
	जोड़	60,300.15

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना

3486. कुमारी पुष्पा देवी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंगापुर के सहयोग से देश में कोई इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) क्या सिंगापुर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक

उद्योग की स्थापना के लिए सिंगापुर के एक अनिवासी भारतीय से प्राप्त एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

देश में इलेक्ट्रानिकी विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने नई संवर्धनात्मक नीति तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। नई नीति में मूलभूत रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अधिक जोर दिया गया है :

(1) लाइसेंसिंग नीति को आमतौर पर उदार बनाना जिसमें विनियमन के बजाए संवर्धन पर अधिक जोर दिया गया है।

(2) जिन क्षेत्रों में नियन्त्रण अपरिहार्य हैं, वहां सामान्यतः वास्तविक नियन्त्रण के बजाए आर्थिक नियन्त्रण को तरजीह दी जाएगी।

(3) कुल मिलाकर, उत्पादन क्षमता की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी और उन मामलों को छोड़कर जहां किन्हीं बहुत ही विशेष कारणों से किसी उत्पाद के लिए विशिष्ट आरक्षण किए गए हों, बड़े पैमाने के उद्योग, लघु क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आदि जैसे कोई क्षेत्रीय किस्म के प्रतिबन्ध नहीं रहेंगे।

(4) समकालीन प्रौद्योगिकी से किफायती स्तर पर अधिक मात्रा में उत्पादन करना मार्ग-दर्शी सिद्धान्त होगा।

निम्नलिखित विशिष्ट उपायों का मुख्य रूप से उल्लेख करना जरूरी होगा :

(i) कुछ चुनिन्दा उत्पादों के लिए एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत कई उत्पादों के विनिर्माण का लाइसेंस जरूरी किया जाएगा।

(ii) इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी लेकिन शर्त यह है कि ये इकाइयां वित्तीय संस्थानों से साधन स्रोत नहीं ले पाएंगी।

(iii) इलेक्ट्रानिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी। 40 प्रतिशत से कम की विदेशी साम्या-पूंजी वाली इकाइयों को सभी क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी।

(iv) कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए

निम्नलिखित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी को केन्द्रीकृत रूप से प्राप्त किया जाएगा।

(क) टेलीफोन उपकरण।

(ख) इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स० प्रणालियां।

(ग) ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज।

(v) लघु क्षेत्र के उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। अनेक उत्पादों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब ऐसे अनुमोदन राज्य स्तरीय उद्योग निदेशकों के स्तर पर प्राप्त किये जा सकते हैं। इस क्षेत्र में किये जाने वाले पूंजीनिवेश को संशोधित करके उसे 35.0 लाख रु० कर दिया गया है और सहायक इकाइयों के लिए पूंजीनिवेश 45.0 लाख रु० कर दिया गया है।

(vi) कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे संघटक-पुर्जों को जो अब तक लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए आरक्षित हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से हटाने का प्रस्ताव है।

(vii) किसी भी अनुमति देने योग्य स्थापना-स्थल में इलेक्ट्रानिक इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

(viii) दूरसंचार के क्षेत्र में, टेलीफोन, ई०पी०ए०बी०एक्स०, दूरमुद्रक, प्रतिवर्श उपस्कर, आंकड़ा संचार टर्मिनल आदि के विनिर्माण की अनुमति निजी क्षेत्र में दी गई है। निजी क्षेत्र द्वारा अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा सकता है जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों का इक्विटी (साम्यापूंजी) के रूप में कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा होगा।

(ix) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी को छोड़कर, इलेक्ट्रानिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम को धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत अनुमति लेने से छूट दी गई है। यह सुविधा उसके अतिरिक्त है जिसके अन्तर्गत एकाधिकारी प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत पूंजीनिवेश की सीमा को 20 करोड़ रु० से बढ़ाकर 100 करोड़ रु० कर दिया गया है।

(x) एक नई कम्प्यूटर नीति की घोषणा की गई है, जिसमें अद्यतन प्रौद्योगिकी के आधार पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य मूल्यों पर कम्प्यूटरों के विनिर्माण

और आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप क्रमश: स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

(xi) कच्ची सामग्रियों, संघटक-पुर्जों तथा पूंजीगत उपस्करों पर लगने वाला आयात शुल्क कम कर दिया गया है। कम्प्यूटरों, जिसमें साफ्टवेयर भी शामिल है, और 36 इंची श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन रिसीवरों के मामले में उत्पादन-शुल्क पर पूरी छूट दी गई है।

(xii) उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात नीति को तर्कसंगत बनाया गया है।

मध्य प्रदेश में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवार

3487. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत कितने आदिवासी परिवारों को लाया गया है और उनमें से कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे;

(ख) उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केवल इसी प्रयोजन के लिए कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुमानत: 24 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, जिनमें से 18 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत लाया गया है। जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में अनुमानत: 15.30 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) के दौरान 7.63 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता की गई थी। इनमें से 3.27 लाख परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया था जबकि 4.36 लाख परिवारों को अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1985-86) के दौरान अक्तूबर, 1985 के अन्त तक 95,442 अतिरिक्त लाभ प्राप्तकर्ताओं की सहायता की गई। गैर-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति परिवारों की विभिन्न क्षेत्रों में सहायता की गई जैसे कृषि, पशुपालन, वन, रेशम उत्पादन, बागवानी, खादी और ग्रामीण उद्योग इत्यादि। परिवारों की सहायक क्षेत्रों जैसे लघु सिंचाई, सहकारिता, डेरी विकास इत्यादि में भी सहायता की गई। परिवारों के लाभ के लिए इन क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई योजनाओं में, जनजाति परिवारों के लिए पौध संरक्षण और निवेश सहायता, की योजना, जनजातियों के खेतों में विभिन्न फसलों के लिए परीक्षण और प्रदर्शन, पौध सामग्री और कीटनाशकों के लिए फल और सब्जी उत्पन्न करने वालों के लिए आर्थिक सहायता योजना, फल की पौधों के लिए आर्थिक सहायता योजना, बागवानी पौधे रोपण के लिए छोटे

और सीमान्त किसानों के लिए विशेष सहायता की योजना, बैल, दुधारू गाय, सूअर, बकरियों के वितरण के लिए आर्थिक सहायता योजना, चारागाह खेतों के प्रदर्शन के लिए आर्थिक सहायता योजना, जनजातियों को सम्मिलित करके कम क्षमता वाले जंगलों में पेड़ लगाने की योजना बिजली और डीजल पम्पों इत्यादि जैसे लघु सिंचाई स्रोतों के विकास के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता योजना, निजी लघु सिंचाई कार्य के लिए जनजातियों को ऋण की योजना, दवाइयों के काम आने वाले पौध के और इनसे दवाई निकालने के लिए योजना, शहतूत के बीजों के उत्पादन और वितरण की योजना, शहतूत रेशम उत्पादन की योजना, टसर रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन इत्यादि में प्रशिक्षण की योजनाएं सम्मिलित हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यों में लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में कुल निवेश में से 37.70% राशि जनजाति उप-योजना लाभ प्राप्तकर्ताओं को दी गई है।

2. सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों को 9.21 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य दिया है। राज्य सरकार ने आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत कुल अपने कुल परिव्यय (1295 करोड़ रुपए) में से 28% खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

अन्तरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा एकत्रित आंकड़ों का उपयोग

3488. **श्री पी० ए० एन्टनी** : (क) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष टेलीस्कोप जिसे अगस्त, 1986 में नासा यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेन्सी संयुक्त परियोजना के अधीन नक्षत्र में छोड़ा जाएगा, द्वारा एकत्रित आंकड़ों का उपयोग करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा का उपयोग करने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अन्तरिक्ष टेलीस्कोप से आंकड़ों के उपयोग के संबंधित मामले पर भारत के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा विचार किया जा रहा है, तथा इसे अन्तिम रूप देने से पहले, अन्तरिक्ष टेलीस्कोप सुविधा से सम्बद्ध उपयुक्त अमरीकी एजेंसियों के साथ बातचीत की जा रही है।

[हिन्दी]

चमड़े की वस्तुओं की खरीद

3489. **श्री कुंवर राम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान चमड़े की वस्तुओं, विशेषकर वर्दियों और जूतों की खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई अथवा उन मदों का मूल्य कितना था जिनके लिए इस अवधि के दौरान सप्लाई आदेश दिए गए थे;

(ख) खरीदी गई वस्तुओं अथवा जिनकी सप्लाई के आदेश राज्य सरकारों द्वारा स्थापित चमड़ा उद्योग से भारत लेदर कारपोरेशन टेन्नर एण्ड फुटवियर कारपोरेशन को दिए गए थे, कुल मूल्य कितना था;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योग मांग पूरा करने में असमर्थ हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के कारखानों से खरीदी जा रही इन वस्तुओं का प्रतिशत कितना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान सेना ने जूतों की खरीद पर 5,85,11,453 रु० खर्च किए थे।

(ख) भारत लेदर कारपोरेशन को जूतों के लिये गत दो वर्षों में कोई आर्डर नहीं दिया गया। टेन्नरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन तथा राज्य सरकार के अधीन अन्य सेक्टर अंडरटेकिंग को दिये गये आर्डरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। सार्टस की चमड़े की पेटियां, फ्राग बेनट, जीनसाजी की मदें आदि अन्य चमड़े का सामान आयुध निर्माणी के महानिदेशालय के माध्यम से खरीदा जा रहा है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सप्लाई समय से पूरी नहीं कर सके।

(घ) चालू वर्ष के लिए टेन्नरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन को डी०एम०एस० जूतों के लिए दिये गये कुल आर्डर का 37% और रिहैबिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता को ऐंकल बूट के लिए दिये गये कुल आर्डर का 6.20% का आदेश दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनको दिये गये आर्डरों के ब्यौरों की सूची

(I) "टैफको"

	जोड़े	कुल लागत
(कक) ऐंकल बूट		
83-84	50,000	60,00,000 रु०
84-85	11,667	14,00,040 रु०
(कख) डी०एम०एस० बूते		
83-84	1,82,000	2,11,41,120 रु०
84-85	1,02,623	1,19,21,965 रु०

(II) रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता

(कक) ऐंकल बूट

83-84	16,000	19,20,000 रु०
84-85	12,000	14,40,000 रु०

[अनुवाद]

अनाथालय

3490. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर कितने अनाथालय हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में बहुत से अनाथ बिना किसी आश्रयगृह के हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके लिए अधिक अनाथालय स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस बारे में योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) वित्तीय दबाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि देश में सभी अनाथों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाये। फिर भी, सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु धनराशि के आवंटन में काफी वृद्धि हुई है और निराश्रित बच्चों की देखभाल करने वाली अधिक से अधिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है। छठी योजना के दौरान राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को 690.86 लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था जबकि सातवीं योजना में 20 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल किया गया है। यह योजना परित्यक्त, उपेक्षित अनाथ और गृहहीन बच्चों को आश्रय, शिक्षा तथा कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए 1974-75 में शुरू की गई थी। इस योजना में सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों (0-18 वर्ष) की संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की व्यवस्था है। 1979-80 से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर का अनुदान खर्च किया जाता है। फिर भी, केन्द्र शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार पूरा अनुदान प्रदान करती है।

विवरण

छठी योजना के दौरान, देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देश में सहायता प्राप्त करने वाले राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश-वार अनाथालयों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनाथालयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	59
2.	असम	15
3.	बिहार	30
4.	गुजरात	22
5.	हरियाणा	10
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	121
9.	केरल	32
10.	मध्य प्रदेश	20
11.	महाराष्ट्र	42
12.	मेघालय	18
13.	मणिपुर	5
14.	नागालैंड	5
15.	उड़ीसा	29
16.	पंजाब	8
17.	राजस्थान	53
18.	सिक्किम	2

1	2	3
19.	तमिलनाडु	159
20.	त्रिपुरा	9
21.	उत्तर प्रदेश	84
22.	पश्चिम बंगाल	50
	जोड़	777

क्रम सं०	केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन का नाम	अनाथालयों की संख्या
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	दिल्ली	12
4.	गोवा, दमन द्वीप	5
5.	मिजोरम	2
6.	पांडिचेरी	8
	जोड़	37

राज्यों में अनाथालयों की संख्या	— 777
केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों में अनाथालयों की संख्या	37
कुल जोड़ :	814

"वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध भूमि"

3491. श्री एस० एम० भट्टम
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 6 से 8 करोड़ हेक्टेयर तक निम्न स्तर की भूमि वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का उस भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों और सीमांत भू:स्वामियों को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव अथवा कार्यक्रम है;

(ग) क्या किसी अध्ययन अथवा आकलन से पता चलता है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख से लाख 25 लाख हेक्टेयर अच्छी वन और कृषि भूमि नष्ट हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अनुमान है कि देश में 175 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि है। अधिकांश क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध है।

(ख) वृक्षारोपण के लिए विकल्पों में से एक गरीबों को भूमि पट्टे पर दिये जाने पर भी अमल किया जा रहा है।

(ग) विभिन्न अनुमानों से वन तथा कृषि भूमि के नष्ट होने के विभिन्न आंकड़ों का पता चला है जिसमें 1.5 से 2.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) वन संरक्षण को कठोरता से लागू करके, वन भूमि के गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तन को बहुत कम कर दिया गया है।

(2) पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक पारिस्थितिकी-तन्त्र का संरक्षण।

(3) अन्य बातों के साथ-साथ 1000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वृक्षों की कटाई रोक लगाने पर विचार करने के लिए कार्यकारी योजनाओं के प्रावधानों की समीक्षा हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

(4) भारतीय वन अधिनियम को कठोरता से लागू करना।

(5) पांच मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा जा रहा है।

(6) हमारे वनों की उत्पादकता में, विशेषकर ईंधन की लकड़ी और चारे के संबंध में, वृद्धि करना।

(7) वन उत्पादों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना।

(8) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यापक जनान्दोलन तैयार करना।

(9) गूदे तथा काष्ठ-छीलन पर आयात कर समाप्त कर दिया गया है तथा लट्ठों पर यथा-मूल्य 10 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

(10) अन्य उत्पादों द्वारा लकड़ी की प्रतिस्थापना में सहायता करने के लिए गहन अध्ययन किया जा रहा है।

गंगा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विदेशों का सहयोग

3492. श्री एस० एम० भट्टम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा परियोजना के क्रियान्वयन में हालैंड, ब्रिटेन, अमरीका और विश्व बैंक से सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा की सफाई का कार्य शुरू हो गया है और अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार है।

हालैंड—निम्नलिखित मदों के लिए तकनीकी तथा आर्थिक सहायता का पेशकश की गई है :—

(1) सीवर सुविधाओं का सुधार तथा विस्तार, चर्मशोधनशाला तथा घरेलू अपशिष्टों का उपचार सम्भव, बायो-गैस का उत्पादन और कम लागत पर सफाई एवं सम्बन्धित मदों का उपयोग को सम्मिलित करते हुए कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में एकीकृत सफाई परियोजनाएं।

(2) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सफाई परियोजना।

(3) गंगा नदी को प्रभावित करने वाले कुछ किस्म के औद्योगिक प्रदूषण के उपचार हेतु तकनीकी सहायता।

(4) प्रणाली विश्लेषण, जल गुणवत्ता प्रबोधन तथा अनुसंधान उपकरण एवं गंगा कार्यकारी योजना के अन्य पहलू।

बर्तानिया—बर्तानिया सरकार ने कार्यकारी योजना के संदर्भ में योजना सिस्टम मूल्यांकन प्रणाली तथा प्रबोधन पद्धतियों के विकास में परामर्शदाता फर्म द्वारा परामर्शदात्री सेवाओं पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की पेशकश की है।

संयुक्त राज्य अमरीका—अभी तक कोई विशिष्ट सहायता की पेशकश नहीं की गई है।

विश्व बैंक—संभावित सहायता के क्षेत्रों का पता लगाया है जो निम्न प्रकार से है :—

(1) तकनीकी सहायता।

(2) उपस्कर की आपूर्ति।

(3) वर्तमान सुविधाओं का पुनर्वास/वृद्धि।

(4) नई सुविधाओं का चयन।

(ख) जी, हां,

अभी तक किया गया व्यय निम्न प्रकार से है :—

(1) हरिद्वार—19.77 लाख रुपये।

(2) ऋषिकेश—28.33 लाख रुपये।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कार्य 31 जनवरी, 1986 तक पूरे किये जाएंगे।

कल्पाक्कम "फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर"

3493. श्री बी० वी० देसाई : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 अक्तूबर, 1985 को 68 करोड़ रुपये की लागत से कल्पाक्कम में परीक्षणात्मक 50 मेगावाट "फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर" शुरू किया गया है जिससे देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में नया युग शुरू हो गया है;

(ख) क्या "फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर" के शुरू किए जाने से भारत इस क्षेत्र में आधा दर्जन प्रगतिशील देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है;

(ग) क्या कल्पाक्कम में "फास्ट ब्रीडिंग टैस्ट रिएक्टर" शुरू किए जाने से भारत में अपने परमाणु कार्यक्रम के द्वितीय चरण में कदम रखा है;

(घ) क्या "फास्ट ब्रीडिंग टैस्ट रिएक्टर" कम शक्तिशाली होगा ताकि वैज्ञानिक रिएक्टर भौतिक परीक्षण कर सकेंगे; और

(ङ) इसमें अन्य कौन से परीक्षण किये जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के क्रांतिक होने के समय से ही उसके रिएक्टर भौतिकी संबंधी गुणों का अध्ययन करने के लिए किए जा रहे निम्न ताप भौतिकी परीक्षण के दिसम्बर, 1985 के अन्त तक जारी रहने की आशा है। तकनीकी दृष्टि से जटिल इस संयंत्र की बहुत सी उप-प्रणालियों और संघटकों के समुचित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए संयंत्र को चालू करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परीक्षण पहले ही कर लिए गए हैं। उदाहरणार्थ, सोडियम को भरना और उसका संचरण, सोडियम के तापमान का बढ़ना, कंट्रोल रॉड ड्राइव विधि का प्रचालन, फ्यूल हैंडलिंग मशीन का प्रचालन, नियन्त्रण और सुरक्षा प्रणालियों का प्रचालन आदि आदि। यह देखा गया है कि संयंत्र का प्रचालन अब तक बहुत अच्छा और निर्बाध रहा है।

ईसाई मिशन संस्थाओं के लिए विदेशी सहायता

3494. **श्री सी॰ जंगा रेड्डी**
डा॰ ए॰ के॰ पटेल } : क्या गृह मन्त्री ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता के बारे में 22 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में ईसाई मिशनरियों, द्वारा वर्षवार चलाए जा रहे स्कूलों, कालेजों, डिस्पेंसरियों, अस्पतालों और अन्य सेवा केन्द्रों द्वारा विदेशों से खाद्य, दवाइयां और अन्य रूप में प्राप्त सहायता के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े क्या हैं;

(ख) दान करने वाले देशों, संस्थाओं और संगठनों आदि के नाम क्या हैं; और

(ग) किन-किन संस्थाओं तथा संगठनों ने यह दान प्राप्त किया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) चूंकि मांगी गई सूचना विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली अनेक संस्थानों, दान देने वाले संगठनों तथा देशों से सम्बन्धित है इसलिए इसके अधिक विस्तृत होने के कारण इसे सभा पटल पर रखना सम्भव नहीं होगा। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशेष एसोसिएशन/संस्थान के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहें तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लम्बित राज्यों के विधेयक

3495. **श्री अनिल बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अभी कितने विधेयक लम्बित हैं;

(ख) उन विधेयकों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) सरकार को उक्त विधेयक कब प्राप्त हुए थे;

(घ) अनुमति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त विधेयकों के निपटान में कितना समय लगेगा और सरकार द्वारा उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या पहल की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) 9-12-85 को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 55 विधेयक लम्बित हैं। उनके ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है। लम्बित विधेयकों को यथासम्भव शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रम संख्या	प्राप्त होने की तारीख	विधेयक का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश (4)	
1.	14-6-1984	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनामों की समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
2.	9-9-1985	आंध्र प्रदेश महाविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 1985	—तदैव—
3.	9-10-1985	आंध्र प्रदेश अवैध शराब विक्रेताओं, डाकुओं, दवा, अपराधियों, गुण्डों, अनैतिक व्यापार के अपराधियों तथा भूमि हड़पने वालों की खतरनाक गतिविधियों को रोकना विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
4.	18-10-1985	हिन्दू उत्तराधिकार (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985	—तदैव—
		असम (4)	
5.	16-5-1984	असम सिंचाई विधेयक, 1984	11-2-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।

1	2	3	4
6.	14-5-1985	असम लोकायुक्त उप लोकायुक्त विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है।
7.	8-10-1985	गोहाटी शहरी विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
8.	6-10-1985	असम शहरी जल आपूर्ति तथा मल निकासी बोर्ड विधेयक, 1985	—तदैव—
		बिहार (6)	
9.	21-4-1982	बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा संस्थान (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, 1982	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
10.	16-8-1982	दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982	—तदैव—
11.	12-8-1983	बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण विधेयक, 1983	—तदैव—
12.	16-8-1983	बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक, 1983	12-7-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
13.	29-11-1985	बिहार चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

1	2	3	4
		गुजरात (1)	
14.	5-5-1985	गुजरात विश्वविद्यालय सेवाएं न्यायाधिकरण विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
		हरियाणा (शून्य)	
		हिमाचल प्रदेश (1)	
15.	25-12-1983	हिमाचल प्रदेश खनिज पदार्थ (अधिकार प्रदत्त करना) विधेयक, 1983	28-6-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित हैं।
		जम्मू तथा काश्मीर (शून्य)	
		कर्नाटक (5)	
16.	1-9-1982	कर्नाटक ठेका वाहन (अधिग्रहण और संशोधन) विधेयक, 1983	30-6-1984 से राज्य सरकार के पास लम्बित है
17.	5-12-1983	कर्नाटक सामान प्रवेश करने पर कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
18.	25-5-1984	कर्नाटक कृषि क्रेडिट पासबुक विधेयक, 1984	23 फरवरी, 1985 से राज्य सरकार के पास लंबित हैं।
19.	7-6-1984	बिजली आपूर्ति (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1980	15 फरवरी, 1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।

1	2	3	4
20.	16-7-1984	कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
		केरल (2)	
21.	11-10-1977	केरल केजुअल टेम्परेरी तथा बदली कामगार (मजदूरी) विधेयक, 1977	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
22.	22-10-1985	केरल मछुआ कल्याण निधि विधेयक, 1985	—तदैव—
		मणिपुर (1)	
23.	1-5-1985	मणिपुर राईफल पुलिस पर विधेयक, 1984	19-9-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
		मध्य प्रदेश (शून्य)	
		महाराष्ट्र (4)	
24.	8-5-1979	बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1979	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
25.	14-5-1984	महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम आवास किराया भत्ता विधेयक, 1983	31-10-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
26.	17-12-1984	महाराष्ट्र बागवानी विकास निगम विधेयक, 1984	29-8-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।

1	2	3	4
27.	30-8-1985	बम्बई होम्योपैथिक तथा बायो कैमिक व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1985	28-11-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
		मेघालय (2)	
28.	25-7-1980	मेघालय विनियमन और रोजगार विधेयक, 1980	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
29.	8-8-1985	मेघालय स्व:अर्जित सम्पत्ति का उत्तराधिकार (खासी और जयन्तिया विशेष प्रावधान) विधेयक, 1984	4-9-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
		नागालैण्ड (शून्य)	
		उड़ीसा (शून्य)	
		पंजाब (शून्य)	
		राजस्थान (1)	
30.	23-5-1984	जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1984	सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
		सिक्किम (शून्य)	
		त्रिपुरा (3)	
31.	20-9-1983	औद्योगिक विवाद (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 1982	12-8-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।

1	2	3	4
32.	28-8-1985	त्रिपुरा शैक्षणिक संस्थान (अधिकार का अधिग्रहण शीर्षक और हित) (संशोधन) विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
33.	29-10-1985	भारतीय स्टेम्प (त्रिपुरा तृतीय संशोधन) विधेयक, 1985	—तदैव—
		तमिलनाडु (10)	
34.	16-6-1981	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1981	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
35.	29-9-1981	तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ निधि (संशोधन) विधेयक, 1981	26-12-1984 से राज्य सरकार के पास पेंडिग है।
36.	17-5-1983	सामान के प्रवेश पर तमिलनाडु कर विधेयक, 1983	26-3-1984 से राज्य सरकार के पास पेंडिग हैं।
37.	12-12-1983	उपदान की अदायगी (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक,1983	29-5-1984 से राज्य सरकार के पास पेंडिग हैं।
38.	3-1-1984	तमिलनाडु पट्टा पास बुक विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
39.	14-11-1984	तमिलनाडु भवन और निर्माण कामगार (रोजगार और विविध प्रावधानों की शर्तें) विधेयक, 1984	23-3-1985 से राज्य सरकार के पास पडिंग हैं।
40.	16-2-1983	तमिलनाडु भारत की औषधों से व्यवसायियों के राज्य पंजीकार की मान्यता विधेयक, 1983	27 जून, 1984 से राज्य सरकार के पास पडिंग हैं।

1	2	3	4
41.	2-8-1985	तमिलनाडु शहरी भूमि (सीमा नियमन) संशोधन, विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
42.	2-8-1985	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि सीमा का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 1985	संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
43.	17-9-1985	तमिलनाडु स्क्रेप मर्चेंट और डीलर इन सेकेंडहैंड प्रापर्टी और आटोमोबाइल वर्कशाप के स्वामियों और टिंकर दुकान (विनियमन) विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
		उत्तर प्रदेश (शून्य)	
		पश्चिम बंगाल (2)	
44.	21-5-1981	भूमि अधिग्रहण पश्चिम बंगाल (संशोधन) विधेयक, 1981	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।
45.	7-7-1981	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
46.	24-12-1981	पश्चिम बंगाल मजदूर. टिंडल लोडर, गोदाम कर्मचारी तथा अन्य कामगार (रोजगार व कल्याण विनियमन) विधेयक, 1981	23-7-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।

1	2	3	4
47.	22-11-1983	ट्रेड यूनियन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
48.	?6-4-1984	पश्चिम बंगाल दुकान तथा प्रतिष्ठान विधेयक, 1 '84	15 मार्च, 1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
49.	21-5-1984	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
50.	7-5-1985	मोटर वाहन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
51.	19-6-1985	दंड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल) विधेयक, 1985	3-9-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
52.	8-10-1985	पश्चिमी बंगाल धार्मिक भवन तथा संस्थान विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
53.	22-10-1985	महेश भट्टाचार्य चिकित्सा कालेज तथा अस्पताल प्रबन्ध हाथ में लेना और तदुपरांत (अधिग्रहण) विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
54.	22-10-1985	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल तृतीय संशोधन) विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।
55.	22-10-1985	दी अफिसियल ट्रस्टीज (पश्चिमी बंगाल संशोधन) विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड के कृत्य

3496. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड के मुख्य उद्देश्य तथा कृत्य क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड द्वारा स्थापना से अब तक क्या कार्य किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य हैं :—

(1) कार्यक्रमों को समन्वित तथा उत्प्रेरित करना जो एक वर्ष में 5 मिलियन हेक्टेयर में पौध रोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को समर्थ करेगा (2) परती भूमि पर वृक्ष तथा अन्य हरित आवरण की वृद्धि करना (3) वनरोपण के लिए जन-आन्दोलन को बढ़ाना (4) लोगों को ईंधन की लकड़ी तथा चारे की आवश्यकताओं को पूरा करना।

(2) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों से परती भूमि का पता लगाने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में नई नर्सरियों की स्थापना, भूमिहीनों तथा अन्य ग्रामीण गरीब लोगों के वृक्ष पट्टों पर देने की व्यवस्था करना, स्वयंसेवी अभिकरणों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त करना तथा विकास एवं प्रशिक्षण का विस्तार करना।

(3) वृक्ष उगाने वाले सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना बनाई गई है जो प्रारम्भिक स्तर पर राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

(4) राज्यों से 1984-85 में 1.26 मिलियन हेक्टेयर उपलब्धि के स्थान पर, वन, ग्रामीण विकास तथा मुद्रा संरक्षण बजट की निधियों के माध्यम से 1986-87 के लिए लक्ष्य को 3.25 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

अंटार्कटिका कार्यक्रम की उपलब्धियां और उस पर हुआ व्यय

3497. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंटार्कटिका कार्यक्रम पर अब तक कितना व्यय हुआ है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान अंटार्कटिका कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है और उसके क्या परिणाम प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) पूर्ववर्ती अभियानों द्वारा किए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और एकत्र किए गए आंकड़ों का उद्योगीय और संभार तंत्रीय रूप में किस प्रकार उपयोग किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अंटार्कटिका कार्यक्रम पर अब तक कुल व्यय लगभग 15.75 करोड़ रुपये हुआ है। इन अभियानों के दौरान भारत ने दक्षिण गंगोत्री पर एक स्थाई मानव युक्त स्टेशन की स्थापना की जो अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए आधारभूत अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करता है। भारत द्वारा कार्यान्वित वैज्ञानिक कार्य के परिणामस्वरूप देश को अंटार्कटिक संधि में परामर्शदाता पक्षकार का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसे अंटार्कटिक अनुसंधान पर वैज्ञानिक समिति में पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंटार्कटिका कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि 45 करोड़ रुपये है। आगमी पांच वर्षों के दौरान अंटार्कटिका के बड़े से बड़े क्षेत्रों को शामिल करने तथा अतिरिक्त स्टेशनों की स्थापना करने एवं भूविज्ञान, जैविकी और मौसम विज्ञान के अभिज्ञात महत्व के क्षेत्रों में वैज्ञानिक कार्य जारी रखना प्रस्तावित है।

(ग) अंटार्कटिक अभियानों से एकत्र किए गए आंकड़ों को औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाना अभी समय पूर्व होगा। संभार तंत्रीय दिशा में अंटार्कटिका से एकत्र किए गए आंकड़े उपयोगी रहे हैं और भावी कार्य क्रमों के आयोजन में इनका उपयोग किया गया है।

"पश्चिम बंगाल में सामाजिक वानिकी"

3498. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान वन क्षेत्र भराई के लिये तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके लिए कुल कितना राशि परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(ख) ग्रामीण ईंधन काष्ठ बागान औद्योगिक लकड़ी की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को मिटाने, पारिस्थितिकी प्रणाली और वन्य जन्तु संरक्षण सहित केन्द्रीय प्रायोजित सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत ईंधन की मांग को पूरा करने और तेजी से बढ़ने वाले पौधों की नई किस्मों की स्वदेशी जातियों का चयन करने और मिट्टी तथा नमी में सुधार करने हेतु पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान 5 मिलियन हेक्टेयर के वनरोपण का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। वानिकी, ग्रामीण विकास और मृदा संरक्षण गतिविधियों के लिए सातवीं योजना परिव्यय से लगभग 2500 करोड़ की निधियों के उपलब्ध होने की आशा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष की यात्रा

3499. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में प्रधान मन्त्री के साथ बातचीत करने के लिए नवम्बर, 1985 में भारत का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले और क्या लम्बे समय से चली आ रही फिलिस्तीनी समस्या का कोई स्थाई हल निकलने की संभावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) अध्यक्ष यासर अराफत, भारतीय युवक कांग्रेस (आई) के निमन्त्रण पर गुट-निरपेक्ष युवक सम्मेलन के उदघाटन सत्र को सम्बोधित करने के लिए 18-19 नवम्बर को नई दिल्ली आए थे।

भारत-यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधान मन्त्री से भेंट की और इस भेंट में फिलिस्तीन के प्रश्न पर दोनों के बीच विचारों का महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हुआ था।

कैगा विद्युत संयंत्र कर्नाटक, द्वारा प्रदूषण

3500. श्री एस०एम० भट्टम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों तथा कर्नाटक के विभिन्न पर्यावरण ग्रुपों के बीच हाल में हुई चर्चा में कैगा विद्युत संयंत्र के विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया था;

(ख) क्या स्थानीय लोगों को सम्भावित प्रदूषण के खतरे का डर तथा आशंका थी; और

(ग) क्या मामला उनकी इच्छानुसार हल हो गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने 25 अक्तूबर, 1985 को बंगलौर में एक बैठक आयोजित की, जिसमें अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग, अध्यक्ष न्यूक्लियर विद्युत बोर्ड और परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पर्यावरण वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

(ख) जी, हां।

(ग) न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के लिए काम में लाए गए तरीके और पर्यावरण के प्रदूषण से बचाव के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बैठक में विस्तार से बताया गया। पर्यावरण वर्गों ने जो आशंकायें और चिन्ताएं व्यक्त कीं, उन्हें तकनीकी और अन्य ब्यौरे देकर स्पष्ट किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण

3501. श्रीमती जयन्ती पटनायक
श्री सोमनाथ रथ } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजनावधि के अन्त तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच पूर्ण समन्वय प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान आधारभूत ढांचे को संगठित और आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विशेष रूप से पिछले दशक में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सभी प्रमुख क्षेत्रकों का अनिवार्य और अभिन्न अंग बनाने और इन क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करने की नीति रही है। सातवीं योजना में इन प्रयत्नों को और बढ़ाया जायेगा।

(ख) इंजीनियरी, उर्वरक, परिवहन, संचार, सिंचाई, रसायनों आदि के क्षेत्रों में विशेष बल सहित, विशेषज्ञों के दलों की सहायता से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघटक का निर्धारण किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सक्रिय रूप से उपयोग किए जाने के निमित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इस सम्पूर्ण शृंखला को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसमें ये शामिल होंगे :—मूल अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अभिकल्प और विकास, प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन, विस्तार, जागरूकता उत्पन्न करना, उत्पादन इंजीनियरी, अभिकल्प तथा परामर्श और उत्पादन। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चुने हुए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में, विशेषतः, महत्वपूर्ण आधार पर, आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का आधुनिकीकरण और समेकन किया जाएगा। आधुनिकीकरण में पुराने उपस्कर को बदलकर समकालीन और भविष्य में उपयोगी सिद्ध होने वाली वस्तुओं (मदों) का उपयोग करना, नए और कुशल मानव संसाधनों सहित, व्यवस्था (सिस्टम) में नई क्षमताओं का समावेश करना, उपयुक्त

प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। इस संबंध में बल, नई सुविधाएं सृजित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए बिना, वर्तमान आधार संरचना के समेकन पर होगा। लेकिन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे उच्च विकसित क्षेत्रों में, जिनका देश में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के द्वारा उपयोग किया जा सकता है, कुछ राष्ट्रीय व्यवस्थापन की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। इनमें से कुछ ये हैं :— एक विशाल मीटर वेव लेंथ रेडियो टेलिस्कोप, फाइटोट्रान और सिंक्रोट्रान रेडिएशन सोर्स। आधुनिकीकरण और उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अंतर्क्षेत्रीय और अन्त: समाविष्ट अवयव के रूप में, इंस्ट्रूमेंटेशन को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। उपयुक्त राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना व्यवस्था स्थापित करने पर भी बल दिया जायेगा। विशेष बल वाले संबंधित क्षेत्रों में ये शामिल हैं :— माइक्रोइलैक्ट्रानिक्स, इनफारमेटिक्स और टेलीमेटिक्स, बायोटेक्नालोजीज, मैटिरियल साइन्सेज, समुद्र विज्ञान, भू तथा वायु मंडलीय विज्ञान और आधुनिक जीवन-विज्ञान आदि।

[हिन्दी]

"तिवारी समिति की सिफारिश"

3502. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिवारी समिति ने सितम्बर 1980 में इस आशय का सुझाव दिया था कि पर्यावरण संरक्षण को संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि केन्द्रीय सरकार पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विधान बना सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसपर कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

"महानगरों में विषैले बहि:स्रावों का निस्सारण"

3503. श्री आनन्द सिंह
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, दिल्ली तथा अन्य महानगरों में विषैले बहि:स्रावों के वायुमण्डल में निस्सारण के सम्बन्ध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, ने एक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक महानगर में कार्बनमोनोकसाइड सल्फर डायोकसाइड आदि जैसी विभिन्न विषैली गैसों के प्रतिदिन औसत निस्सारण के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन बहि:स्रावों का निस्सारण कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने दिल्ली के लिए ऐसा एक अध्ययन किया है।

(ख) दिल्ली में विभिन्न विषैली गैसों और वाष्पकणों आदि की औसत दैनिक विसंजन का ब्यौरा संलग्न विवरण में संक्षेप में दिखाया गया है।

(ग) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित अभिकरणों से मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करने और यानीय उत्सर्जन नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत वायु प्रदूषण जोन अधिसूचित किए गए हैं और राज्य प्रदूषण बोर्डों को कठोर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है। वायु प्रदूषित करने वाले विभिन्न उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

प्रदूषक —निलंबित कणिकीय पदार्थ :

निलंबित कणिकीय पदार्थ का संकेन्द्रण (एस० पी० एम०)—प्रदूषक समूह पौधों और पशु प्रजातियों के लिए विषैला होता है व धातु ढांचों और अन्य सामग्रियों के लिए संक्षरक होने के अलावा उससे उत्तेजना/आंखों को नुक्सान, श्वसन कठिनाईयां भी पैदा होती है (तमाम प्रबोधित यातायात चौराहों पर निर्धारित सीमा से अधिक है।

अत: निलंबित कणिकीय पदार्थ की यह मात्रा पाई गई है।

(1) राधू सिनेमा चौक, शाहदरा पर निर्धारित सीमा से 5.36 गुना अधिक।

(2) किंग्सवे कैम्प क्रासिंग पर निर्धारित सीमा से 3.8 गुना अधिक।

(3) निर्माण विहार चौक पर निर्धारित सीमा से 4.2 गुना अधिक।

(4) आश्रम चौक पर निर्धारित सीमा से 3.44 गुना अधिक।

(5) पालिका बाजार क्रासिंग पर निर्धारित सीमा से 3 गुना अधिक।

अन्य यातायात चौराहों पर मात्रा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 1.18 से 2 गुना के बीच अधिक है।

2. प्रदूषक– कार्बनमोनोआक्साइड :

कार्बनमोनोआक्साइड के संकेन्द्रण (सी० ओ०) एक अत्यधिक विषैला जबकि वे मिलियन के 30 हिस्से में संकेन्द्रित हो तो उससे सिरदर्द, चक्कर आना, शरीर में शिथिलता होती है और अधिक संकेंद्रित अवस्था में यह घातक भी हो सकता है, कि यह मात्रा पाई गई :

(1) किंग्सवे कैम्प क्रासिंग पर निर्धारित सुरक्षित सीमा से 2.24 गुना अधिक।

(2) राधू सिनेमा चौक, शाहदरा पर निर्धारित सुरक्षित सीमा से 2.48 गुना अधिक।

(3) निर्माण विहार चौक पर निर्धारित सुरक्षित सीमा से 2.6 गुना अधिक।

अन्य यातायात चौराहों जैसे कि पालिका बाजार क्रासिंग, आश्रम चौक इत्यादि, (कार्बनमोनोआक्साइड) का स्तर काफी अधिक है परन्तु निर्धारित सीमा में है।

3. प्रदूषक—नाइट्रोजनआक्साइड (एन० ओ०) एक्स :

नाट्रोजन आक्साइड के संकेन्द्रण (प्रदूषकों का समूह जिससे त्वचा में उत्तेजना पैदा होती है, आंख में ओसू आते हैं और धूम कुहरा होता है) की यह मात्रा पाई गई है।

(1) राधू सिनेमा चौक, शाहदरा पर निर्धारित सीमा से 6.7 गुना अधिक।

(2) निर्माण बिहार चौर पर निर्धारित सीमा से 5.8 गुना अधिक।

(3) किंग्सवे कैम्प क्रासिंग पर निर्धारित सीमा से 3.1 गुना अधिक।

4. प्रदूषण सल्फर डायआक्साइड (एस ओ$_2$) तथा सीमा :

जबकि सल्फर डायआक्साइड एस० ओ०$_2$ संकेंद्रणों की मात्रा सीमा में पाई गई, सभी प्रबोधित यातायात चौराहों पर परिवेश सीमा संकेंद्रण 2 माइक्रोग्राम/मीटर^3 और अधिक पाया गया। सल्फर डायआक्साइड से पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और सांस की बीमारियां भी हो जाती हैं जबकि मानव रक्त में सीसे की उपस्थिति से मस्तिष्क को क्षति पहुंचाती है।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनतांत्रिक ढांचा

3205. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें विधान सभा या प्रादेशिक परिषद जैसा जनतांत्रिक ढांचा नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रत्येक प्रदेश में विधान सभा या प्रादेशिक परिषद बनाने का है?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह चण्डीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप में विधान परिषदन हीं है हालांकि इस संघ शासित क्षेत्र में एक प्रकार का प्रजातांत्रिक ढांचा है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

"पश्चिम बंगाल में छठी पंचवर्षीय योजना के लिए सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य"

3505. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काष्ठ-ईंधन संसाधन की स्थिति में सुधार करने और पश्चिम बंगाल में कृषि पर्यावरण में सुधार हतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1980-85 के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या वास्तविक उपलब्धियां रहीं हैं; और

(ग) यदि कोई कमियां रहीं हों तो उसका क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :(क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना, को 1981-82 से 1986-87 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए आरम्भ किया गया था । सम्पूर्ण परियोजना अवधि तथा छठी योजना (1981-85) के चार वर्षों के दौरान निर्धारित भौतिक लक्ष्य और 1984-85 तक की वास्तविक उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं : —

रोपण गतिविधि	भौतिक लक्ष्य 1981-87	(हैक्टेयर) 1981-85	भौतिकी उपलब्धियां (हैक्टेयर) 1981-85
—कृषि वानिकी	52,000	25,520	36,861
—ग्रामीण वृक्ष क्षेत्र	6,000	3,580	1,639
—पट्टीदार पौधरोपड़	20,000	9,500	10,147
—निम्नीकृत वनों का पुनर्वास	15,000	7,500	14,430
कुल	93,000	46,100	63,077

(ग) समग्र गतिविधियों में कोई कमी नहीं हुई है सिवाय ग्रामीण वृक्ष क्षेत्र के अलावा जो कि उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने के कारण हुआ है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए लक्ष्य

3506. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र परिव्यय के वित्त पोषण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधन जुटाने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां क्यां हैं;

(घ) सातवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा सुझाए गए लक्ष्य के बारे में राज्य सरकार का क्या मत है; और

(ङ) सातवीं योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाये जाने हेतु प्रस्तावित कर और गैर-कर उपाय क्या हैं?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्रक योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए, अतिरिक्त संसाधन जुटाने का लक्ष्य, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, 1582.84 करोड़ रु० नियत किया गया है।

(ग) छठी योजना के लिए, 512 33 करोड़ रु० के अतिरिक्त संसाधन जुटाने सहित, राज्य सरकार द्वारा कुल संसाधन जुटाने के 2819.74 करोड़ रु० के मूल अनुमानों के मुकाबले, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधनों के अद्यतन अनुमान 930.86 करोड़ रु० के हैं जिसमें 746.78 करोड़ रु० का अतिरिक्त संसाधन जुटाना शामिल है।

(घ) सातवीं योजना के लक्ष्य, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, योजना आयोग ने अनुमोदित किए हैं।

(ङ) सातवीं योजना के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य पाने के लिए, विशिष्ट कर और गैर-कर उपायों का निर्णय, राज्य सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाएगा।

अफगानी विद्रोहियों को अमरीकी सहायता

3507. श्री बी० बी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा अफगानी विद्रोहियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा तथा किस्म के बढ़ाये जाने से भारत के लिए गंभीर कठिनाई पैदा हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहायता पाकिस्तान के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, जैसा कि अफगान स्थिति पर जानकारी रखने वाले अनेक अमरीकियों का विचार है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने समाचार पत्रों आदि में छपी उन खबरों को देखा है जो अफगान विद्रोही दलों को सहायता बढ़ाने के अमरीकी फैसले के बारे में थी। समाचार पत्रों की इन खबरों के अनुसार यह अधिकांश सहायता पाकिस्तान के माध्यम से दी जाएगी। भारत अफगान मसले पर किसी बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध है और उसका विचार है और कि यह मसला राजनैतिक समझौते के माध्यम से सुलझ सकता है जिसमें सभी संबंधित पक्षों के उचित हितों का ध्यान रखा गया हो। इस संदर्भ में भारत अफगानिस्तान के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहलकदमी का समर्थन करता है। भारत का यह विचार है कि अफगानिस्तान में विद्रोहियों को बाहरी सहायता से वहां की स्थिति और जटिल बन जाएगी और इससे राजनैतिक समझौते की दिशा में देरी होगी। अमरीकी सरकार को भारत सरकार ने इन विचारों से अवगत करा दिया है।

अमरीका के अधिकारी के साथ किए गये विचार विमर्श के निष्कर्ष

3508. श्री बी० बी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राजनैतिक कार्य विभाग के उपमंत्री और प्रेजीडेंट के विशेष सहायक सितम्बर, 1985 में भारत यात्रा पर आये थे और उन्होंने हमारे विशिष्ट अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) विचार-विमर्श दक्षिण एशिया में स्थिति, जैसे कि श्री लंका की घटनाओं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन, भारत-पाक सम्बन्धों और अफगानिस्तान पर केन्द्रित था। पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के गैर-शांतिपूर्ण आयामों के बारे में भारत की सुविदित चिन्ता को पुनः दोहराया गया।

उच्च अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन

3509. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति ने देश में यान्त्रिकी की भविष्यवाणी करने वाली एक प्रौद्योगिकी स्थापित करने हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों की कहां तक जांच की गई है और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

वृद्धों की कल्याण योजनाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

3510. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को और उनमें प्रत्येक को कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) यह राशि इन संगठनों को किन मानदण्डों के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है और उनसे कितने वृद्ध लोगों को लाभ हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मार्गनिदेश जारी किये हैं और कभी कोई सर्वेक्षण कराया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1983-84, 1984-85 और 1985-86 (नवम्बर, 1985 तक) के दौरान लाभ-प्राप्तकर्ताओं की संख्या सहित अनुदान प्राप्तकर्ता स्वयंसेवी संगठनों के नाम

क्र० सं०	स्वयंसेवी संगठन का नाम	दिया गया अनुदान	वृद्ध लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या और उद्देश्य जिसके लिए अनुदान दिया गया
1	2	3	4
		1983-84	
1.	हैल्पऐज इंडिया 1, जयसिंह रोड नई दिल्ली।	1,60,650	20000 वृद्ध व्यक्तियों के लिए सचल मेडीकेयर प्रदान करना
2.	हैल्पऐज इंडिया 1, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।	57,352	वृद्ध देखभाल सेवाओं में लगे प्रत्येक मध्य वर्गीय 25 कार्यकर्ताओं के साथ 5 कैम्पों का आयोजन करने के लिए
3.	गिल्ड आफ सर्विस 29, कासा मेजर रोड, एगमोर, मद्रास	60,626	मद्रास में गन्दी बस्तियों और एक ग्रामीण केन्द्र में 70 वृद्धों को पोषाहार प्रदान करने के लिए
4.	फर, मल्लर चेरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कनकादी मंगलोर।	27,000	मंगलोर के आसपास चार ग्रामीण केन्द्रों में 100 वृद्ध टी०बी०रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए
5.	महिला समन्वय परिषद, 5/1, रैड क्रास प्लेस, कलकत्ता	39,960	20 निराश्रित वृद्ध महिलाओं को आवासीय देखभाल प्रदान करने और 50, निम्न आय वर्गीय निराश्रित वृद्ध महिलाओं को प्रायोजित करने के लिए
6.	ऐज-केयर इंडिया, ए-67, एन०डी०	40,500	1200 वृद्धों को जैरिट्रिक

1	2	3	4
	एस० डी० पार्ट-2- नई दिल्ली।		स्वास्थ्य जांच प्रदान करने और 30 वृद्ध व्यक्तियों के एक दिवस देखभाल केन्द्र के लिए
		1984-85	
1.	प्रमोद वैन आनन्द धाम चित्रकूट जिला सतना, मध्य प्रदेश।	17,470/-	30 वृद्ध व्यक्तियों को देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु
2.	फमुल्लर चैरिटेबल इंस्टीच्यूशन कनकानदी मंगलोर (चालू कार्यक्रम)	24,300/-	मंगलोर के आस-पास चार ग्रामीण केन्द्रों में 100 टी० बी० रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए
3.	ऐज-केयर इंडिया ए-67, एन०डी० एस०ई० पार्ट 2, नई दिल्ली, (चालू कार्यक्रम)	41,580/-	1200 वृद्धों को जैरिट्रिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करने और 30 वृद्ध व्यक्तियों के एक दिवस देखभाल केन्द्र के लिए
4.	गिल्ड आफ सर्विस 29 कासामेजर रोड़, एगंमोर, मद्रास (चालू कार्यक्रम)	15,626/-	मद्रास में गन्दी बस्तियों और एक ग्रामीण केन्द्र में 70 वृद्धों को पोषाहार प्रदान करने हेतु
5.	स्मृतिन सोसाइटी पालाय, केरल	62,500/-	50 वृद्धों के लिए गृहों के निर्माण के के लिए सांकेतिक अनुदान
6.	आल बंगाल वूमैन यूनियन, 89, इलियट रोड़, कलकत्ता	1,10,700/-	25 वृद्ध निराश्रित विकलांग महिलाओं के लिए आवास देखभाल प्रदान करने हेतु सांकेतिक अनुदान
7.	महिला समन्वय परिषद 5/1, रेड क्रास प्लेस, कलकत्ता	50,000/-	20 निराश्रित महिलाओं को आवासीय देखभाल प्रदान करने हेतु गृह निर्माण के लिए सांकेतिक अनुदान

1	2	3	4
8.	हेल्पऐज इंडिया, 1, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली (चालू कार्यक्रम)	46,237/-	वृद्ध देखभाल सेवाओं में लगे प्रत्येक मध्य वर्गीय 25 कार्यकर्ताओं के साथ 5 कैंपों का आयोजन करने के लिए'
9.	वूमेन समन्वय परिषद 5/1, रेड क्रास प्लेस कलकत्ता (चालू कार्यक्रम)	36,976/-	20 निराश्रित वृद्ध महिलाओं को आवासीय देखभाल प्रदान करने और 50 निम्न आय वर्गीय नि ा-श्रित वृद्ध महिलाओं को प्रायोजित करने के लिए
10.	हेल्पऐज इंडिया 1, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली (चालू कार्यक्रम)	59,325/-	20,000 वृद्ध व्यक्तियों के सचल मेडिकेयर प्रदान करने के लिए
11.	भारतीय सेवा निवृत्त व्यक्तियों का संघ, गोहिल हाऊस, लेडी जमशेदजी रोड, महिम, बम्बई	11,205/-	50 वृद्ध व्यक्तियों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र चलाने के लिए
12.	धर्मपुरी मधर संगम, वेंकटा सरमा रोड, धर्मपुरी, तमिलनाडु	49,725/-	25 वृद्ध महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए (60+)
13.	मैत्रु सेवा संघ, सीता बिल्डिंग नार्थ अम्बजरी रोड, नागपुर	1,00,000/-	50 वृद्ध व्यक्तियों के लिए गृह निर्माण के लिए सांकेतिक अनु-दान
14.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	60,885/-	ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में 75 वृद्ध व्यक्तियों के लिए दिवस केन्द्र सेवाएं प्रदान करने के लिए
	1985-86 (योजना)		
1.	पूना ब्लाइंड मैन्स, एसोसिएशन 82, रास्ता पेठ, पुणे	1,00,000/-	50 वृद्ध व्यक्तियों के लिए गृह निर्माण हेतु सांकेतिक अनु-दान
2.	सेंट जोसेफ्स कलनी होस्पाइस	45,675/-	75 वृद्ध व्यक्तियों हेतु सेवाएं

1	2	3	4
	कन्वेन्ट 4, लापेरटे स्ट्रीट, पांडि-चेरी		प्रदान करने के लिए
3.	ऐज केयर इंडिया, ए-67, एन०डी० एम०ई० पार्ट-2, नई दिल्ली	32,400/-	60 व्यक्तियों को दिवस देख-भाल केन्द्र सुविधाएं प्रदान करने हेतु
4.	गिल्ड आफ सर्विस, 29 कासा मेजर रोड एंगमोर, मद्रास (अतिरिक्त कवरेज)	17,820/-	मद्रास की गन्दी बस्तियों में 80 वृद्धों को पोषाहार सहायता प्रदान करने के लिए
5.	महिला समन्वय परिषद, 5/1, रेड क्रास प्लेस, कलकत्ता (अतिरिक्त कवरेज)	8,100/-	50 निम्न आय निराश्रित महि-लाओं को प्रायोजित करने हेतु
6.	धर्मपुरी मधर संगम, वेंकटा सर्मा रोड धर्मपुरी, तमिलनाडु	31,714/-	25 वृद्ध महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु (60+)
7.	चेशरस होम्स इंडिया, 28 कासा मेजर रोड, एंगमोर, मद्रास	50,940/-	100 वृद्ध व्यक्तियों के आवास के भवन की मरम्मत के लिए
	1985-86 (गैर योजना)		
1.	भारतीय आदिम जाति संघ नई दिल्ली (चालू कार्यक्रम)	40,590/-	50 वृद्ध व्यक्तियों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए
2.	ऐज केयर इंडिया ए-67 एम० डी० एस० ई० भाग-II, नई दिल्ली (चालू कार्यक्रम)	39,990/-	1200 वृद्ध व्यक्तियों को जैरिटिक स्वास्थ्य जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए और 30 वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक दिवस देख-भाल केन्द्र के लिए
3.	गिल्ड आफ सर्विस 29, कोसा मेजर	15,620/-	मद्रास में गन्दी बस्तियों और

1	2	3	4
	रोड, एंगमोर मद्रास (चालू कार्यक्रम)		एक ग्रामीण केन्द्र में 70 वृद्ध व्यक्तियों को पोषाहार प्रदान करने के लिए
4.	अखिल बंगाल महिला संघ 89 इलिएट रोड, कलकत्ता (चालू कार्यक्रम)	1,10,700/-	25 वृद्ध निराश्रित, विकलांग क्षीया महिलाओं को आवासीय देखभाल करने के लिए भवन निर्माण के लिए
5.	फादर मूल्लर चैरीटेबल संस्था कनकंडी बंगलोर (चालू कार्यक्रम)	27,000/-	मंगलोर के आस पास 4 ग्रामीण केन्द्रों में 100 वृद्ध टी० बी० रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए
6.	प्रमोद वेन आनन्द धाम चित्रकूट सतना, मध्य प्रदेश (चालू कार्यक्रम)	6,270/-	30 वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल सेवाओं के लिए
7.	महिला समन्वय परिषद 5/1 रेड क्रास प्लेस, कलकत्ता (चालू कार्यक्रम)	37,854/-	20 निराश्रित वृद्ध महिलाओं को आवासीय देखभाल प्रदान करने और 50 निम्न आय वर्गीय निराश्रित वृद्ध महिलाओं को प्रायोजित करने के लिए
8.	हैलपप्स इंडिया, नई दिल्ली (चालू कार्यक्रम के लिए)	1,32,529/-	15,788 वृद्ध व्यक्तियों को सचल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए
9.	ऐज केयर इंडिया, नई दिल्ली (चालू कार्यक्रम)	45,225/-	1200 वृद्ध व्यक्तियों को जैरिएट्रिक स्वास्थ्य जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए और 30 वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक दिवस देखभाल केन्द्र के लिए

मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धान्त

अनुदान उन पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को दिये जाते हैं जिनका कम से कम दो वर्ष का अनु-

भव हो और इस योजना को प्रारम्भ करने की क्षमता हो तथा जो सुनियोजित स्थाई संगठन हो, कोई लाभ अर्जित करते न हों और जहां बिना किसी भेदभाव, जाति या धर्म आदि की के सेवाएं प्रदान करते हों।

अनुदान भवनों के निर्माण, विस्तार, मरम्मत और किराये के लिए दिये जाते हैं और इस योजना को चलाये जाने के लिए स्टाफ के वेतन, फर्नीचर के मूल्य तथा उपकरणों एवं अन्य आवश्यक खर्च के लिए दिये जाते हैं।

मन्त्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

[हिन्दी]

"वनों का काटा जाना"

3511. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता के पश्चात 42 लाख हेक्टेयर भूमि से वनों की कटाई की गई है;

(ख) कितने हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में नये वन लगाये गये हैं और अभी तक उस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) भूमि कटाव से कितनी भूमि प्रभावित हुई है; और

(घ) भूमि कटाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितनी भमि को भूमि कटाव से बचाया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) स्वतन्त्रता के पश्चात् लगभग 43 लाख हेक्टेयर वन को गैर-वन उपयोगों के लिए परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत 1951-85 के वर्षों में 446 करोड़ रुपये की कुल लागत से 2953016 हेक्टेयर भूमि में वनरोपण किया गया है।

(ग) देश में भूमि कटाव से 132 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है।

(घ) भूमि कटाव को रोकने के लिए निम्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा-संरक्षण।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समग्र जलसम्भर प्रबन्ध।

(3) झूम कृषि के नियन्त्रण के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम।

अब तक 211.83 करोड़ रुपये की कुल लागत से 2.09 मिलियन कटाव से प्रभावित भूमि का सुधार किया गया है।

छठी योजना के दौरान गैर-योजना व्यय

3512. श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान यह बताते हुये गैर-योजना व्यय का क्या ब्यौरा है कि देश में केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना की पूरी अवधि के दौरान ओवर-ड्राफ्ट नहीं किये हैं; और

(ग) सभी स्तरों पर व्यय को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के०पंजा): (क) छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान, संघ राज्य क्षेत्रों सहित केन्द्र और प्रत्येक राज्य के गैर-योजना व्यय के मूल और नवीनतम अनुमान संलग्न हैं।

(ख) जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर जो भारतीय रिजर्व बैंक का अवलंब नहीं लेते, कोई भी ऐसा राज्य नहीं हैं जिसने छठी योजना अवधि में, या कभी न कभी ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया हो।

(ग) अभी-अभी विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को हिदायतें दी गई हैं कि वे वर्ष 1985-86 के लिए बजट अनुमानों के कुल गैर-योजना प्रावधान में से, कम से कम 5 प्रतिशत की कमी करें और गैर आवश्यक व्यय में कटौती के लिए प्रभावशाली कदम उठाएं। मंत्रीमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में, एक दल का भी गठन किया गया है जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों की सभी योजनागत स्कीमों और गैर-योजना व्यय की समीक्षा करेगा तथा उन सभी कार्यकलापों की पहचान करेगा जिनकी उपयोगिता खत्म हो गई है ताकि अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में, उचित उपयोग करने के लिए संसाधन संरक्षित करके पुनः जुटाये जा सकें।

पिछले वर्षों में, राज्यों द्वारा उठाये गये घाटे से, राज्यों के संसाधनों में हुए दबाव को कम करने के लिए, केन्द्र ने राज्यों को चालू वर्ष में 1628 करोड़ रु० का मध्यम आवधिक ऋण दिया है। केन्द्र ने राज्यों से यह भी अनुरोध किया है कि वे कर इकट्ठा करने और गैर-योजना व्यय पर नियन्त्रण में, सुधार भी लाएं ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक के ओवर-ड्राफ्ट के बिना, चालू वर्ष में अपने अनुमोदित योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था कर सकें।

विवरण

(करोड़ रु०)

		मूल अनुमान	अद्यतन अनुमान
	(क) संघ शासित क्षेत्र सहित केन्द्र क/	67405	82785
1	2	3	4
	(ख) राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	4739.00	6669.96
2.	असम	1509.00	2247.48
3.	बिहार	3926.00	5847.45
4.	गुजरात	3619.00	4804.14
5.	हरियाणा	1237.00	1584.66
6.	हिमाचल प्रदेश	698.00	1027.01
7.	जम्मू और कश्मीर	1053.00	1314.35
8.	कर्नाटक	3660.00	4626.88
9.	केरल	3145.00	3765.52
10.	मध्य प्रदेश	4276.00	5986.06
11.	महाराष्ट्र	8242.00	9818.82
12.	मणिपुर	268.00	363.44
13.	मेघालय	218.00	334.57
14.	नागालैंड	330.00	531.58
15.	उड़ीसा	2128.00	2849.75
16.	पंजाब	1935.00	2764.85
17.	राजस्थान	2932.00	4113.90
18.	सिक्किम	69.00	77.81

1	2	3	4
19.	तमिलनाडु	4746.00	6001.96
20.	त्रिपुरा	273.00	430.74
21.	उत्तर प्रदेश	6880.00	8114.72
22.	पश्चिम बंगाल	5206.00	6698.95
	जोड़ (राज्य)	61089.00 ख/	79973.95

(क) विधान सभाओं रहित संघ शासित क्षेत्रों का योजना इतर राजस्व व्यय और विधान सभाओं सहित संघ शासित क्षेत्रों के लिए योजना इतर राजस्व व्यय, निवल राजस्व प्राप्तियां भी शामिल हैं।

(ख) अब समायोजित कर लिया गया।

[अनुवाद]

दशक के लिए संदर्शी योजना

3513. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली खाद्य पूर्ति, आवास, स्वास्थ्य और सफाई, विद्युत आदि जैसी समस्याओं पर काबू पाने के लिए सरकार का विचार वर्ष 2001 से आरम्भ होने वाले दशक के लिए एक संदर्शी योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तैयार की जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल, खाद्य आपूर्ति, आवास, स्वास्थ्य तथा सफाई, बिजली आदि से सम्बन्धित, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए, सन 2001 से आगे के लिए, कोई संदर्शी योजना तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि सातवीं योजना (1985-90) दस्तावेज का, खंड-1, अध्याय-2 "विकास की सम्भावनाएं, वर्ष 2000 की ओर" विषय पर है।

[हिन्दी]

मरुस्थल विकास तथा निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए धनराशि

3514. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मरुस्थल विकास तथा निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उपर्युक्त दोनों कार्यक्रमों से कितनी जनसंख्या को लाभ होगा;

(ग) दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आएगा;

(घ) क्या यह सच है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की तुलना में मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए उसकी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां तो, दोनों को समान धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) दोनों कार्यक्रमों में योजना आवंटन, जनसंख्या और शामिल किए गए क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं :--

आवंटन/जनसंख्या/ क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	मरुस्थल विकास कार्यक्रम
1	2	3
1. सातवीं योजना (1985-90) में परिव्यय (करोड़ रु० में)	870.00	245.00
2. 1981 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या (लाख में)	448.20	149.67
3. क्षेत्र (हजार वर्ग कि० मी० में)	229.20	348.00

(घ) जी, नहीं। इन दो कार्यक्रमों की तुलना करने के लिए सम्बद्ध पैरामीटर केवल क्षेत्र और जनसंख्या ही नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बहु-क्षेत्रकीय है और मरुस्थल विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों की ओर उन्मुख है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क स्थापित करना"

3515. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त राष्ट्रीय पार्कों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है और इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में अन्य बातों के साथ निम्न विकासात्मक कार्य प्रारम्भ किए गए हैं :—

(1) वन्य जीव के लिए चारे का विकास करने तथा मरुभूमि वासस्थल को और अधिक निम्नीकरण से सुरक्षित रखने के लिए 4550 हेक्टेयर क्षेत्र में बाड़ लगाई गई है।

(2) इस क्षेत्र में जल उपलब्ध कराने के लिए दो ट्यूबवैल, पांच नदियां, छ: गजलर एवं आठ तालाब निर्मित किए गए हैं।

(3) इस क्षेत्र में 10 सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं तथा वन्य जीव के चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए एक चलते-फिरते दस्ते (मोबाइल स्क्वॉड) का सृजन किया गया है।

(4) अकल नामि स्थान पर एक काष्ठ जीवश्म उद्यान का विकास किया गया है तथा इसे सम्पोषित किया जा रहा है।

(5) संरक्षित क्षेत्र में पुनःबीजरोपण तथा पौधरोपण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने 100.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। इस राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 247.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है जिसमें से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल 108.97 लाख रुपये का व्यय होने की सूचना है। वर्ष 1985-86 के लिए, मरुभूमि वासस्थल के संरक्षण, मरुवनस्पति के पुनरुत्पादन एवं विकास तथा अकल में काष्ठ जीवाश्म उद्यान के रख-रखाव के लिए 7.91 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां

3516. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऊर्जा, दवाई और कृषि के क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) राजस्थान में और गुजरात में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं आर सातवीं. योजना में क्षेत्र-वार किन पर विचार किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. **बिजली**

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तारापुर, कोटा और कलपाक्कम स्थित तीनों परमाणु बिजलीघरों में 15613 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई है। कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु बिजलीघर ऐसा पहला परमाणु बिजलीघर है जिसका डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण और चालू करने का काम देश में ही किया गया है।

2. **चिकित्सा**

(i) मनुष्यों में होने वाले रोगों की जांच, उनके निदान और उपचार में रेडियोआइसोटोपों के अनुप्रयोग की दिशा में, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाओं की स्थापना करना।

(ii) उपर्युक्त कार्य की मांग राष्ट्रीय स्तर पर पूरी करने के लिए रेडियोआइसोटोपों के उत्पादन और उनकी सप्लाई की क्षमता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

(iii) चिकित्सा सम्बन्धी उत्पादों को विकिरण के प्रभाव से मुक्त करने का काम वाणिज्यिक स्तर पर करने के लिए सुविधाओं की स्थापना और सेवा प्रदान करना।

3. **कृषि**

किसानों द्वारा खेती के लिए कृषि मंत्रालय ने छः नई किस्में जिनमें अरहर की दो, मूंग, उड़द,

मूंगफली और पटसन की एक-एक किस्म शामिल है वितरित और अधिसूचित कर दी हैं। इस वर्ष (1985) महाराष्ट्र राज्य बीज निगम, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला और महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी ने अरहर और मूंग के 300 टन से अधिक बीजों का उत्पादन लगभग 20,000 हैक्टेयर भूमि पर ट्राम्बे किस्में उगाने के लिए किया। बहुत सी अन्य किस्मों का परीक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा कृषि विश्वविद्यालयों के समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में चल रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में किए गए परीक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई ने अमोनियम पोलीफास्फेट फर्टिलाइजर का, जो क्षेत्र-मूल्यांकन में काम आएगा, उत्पादन करने हेतु एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना की है। कृषि रसायनों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किए गए परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ कि बहुत काम में लाए जाने वाले कवकनाशी थाइरम और जाइरम मिट्टी में जैव-निम्नकरणीय हैं और इनके कोई अवशेष नहीं पाए गए।

(ख)

1. बिजली

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 31785 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. चिकित्सा

सातवीं पंचवर्षीय योजना में, पाजिट्रान उत्सर्जित करने वाले रेडियान्यूक्लाइडों के उत्पादन के लिए और उनका अनुप्रयोग न्यूक्लियर चिकित्सा के क्षेत्र में करने के लिए एक मैडिकल साइक्लोट्रान सुविधा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। उन क्षेत्रों में न्यूक्लियर चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो मौजूदा न्यूक्लियर चिकित्सा केन्द्रों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, चार और क्षेत्रीय औषध केन्द्र लगाने का प्रस्ताव है। एककलोनी प्रतिरक्षियों के उत्पादन के लिए और नए रिआकिट विकसित करने के लिए वाशी का विकिरण औषध प्रयोगशाला का विस्तार खण्ड-II बनाकर करने का प्रस्ताव है। बहुत से ऐसे रेडियोआइसाटोपों के संसाधन के लिए उत्पादन संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है जिनका उत्पादन उच्च अभिवाह वाले ध्रुव रिएक्टर में होगा और जिनका अनुप्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाएगा। स्थानीय अस्पतालों और औषधीय उत्पादों के निर्माताओं का गामा किरणन की सुविधा देने के लिए बंगलौर में एक मध्म स्तर का रेडिएशन स्टर्लाइजेशन प्लांट लगाए जाने का प्रस्ताव है।

3. कृषि

सातवीं योजनावधि में, उत्परिवर्तन प्रजनन की सहायता से बेहतर किस्में विकसित की जाती रहेंगी। दालों और तैलबीजों की ऐसी किस्में विकसित करने पर बल दिया जाएगा जो रोगों

और नाशक जीवों की प्रतिरोधक हों। स्टेट एजेन्सियों की मांग के आधार पर बीजों का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। फर्टिलाइजर के उपयोग की कुशलता के बारे में और कृषि-रसायनों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आइसोटापों की सहायता से किए जाने वाले अध्ययनों के क्षेत्र में गहन अनुसंधान किया जाएगा।

(ग) राजस्थान के मौजूदा परमाणु बिजलीघरों के अतिरिक्त दो और परमाणु बिजलाघर, गुजरात में काकरापार और राजस्थान में रावसभाटा में एक-एक निर्माणाधीन हैं।

अमरीका रक्षा विश्वविद्यालयों में रक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण

3517. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्याधुनिक शस्त्रों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए थलसेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों को अमरीका के रक्षा विश्वविद्यालय में भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक थलसेना, वायुसेना और नौसेना के कितने अधिकारी भेजे गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल मिलिटरी एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने कुछ ही सैनिक अफसरों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमरीका भेजती रही है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों की संख्या का ब्योरा बताना राष्ट्रहित में नहीं होगा।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर

3518. **श्री अनिल बसु** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विकासशील देशों की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर क्या थी;

(ख) क्या पहली याजना अवधियों की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान खाद्यान्नों और कपड़ों की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है; और यदि हां, ता तत्सम्बन्धी ब्यारा क्या है;

(ग) क्या सातवां योजना अवधि के पहले छः महानों के दौरान प्रति व्यक्ति आय तथा खाद्यान्नों आर कपड़े की खपत में वृद्धि की दर सन्तोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) भारत की प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर, अर्थात् प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (स० रा० उ०) अचर बाजार कीमतों पर,

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यथा अनुमानित और विश्व विकास रिपोर्ट, 1985 में यथा प्रकाशित, विकासशील देशों की संवृद्धि दर, छठी योजना के विभिन्न वर्षों के लिए नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक संवृद्धि दर स० रा० उ० (प्रतिशत)	
	भारत	विकासशील देश
1980-81	4.5	3.3⇒
1981-82	2.7	0.8
1982-83	0.3	—0.7
1983-84	5.3 (—)	—0.1*
1984-85	उ० न०	2.1*

⇒1973-80 में वार्षिक संमिश्र संवृद्धि दर की औसत पर आधारित

*अनुमानित *परिकल्पित

—त्वरित अनुमान

(ख) खाद्यान्न आर कपड़े के प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, उनकी प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध हैं और इन्हें आर्थिक सर्वेक्षण 1984-85 में प्रकाशित किया गया है। इनके आधार पर, योजना के विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न और कपड़े की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता नीचे सारणी में बताई गई है :—

सारणी

प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता

	योजना	खाद्यान्न (ग्राम प्रतिदिन)	वस्त्र (मीटर प्रति वर्ष)		
			सूती	कृत्रिम रेशे, सम्मिश्रित/मिश्रित रेशों सहित	कुल वस्त्र
1	2	3	4	5	6
1.	पहली योजना				
	1951-56	430.9*	14.4*	—	14.4*

1	2	3	4	5	6
2.	दूसरी योजना				
	1956-61	468.7*	13.8*	1.2*	15.0*
3.	तीसरी योजना				
	1961.66	449.1	14.8	1.4	16.2
4.	वार्षिक योजना				
	1966-69	435.6	14.0	1.8	15.8
5.	चौथी योजना				
	1969-74	452.5	13.0	2.0	15.0
6.	पांचवीं योजना				
	1974-79	440.8	11.3	3.0	14.3
7.	वार्षिक योजना				
	1979-80	410.4	10.1	4.6	14.7
8.	छठी योजना				
	1980-81	456.4	10.5	3.9	14.4
	(पिछले 4 वर्ष अनन्तिम)				

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 1984-85 और इसके पहले प्रकाशन।

*सम्बन्धित योजना के अन्तिम वर्ष से सम्बन्धित है।

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से पता चलेगा, छठी योजना के पहले 4 वर्षों (1980-84) में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता (अनंतिम अनुमान) पिछली योजनाओं की अपेक्षा अधिक है। सूती कपड़े की निवल उपलब्धता में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है परन्तु मिश्रित/सम्मिश्रित और कृत्रिम रेशों के वस्त्रों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। क्योंकि कृत्रिम रेशों के वस्त्र, सूती कपड़ों की अपेक्षा तिगुने टिकाऊ होते हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि सभी पिछली योजनाओं के मुकाबले छठी योजना की अवधि में सूती कपड़े के समतुल्य रूप में प्रति व्यक्ति कपड़े का निवल उपभोग (निवल उपलब्धता) वास्तव में बढ़ा है।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 6 महीनों में खाद्यान्न और कपड़े के उप-

भोग (निवल उपलब्धता), प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भारत के विरुद्ध धुरी राष्ट्र चीन अमरीका तथा पाकिस्तान

3519. श्री अख्तर हुसैन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सिद्ध हो गई है कि अमरीकी रणनीति के अन्तर्गत चीन अपने देश को सोवियत रूस से खतरा होने के बहाने पाकिस्तान उसकी सैनिक शस्त्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग वह केवल भारत के विरुद्ध करेगा सभी प्रकार की सहायता दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो धुरी राष्ट्र चीन-अमरीका तथा पाकिस्तान से भारत के समक्ष उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) सरकार को अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सैनिक सहायता के बारे में जानकारी है। सरकार को यह भी जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा प्राप्त सैनिक हथियारों का इस्तेमाल केवल भारत के विरुद्ध ही किया जा सकता है। सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखे हुए है जिनका प्रभाव देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है।

जम्मू और काश्मीर की सीमा पर पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

3520. श्री महेन्द्र सिंह
श्री आनन्द सिंह } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक, 7 सितम्बर, 1985 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार दो पाकिस्तानी जासूसों को सीमा पार करके जम्मू और काश्मीर में प्रवेश करते समय पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे प्रशिक्षण पाकिस्तानी छापामारों की जम्मू और काश्मीर में घुसपैठ करवा कर तोड़फोड़ कराने के पाकिस्तान के इरादों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है; और

(ग) उनसे प्राप्त जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, ऐसे कोई जासूस नहीं पकड़े गए।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक शासन को समाप्त करने हेतु कदम

3521. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगभेद के विरुद्ध संघर्षरत अग्रणी राष्ट्रों ने भारत को सूचित किया है कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अफ्रीकी फ्रंट लाइन देशों ने भारत को इस आशय का कोई पत्र भेजा है कि दक्षिण अफ्रीका में लोगों को स्वतन्त्र कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र उपाय रह गया है। इसलिए सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप के लिए परिव्यय

3522. श्री पी० एम० सईद : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप के लिए सातवीं योजना के परिव्यय की पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) क्या परिव्यय में वृद्धि किये जाने के बारे में लक्षद्वीप प्रशासन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) लक्षद्वीप की सातवीं योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि सम्भव नहीं पाई गई है, क्योंकि उसको दिया गया 43.90 करोड़ रु० का परिव्यय, जो कि छठी योजना के 20.35 करोड़ रु० से, 115.7 प्रतिशत अधिक है, उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत, प्रशासन द्वारा प्रस्तावित, सभी सम्भव और उपयोगी स्कीमों के लिए, पर्याप्त होगा।

इलेक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा शेयरधारियों को बोनस जारी किया जाना

3523. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड ने शेयरधारियों को बोनस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो बोनस शेयर किस आधार पर दिये गये और ऐसे शेयरों की मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या निगम ने अपनी प्रदत्त पूंजी लाभांश भी दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 50 लाख रुपये की विद्यमान चुकता पूंजी (जिसमें एक-एक हजार रुपये के 500 शेयर शामिल हैं) पर 1 : 1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

(ग) जी, हां। निगम ने वर्ष 1984-85 के लिए अपनी 50 लाख रुपए की चुकता साम्या-पूंजी पर 10 प्रतिशत लाभांश की राशि का भुगतान किया है। इसके साथ ही साथ, निगम ने बोनस शेयर भी जारी किए हैं।

[हिन्दी]

राज्यों को प्रति व्यक्ति दी गई धनराशि

3524. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को प्रति व्यक्ति के आधार पर आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य को प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि उपलब्ध की है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभी राज्यों को प्रति व्यक्ति आधार पर समान रूप से सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजना के लिए, राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता का आबंटन, संशोधित गाडगिल फार्मूले में निहित सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है, जैसा कि 1980 में राष्ट्रीय विकास परिषद् का निर्णय था। इसके अलावा, राज्य योजनाओं के निमित्त अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए, राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है।

वर्तमान परमाणु विद्युत केन्द्रों द्वारा बिजली का उत्पादन

3525. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान परमाणु विद्युत केन्द्रों द्वारा बिजली की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या ये सभी केन्द्र अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग और मानसून की अनिश्चितता के कारण पन बिजली परियोजना की संख्या मे वृद्धि की कम सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए परमाणु विद्युत केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985-86 में तारापुर, राजस्थान और मद्रास स्थित तीनों परमाणु बिजलीघरों में नवम्बर, 1985 तक कुल मिलाकर लगभग 3164 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को छोड़कर बाकी परमाणु बिजलीघर संतोषजनक रूप से काम करते रहे हैं। यह यूनिट 20 मई, 1985 से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि दक्षिणी एण्डशील्ड में एक नई दरार का पता लगा है।

(ग) और (घ) सरकार ने राजस्थान में रावतभाटा और कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर दो नये परमाणु बिजलीघर लगाने की घोषणा की है जिनमें से प्रत्येक में दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी। सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट स्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परमाणु बिजलीघर लगाने हेतु अतिरिक्त स्थलों के बारे में सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

शिशु बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए वर्कशाप

3526. **श्री आनन्द सिंह :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि तथा नेशनल मीडिया सेन्टर के संयुक्त तत्वावधान में एक वर्कशाप आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्कशाप की मुख्य विशेषताएं क्या थीं तथा उसमें क्या सुझाव दिए गए एवं विचार व्यक्त किए गए; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यशाला का आयोजन 12 से 14 अक्तूबर, 1985 तक किया गया था। इसमें शिशु बालिकाओं की उपेक्षा के कारणों और परिणामों की ओर प्रकाश डाला गया था। शिशु बालिका के विकास के लिए माता और बाल शिक्षा देना, समुदाय में व्यवहारिक परिवर्तन लाना, परम्परागत पूर्ण धाराओं को दूर करना, जनसंचार माध्यम से महिला छवि को मलिन करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना, माता और शिशु बालिका दोनों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और समाज में शिशु बालिका को महत्वपूर्ण मानव संसाधन समझना, महत्वपूर्ण तथ्य हैं।

(ग) सेमिनार की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, उपरोक्त मदों पर महत्व और ध्यान देते हुए सरकार ने महिला और बाल विकास के लिए सामाजिक सेवाओं का विकास करने और उनमें सुधार करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम पहले ही प्रारम्भ किये हैं।

उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स

3527. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सुपर कम्प्यूटर" के लिए पुर्जों के निर्माण हेतु उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से एक इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत सरकार का भुवनेश्वर में एक सुपर कम्प्यूटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। उड़ीसा सरकार सुपर कम्प्यूटर के क्षेत्र में साफ्टवेयर विशेषज्ञों के एक दल को बढ़ावा दे सकती है और उस हालत में भारत सरकार आवश्यक प्रशिक्षण देगी तथा मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

निर्धन व्यक्तियों के निर्धारण का मानदण्ड

3528. **श्री अनादि चरण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन व्यक्तियों के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी आवश्यकता

के मानदण्ड से भिन्न कोई अन्य तरीका अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धन व्यक्तियों के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति सीमा कब निर्धारित की गई थी और क्या सरकार का विचार मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब उस सीमा को बढ़ाने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) गरीबी की रेखा का निर्धारण करने का आधार योजना आयोग के "न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग से संबंधित कृतिक बल" की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी की रेखा 1973-74 की कीमतों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० के प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का स्तर और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का स्तर है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का समानुरूपी स्तर है। इस गरीबी की रेखा-व्यय को हाल ही के वर्षों के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निजी उपभोग संकेतक (समग्र उपभोग की कीमतों में वृद्धि के प्रतिरूपी के तौर पर) का उपयोग करते हुए अद्यतन बनाया गया है। 1984-85 की कीमतों पर, गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 107 रु० और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 122 रु० है। इस अद्यतन गरीबी की रेखा से संबंधित उपभोग व्यय का सातवीं योजना में उपयोग किया गया है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 6400 रु० और शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 7300 रु० होता है।

"गिर वन में शेरों की संख्या"

3529. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गिर वन में शेरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) गिर शेर अभयारण्य के विकास के लिए वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गुजरात के गिर वन में शेरों की संख्या 1974 में 180 थी जो कि बढ़कर 1985 में 239 हो गई है।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य सरकार ने गिर शेर अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए वर्ष 1985-86 में 27.03 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है तथा अन्य कदमों के साथ, निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) वन्य प्राणियों के वासस्थल का सुधार

(2) अभयारण्य के चारों और शुष्क पत्थर की दीवार बनाना।

(3) अग्नि से रक्षा के लिए फायर-लाइन्स की रचना करना।

(4) सड़कों का रख-रखाव।

(5) बेतार संचार यंत्र का रख-रखाव।

(6) वन्यप्राणियों की गणना।

राजदूत के बिना भारतीय दूतावास

3530. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से भारतीय दूतावासों अथवा काउन्सुलेट में इस समय राजदूत, कौंसल जनरल/कौंसल नियुक्त नहीं है;

(ख) इन दूतावासों/काउन्सुलेट में कब तक राजदूत कौंसल जनरल/कौंसल नहीं हैं;

(ग) इन पदों के रिक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) वर्तमान में मिशन/केन्द्र प्रमुखों के निम्नलिखित पद रिक्त हैं :

मिशन का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2
1. भारत का राजदूतावास, बेरूत	28-11-1984
2. भारत का राजदूतावास, अम्मान	24-11-1985
3. भारत का राजदूतावास, कराकस	14-11-1985
4. भारत का राजदूतावास, डकार	6-11-1985

1	2
5. भारत का राजदूतावास, किन्शासा	28-5-1985
6. भारत का राजदूतावास, ओसलो	6-11-1985
7. भारत का राजदूतावास, रोम	1-11-1985
8. भारत का राजदूतावास, थिम्पू	10-10-1985
9. भारत का राजदूतावास, वारसा	28-10-1985

(ग) और (घ) विदेश स्थित कुल 138 मिशनों/केन्द्रों में से 9 मिशनों में मिशन/केन्द्र प्रमुखों के पद रिक्त हैं। इन 9 रिक्तियों में से 8 के लिए मिशन प्रमुखों को मनोनीत किया जा चुका है और आशा है कि वे शीघ्र ही अपने पद का कार्यभार संभाल लेंगे। मिशन प्रमुखों के प्रस्थान और उत्तराधिकारी के आगमन के बीच देरी लगातार तैनातियों, विदाई समारोह और मुख्यालय में विचार-विमर्श के कारण होती है।

"महाराष्ट्र में ताप्ती तथा गिरना नदियों के जल का प्रदूषण

3531. श्री विजय एन० पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के जलगांव जिले से होकर बहने वाली ताप्ती तथा गिरना नदियों के जल के अत्यधिक प्रदूषण के समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार ने सम्बन्धित प्राधिकारियों को यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि इन नदियों के जल का प्रदूषण कहां तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भुसावल तथा बमबोरी गांव से होकर बह रही ताप्ती तथा गिरना नदियों के किनारों पर स्थित कागज मिलों तथा रासायनिक कारखानों के कारण हो रहा है;

(ग) ताप्ती तथा गिरना नदियों के जल प्रदूषण का मानव तथा पशु जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) संबंधित नदियों के प्रदूषण जल को साफ करने तथा प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"मथुरा तेल शोधक कारखाने के कारण प्रदूषण

3532. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से पर्यावरण प्रदूषित होने के क्या कारण हैं और उसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ;

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मथुरा तेल शोधक कारखाने से पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा भाग सल्फर-डाईआक्साइड उत्सर्जन से होता है। उठाए गए उपचारी उपायों में ये शामिल हैं :—

कम सल्फर ईंधन का प्रयोग, सल्फर रिकवरी सिस्टम स्थापित करना, प्रदूषण के उपयुक्त परि-क्षेपण के लिए ऊंची चिमनियां तथा बहिस्राव उपचार सुविधाएं स्थापित करना।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों का विकास

3533. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि आयातित तकनीकों पर आधारित कुछ उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी न किए जाएं;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों द्वारा बनाए जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या मन्त्रालय का उन उद्यमियों को, जो देश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी वस्तुओं के उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं, उक्त निर्णय से छूट देने के लिए तैयार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों के विकास के लिए क्या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, देश में इलेक्ट्रानिकी के समुचित आधार का विकास करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती है। किसी नए उत्पाद के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय निकट भविष्य में उसकी अनुमानित मांग और साथ ही साथ तकनीकी-व्यावसायिक दृष्टि से उसकी व्यव-हार्यता को ध्यान में रखा जाएगा। यही नीति पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में भी लागू है।

(घ) श्रेणी "क" में शामिल किए गए पर्वतीय जिलों में अधिक इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि श्रेणी "क" के 'विशिष्ट क्षेत्र जिलों' में स्थापित किए जाने

वाले इलेक्ट्रानिक उद्योगों के मामले में 25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय पूंजी निवेश की राशि की अधिकतम सीमा को 25 लाख रु० से बढ़ाकर 50 लाख रु० कर दिया जाएगा।

कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री

3534. श्री हरीश रावत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों के लिए पुन: खोले जाने के पश्चात् कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कितनी है; और

(ख) देश के गहरी धार्मिक आस्था वाले लोगों की भावना को देखते हुए यात्रा को सुविधाजनक बनाने के हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 1981 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पुन: शुरू होने के बाद से कुल मिलाकर 694 तीर्थयात्री इसकी यात्रा कर चुके हैं।

(ख) इस तीर्थयात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है। इनमें तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए बेहतर आवास, भोजन, परिवहन और दूर संचार की सुविधाएं भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

सातवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक उद्योग को प्रोत्साहन

3535. डा० फूलरेणु गुहा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक को प्रोत्साहित करने और उसमें उन्नति करने के लिए सातवीं योजना में व्यवस्था की गई है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के संवर्धन तथा विकास के लिए इस समय कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए

हैं। किन्तु सरकार देश भर के किसी भी अनुमत्य क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देती है। पश्चिम बंगाल के लिए किसी प्रकार के विशिष्ट उपाय नहीं अपनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने का प्रयास करती है। इलेक्ट्रानिकी विभाग जब भी जरूरी हो आवश्यक मार्गदर्शन करता है।

सिक्किम का विकास

3536. डा० जी० विजय रामाराव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में सब्जियों आम, इलायची, खुंबी की बड़े पैमाने पर खेती किए जाने की अत्यधिक क्षमता है, जिसका उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अब तक यदि कोई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, तो उनका ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना में, फलों, सब्जियों, खुंबी, इलायची आदि सहित बागवानी की फसलों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम में वर्तमान बगीचों को सबल बनाना, नई नस्ल के उद्यानों की स्थापना, सब्जियों में विविधता सम्बन्धी छानबीन करना, रोपण सामग्री के स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना, बागवानी के क्षेत्र में विस्तार करना और पर्याप्त बाजार उपलब्ध कराना शामिल है। इसी प्रकार, बड़ी इलायची के विकास संबंधी कार्यों के लिए, पुराने बागानों को नया करना, क्षेत्र बढ़ाना, उपचार-विधियों और अपनाने योग्य अनुसंधान को एकत्र करना आदि कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

ओमन में प्रधान मंत्री की बातचीत

3537. श्री यू० एच० पटेल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1985 में अपनी ओमन यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री तथा उनके साथ गए वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों/प्रधान मन्त्रियों/मंत्रियों/वरिष्ठ अधिका-के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) 17 नवम्बर से 18 नवम्बर, 1985 तक ओमन की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मन्त्री पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति, मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, जोर्डन के महाराजा, ब्रूनी के सुल्तान, तन्जानिया के उपप्रधान मंत्री तथा श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा मन्त्री से मिले और उनसे बातचीत की।

ये बातचीत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर आपसी हित के बारे में थां।

"शांत घाटी (साइलेंट वैली) केरल की पारिस्थितिकी का संरक्षण"

3538. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल में शांत घाटी (साइलेंट वैली) को राष्ट्रीय उद्यान, घोषित करने के पश्चात उसकी पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री की शांत घाटी की हाल की यात्रा के पश्चात कोई सुधार करने के सुझाव दिए गएहैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केरल सरकार ने अपनी दिनांक 15-11-84 की अधिसूचना के द्वारा शांत घाटी (साइलेंट वैली) सुरक्षित वन को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने से पूर्व दो वनरक्षक इस क्षेत्र के प्रभारी थे। अधिसूचना के पश्चात निम्न सुरक्षा कर्मचारी बढ़ाए गए :—

रेंज आफिसर—1, वनपाल—1 तथा वन रक्षक --2, राष्ट्रीय उद्यान के बेहतर संरक्षण हेतु तयार की गई स्कीम के अन्तर्गत वन्यजीव वार्डन के नियन्त्रण के अधीन एक अलग वन्यजीव प्रभाग की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) और (ग) यह सुझाव दिया गया है कि निर्माण की गतिविधि केवल उद्यान के बाहर की जाए तथा इसे पर्यावरण के अनुरूप एवं सुरुचि के विचार से उपयुक्त होना चाहिए।

परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

3539. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का कर्नाटक में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) उन लोगों के, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जायेगी, पुनर्वास की प्रस्तावित योजना यदि कोई हो, तो क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सरकार ने कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर एक परमाणु बिजलीघर लगाने की घोषणा की है, जिसके दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी। पुनर्वास योजना का ब्यौरा कर्नाटक राज्य सरकार से परामर्श करके तैयार किया जा रहा है।

पर्वतीय राज्यों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग

3540. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग में चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा में इलेक्ट्रानिक उद्योग/स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस दिए हैं;

(ख) यदि, हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शितोष्ठा तापमान और धूलकण युक्त जलवायु के कारण देश के पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक उद्योगों/यूनिटों की स्थापना के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान अनेक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये गये हैं। वर्ष 1983 से लेकर अब तक जारी किए गए लाइसेंसों/आशय-पत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(i)	हिमाचल प्रदेश	30
(ii)	जम्मू तथा कश्मीर	17
(iii)	पंजाब	26
(iv)	हरियाणा	70

(ग) और (घ) जहां तक इलेक्ट्रानिकी में लाइसेंस प्रदान करने तथा विदेशी सहयोग की अनु-

मति देने की नीति का सम्बन्ध है, उद्योग के लिए सभी अनुमत्य स्थापना-स्थलों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। किंतु श्रेणी 'क' में शामिल किए गए पर्वतीय जिलों में अधिक इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह भी निर्णय किया गया है कि श्रेणी 'क' के विशिष्ट क्षेत्र जिलों, में स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उद्योगों के मामले में 25 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय पूंजीनिवेश की राशि की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया जायेगा।

केरल में संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता

3541. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं, न्यासों, गैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों आदि के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त की हैं और कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त की है; और

(ख) क्या संस्थाओं द्वारा झूठे बहानों के आधार पर ऐसी धनराशियां प्राप्त करने की कोई घटनाएं हुई हैं ?

आंतरिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) मांगी गई सूचना अनेक संस्थानों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता की राशि से संबंधित है अत: इसके अधिक विस्तृत होने के कारण इसे सदन के पटल पर रखना संभव नहीं होगा। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशेष एसोसिएशन/संस्थान के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

(ख) अभी तक ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

मध्य प्रदेश में अधिक आदिवासी जनसंख्या को उप-योजना क्षेत्र में शामिल करना

3542. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "मोडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एप्रोच" के अन्तर्गत उपयोजना क्षेत्र में अधिक आदिवासी जनसंख्या को शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) "मोडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एप्रोच" के अन्तर्गत उपयोजना में अनुसूचित जनजाति के कितने अतिरिक्त लोगों को शामिल किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जनजाति उप योजना वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सहित इस प्रकार के खण्डों का पता लगाने के लिए अपनाए गये मानदण्ड इस प्रकार हैं (i) समीप के क्षेत्रों में न्यूनतम 10,000 की जनसंख्या हो, जिसमें कम से कम 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हो, (ii) इस प्रकार से पता लगाए गए जनजाति खण्डों को सामान्यत: विकास खण्ड के अन्तर्गत होना चाहिए।

सातवीं योजना के दौरान जनजाति उप-योजना नीति क्षेत्र के अन्तर्गत अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को लाने के लिए मन्त्रालय ने राज्यों से कम से कम 5,000 जनसंख्या वाले समूह स्थल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हो।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में पता लगाए गए खण्डों के अन्तर्गत लायी गई अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में जनजाति बाहुल्य खण्ड

क्र०सं०	जिला	ब्लाक/खंड	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (1971 की जनगणना)
1	2	3	4
1.	बेतुल	आमला	13057
		प्रभापट्टम	16662
2.	बिलासपुर	बिलासपुर-I	10077
		बिलासपुर-II	9613
		मुंगेली	17677
3.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	38658
		सोसर	
		अमरवाड़ा	5379

1	2	3	4
4.	दामोह	जाबेरा	10553
		तेन्दुखेड़ा	5493
		हट्टा	5274
5.	देवास	कन्नौद और काठगांव	18104
		बगली	25150
6.	दुर्ग	बालोद	66259
7.	गुना	गुना	7 60
		चाचोडा	6894
8.	होशंगाबाद	हार्दा	25619
		सोहागपुर	15266
9.	इंदौर	माव	13201
10.	जबलपुर	सिहोरा-I	6837
		सिहोरा-II	13652
		मुरवारा-I	13022
		मुरवारा-II	7862
		पटना	8395
		कुन्दम	46100
11.	खांडवा	बुरहानपुर	9464
		पांधुरना	14569
12.	होशंगाबाद	सेओनी-माल्वा	11362
13.	मोरेना	विजयपुर	8568
14.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	20779
15.	पन्ना	पवाई	12147

1	2	3	4
16.	रायगढ़	सारांगढ़	9372
17.	रायपुर	महासमुंद-I	39867
		" " II	29428
		बलोदाबाजार	26207
18.	राजनंदगांव	खैरागढ़	8840
		राजनंदगांव	30172
		कावरधा	22030
19.	रायसेन	सिलवानी बुरेली	16017
		गोहारगंज	9796
20.	रतलाम	रतलाम	18542
21.	रीवा	मागंज	7987
22.	सागर	रेहली	18758
23.	सत्ना	रघुराजनगर	13569
		नागोद	7051
		मेहर	8294
		अमरपट्टम	6393
24.	सिहोर	इच्छावर	
		नरसिंहगंज	19838
		बुदनी	
25.	सेओनी	सेओनी	42115
26.	साहडोल	बंधोगढ़	61132
		बेओहरी	16375
27.	शिवपुरी	शिवपुरी	5438
		पोहरी	6154

1	2	3	4
28.	सिधी	गोपदइनास	43627
		सिंगरोली	13086
		देओवर	91862
29.	धार	बदनावर	17617
	कुल जोड़	पाकेट	1072920

बिहार में यूरेनियम के भंडार

3543. श्री कुंवर राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उपलब्ध यूरेनियम के भण्डारों का दोहन किया गया है;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व वहां से यूरेनियम की चोरीं होने की खबरों के बाद किये गये सुरक्षा उपाय प्रभावी पाए गये हैं; और

(ग) क्या बिहार में उपलब्ध यूरेनियम को परिशोधन के पश्चात् आणविक बिजलीघरों में प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) बिहार में उपलब्ध यूरेनियम के भंडारों का चरणबद्ध तरीके से दोहन किया जा रहा है।

(ख) यद्यपि पिछले कुछ समय में जादुगुडा में यूरेनियम की चोरी से संबंधित कई समाचार, समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, अब तक कोई मामला प्रमाणित नहीं हुआ है। जादुगुडा स्थित यूरेनियम की खान और मिल में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिक द्वारा सुरक्षा के कड़े उपाय काम में लाये जाते हैं।

(ग) बिहार में उपलब्ध यूरेनियम को आवश्यक संसाधन के बाद परमाणु बिजलीघरों में ईंधन बनाने के लिए काम में लाया जा रहा है।

"प्राकृतिक गैस के उपयोग के कारण पर्यावरण सम्बन्धी समस्या"

3544. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संयंत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग से पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उर्वरक उत्पादन के लिए उपलब्ध सभी फीड-स्टाक में से प्राकृतिक गैस के प्रयोग से न्यूनतम पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

(ख) गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय समाविष्ट प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

सेना अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु

3545. श्री हरिहर सोरन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष सूची अधिकारी संवर्ग के सेना अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को युक्तियुक्त बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की क्या आयु निर्धारित की गई है; और

(ग) ऐसा निर्णय किस तारीख से लागू होगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा निवृत्ति की आयु निम्न प्रकार से निर्धारित कर दी गई है :—

कर्नल और कर्नल रैंक तक	—	55 वर्ष
ब्रिगेडियर	—	56 वर्ष
मेजर जनरल	—	57 वर्ष
लेफ्टिनेन्ट जनरल	—	58 वर्ष

(ग) ये आदेश 4-10-85 से लागू हैं।

खाड़ी के देशों की जेलों में भारतीय राष्ट्रिक

3546. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के विभिन्न देशों में भारतीय राष्ट्रिकता के कितने बंदियों के जेलों में होने के समाचार हैं;

(ख) क्या सरकार ने कभी ऐसे लोगों को बन्दी बनाये जाने से सम्बन्धित मामलों में हस्तक्षेप किया है; और

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) खाड़ी के देशों की सरकारें तो अपने यहां गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के संबंध में सूचना नहीं देतीं लेकिन खाड़ी के देशों में स्थित हमारे मिशनों ने जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों के जो आंकड़े दिए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) कातार 41 (2) कुवैत 155

(3) सऊदी अरब 235 (4) इराक 22

(5) यमन अरब गणराज्य। (6) ईरान 160

(ख) और (ग) दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना यद्यपि भारत सरकार की नीति है फिर भी खाड़ी के देशों में स्थित हमारे मिशन स्थानीय प्राधिकारियों से और भारतीय समुदाय से नियमित संपर्क बनाए हुये हैं ताकि भारतीय राष्ट्रिकों के हितों की रक्षा की जा सके और जब कभी अपेक्षित हो नजरबंद भारतीय राष्ट्रिकों को कोंसली सुविधाएं दी जा सकें।

"प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की खरीद के लिए उद्योगों को राज सहायता"

3547. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की प्रदूषण फैलाने वाले लघु और मध्यम पैमाने के उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण और डिटेक्शन उपकरणों की खरीद के लिए राजसहायता देकर उनकी सहायता करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों को छात्रवृत्ति

3548. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों के लिए छात्र वृत्ति तथा बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित छात्रवृत्ति कितने कैडेटों को मिलने की आशा है; और

(ग) नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों के लिए प्रस्तावित छात्रवृत्ति तथा बीमा का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के शैक्षणिक रूप से कुशाग्र कैडेटों को रेजिमेंटल फंड से वित्तीय सहायता देने की एक योजना बनाई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकलापों में भाग लेते हुए मरने वाले या स्थायी रूप से निशक्त होने वाले कैडेटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेट कल्याणकारी सोसाइटी गठित की गई है।

(ख) और (ग) जूनियर डिवीजन के लिए प्रतिवर्ष 500-500 रु० की 50 छात्रवृत्तियों और सीनियर डिवीजन के लिए प्रतिवर्ष 1000-1000 रु० की 50 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

मृत्यु होने या स्थायी रूप से निशक्ति होने की स्थिति में मुआवजे की मात्रा 20,000 रु० है और निशक्तता की मात्रा के आधार पर कम होती जाती है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित खाद्य परिरक्षण पद्धति

3549. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर 1985 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने देश में खाद्य उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक बेहतर खाद्य परिरक्षण प्रक्रियाओं तथा एक उन्नत फसलोत्तर प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने उन प्रक्रियाओं की जांच की है और उनके अनुसार उनमें से कितनी का उनके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के यूनिटों में प्रयोग की जा सकती है; और

(ग) खाद्य क्षेत्र के लिए किये गये इन अनुसंधानों में से प्रत्येक के बारे में उनके मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई०आर०) के अंतर्गत अनुसंधान संस्थान ने खाद्य संरक्षण और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी के लिए लगभग 250 तकनीकें और प्रक्रम विकसित किये हैं।

(ख) और (ग) खाद्य संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई०आर०) संस्थानों द्वारा विकसित की गई 50 प्रतिशत से अधिक तकनीकों और प्रक्रमों का उपयोग निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के एककों द्वारा किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिक कार्यक्रमों की योजना, रूपरेखा, बजट बनाने एवं कार्यान्वियन और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों वैज्ञानिकी तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आइ०आर०) तथा खाद्य विभाग से संबंधित विश्वविद्यालयों की परियोजनाओं, की जांच करने के लिए खाद्य विभाग ने एक स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति की स्थापना की है। यह समिति अपने तकनीकी आर्थिक साध्यताओं और कार्यान्वियन के सी० एस०आई०आर० सहित विकसित की गई स्वदेशी तकनीकों और प्रक्रमों की जांच करेगी।

पांडिचेरी राज्य संघ क्षेत्र को दिये गये केन्द्रीय अनुदानों का इस्तेमाल

3550. **श्री पी० वण्मुख** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को अप्रैल, 1982 से अप्रैल, 1985 तक वर्षवार कितने केन्द्रीय अनुदान दिये गये;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इन अनुदानों का इस्तेमाल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) सूचना नीचे दी गई है :—

अनुदानों तथा ऋणों (योजना) सहित केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाखों में)

वर्ष	दी गई राशि	खर्च की गई राशि		कम खर्च के कारण, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1982-83	1938.54	1921.74	16.80	(पदों के सृजन का विलम्बन तथा डी० जी० एस० एण्ड डी० बिलों का प्राप्त न होना)

1	2	3	4	5
1983-84	2220.87	2094.11	126.76	(योजना व्यय में 5% कटौती तथा शेष 111.05 लाख रुपए डी० जी०एस० एंड डी० बिलों/पदों को सृजित न करने के कारण)
1984-85	3000.00	2979.90	20.10	लाख (पदों का सृजन न किया जाना तथा डी० जी० एस० एण्ड डी० बिलों का प्राप्त न होना)
अनुदानों तथा ऋणों (गैर योजना) सहित केन्द्रीय सहायता				
1982-83	648.87	648.87	शून्य	
1983-84	983.43	983.43	शून्य	
1984-85	941.46	941.46	शून्य	

खाड़ी देशों के साथ प्रत्यावर्तन समझौता

3551. श्री तम्पन थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीय श्रमिकों के देश प्रत्यावर्तन के संबंध में उन देशों के साथ कोई समझौता किया है और क्या उनके विरुद्ध भारतीय न्यायालयों में अपराधिक मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं, लेकिन हर मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश नक्सलवादी आन्दोलन पर नियंत्रण पाने के लिए आधुनिक उपकरणों की सप्लाई

3552. श्री एस० एम० भट्टम
श्री टी० बाल गौड़
} : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नक्सलवादी आन्दोलन पर नियंत्रण के लिए केन्द्र से स्टेनगन, वायरलैस किट तथा अन्य आधुनिक उपकरणों की पर्याप्त सप्लाई मांगी है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व बल की 4 बटालियनों की भी मांग की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

योजना आयोग के पास विचारार्थ पड़ी मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाएं

3553. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मध्यम सिंचाई योजनाओं के नाम और संख्या क्या है जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास विचारार्थ पड़ी हैं;

(ख) ये कब से विचारार्थ पड़ी हुई हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की दो मध्यम सिंचाई योजनाएं, गेज और महुआर, क्रमश: 3.9.84 और 24.9.84 से योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए विचारार्थ पड़ी हैं।

(ग) राज्य के वित्त और योजना विभागों की विशिष्ट सहमतियों के आ जाने पर, इन योजनाओं को स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है।

पाक परमाणु नीति पर भारतीय मत का समर्थन

3554. श्रीमती जयंती पटनायक
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने, विशेषकर उन पश्चिमी देशों से, जिनसे पाकिस्तान परमाणु प्रौद्योगिकी और साज-सामान प्राप्त कर रहा है इस्लामाबाद को परमाणु मार्ग पर बढ़ने से रोकने के

लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया है; और

(ख) पाक परमाणु नीति के संबंध में प्रधान मंत्री के विचारों का अब तक कितने देशों ने समर्थन किया है ?

विदेशी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) अनेक देशों ने सार्वजनिक या निजी तौर पर यह संकेत दिया है कि वे पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में चिन्तित हैं।

सर्वेलन्स राडार

3555. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश से सर्वेलन्स राडार प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भारतीय संगठन ने भी ऐसे राडार उपस्कर और प्रणालियों का विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय प्रणाली और उपस्कर का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में विकसित तथा उत्पादित राडारों को सेना में शामिल किया जा रहा है। अन्य राडारों, जिन्हें देश में विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है, को पूर्ण रूप से विकसित होते ही सेना में ले लिया जाएगा।

सातवीं योजना के दौरान पश्चिमी घाटों का विकास

3556. **श्री टी० बशीर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रस्ताव है;

(ख) उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि

में, पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास संबंधी प्रस्तावों में कृषि, बागवानी, भू-संरक्षण, पशु-पालन, डेरी विकास, वन, मछली-पालन, लघु सिंचाई, परिवहन, जल-पूर्ति, ग्राम उद्योग और रेशम कीट पालन जैसे क्षेत्रकों में विकास कार्यक्रम शामिल होंगे।

(ख) सातवीं योजना अवधि के लिए, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम द्वारा शामिल किए गए सम्पूर्ण क्षेत्र के निमित्त, 116.50 करोड़ रु० की कुल राशि की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय का स्कीम-वार आवंटन, संबंधित राज्यों द्वारा किए गए, प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

(ग) सातवीं योजना के लिए, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के वास्ते, विशेष केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार आवंटन निम्न प्रकार से है :—

	(करोड़ रु०)
महाराष्ट्र	38.10
कर्नाटक	28.20
तमिलनाडु	19.90
केरल	23.80
गोवा	6.00
सर्वेक्षण और अध्ययन पश्चिमी घाट सचिवालय	0.50
	116.50

मिशन अस्पताल, शिलांग के रेडियम नीडल गुम हो जाने की जांच

3557. श्री एस० एम० गुरड्डी
श्रीमती डी० के० भण्डारी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिशन अस्पताल, शिलांग से रेडियम नीडल के गुम हो जाने की भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे के विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके जांच परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शेष रेडियम नीडल्ज को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 17-6-85 को एक रोगी के शरीर में रेड़ियम नीडल्स, जिनमें रेडियम की कुल मात्रा 9.5 मिलीग्राम थी अधिरोपित की गई थी। 19-6-85 को अस्पताल के कर्मचारियों को यह पता चला कि रोगी के शरीर में नीडल्स नहीं हैं। जैसे ही भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को इस बारे में सूचित किया गया, इस मामले की जांच करने के लिए विशेषज्ञ भेज दिए गए। इस समय अस्पताल के स्टाक में 345 मिलीग्राम रेडियम है। विकिरण सुरक्षा की दृष्टि से संस्थान का और उसके आसपास का क्षेत्र सुरक्षित है।

(ग) और (घ) रेडियम का स्टाक यथावत है।

द्वारिका में समुद्र तट के समीप प्राचीन मंदिरों तथा नौकाओं का मिलना

3559. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्थान, गोआ के सागर पुरातत्व एकक ने द्वारिका में समुद्र तट के समीप प्राचीन मंदिरों तथा पोतों के अवशेषों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) द्वारिका में मिले प्राचीन मंदिरों आदि के अवशेषों के मिलने से भारत के प्राचीन इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) डा० एस० आर० राव, सेवा निवृत्त अधीक्षक पुरातत्वेता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने द्वारिका के समीप समुद्रतट में प्राचीन अवशेषों की खोज की सूचना दी है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने अनुपातिक सहायता प्रदान की थी।

(ख) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (एन०एस०ए०) अनुदान के अन्तर्गत एन०आई०ओ० द्वारा

प्रदान की गई अनुपातिक सहायता से डा० एस० आर० राव द्वारा वर्ष 1981 में अन्वेषण प्रारम्भ किये गये थे। बेट द्वारिका क्षेत्र में किये गये कार्य से पुरातत्वीय जानकारी का पता लगा है। ये हड़प्पा काल के बाद की बताई गई हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान द्वारिका के प्राचीन पोताश्रय के प्रवेश स्थान से दूर अपतटीय सर्वेक्षण आयोजित किये गये। एक दीवार जैसी समरेखण का पता लगा है। बहुत से पत्थरों के अन्तः ज्वारभाटा क्षेत्र में डूबने से दीवार पर कटाव बेंच की सूचना मिलती है। डा० राव ने समुद्र-तटीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर अन्वेषण हेतु एक तीन वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी०एस०टी०) को धन की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत किया गया है। डी०एस०टी० ने सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सी०एस०आई०आर० ने एन०आई०ओ० के माध्यम से अनुपातिक सहायता देने के लिए स्वीकृति दे दी है।

(ग) बेट द्वारिका क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य से इस क्षेत्र के डूबे होने का पता चला है। आगे अन्वेषण में एकत्र किए गए, बर्तनों पर पाए गए अक्षरों के पढ़ने पर यह पाया गया कि ये बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी (बी०सी०) के अरब-यहूदी अक्षरों के समान हैं।

———

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स उनके साथ हुए समझौते को लागू कराने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं ··(**व्यवधान**)···उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के छः हजार अध्यापक कल से हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, एक समझौता हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ दीजिये, उसके बाद मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने पहले ही दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही एक 377 की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : 377 से नहीं चलेगा। हम नीति निर्णय चाहते हैं।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और मैं क्या कर सकता हूं ? मुझे जानकारी प्राप्त करने दें और तब मैं बात करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मन्त्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि दिल्ली में उच्चतर शिक्षा की पढ़ाई बन्द हो गई है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष जी, कल कुछ आपका मूड खराब हो गया था। इसलिए···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरा कोई मूड खराब नहीं होता है।

श्री वी० तुलसीराम : श्री उन्नीकृष्णन जी के मामले में मेरा गरीब हरिजनों वाला मामला दब गया। इसमें आपकी मदद की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मूड-प्रूफ हूं···

(व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : कल कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि इतना बड़ा मामला भी दब गया। आप मिनिस्टर साहब से कहिए··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मूड-प्रूफ हूं।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : जो गरीब हरिजन मरे हैं··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अनुमति नहीं है। यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो हम बहुत करते हैं।

[अनुवाद]

हम कई बार सामान्य रूप से चर्चा करते हैं, अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह केन्द्रीय विषय है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, केन्द्रीय विषय नहीं है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

···(व्यवधान)

[हिन्दी]

करेंगे, देख लेंगे।

श्री वी० तुलसीराम : यदि आप एक बार मिनिस्टर साहब से कह दें···

(व्यवधान)···

आप कह दीजिए कि मैं कहूंगा बस···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : उनसे मैं कहूंगा,

(व्यवधान)

वह तो आप करेंगे। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा।

आप आइये, हम पूरी तरह आपके साथ हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक और एक ग्यारह होते हैं।

...(व्यवधान)...

हां, आप मिल जाइये व्यास जी, बुजुर्गों की आवश्यकता है।

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 41 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 667(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 12 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट श्रेणी अथवा विवरण के आयुधों को प्रशिक्षण अथवा प्रतियोगिताओं में उपयोग के प्रयोजनार्थ अपने वैयक्तिक उपयोग के लिए अपने कब्जे में रखकर साथ ले जाने के मामले में अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (2) तथा धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1582/85]

नौसैनिक औपचारिक सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1985

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसैनिक औपचारिक सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) [नैवल सैरीमोनियल कंडीशन्स आफ सर्विस एण्ड मिसलेनियस (अमेंडमेंट)] विनियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 31 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 155 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० - 1583/85]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

[श्री जनार्दन पुजारी]

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०का०नि० 873(अ) और 874(अ) जो 2 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अंकीय, अनुरूप डीजीआना तथा वैसी ही मिली-जुली प्रकार की इलैक्ट्रानिकी की कलाई घड़ियों के संघटक कल-पुर्जों को (जिनमें अर्ध असंयोजित हालत में पैक और पूर्ण असंयोजित हालत में पैक भी सम्मिलित हैं), उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक के मूल सीमा-शुल्क तथा सम्पूर्ण उपसंगी और अतिरिक्त सीमाशुल्क से उस स्थिति में छूट देने के बारे में है जब उनका आयात भारत में इलेक्ट्रानिकी मोड्यूलों के निर्माण के लिए किया जाये।

(दो) सा०का०नि० 875(अ), जो 2 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 163/85-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 215/83-सी०शु० को लोप किया जा सके जिसे इस बीच 2 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 345/85-सी०शु० द्वारा अधिक्रान्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1584/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 880(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 3 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाले और मैसर्स नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विनिर्मित और उनके द्वारा रक्षा मन्त्रालय को शासकीय प्रयोग के लिए सप्लाई किये गये सभी माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1585/85]

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1586/85]

पुलिस थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, के अधिकार क्षेत्र में 11 अक्तूबर, 1982 को हुई कतिपय दंगों का घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही का ज्ञापन

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं श्री पी० ए० संगमा की ओर से जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पुलिस थाना, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, के अधिकार क्षेत्र में 11 अक्तूबर, 1982 को हुई, कतिपय दंगों की घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग का प्रतिवेदन,

(2) उक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० —1587-85]

सेंटर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टैक्नालोजी, श्रीनगर के वर्ष 1984-85 आदि तथा सेमिकन्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा के बारे में विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सेंटर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टैक्नालोजी, श्रीनगर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टैक्नालोजी, श्रीनगर, के वर्ष

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—1588/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेमिकन्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सेमिकन्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1589/85]

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1984-85 तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षाएं

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०—1590/85]

(2) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रति-

वेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1591/85]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1592/85]

12.03 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1985 को अपनी बैठक में पारित अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1985

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय राज्य सभा द्वारा यथापारित अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 1985 को मैं सभा पटल पर रखता हूं।

12.04 म० प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति देने के बारे में जिसकी सिफारिश 6 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गई है, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई :—

(1) श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार—7 अगस्त से 29 अगस्त, 1985 (तीसरा सत्र) और 18 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(2) श्री चनैया ओडेयार—23 जुलाई से 9 अगस्त, 1985 (तीसरा सत्र)।

(3) श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले—7 अगस्त से 26 अगस्त, 1985 (तीसरा सत्र)।

(4) श्री सलीम आई शेरवानी—18 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(5) श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य—23 जुलाई से 29 अगस्त, 1985 (तीसरा सत्र) और 18 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(6) श्री मानिक सान्याल—18 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(7) श्री के० राममूर्ति—3 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(8) श्री छोटूभाई गामित—25 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

(9) श्री चरण सिंह—29 नवम्बर से 20 दिसम्बर, 1985 (चौथा सत्र)।

क्या सभा यह चाहती है कि समिति द्वारा सिफारिश की गई छुट्टियां प्रदान की जाएं।

माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : छुट्टी प्रदान की गई। तदानुसार सदस्यों को सूचित सूचित कर दिया जाएगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

9वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 5 दिसम्बर, 1985 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.05 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) बैंकों को बैंक ड्राफ्ट, बिलों, चैकों, और अन्य सेवाओं पर सेवा प्रभार न बढ़ाने के निदेश देने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, समाचार-पत्रों के अनुसार देश भर के

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ड्राफ्ट, बिल, चैक आदि जारी करने पर अपने सेवा प्रभार में अत्यधिक वृद्धि कर दी है।

देश में आम जनता, विशेष रूप में निम्न एवं मध्यम श्रेणी परिवारों तथा व्यापारिक उद्यमों पर बैंक द्वारा कमीशन की दर बढ़ाये जाने का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

महाराष्ट्र के संघों के महा संघ तथा भाग-विदर्भ वाणिज्य मण्डल ने भी केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा बैंकों द्वारा सेवा प्रभार बढ़ाये जाने की पुनरीक्षा करें। देश भर में इस सेवा प्रभार में बैंकों द्वारा वृद्धि की जाने से व्यापारियों, निम्न एवं मध्यम-वर्गीय परिवारों में काफी असन्तोष है।

सरकार को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए तथा सभी बैंकों को इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए नाममात्र का प्रभार वसूल करने का निदेश तुरन्त देना चाहिये।

(दो) अधिक क्रय केन्द्र खोलकर, भारतीय पटसन निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में मेस्टा फसल खरीदे जाने की आवश्यकता

श्री एस०एम० भट्टम (विशाखापट्टनम) : मेस्टा फसल मुख्यत: आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम विजयानगरम् तथा विजाग जिले में केवल वर्षा के पानी द्वारा सिंचाई से छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा बोई जाती है। पटसन व्यापार के दामों में विभिन्न मंडियों में जैसे कि बिहार तथा कलकत्ता में काफी गिरावट हुई है इसके फलस्वरूप उपरोक्त जिलों में पटसन की कीमत 170 से 180 रुपये प्रति क्विंटल है जो कि 1984-85 में 429 रुपये प्रति क्विंटल से 795 रुपये तक थी।

इन जिलों में 1985-86 में एक लाख हेक्टेयर भूमि पर मेस्टा फसल बोये जाने का अनुमान है, और एक पूर्वानुमान के अनुसार इसका उत्पादन 1984-85 में 5.5 लाख गांठों से बढ़कर 1985-86 में दस लाख गांठें हो जायेगा। परन्तु भारतीय पटसन निगम ने सिर्फ 13,000 गांठें ही खरीदी हैं जबकि 1985-86 में इसका लक्ष्य एक लाख गांठें खरीदने का था। भारतीय पटसन निगम तो 181 रुपये से 186 रु० तक प्रति क्विंटल की ही कीमत देता है, जबकि निजी व्यापारी सिर्फ 170 रुपये प्रति क्विंटल देता है। भारतीय पटसन निगम ने अभी तक सिर्फ 11 खरीद केन्द्र ही खोले हैं। भारतीय कपास निगम को आन्ध्र प्रदेश में और अधिक केन्द्र खोलकर कम से कम 75 प्रतिशत उत्पाद तो खरीदना ही चाहिए, मेस्टा को ज्यादा जमीन पर बोए जाने की बात को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कपास निगम को इसके लिए प्रोसेसिंग सुविधा जुटाने पर विचार करना चाहिये।

(तीन) आम आदमी को आवास उपलब्ध कराने के लिए नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं निम्नलिखित मामले पर शहरी विकास तथा आवास मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम वर्ष 1976 में संसद में लाया गया था और पारित किया गया था ताकि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करके अथवा नगरीय भूमि अधिनियम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मकानों के निर्माण कार्य को विनियमित करके आम लोगों को अत्यधिक युक्तियुक्त कीमतों पर आवास सुविधा सुलभ कराई जा सके।

लगभग गत नौ वर्षों से इसके बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हुए हैं। भूमि तथा मकानों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं और नगरीय क्षेत्रों में मकानों की बहुत ही कमी पैदा हो गई है। इससे बहुत-सी समस्याएं खड़ी हो गई हैं जिनमें महानगरों में गन्दी बस्तियां बनने की समस्या भी है।

मैं शहरी विकास तथा आवास मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 में उचित संशोधन करें ताकि आम आदमी की आवास की समस्याएं सुलझाई जा सकें और मकानों के मूल्य नीचे लाए जा सकें।

12.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(चार) रसायनों पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में सुरक्षोपाय न अपनाने के दोषी निर्माताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्राधिकारियों को अधिकार देने हेतु व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : भोपाल, बम्बई तथा दिल्ली जैसे शहरों में गैस रिसाव के कारण जो बार-बार अनेक भयंकर दुर्घटनाएं हुई हैं उससे इन शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन तथा स्वास्थ्य को बहुत खतरा हो गया है। 3 दिसम्बर, 1984 को अत्यन्त विषैले गैस जिसमें मुख्यतः मिथाइल आइसोसाइनेट का शक्तिशाली मिश्रण था, भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कार-खाने की एक "रनअवे" रसायनिक प्रतिक्रिया के दबाव से बाहर निकल आई जिससे कम से कम 2500 लोग मारे गए और एक लाख लोग विभिन्न प्रकार की शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हो गए। चेम्बूर, बम्बई, स्थित इलेक लिमिटेड के भण्डारण टैंक से क्लोरीन गैस का रिसाव 30 अगस्त 1985 को हुआ जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 120 से अधिक व्यक्ति घायल हुए, दिल्ली में 4 दिसम्बर, 1985 को श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर उपकरण के एक भण्डारण टैंक से ओलियम गैस का भारी रिसाव

[श्री शरद दिघे]

होने के कारण राजधानी में काफी भगदड़ मच गई और लोगों को गला खराब होने, सांस लेने में कठिनाई होने और भयंकर खांसी होने की शिकायत पैदा हो गई और कम से कम एक व्यक्ति मर गया। इस और ऐसी अन्य दुर्घटनाओं ने एक व्यापक कानून बनाने की अविलम्ब आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है ताकि उन प्रबन्धकों के विरुद्ध जो अपने संयंत्रों में बचाव उपायों का पालन नहीं करते हैं कारगर कार्यवाही करने के लिए प्रवर्तन प्राधिकारियों को शक्ति मिल सके। मैं श्रम तथा उद्योग मंत्रालयों से आग्रह करता हूं कि वे अतिशीघ्र इस प्रकार का कानून बनाएं।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार के दरभंगा जिले में रसियाड़ी गांव के निकट कमला बलान नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के दरभंगा जिले के अन्तर्गत कई ऐसी नदियां हैं जिनके बाढ़ के समय में पानी से भर जाने पर आवागमन 6 माह तक अवरुद्ध हो जाता है जैसे रसियाड़ी गांव के निकट कमला बलान नदी में पुल नहीं होने के कारण एक पार से दूसरे पार जाने के लिए विशेषत: सवारी गाड़ियों के लिए 60-70 किलो मीटर तय कर उस पार जाना पड़ता है। मुख्यालय से इनका सम्बन्ध टूट जाता है। अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि कमला बलान नदी पर सड़क पुल का निर्माण कराया जाये जिससे हजारों गांव लाभान्वित होंगे।

[अनुवाद]

(छह) विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केरल के लेवी सीमेंट के कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री के० कुन्जम्बु (अडूर): केरल के लिए सीमेंट का आबंटन बहुत ही अपर्याप्त है। इस से बहुत सी परियोजनाओं पर काम मन्द पड़ गया है विशेषकर विश्व बैंक परियोजनाओं और उन परियोजनाओं पर जो विदेशी सहायता से चल रही हैं। इस बात का अनुमान है कि इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए सीमेंट की वार्षिक आवश्यकता 20 हजार टन है। इस समय केरल सरकार द्वारा 6 हजार टन लेवी सीमेंट की व्यवस्था है। ऐसा केन्द्र द्वारा सीमेंट के कम आबंटन के कारण है। वर्ष 1985 के दौरान कुल 22,870 टन की मांग की गई थी जबकि कुल 5900 टन की व्यवस्था की गई। यह बहुत ही अपर्याप्त है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि केरल के लिए लेवी सीमेंट का कोटा बढ़ा दें और राज्य में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए 2 हजार टन का विशेष कोटा जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुलन्दईवेलू।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोविचेट्टियालयम) : मैं इस मामले पर अधिक बल नहीं देना चाहता हूं क्योंकि हड़ताल तो पहले ही समाप्त हो चुकी है और मन्त्रालय ने पहले ही मामले को सुलझा दिया है। मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना अनुरोध वापस लेता हूं।

(सात) दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कालिजों के अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच विवाद को शीघ्र हल करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कालिजों के 6 हजार अध्यापकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अधिकारियों द्वारा पदोन्नति और अन्य लाभकारी योजनाओं के विषय में जनवरी 1983 के समझौते को क्रियान्वित न करने के विरुद्ध अनिश्चित हड़ताल आरम्भ की है।

जनवरी 1983 के समझौते में कोटा मुक्त पदोन्नति योजना की व्यवस्था की गई थी। तत्पश्चात् यह योजना विश्वविद्यालय के अध्यादेश ग्यारह तथा बारह में शामिल की गई। यह योजना उस समय तक लागू की जाती रही जब तक कि यू० जी० सी० ने अप्रैल, 1985 में उसे अचानक बन्द कर दिया। अप्रैल 1985 से किसी की भी पदोन्नति नहीं हुई है। विश्वविद्यालय के अधिकारी इन अध्यादेशों को लागू न करके विश्वविद्यालय के स्वायतत्ता को नष्ट कर रहे हैं।

जनवरी 1983 में यह व्यवस्था की गई थी कि कालिजों में उन्नति अवरोध दूर करने और अध्यापकों को चयन वेतनमान देने और प्रोफेसर ग्रेड शुरू करने के प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा यू०जी०सी० और मन्त्रालय को क्रियान्वित के लिए भेजे जाने चाहिए। ये प्रस्ताव एकेडेमिक काउंसिल तथा एक्जीक्यूटिव काउन्सिल द्वारा अपनाए गए और वर्ष 1983 में यू० जी० सी० को भेजे गए। यू०जी०सी० ने उन्हें मंत्रालय में भेज दिया और उस दिन से वे वहीं पड़े हुए हैं। लगभग 500 अध्यापकों को वेतन-वृद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, और कहीं-कहीं तो यह 6 वर्ष से बन्द है।

जनवरी 1983 समझौते में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए 3 करोड़ रुपये की और कालिज कर्मचारियों के लिए 6 करोड़ रुपये की आवास योजनाओं की व्यवस्था की गई थी। 1984 में मन्त्रालय ने सैद्धान्तिक रूप में 20 करोड़ रुपये की एक और योजना की स्वीकृति दी थी। इन सभी प्रस्तावों में मन्त्रालय की वित्तीय मंजूरी की जरूरत है जब कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकतर अध्यापकों को कोई आवास सुविधा प्राप्त नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यावसायिक कालिज अभी अध्यादेश बारह की परिधि से बाहर हैं। जनवरी 1983 समझौते की पदोन्नति योजना दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए थी। फिर भी, व्यावसायिक कालिजों के अध्यापकों को पदोन्नति की इस योजना से बाहर रखा गया है।

[श्री वसुदेव आचार्य]

विश्वविद्यालय के अधिकारी न केवल लोकतन्त्रीकरण सम्बन्धी कार्यकारी दल की अन्तरिम रिपोर्ट को लागू करने में असफल हुए हैं बल्कि कार्यकारी दल को भी शीतग्रह में डाल दिया है और एकेडेमिक काउन्सिल तथा एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में निर्वाचित अध्यापक-प्रतिनिधियों के दो बार चुने जाने पर रोक लगाकर इन सीमित लोकतंत्रीय अधिकारों का हनन किया है।

हड़ताल के परिणामस्वरूप डेढ़ लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ा है। मैं सरकार से शीघ्रता से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और इस विवाद के उचित हल के लिए अनुरोध करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : हड़ताल पर जाकर वे बहुत बुरी प्रथा स्थापित कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : समझौते को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यापकों को हड़ताल करने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री जी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बाद में इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

(आठ) राजस्था के बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लोगों को पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त में करीब 22 हजार ग्रामों को पीने के पानी के संकट के कारण समस्या-प्रद घोषित किया गया था। काफी ग्रामों में पीने के पानी की समस्या का हल हुआ परन्तु थार रेगिस्तान क्षेत्र में जहां हजारों ग्राम ढाणियों में 25 वर्ग किलो मीटर से 250 कि० मी० तक फैले हुए हैं और जहां पीने के पानी के या तो बिल्कुल कोई स्रोत नहीं है या बहुत कम पानी है, या बिल्कुल खारा पानी है या जहां नलकूप हैं जो कुछ ग्रामों को पीने के पानी की माकूल व्यवस्था कर सकते हैं, पीने के पानी का स्थाई हल राजस्थान नहर यानी इन्दिरा गांधी नहर से ही हो सकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में चुरू जिले के या जोधपुर शहर और कुछ गांवों को लिफ्ट कैनाल से पानी पहुंचाने की योजना को सम्मिलित किया है।

लीलवा ब्रांच यानि सागर मल गोपा ब्रांच को जो मोहनगढ़ से रामगढ़ होती हुई गढ़त रोड

फ्लो कैनाल, पोकरण एवं बाडमेर लिफ्ट कैनाल को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उपरोक्त फ्लो एवं लिफ्ट कैनाल के क्षेत्र जो थार रेगिस्तान में आते हैं सबसे अधिक पानी के संकट से प्रभावित हैं।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि लीलवा ब्रांच यानी सागर मल गोपा ब्रांच, पोकरण लिफ्ट कैनाल एवं बाडमेर लिफ्ट कैनाल को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करके सिंचाई, वन विकास एवं पीने के पानी के कार्यक्रम को हाथ में लेकर बाड़मेर जैसलमेर जिले एवं जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के ग्रामों को जो युक्त योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं सबसे प्रथम पीने का पानी पहुंचाकर उस समस्या का स्थाई हलकर जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करे।

———

12.18 म० प०

"शिक्षा की चुनौती—नीति परिप्रेक्ष्य" के बारे में प्रस्ताव (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द गजपति राजू। आपके पक्ष से दो व्यक्ति इस चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य दिया गया है वह हर्ष की बात है। 1968 के बाद पहली बार शिक्षा के परिप्रेक्षय के सम्बन्ध में एक दस्तावेज तैयार किया गया है। आज हर्ष की एक अन्य बात यह है कि मानव संसाधन विकास विभाग बनाया गया है यह इस विचारधारा के अनुरूप है कि किसी भी विकास प्रक्रिया का केन्द्रबिन्दु मानव संसाधन हैं। जब तक विकास का मानवीय तत्व पर्याप्त न हो, जब तक शिक्षा अर्थपूर्ण नहीं बनती तब तक कोई भी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हो सकता है या हमारी प्रक्रिया सांस्कृतिक दिशा में आगे बढ़ सकती है।

अत: मेरा कहना अब यह है कि हम सभी यह मानते हैं कि शिक्षा नीति में एक सार्थक परिवर्तन होना चाहिए। किंतु इससे अधिक महत्व की बात यह है कि इसे और सुधारा जाये क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। शिक्षा सुधार एक बृहद्ध प्रश्न है, किंतु हमें इसे यथा सम्भव तथा यथा आवश्यक सीमा तक वांछित दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए।

आज जन शक्ति आयोजना तथा व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। हम व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में जा रहे हैं। हम जन शक्ति आयोजना के लिए कुछ करने का प्रयास

[श्री आनन्द गजपति राजू]

कर रहे हैं। ये बहुत तकनीकी मामले हैं और मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इन तत्वों की ओर ध्यान दें ताकि शिक्षा के व्यवसायिकीकरण तथा जन शक्ति आयोजना को उचित महत्व मिल सके।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है और यदि इसके लिए राज सहायता देनी पड़ेगी जैसा कि आजकल हो रहा है, तो इसे सचमुच सामाजिक प्रक्रिया में ढालना पड़ेगा और अधिक नये अर्थ देने होंगे।

सामान्यतः लोग शिक्षा के विभिन्न भागों के विषय में बात करते हैं, किन्तु मैं माननीय मन्त्री तथा इस भव्य सदन का ध्यान इस विशेष तत्व की ओर दिलाना चाहता हूं, कि क्या हमें वह शिक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए जो सर्वव्यापी भी हो और साथ ही जिसे राजसहायता देकर उपलब्ध कराया जाए, अथवा क्या हम ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाएं जो महंगी और चयनात्मक है ?

किन क्षेत्रों में लागत अधिक होनी चाहिए। किन क्षेत्रों में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए; और किन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ? मैं महसूस करता हूं कि गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही रूपों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर तथा उस स्तर पर जहां किसी को कामचलाऊ साक्षर बनाया जाता है, राजसहायता दी जानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कामचलाऊ रूप से साक्षर होता है, केवल तभी समाज विभिन्न कार्यक्रमों में आगे बढ़ सकता है। इसलिए, इसका उच्च लागत पहलू विशेषज्ञता के क्षेत्रों हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसमें उसमें सम्मिलित किये जाने वाले लोगों की संख्या के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण होता है। और जब आप पंजीयन सम्बन्धी आंकड़ों का अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे उनकी संख्या 1950-51 से 1982-83 तक 4.5 प्रतिशत की बहुत ही कम मात्रा में बढ़ी है। यह आंकड़े बहुत ही कम हैं और बीच में अध्ययन छोड़ने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक है जो 61.4 प्रतिशत है। इसलिए निरन्तर स्तर की शिक्षा के लिए अधिक इमारतें बनाने तथा अधिक सुविधाएं दिए जाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यदि हम उन अधिकांश व्यक्तियों को जो दुर्भाग्यशाली हैं तथा शिक्षा ग्रहण करने की सामाजिक अनिवार्यता को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, यदि साक्षर बन सकें तो देश में निश्चित रूप से क्रियात्मक साक्षरता बढ़ेगी। और तत्पश्चात् ही ऐसे व्यक्ति इस समय चल रही योजना प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम हो सकेंगे। हम सातवीं योजना की तैयारी में हैं। जब तक हम इन लोगों को इस मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक हम कार्य नहीं कर सकते हैं। योजना और उद्देश्य कागज पर और कुछ विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही रहेंगे। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बल देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि निरक्षरता के साथ देश का विकास सम्भव नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ देश का विकास सम्भव नहीं है,

जो बच्चे माता-पिता के आर्थिक लाभ का साधन, जो इस प्रकार की भेड़ हैं जिन्हें जब चाहा मूड़ लिया और बाजार में बेच दिया। उन्हें भी और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत साक्षर बनाना होगा। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि उन दिनों लार्ड कर्जन जो बहुत ही योग्य वायसराय थे। वह एक सक्षम, प्रभावशाली और सक्रिय व्यक्ति थे। यह इस प्रकार के रेल इंजिन के समान है जिसके सभी पुर्जों को ढंग से संयोजित किया गया हो, उनमें गति हो किन्तु उसे यह न पता हो कि उसे किधर जाना। इसलिए यदि दिशा ज्ञान न होगा तो कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के विकास के लिए आंध्र प्रदेश ने बहुत सारे संसाधन जुटाए हैं। वास्तविकता यह है कि चालू योजना के अन्तर्गत हमने 2 या 3 वर्ष पहले हमने 41 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए थे। राज्य सरकार महत्वपूर्ण विकास कर रही है। फिर भी चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को शिक्षा के लिए अधिक मात्रा में धनराशि आवंटित करनी चाहिए। ऐसे करने से कुशलता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि ग्रामीण जनसमूह मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। इसके पश्चात् जाति और साम्प्रदायिकता टकराव को समाप्त करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसके कारण इस देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इस मतभेद का कारण यह है कि लोग सुशिक्षित नहीं हैं। यदि वे शिक्षित हो जाएं, तो समाज और सम्प्रदाय के प्रति उनका रवैया सर्वथा बदल जाएगा।

मैं माननीय मन्त्री महोदय के इस दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं जिसके बारे में मुझे आज ही समाचारपत्र में प्रातःकाल पढ़ने का अवसर मिला कि वह व्यक्तित्व का सर्वतोन्मुखी विकास चाहते हैं। अतः हम उनके इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि व्यक्तित्व का सर्वतोन्मुखी विकास होना चाहिए। किन्तु इसके साथ ही, यह व्यक्तित्व, जो समाज का ही अंश है सामाजिक परिमाप में ही विकसित होता है। इसलिए दिशा ज्ञान और सामाजिक परिमाप से ही ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो हमारी आज की योजना प्रक्रिया के अनुरूप होगी।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें आत्मसंतोष और इस प्रकार की दुर्दशा के बारे में सावधान रहना चाहिए, यदि हम आत्मसंतोषी हो जाएंगे तो हम संसाधन नहीं बढ़ा सकेंगे, यदि हम अपेक्षित विकास की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो हम केवल ऐसा दस्तावेज ही तैयार करते रहेंगे जो संग्रहालय में रखे जाएंगे और भावी पीढ़ियां इन्हें पढ़ती रहेंगी। इसलिए, मुझे आशा है कि शिक्षा नीति को नई दिशा देने के लिए तथा उसके नये परिमाप निर्धारित करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह लोकोक्ति सुप्रसिद्ध है कि ज्ञान ही शक्ति है। प्रायः यह समझा जाता है कि शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है। किन्तु क्या शिक्षा का मुख्य प्रयोजन ज्ञानवर्धन ही है ? इस गम्भीर विषय पर सर्वत्र विचार-विमर्श किया गया है और अब यह बात स्वीकार ली गई है कि शिक्षा का प्रयोजन ज्ञानार्जन से कहीं अधिक है, शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सभ्यता को संचारित करने की प्रक्रिया है। सभ्यता संचारित करने के लिए शिक्षा को दो मुख्य कार्य सम्पन्न करने होते हैं— यह बुद्धि का विकास करती है तथा यह व्यक्ति के चरित्र को विकसित करती है। आज राष्ट्र को

[श्री ए० चार्ल्स]

प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी से अधिक नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जिसका आधार साहस, बौद्धिक अखंडता और मानदंड को समझने की क्षमता है।

यह संतोष की बात है कि अपने वक्तव्य में माननीय मन्त्री महोदय ने यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त की है कि हमारा उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है जिसके परिणाम-स्वरूप अन्तोगत्वा समुदाय और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा।

वास्तव उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के लिए योजना बनाना आवश्यक है। हमारे जैसे विशाल देश में जहां के अधिकांश लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं, ये आदर्श तब तक पूरे नहीं हो सकते हैं जब तक कि योजना बनाते समय समाज के निर्धनतम और सबसे कमजोर वर्ग के परिवारों की स्थानीय दशा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख कमी यह है कि यह धनी और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को ही सुलभ हो पाती है। इसलिए मेरा सर्वप्रथम प्रस्ताव यह है कि सरकार की शिक्षा नीति को कार्यान्वित करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय संसाधनों के विकास के लिए कदम उठाए जाएं। जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि लिखित में कार्यान्वयन पर कोई जोर नहीं दिया गया है। एक तो इस बात नीति में उल्लिखित किया जाय और दूसरा इसका कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। पत्र में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आने वाली विभिन्न बाधाओं का उल्लेख किया गया है। अपनी शिक्षा नीति को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में आज सबसे अधिक बड़ी बाधा धन की है। वास्तव में यह दुःख की बात है कि राष्ट्रीय आय का कुल तीन प्रतिशत भाग शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है, जो बहुत ही कम है। इसमें से भी, 80 प्रतिशत राशि वेतन पर व्यय की जाती है। वास्तविकता यह है। बच्चों के चरित्र के विकास की वास्तविक स्थिति क्या है? आज जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, व्यवहारिक रूप से वे नगण्य हैं। जैसा कि पत्र में सुझाव दिया गया है, केन्द्र को नियतन राशि बढ़ा देनी चाहिए। मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि परिच्छेद चार के पैरा 50 और 59 में जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और यह कि कार्यान्वयन पर ही और अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

वैधिक बाधाएं भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती विषय है। इसलिए, अधिकांश मामलों में राज्य स्वतः ही कार्यवाही कर सकते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि नीति संबंधी प्रमुख मामलों में केन्द्र को उनकी स्वतन्त्र शक्ति पर अंकुश लगाना चाहिए।

त्रिभाषा सूत्र के बारे में एक प्रस्ताव है; किन्तु इसके कार्यान्वयन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

अनेक राज्यों में प्राथमिक अवस्था में भी अंग्रेजी पढ़ाने पर अनावश्यक महत्व दिया जाता है।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए भीड़ लगी हुई है और 2 से तीन वर्ष से छोटी उम्र के अबोध बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है, इसलिए अपने शैशव काल में भी उन्हें अपनी मातृ भाषा पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए त्रि-भाषा सूत्र को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए, इसके बारे में केन्द्र से कुछ निदेश जारी किए जाने चाहिये। परसों ही तमिल नाडु के एक माननीय सदस्य ने बहुत ही जोरदार शब्दों में कहा था कि वे लोग द्वि-भाषी सूत्र के पक्ष में हैं और उत्तरी राज्यों में द्वि-भाषी सूत्र ही अपनाया जा रहा है। इसलिए, इस बात का निर्णय लेने के सम्बन्ध में एक रूपता होनी चाहिए कि किस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वियन किया जाये। यह एक गंभीर समस्या है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

एक और मुद्दा यह है कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिये एक आचार संहिता होनी चाहिये आजकल शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णत: अनुशासन हीनता व्याप्त हैं और धनाभाव में संस्थान स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाये रखने में असमर्थ है। शैक्षिक संस्थानों यथा स्कूलों और कालेजों को राजनीति से पृथक रखने की चेष्टा की जानी चाहिए।

एन०सी० सी०के बारे में भी एक मुद्दा है। एन० सी० सी० की आज जो स्थिति है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज इसका कोई स्थान नहीं समझा जाता है। एन० सी० सी० का प्रशिक्षण दिये जाने के बाद उस व्यक्ति को आगे और व्यावहारिक प्रशिक्षण या रोजगार दिये जाने के बारे में कोई चिंता नहीं की जातीं है। मेरा सुझाव है कि एन० सी० सी० कैडेरों को उनकी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उन्हें कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उन्हें यह आदेश दिया जाये कि वे एक निश्चित अवधि तक किसी भी सशस्त्र में सेवा करें और तत्पश्चात् उनके लिये रोजगार सुनिश्चित किया जाये। इस प्रकार, एन० सी० सी० के बाद प्रशिक्षण दिया जाये जिससे कि उनकी सेवाओं का सदुपयोग किया जा सके। मेरा सुझाव है कि आर्थिक संकट तथा विधि संबंधी रुकावटें दूर करने, छात्रों और शिक्षकों में अनुशासन की भावना सुनिश्चित करने, एन० सी० सी० की भूमिका और शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में नीति को कार्यान्वित करने के बारे में संसद के अगले सत्र में एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये जिससे कि नई नीति को लागू किया जा सके··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री ए० चार्ल्स : मैं केवल पांच मिनट बोला हूं और मैं कुछ समय और लूंगा।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : जब कोई व्यक्ति एक मिनट चाहता है; तो वह पांच मिनट लेता है। यदि वह पांच मिनट और ले रहे हैं तो···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आठ मिनट ले चुके हैं। अब बस कीजिये।

श्री ए० चार्ल्स : मैं केवल कुछ सुझाव दे रहा हूं। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस स्तर पर आई० सी० डी० एस० और आंगन बाडी कार्य कर रही है किंतु धनी वर्ग के बच्चों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए विकलांग बच्चों और निर्धन परिवारों के बच्चों के लिये उपलब्ध पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अपर्याप्त है। आई०सी० डी० एस०, शिशु सदनों,

[श्री ए० चार्ल्स]

आंगन वाडियों और नर्सरी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में ठोस कार्य करने के लिये स्वयं सेवी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यदि राष्ट्र ही सारा भार उठायेगा तो सफलता नहीं मिलेगी।

प्राथमिक स्तर के शिक्षक योग्य नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उच्च योग्यता तथा वचन बद्ध शिक्षकों को चयन किया जाये और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाए न कि उसके अनुसार उसे वेतन दिया जाये जिस ग्रेड में उसे नियुक्त किया जाता है।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा रोजगारोंन्मुख होनी चाहिए। उन्हें कृषि, उद्योग व्यापार आदि के क्षेत्र का गहन व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाये जिससे कि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वे लोग रोजगार की आवश्यकता के अनुसार अपने को तैयार कर सकें। यथा सम्भव उच्च शिक्षा चुने हुये ऐसे छात्रों को दी जाये; जो योग्य है तथा आरम्भिक स्तर पर जिन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। इस स्तर पर अनुसंधान कार्य पर जोर दिया जाये और पूरे समुदाय की प्रगति और विकास के लिये अनुसंधानात्मक अध्ययन के परिणाम तत्काल सुलभ कराये जायें।

शिक्षा का बराबर चलते रहना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समय यह पहलू पूर्णतः उपेक्षित है। मेरा सुझाव है; जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह उद्योग हो, अथवा व्यापार या शिक्षण कार्य अथवा चिकित्सा संबंधी रोजगार या इंजीनियरी, शिक्षा बराबर चलती रहनी चाहिए। उनके लिए अनुकूल कार्यक्रम सुलभ होने चाहिये जिससे कि अद्यतन प्रौद्योगिकी और राष्ट्र में क्या हो रहा है; उसकी अद्यतन जानकारी उन्हें आवधिक रूप से प्राप्त होती रहे।

नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया जाये जिससे कि ऐसे समाज का निर्णय हो सके जो भेदभाव, उत्पीडन, शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। प्रधान मन्त्री महोदय आन्तरिक विकास की आवश्यकता के बारे में प्रायः याद दिलाते रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नया मानव संसाधन मंत्रालय इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है। मैं पंडित जी के महान स्वप्न की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसे उन्होंने देखा था कि यह राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हो; शक्तिशाली इस रूप में नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी थलसेना अथवा नौसेना हो; अथवा हमारे पास अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र हों; अपितु उनका दृष्टिकोण यह था कि जनता का हृदय विशालता के रूप में विकसित हो जिससे कि इस देश का उत्थान ऐसे परिवेश में हो जिसमें सभी प्रकार की सांस्कृतियां, सभी प्रकार के ...त और विकसित हों और जिसके बल पर यह राष्ट्र आगे बढ़ सके। धन्यवाद।

...न्य (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बात की ओर ध्यान ...ी चुनौती" दस्तावेज शिक्षा के उच्च वर्ग का पक्षपात करना चाहती है ...िक्षा की चुनौती" प्रत्येक जिला केन्द्र में माडल स्कूल स्थापित ...है। इन माडल स्कूलों में केवल धनवान और उच्चवर्ग

के लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि इनमें केवल अंग्रेजी और हिन्दी ही शिक्षा के माध्यम होंगे।

हमारी अधिकतर जनता ग्रामों में रहती है। सुदूर ग्रामों में रहने वाले निर्धन विद्यार्थी इन माडल स्कूलों में कहां जा सकते हैं ? पंच-सितारा होटलों की भांति यह पंच-सितारा स्कूल केवल धनवान तथा उच्च-वर्गों को ही लाभ पहुंचाएंगे और कम आय वाले वर्ग के लोगों तथा समाज के गरीब वर्ग के लोगों को इस तथाकथित माडल स्कूलों में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। इससे केवल धनवान लोगों की ही पकड़ मजबूत हो जाएगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम यह भी देखते हैं कि शिक्षा के गैरसरकारी कारण की योजना है अर्थात कुछ विशिष्ट प्रतिष्ठित संस्थाओं को कहीं गैरसरकारी पार्टियों को सौंप दिया जायेगा, जोकि इन्हें वित्तीय सहायता देंगी। इस से भी धनवान और निर्धन लोगों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी।

इस शिक्षा की चुनौती दस्तावेज में प्रावेशिक शुल्क की बुराइयों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यह सभी जानते हैं कि कर्नाटक, तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार जैसे अनेक दक्षिणी राज्यों में अनेक घटिया उपाधि कारखाने आरम्भ किए जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों से एक लाख से तीन लाख रुपये तक लिए जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग तथा आयुर्विज्ञान शाखाओं में इन सस्ती उपाधियों को लेना चाहते हैं। इस दस्तावेज में प्रावेशिक शुल्क को समाप्त करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है।

शिक्षा की चुनौती दस्तावेज में यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है कि शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाना जोकि हमारे संविधान निर्माताओं का एक निदेश था कि इसे हमारी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। संविधान में कहा गया कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक बालिकाओं को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि यदि हम अपने देश का वास्तविक विकास चाहते हैं, यदि हम परिवार कल्याण कार्यक्रम में सफलता चाहते हैं, यदि हम सामाजिक जागरुकता उत्पन्न करना चाहते हैं तो शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाना अत्यंत आवश्यक है। किंतु इसके लिए पैसा चाहिए। पांचवें दशक में बी० जी० खेर समिति का यह मत था कि सर्वव्यापी शिक्षा के इस उद्देश्य को लागू करने के लिए केन्द्रीय बजट का 10% राज्यों के बजट का 30 प्रतिशत और जी० एन० पी० का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। आजकल सभी राज्य सरकारें अपने बजट का लगभग 30 प्रतिशत खर्च करती हैं, किंतु केन्द्रीय सरकार अपने बजट निर्धारण का 2 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च करती है। अतः, मुझे यह कहने में संकोच हो रहा है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से राजनैतिक इच्छा का अभाव है। इस प्रकार वे यथापूर्व स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। यदि सर्व-सुलभ शिक्षा होती तो इससे हमारा समाज लोकतांत्रिक बन जाता और इससे निहित स्वार्थों की जड़ें कट जाती।

शिक्षा संस्थानों का लोक तान्त्रिकरण करने के संबंध में कुछ नहीं किया गया है, कोठारी आयोग और गजेन्द्रगडकर समिति ने बार-बार इस बात पर बल दिया कि कालिजों और विश्वविद्यालयों के

[डा० सुधीर राय]

प्रबन्ध का लोकतांन्त्रिकरण किया जाना चाहिए। अध्यापकों, विद्यार्थियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में कुछ कहने का अधिकार होना चाहिये। किन्तु राजनीति से अलग करने के नाम पर, वह निकृष्ट प्रकार की राजनीति में भाग ले रहे हैं। राजनीति से अलग रखने के नाम पर, वे शिक्षा के नौकरशाहों को ही अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। शासकीय जिम्मेवारी की शरण लेते हुए ये दफ्तरशाही लोग हर बात का निर्णय लेंगे और इन मामलों में अध्यापकों को कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा। हम देखते हैं कि हाल ही में जो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किए गये हैं, विश्वभारती अधिनियम, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, पांडिचेरी अधिनियम --विश्वविद्यालय निकायों में अनेक नाम निर्दिष्ट तथा पदेन सदस्य हैं। अध्यापकों, विद्यार्थियों, अशिक्षक कर्मचारियों का विश्वविद्यालय निकायों में कोई प्रतिनिधि नहीं है। किन्तु, हम अध्यापक हर समय इस बात पर बल देते हैं कि अध्यापकों को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वे विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में अन्तिम निर्णय दे सकें। किन्तु आज राजनीति से अलग करने के नाम पर, यह दस्तावेज शैक्षिक नौकरशाहों के हाथों में सारी शक्तियां केन्द्रित करने का प्रयास कर रहा है। महोदय, कालिज स्वायत्त शासन के लिए भय का भूत खड़ा किया जाता है। किंतु होता क्या है ? प्रस्तावित कालिज स्वायत्तता का वास्तविक स्वरूप क्या है ? यदि कालिजों को डिप्लोमा और डिग्रियां देने की अनुमति दे दी जाये तो क्या होगा ? केवल कुछ कालिजों (जैसे कलकत्ता में सेंट स्टीफन कालिज और प्रेजिडेन्सी कालिज) का विकास होगा; और इनको डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं का ही बाहर मूल्य रहेगा। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरेतर में स्थापित कालिजों को क्षति पहुंचेगी। इनके विद्यार्थियों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। अतः यह अनर्थकारी खेल है। "कालिज स्वायत्तता" के नाम पर आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालिजों के प्रति भेदभाव कर रहे हैं।

महोदय, हम उपाधियों को नौकरियों से अलग करने की योजना का विरोध करते हैं। आजकल जिन विद्यार्थियों को डिग्रियां मिली हैं, वे नौकरियों की मांग कर सकते हैं वे कह सकते हैं कि हमने शिक्षा प्राप्त की है, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हमें रोजगार उपलब्ध कराये।" किंतु रोजगार को उपाधि से अलग करने के नाम पर आप जो करना चाहते हैं, वह यह है कि आप भारतीय प्रशासनिक से, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि के लिए परीक्षाएं लेते हैं, केवल कुछ विद्यार्थी इन परिक्षाओं में सफल होते हैं। शेष विद्यार्थियों से कहा जाएगा "आप इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हैं; अतः सरकार की आपके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है।" इसलिए इस प्रकार विश्वविद्यालय की डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं का मूल्य गिर जाएगा। अतः, यह एक अनर्थकारी खेल है।

वे अनौपचारिक शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय योजना, पत्र व्यवहार से शिक्षा प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में कहते हैं। शिक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक महत्व होता है। शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है। विद्यार्थी नैतिक मूल्य अध्यापक ही से सीखते हैं। ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति लार्ड पेर्री ने कहा है कि मुक्त विश्वविद्यालय को केवल द्वितीय श्रेणी के सर्वोत्तम विद्यार्थी प्राप्त होंगे। इससे वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा, जो कि औपचारिक और नियमित कक्षाओं से प्राप्त होगा। ब्रिटेन में इंजीनियर और टेक्नीशियन इस मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं।

किंतु यहां आपको इस बात की शंका हैं कि विश्वविद्यालय और कालिज राजनीति के अड्डे बन गये हैं। अतः, आप मुक्त विश्वविद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा चाहते हैं। आप विद्यार्थियों के और अध्यापकों के आन्दोलनों से डरते हैं। दिल्ली के लगभग छः हजार आजकल हड़ताल पर हैं। वे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने समझौतों को लागू करने से इन्कार किया है।

हम इस अनौपचारिक शिक्षा का विरोध करते हैं। अनौपचारिक संस्थाएं सहायक हो सकती हैं, किन्तु, वे कभी सामान्य, औपचारिक कालिजों तथा विश्वविद्यालयों का स्थान नहीं ले सकते हैं।

महोदय, माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में खेल-कूद अनिवार्य होने चाहिये। हम देखते हैं कि खेल-कूद की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रारम्भिक स्तर पर एक-अध्यापक पाठशालाओं को पूर्णरूप से समाप्त किया जाना चाहिये। न्यूनतम एक कक्षा के लिए एक अध्यापक होना चाहिये। इस बारे आश्वस्त किया जाना चाहिए। व्यावसायिक स्कूल खोले जाने चाहियें; कम से कम प्रत्येक उपखंड में एक होना चाहिए। व्यावसायिक विद्यालयों से अथवा आई० टी० आई० से निकले हुए विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अतः इसे आकर्षक बनाने के लिए विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध किया जाना चाहिये और इस उद्देश्य के लिए बैंकों, सहकारी संगठनों तथा सरकार के उद्योग विभाग को समन्वित रूप में कार्य करना चाहिये, ताकि व्यवसायिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को रोजगार मिले अथवा स्वयं कोई कार्य कर सकें।

समय के अभाव में, मैं कुछ अन्य मुद्दों की ओर ध्यान दिलाता हूं। सबसे पहले शिक्षा राज्य का विषय होना चाहिये। 1910 और 19135 के अधिनियमों के अन्तर्गत यह राज्य का विषय था। प्रारम्भिक निर्माताओं ने काफी सोच-विचार तथा बातचीत के पश्चात् यह निर्णय लिया कि शिक्षा को राज्य का विषय होना चाहिये, क्योंकि राज्य सरकार ही मुख्यतः इस पर खर्च करती है। चूंकि भारत एक महान बहुराष्ट्रीय देश है जिसका आयाम एक उप-महाद्वीप का सा है; निस्सन्देह तमिलनाडु और नागालैंड में एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा जीने के ढंग तथा जातीय मूल के अनुरूप होना चाहिये। अतः, यह विचार करना निरर्थक है कि सारे देश में एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिये। यह लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध होगा।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि दिया गया समय बहुत कम है। इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिये। अध्यापक, विद्यार्थी तथा अभिभावकों को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, ताकि एक राष्ट्रीय मत तैयार किया जा सके। पिछली बार 1968 में, राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह जल्दबाजी से कोई निर्णय न ले लें। वे सभी संगठनों को पर्याप्त समय दें, ताकि इस विषय पर राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती बसव राजेश्वरी। मुझे आशा है कि आप अपना भाषण 10 मिनट में समाप्त कर लेंगी। कृपया समाप्त करने का प्रयास कीजिये।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : महोदय, समय बढ़ा दिया जाये, क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले में पूर्ण सहयोग देंगे। यह हमारे विकास के लिए एक मूल बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी विधेयक ऐसे ही हैं। हम समय बढ़ा सकते हैं। किंतु हम सारा सत्र इसके लिए नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : हम सभी संसद सदस्य आपसे समय बढ़ाने का अनुरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय बढ़ा सकते हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : कम से कम और तीन घंटे।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन घंटे में भी यह सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि वक्ता बहुत हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पांच घंटे पहले ही निश्चित किए गए हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमें समय नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके के लिए सदा समय है।

श्री अमल दत्त : आप सदन की भावना को समझ सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अधिकतम एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है। महोदया, आप आगे बोलिए। किसी प्रकार का व्यवधान न हो। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसमें तीन घंटे और बढ़ा सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ ही सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ? आप एक भाषण के लिए एक घंटे का समय नहीं ले सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। और 50 व्यक्तियों को बोलना है। कहां तक आप बढ़ाएंगे ? आप मुझे बताइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया दो घंटे और बढ़ा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटों में भी हम सूची पूरी नहीं कर पाएंगे।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे दिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। गणपूर्ति नहीं है। यह मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूं कि शिक्षा के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ? मैं गणना करूंगा। कृपया बैठ जाइये। मैं आपको परिणाम बताऊंगा। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्तजार कीजिये। घंटी बजाई जा रही है—अब गणपूर्ति है। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

***श्रीमती बसवर राजेश्वरी (बेल्लारी) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्री पी० वी० नरसिंह राव द्वारा पूरे दिल से प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

"कि यह सभा 20 अगस्त, 1985 को सभा पटल पर रखे गए "शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य" शीर्षक वाले सरकारी स्थिति पत्र पर विचार करती है।"

श्री नरसिंह राव एक दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री एवं बहुभाषाविद् हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि उनके योग्य प्रशासन तथा अच्छे मार्गदर्शन द्वारा हमारे देश की शिक्षा प्रणाली एक नया तथा प्रभावकारी मोड़ लेगी। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने हमारी शिक्षा प्रणाली में सराहनीय सुधार करने के लिए महान प्रयास किया है। उन्होंने खेल, संस्कृति, शिक्षा जैसे कई विभिन्न क्षेत्र एक ही मन्त्रालय के अन्तर्गत ला दिये हैं। श्री नरसिंह राव को काफी अनुभव है। उनकी शक्ति, अनुभव तथा बुद्धिमत्ता हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। वह एक शिल्पी हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिकारी सुधारों के लिए प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से 20वीं सदी की पीढ़ी को देश के अच्छे नागरिक बना सकेंगे। मैं सरकार के विचार के लिए कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

* मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

समग्र बाल विकास तथा संरक्षण परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों में चल रही हैं। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करती हूं कि इस परियोजना को देश के सभी भागों में लागू किया जाए। इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। इस परियोजना के लिए सरकार को अधिक वित्तीय सहायता देनी होगी।

सर्वप्रथम प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ियां होनी चाहिए। इन आंगनबाड़ियों के लिए उचित भवन होने चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापकों को इन संस्थानों में भेजना चाहिए। इन आंगनबाड़ियों में जो खाद्य सामग्री भेजी जाती है वह बहुत ही घटिया होती है। बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि बेहतर खाद्य सामग्री तथा दूध उपलब्ध कराया जाए। दो से पांच वर्ष की आयु वाले बच्चों को अच्छी तरह से खिलाना चाहिए। ये आंगनबाड़ियां भली-प्रकार से कार्य करें इसके लिए उन्हें अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं अनिवार्य शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। दुर्भाग्य से, बाल श्रम अभी भी हमारे देश में जारी है। जब तक समाज से इस बीमारी को जड़ से नष्ट नहीं किया जाता, अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य सफल नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से परिवार अपने बच्चों की कमाई पर गुजारा करते हैं। बाल श्रम को समाप्त करने का उत्तरदायित्व सरकार को लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अनिवार्य रूप से पाठशाला जाएं इसके लिए उचित प्रोत्साहन दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूलों की तरफ आकर्षित हों, इसके लिए उन्हें दोपहर का भोजन, स्कूल ड्रैस, पढ़ने-लिखने की सामग्री दी जाये। ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापक भेजे जाने चाहिएं। आजकल हम देखते हैं कि कुछ प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के बिना ही चल रहे हैं। कई प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अधिकांश ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक-बोर्ड, बैठने की व्यवस्था जैसी अन्य सुविधाएं नहीं हैं। अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इन सुविधाओं को मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों में भी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में, दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात, मैं सैनिक स्कूलों के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। मेरे कर्नाटक राज्य में बहुत से सैनिक स्कूल हैं जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। इन स्कूलों में अनुशासन अच्छा है तथा अध्यापक बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से देशभर में जिला-स्तर पर स्कूल खोलने के लिए निवेदन करती हूं। इससे हमारी नयी पीढ़ी भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ सकेगी। अनुशासन को बच्चों के मस्तिष्क में भर देना चाहिए। वे हमारे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। ये सैनिक स्कूल, लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए ही खोले जाने चाहिएं।

मैं मॉडल स्कूल खोलने के विचार का स्वागत करती हूं। बच्चों को स्कूल-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे मॉडल-स्कूलों में पढ़ने योग्य बन सकें। मॉडल-स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। परन्तु ग्रामीण बच्चों के लिए यह एक कठिनाई होगी। मैं इसलिए विशेष रूप से कहना

चाहती हूं कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत ही कम अनुसंधान कार्यक्रम हैं? विदेशों की तुलना में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जो धन खर्च किया जाता है, वह बहुत ही कम है। अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए और अधिक धनराशि का नियतन करे।

हमारे देश में कई चिकित्सा महाविद्यालय खुल रहे हैं किन्तु आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तथा युनानी चिकित्सा कालेज खोलने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में, होम्योपैथी तथा युनानी चिकित्सा पद्धतियां बेहतरीन हैं। इन पुरानी चिकित्सा पद्धतियों को, जो हमारे देश में सदियों से चली आ रही हैं, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारे देश में जड़ी-बूटियां बहुत होती हैं। इन चिकित्सीय पौधों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इनके बारे में अनुसंधान किये जाने चाहिएं। युनानी, होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक पद्धतियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिएं।

हमारे देश के अधिकांश चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने से कतराते हैं। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहती हूं कि ग्रामीण चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएं। इन महाविद्यालयों द्वारा ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों से, जो चिकित्सक तैयार होंगे उनकी मनःस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप होगी।

हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि समुदाय से सम्बन्धित है। कृषि में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। केवल तभी हम अधिकाधिक खाद्यान्न पैदा कर सकेंगे। बागबानी, पुष्पकृषि, रेशम-कीट पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन, मधुमक्खीपालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए तथा देश में कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान केन्द्र अधिक संख्या में खोले जाने चाहिएं। हमारे यहां हरिजन, गिरिजन तथा अन्य अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के लिए आरक्षण की प्रणाली है। कृषि समुदाय के लिए भी ऐसा ही आरक्षण होना चाहिए। कम से कम 10 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए आरक्षित किये जाने चाहिएं। आय तथा योग्यता के आधार पर आरक्षण के लिए विचार किया जा सकता है।

आजकल बच्चों को किताबों का भारी बोझा उठाना पड़ता है। इस बोझ को काफी कम किया जाना चाहिए। दूरदर्शन कार्यक्रम तथा अन्य प्रदर्शनियों का आयोजन बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए किया जाना चाहिए। 10+2+3 प्रणाली जारी रहनी चाहिए। मैं तीन-सूत्री भाषा सूत्र का समर्थन करती हूं। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी।

लड़कियों की शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे पालिटेकनिकों में यांत्रिक (मेकेनिकल), विद्युत (इलेक्ट्रिकल) तथा नागर (सिविल) अभियांत्रिकी जैसे अन्य परम्परागत पाठ्यक्रम हैं। परन्तु यह उपयुक्त समय है जब कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं।

शिक्षा बीच में ही छोड़ना एक और गम्भीर मामला है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा बीच में छोड़ने वालों का प्रतिशत अधिक है। गांवों में इस समस्या के साथ दृढ़ता से निपटना होगा।

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

बहुत से विदेशी छात्र हमारे देश में अभियांत्रिकी, चिकित्सा आदि को पढ़ने के लिए आ रहे हैं। वे सभी अमीर छात्र हैं, जो यहां काफी धन लाते हैं। वे यहां किसी होस्टल में ठहरते हैं और सारे वातावरण को दूषित कर देते हैं। उनमें से बहुत से तो हत्या तथा बलात्कार जैसी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। यह एक गम्भीर बात है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मन्त्री इस पर ध्यान रखेंगे और ऐसे विदेशी छात्रों को हतोत्साहित करेंगे। चुनावों की प्रणाली भी एक और पहलू है जो हमारे विश्वविद्यालयों को दूषित कर रहा है। इस समस्या का भी कुछ हल निकालना होगा।

हमारे माननीय मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव एक बड़े शिल्पी हैं। मैं आशा करती हूं कि वह अपनी छेनी से हमारी भावी पीढ़ी को अच्छी सूरत देंगे तथा प्रगति और समृद्धि के नये युग का सूत्रपात होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.10 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.12 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 12 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

"शिक्षा की चुनौती—नीति परिप्रेक्ष्य" के बारे में प्रस्ताव (—जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण अय्यर।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के इतिहास में सम्भवतः यह पहली बार हुआ है कि नीति बनाने से पहले उसने सभी संबंधित लोगों से परामर्श करने का निर्णय लिया है। जब से यह दस्तावेज जनता के सामने रखा गया है, तब से सैकड़ों और हजारों परिसंवाद तथा गोष्ठियां आयोजित हुई हैं। मैंने दस्तावेज को पढ़ा है। इसमें उपयोगी तथा जानकारी देने वाली सामग्री होगी तथा इसमें काफी जानकारी तथा आंकड़े हैं। परन्तु

एक मामले में यह निराशाजनक है कि इसमें ठोस प्रस्ताव नहीं हैं। शायद, सरकार ने यह तय किया हो कि सभी संबंधित लोगों से परामर्श करने के बाद वह निर्णय लेगी। परन्तु मैं चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने वैकल्पिक प्रस्ताव तो दिये होते ताकि जनता उस विषय पर अपने विचार प्रकट करती।

महोदय, दस्तावेज में बहुत से मामलों पर, विशेषकर, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, क्रियात्मक साक्षरता, शिक्षण छोड़ने वालों की दर में कमी, अध्यापक-शिक्षार्थी अनुपात में सुधार, रोजगार को डिग्रियों से अलग करने तथा ऐसे अन्य कई मामलों पर जोर दिया गया है। परन्तु मैं अपने आपको दो या तीन मामलों तक ही सीमित रखूंगा।

प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करने के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, यह अनिवार्य है कि 6—14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाये। प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के कार्य को हमें 1960 तक पूरा करना था। उसके बाद 25 वर्ष बीत गए हैं। परन्तु दुर्भाग्य से हम अभी भी बहुत पीछे हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर ऐसी ही स्थिति रहती है तो विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि इस सदी के अन्त तक 15-19 वर्ष की आयु के लोगों में विश्व के कुल अशिक्षित लोगों में लगभग 54 प्रतिशत भारत के होंगे। महोदय, यह वास्तव में बहुत ही शर्म की बात है। यह उपयुक्त समय है जब हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। चूंकि शिक्षा संवर्ती सूची में है, इसलिए यह राज्य तथा केन्द्रीय, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे यह देखें कि संविधान के इस प्रावधान को जो उनके लिए आदेशात्मक है। पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाये। किन्तु दुर्भाग्यवश यह असफल रहा है। इसलिए यह बात विचार करने योग्य है कि वह क्यों असफल रहा। दस्तावेज में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान पंचवर्षीय योजना तक इस योजना के अधीन जो राशि प्रदान की गई है, वह घटती गई है। जबकि प्रथम योजना में यह राशि 56 प्रतिशत थी, वह अब केवल लगभग 36 प्रतिशत है। तथ्य इस प्रकार हैं। प्रथम योजना में जो राशि 56 प्रतिशत है, वह द्वितीय योजना में 35 प्रतिशत तक घट कर गई है, तृतीय योजना में 34 प्रतिशत और चौथी योजना में 30 प्रतिशत रह गई थी। पुनः पांचवीं योजना में वह राशि बढ़कर 32 प्रतिशत तक हो गई थी और छठी योजना में 36 प्रतिशत तक हो गई थी। इतने पर भी यह राशि प्रथम योजना में प्रदान की गई राशि से 20 प्रतिशत कम है। दूसरी ओर, प्रथम और छठी योजनाओं के बीच उच्च शिक्षा—विश्वविद्यालय शिक्षा—की राशि का अंश 9 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच तक बढ़ गया है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असफलता कहां रही है। असफलता का कारण यह है कि शिक्षा का सार्वभौमिकता के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि बीच में ही स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण यही है। आंकड़ों से पता चलता है कि पहली और आठवीं कक्षा के बीच लगभग 77 प्रतिशत बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक है, जिसके बारे में सभी को पता है। चूंकि माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे धन अर्जित करें। अन्यथा वे लोग अपना जीवन-यापन नहीं कर सकेंगे। यही मुख्य कारण है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि कर्नाटक में जो प्रयोग किया जा रहा है, उस पर यह सम्माननीय सभा और सभी राज्य सरकारें विचार करेंगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मानव संसाधन मंत्री को

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

इसके बारे में पता होगा। कर्नाटक में, सभी सरकारी स्कूलों में पहली से सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें दी जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 20 करोड़ की लागत पर लगभग 65 लाख छात्रों के लिए यह व्यवस्था की है। यद्यपि यह योजना अभी हाल में ही लागू की गई है, इसका परिणाम भी बहुत संतोषजनक नहीं निकला है, तथापि इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में कमी होगी।

इसलिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार-केन्द्रीय सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करे कि सभी राज्य सरकारें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कम से कम सातवीं कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा वर्दी दे सकें। यद्यपि कर्नाटक अत्यधिक आर्थिक कठिनाई में है और गत तीन वर्षों से यहां बराबर अकाल की स्थिति रही है तथापि इस राज्य ने इस वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। और मुझे विश्वास है कि अनेक राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जहां तक इस कार्यक्रम का अर्थात् बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें तथा वर्दी निःशुल्क देने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है और लोग इसके प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। इसलिए, मुझे विश्वास है कि यदि यह योजना अपनाई गई तो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी हो जाएगी। इसके साथ ही मैं केन्द्रीय सरकार से यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि बजट में जो राशि उपलब्ध कराई गई वह बहुत ही कम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में—सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत भाग शिक्षा के लिए प्रदान किया गया था। इस समय केवल 3 प्रतिशत राशि का प्रावधान है। शिक्षा पर हम इतनी कम राशि खर्च कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ राज्य सरकारें—केरल की राज्य सरकार—शिक्षा पर अपने बजट का 36 प्रतिशत भाग व्यय कर रही है। कर्नाटक लगभग 18 से 20 प्रतिशत तक व्यय कर रहा है। सभी राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं। दस्तावेज में दिये गये आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों ने 1982-83 में लगभग 5200 करोड़ रुपया व्यय किया था किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार के अंशदान का प्रश्न है, माननीय मन्त्री महोदय स्वयं ही यह बात अवश्य बताना चाहेंगे कि वह बहुत ही कम है। यदि मैं सही हूं, तो वह राशि पूरी योजना राशि की केवल 3 प्रतिशत है। इस राशि को बढ़ाया जाये। जब तक केन्द्रीय सरकार शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं करेगी तब तक हमारा राष्ट्र एक गौरवशाली राष्ट्र नहीं बन सकेगा और न ही एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर सकेगा, जिसका उल्लेख कल ही माननीय मन्त्री महोदय, ने किया था। इसलिए इस बारे में मेरा विशेष आग्रह है।

अब मैं कुछ शब्द दस्तावेज के बारे में कहूंगा। मैं इस विचार का वास्तव में स्वागत करता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा क्रियात्मक होनी चाहिए और साक्षरता भी क्रियात्मक होनी चाहिए। वास्तव में यह लज्जा की बात है हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के 37 वर्ष बाद भी केवल 35 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। यदि साक्षरता इसी गति से बढ़ेगी तो विश्व की तुलना में भारत में निरक्षर लोगों की संख्या पूरे विश्व के निरक्षर लोगों से अधिक हो जायेगी। इसलिए, निरक्षरता दूर करने के लिए भारत को बहुत सी सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार की सहायता करना हम सभी संसद सदस्यों और अन्य विधायकों का उत्तरदायित्व है। एक आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए केवल सरकार ही उत्तरदायी नहीं है और जब तक हम सभी लोग मिलकर इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समारा देश प्रगति नहीं कर सकता है। इस क्षेत्र में अर्थात् प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कर्नाटक ने वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके पास एक सेना है जिसे वे अक्षर सेना कहते हैं। यह एक जन-आंदोलन है। यद्यपि इसकी प्रगति आशानुकूल नहीं है तथापि भारत सरकार ने बोनस के रूप में कर्नाटक सरकार के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकार की थी। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को इस प्रयास में सभी को सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें राज्यों के स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क करना चाहिए तथा वहां के मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों से बातचीत करनी चाहिए तथा स्वयंसेवी संगठनों और जन-प्रतिनिधियों से यह कहना चाहिए कि यह सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि हमारा देश पूर्णतः साक्षर हो जाये। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

मुझे जानकर बहुत खेद हुआ है कि साक्षर महिलाओं की संख्या 30 प्रतिशत से भी बहुत कम है और अनुसूचित जाति में 3 प्रतिशत से भी कम महिलाएं साक्षर हैं। माननीया महिला शिक्षा मन्त्री ने बताया है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए 85 करोड़ रुपये का विशष अनुदान दिया गया है। हम देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं साक्षर हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक धन का प्रावधान किया जाये।

अब स्कूलो की दशा पर प्रकाश डाला जाए। मैंने जो आंकड़े एकत्र किए हैं, उनके अनुसार लगभग 5 लाख स्कूलों में से 50 प्रतिशत स्कूलों की इमारत ढंग की नहीं हैं, 40 प्रतिशत स्कूलों में ब्लेक बोर्ड तक नहीं हैं, 70 प्रतिशत स्कूलों के पास बच्चों की पुस्तकें नहीं हैं, 80 प्रतिशत में पेयजल और शौचालय की सुविधा नहीं है। मेरे राज्य के साथ-साथ, देश भर में हर जगह की यही स्थिति है। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। वास्तव में, इस स्थिति का मुख्य कारण आर्थिक कठिनाई है। मुझे आशा है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें इस स्थिति को सुधारने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगी।

इस दस्तावेज में शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए अर्थात् इस पर ध्यान रखने के उद्देश्य से 10 जमा 2 स्कीम अपनाई गई थी। अभी तक, उससे उपलब्धि नहीं हो पाई है। व्यावसायिक शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब 10 जमा 2 स्कीम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र को विशेष संवर्ग के रोजगार पाने की गारंटी हो। मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों को इस प्रयास में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश की आवश्यकता जिस प्रकार की है, इन उद्योगों के लिए किस प्रकार के तकनीकविदों अर्थात् फिटर, वेल्डर आदि की आवश्यकता है। आप एक सर्वेक्षण

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

कराएं और इस प्रकार के पाठ्यक्रम स्कूलों में लागू करें। जब तक छात्रों को रोजगार पाने का भरोसा नहीं होगा, तब तक स्कूलों में ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ने के प्रति छात्रों में कोई आकर्षण न होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में व्यावसायिक शिक्षा देने वाली 1600 संस्थाएं हैं जिनमें से 50 प्रतिशत तमिलनाडु में हैं। वे वहां अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दस्तावेज में इस पर तथा कृषि और उद्योग संबंधी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है।

माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है और जैसा कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बोलते हुए मैंने स्वयंसेवी संस्थानों के बारे में कहा था कि वह इस बात का भी ध्यान रखें कि उद्योगों में नियोक्ताओं के साथ भी सम्पर्क रखा जाये। नियोक्ताओं सरकार को यह अवश्य सूचित करें कि उन्हें किस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता है अर्थात् उन्हें किस प्रकार की तकनीक जानने वाले श्रमिकों की आवश्यकता है। इसके बाद ही सरकार अपनी समुचित नीतियां निर्धारित कर सकेगी।

अब विश्वविद्यालय की शिक्षा पर चर्चा की जाये। मुझे यह कहते हुए अत्यधिक खेद है कि जिस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था, वह उसे पूरा करने में असफल रहा है। वह बुरी तरह असफल रहा है। जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरा कटु अनुभव है। विश्वविद्यालय 5 या 6 वर्ष पूर्व स्थापित किये गये थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हें अभी तक एक भी पैसे का अनुदान नहीं दिया है। वे चाहते हैं कि राज्य सरकार पहले कुछ संशोधन लाये, पहले के दो संशोधन चाहते थे किन्तु अब वे 20 संशोधन करना चाहते हैं। उन्होंने देर करने की प्रक्रिया अपनाई है। वास्तव में प्रशासन को इसमें कोई रुचि नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

अब परीक्षाओं के बारे में बातचीत कर ली जाये। निःसंदेह इस दस्तावेज में परीक्षाओं के बारे में कुछ प्रकाश डाला गया है। मैं जानता हूं कि स्मरण-शक्ति पर आधारित परीक्षा निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती है। किन्तु हम इसका सर्वथा बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। हमें निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाए तथा प्रश्न-पत्रों का पहले से पता चल जाने तथा बड़े पैमाने पर नकल करने की घटना को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

अब आदर्श स्कूलों की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं। किन्तु शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। आपके पास हिन्दी भाषा भी है। हमारे राज्य में तीन भाषा सूत्र हैं। किन्तु शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषा ही होनी चाहिए। हम हिन्दी भी पढ़ें। जहां तक अंग्रेजी का प्रश्न है, मुझे मालूम है कि आप अंग्रेजी चालू रखना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चंद्र जैन (बाडमेर): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य के बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वैसे तो 1968 में देश की शिक्षा नीति निर्धारित की गई थी, परन्तु उस नीति के अनुरूप भी हमने न तो अनुकूल साधन जुटाये और न ही शिक्षा में फेर-बदल किया। 1968 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार भी अगर हम संसाधन जुटाते और स्वरूप को बदलते, तब भी काफी परिवर्तन हो जाता और विकास की ओर आगे बढ़ जाते।

मैं यह विचार आपके समक्ष इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि अभी भी आप जो नीति निर्धारित करेंगे उसमें यह देखने की आवश्यकता है कि वह नीति वास्तविक नीति हो और उसका परिपालन हो। हमने देखा है कि जो नीति निर्धारित की जाती है उसका पालन नहीं होता है जिससे उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम जो भी नीति निर्धारित करें उसके लिए यह प्रतिज्ञा करें कि जो नीति निर्धारित करेंगे, उसका हम परिपालन करेंगे।

इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ा प्रश्न और चुनौती यह है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार की हो ? हमने सन् 1968 के अन्दर यह निर्णय किया था कि शिक्षक का दर्जा ऊंचा किया जायेगा। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार गवर्नमेंट चल रही है वह भी शिक्षक का दर्जा ऊंचा नहीं करेगी। आज शिक्षक की स्थिति क्लर्क से भी घटिया है। आज उसको कोई सम्मान प्राप्त नहीं है। शिक्षक का सम्मान बनाने के लिए शिक्षक योग्य और बुद्धिमान होना चाहिए। और वे बहुत ही प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, निष्ठावान होने चाहिए, इसके लिए अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। पहला ठोस कदम तो यह उठाना होगा कि अभी जो अध्यापक हैं, जो योग्य निष्ठावान अध्यापक नहीं हैं। जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो पढ़ा नहीं सकते हैं उनको निकाल देना होगा। उनको आप चाहे क्लर्क की जगह पर या कहीं और लगा दीजिये परन्तु वे जो हमारे देश की भावी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं—इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको यह भी देखना होगा कि उनमें से कितने ऐसे शिक्षक हैं जो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, जो हमारे संविधान के प्रति कमिटेड नहीं हैं उनको भी निकाल देना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो शिक्षा में आप जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो भी सुधार करना चाहते हैं वह सम्भव नहीं होगा। ... **(व्यवधान)** यदि हमारी इच्छा शक्ति होगी तो हमें अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे। यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है तो योग्य अध्यापक नहीं मिल सकते हैं। आपको भविष्य के लिए नार्म्स बना देने चाहिए कि किस प्रकार के शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा।

दूसरी बात यह है कि जो स्तर है वह प्राथमिक शिक्षा का बिल्कुल गिरा हुआ है और हमारे पिछड़े हुए रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो और भी अधिक गिरा हुआ है। वहां तो अध्यापक पहुंचते ही नहीं हैं। कहीं-कहीं आदर्श रूप में महिला स्कूल बनाये गए हैं परन्तु महिला अध्यापक वहां जाना ही नहीं चाहती हैं। मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहां एलाउन्स देकर अध्यापकों को भेजना होगा अन्यथा हमारे सामने जो शिक्षा की चुनौती है उसका हम

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

मुकाबला नहीं कर पाएंगे। (व्यवधान) शिक्षा एक कानकोन्ट सब्जेक्ट होने के नाते केन्द्र सरकार का दायित्व है कि रेगिस्तानी, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए स्पेशल असिस्टेंस देकर शिक्षा की उचित व्यवस्था वहां पर कराये।

जो सबसे आवश्यक नैतिक शिक्षा का पहलू है उसकी ओर हम बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं। नैतिक शिक्षा पर जोर न देने के कारण ही आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की भावना व्याप्त है। इसी कारण वे चरित्रवान नहीं हैं और उनमें शराब पीने की आदतें पड़ रही हैं। आज विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाने की बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का समावेश किया जाए। स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी जैसे बड़े-बड़े महान पूजनीय नेताओं की जीवनियों के बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए और साथ-साथ हमारी देश का जो इतिहास है, स्वतन्त्रता का इतिहास उसकी उनको जानकारी नहीं है। इस अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में आप एक दो काम कर दीजिए कि स्वतन्त्रता के इतिहास की जानकारी उनको हो जाए, हमारे स्वतन्त्रता का सही इतिहास उनके सामने आये ताकि उससे उनको प्रेरणा मिले और राष्ट्र निर्माण के काम में वे अपने आपको लगा सकें। इस प्रकार से इस देश के सच्चे नागरिक बनकर राष्ट्र के उत्थान में वे लग सकें—यह करना बहुत ही आवश्यक है।

आज सबसे बड़ा नुकसान सिनेमा के कारण हो रहा है। इसके साथ-साथ दूरदर्शन को भी जो अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, वह भूमिका अदा नहीं कर रहा है। जबकि सिनेमा के साथ दूरदर्शन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, इसका हमें शिक्षा के क्षेत्र में लाभ लेना चाहिए। अभी-अभी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया जा चुका है, इस दिशा में भी आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा लाभ उठाया जाना चाहिए। सीमान्त और दूरगामी क्षेत्रों में इन माध्यमों के द्वारा शिक्षा की दिशा में भी लाभ उठाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। सिनेमाओं में आब-सीन पिक्चर को बन्द करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, यदि हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रकार की स्थिति को हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं किया जाना चाहिये। हमें प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी से बहुत आशाएं हैं, क्योंकि वे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के साथ-साथ पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं। अध्यात्मिक विचारों के साथ-साथ वे तकनीकी, प्रौद्योगिकी, साइन्स और टैक्नालाजी का भी उनमें सामन्जस्य बैठाना चाहते हैं। इस सामन्जस्य को बैठाने के लिए यह आवश्यक और जरूरी है कि इसमें आमूल-चल परिवर्तन किया जाये। सिनेमाओं में भी इस प्रकार की हिंसा व अश्लील चित्रों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इन चीजों को समाप्त करके इनका लाभ हमें शिक्षा के क्षेत्र में उठाना चाहिए। हमें इस प्रकार की शिक्षा नीति अपनानी चाहिए, जिससे हमारे विचार इस प्रकार के बन जाएं कि राष्ट्र आगे तरक्की कर सके, आगे उन्नति कर सके।

इसके साथ-साथ में 10+2+3 की योजना के बारे में कहना चाहता हूं। यह योजना हमारे राजस्थान में कतई लागू नहीं की गई है, जबकि यह योजना एक सही योजना है। इस योजना को वहां

पर भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। यदि वहां पर साधनों की कमी है, तो उसमें केन्द्रीय सरकार को सहयोग देना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि इस अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में शिक्षा नीति के अनुरूप कुछ ठोस कदम उठाकर युवकों का निर्माण करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षा नीति के बारे में मैंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, मन्त्री महोदय उन पर विचार करेंगे और एक नई दिशा देंगे। देश के विकास में, देश की उन्नति में और युवकों की उन्नति में सक्रिय सहयोग देकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कंटई) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव यह है कि "ध्यान दिया जाए"— अत: मैं आप के द्वारा सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे कुछ सुझावों की ओर ध्यान दें।

मेरे साथियों ने अनेक मुद्दों पर भाषण दिये हैं किंतु मैं मुख्यत: महिला शिक्षा के विषय में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मैं संक्षेप में बोलूंगी।

दस्तावेज में महिला शिक्षा के बारे में अतिरिक्त सतर्कता नहीं बर्ती गई है। जब तक नई शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा पर अतिरिक्त अथवा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक पूरे देश की महिलाओं में शिक्षा का प्रसार नहीं किया सकेगा।

हमारा एक लक्ष्य सभी लोगों को शिक्षा देना भी है। अत: हमें इसी के अनुरूप योजना तथा कार्य-क्रम तैयार करने हैं। नई शिक्षा नीति बहुत सोच-समझ कर तैयार की जानी है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जब तक कुछ विशेष और व्यवहार्य कदम नहीं उठाए जाते हैं तब तक महिलाओं में विशेषकर हरिजन और जनजातियों में शिक्षा का प्रचार करना सम्भव नहीं होगा। केवल राशि के आबंटन से कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जनसंख्या नियन्त्रण के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। किंतु हम सभी जानते हैं कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होती, तब तक जनसंख्या को नियन्त्रित करना संभव नहीं होगा और करोड़ों रुपये खर्च होते रहेंगे। बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए नि:शुल्क शिक्षा तथा किताबों की सप्लाई से काम नहीं चलेगा। स्कूल के आस-पास शिशु-पालन केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए। मैं यह कहूंगा कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब तक हम ऐसा नहीं करते अथवा ऐसा करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाते हैं तब तक हमारे लिए महिला शिक्षा का प्रचार करना सम्भव नहीं होगा। लड़कियां अपने छोटे भाइयों तथा बहनों को उन शिशु पालन केन्द्रों में रख सकती हैं जहां उनकी देखभाल हो सकती है और वे स्कूल जा सकती हैं। केन्द्र, बालवाड़ी, 'डे केयर सेन्टर' आई०, सी० डी० एस० जैसे अनेक शिशु केन्द्र हैं किंतु स्कूलों और इन शिशु पालन केन्द्रों के बीच कोई समन्वय नहीं है। इनके बीच समन्वय होना चाहिए और स्कूलों में अधिक महिला अध्यापक नियुक्त होने चाहिए। जहां तक हो सके स्थानीय लड़कियों को स्कूलों में नियुक्त किया जाना चाहिए। किंतु जब तक होस्टल नहीं हैं, स्कूल के

[श्रीमती फूलरेणु गुहा]

लिए कोई भी अच्छा अध्यापक उपलब्ध नहीं होगा विशेषकर ग्रामों में। और इन सभी क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए होस्टल बनाएं जाएं।

यह भी देखा जाना चाहिये कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संविधान की रूपरेखा भी पढ़ाई जाए हमारे विद्यार्थियों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि उनके मूल अधिकार क्या हैं और उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार हैं और उन्हें हमारे देश में समान रूप से उन्नति करनी है।

दूसरी बात यह है कि हम श्रम की प्रतिष्ठा नहीं मानते हैं, हम समान रूप से लोगों का आदर नहीं करते हैं। हम लोगों का आदर उनके पद के अनुसार करते हैं। अतः इसमें एक ढंग होना चाहिए ताकि श्रम के महत्व को समझते हुए स्कूल बच्चों का पालन कर सकें।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा को कुछ महत्व दिया जाना चाहिये।

मुझे यह बात कहते हुए दुःख हो रहा है कि अधिकतर मामलों में अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा सम्बन्ध स्वैच्छिक क्षेत्रों से है और हम तो अनौपचारिक तथा अन्य शैक्षिक क्षेत्रों में कार्य किया है। अतः हम जानते हैं कि सरकार अनेक मामलों में इस प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रही है। यदि हमारी वास्तव में यह इच्छा है कि हमारे विद्यार्थी और हमारी जनता को शिक्षित होना है। तो इस प्रकार के व्यवहार को बदलना होगा।

प्रारम्भिक स्कूल ऐसी जगहों पर खोले जाएं जहां बच्चे विशेषकर बालिकाएं पैदल जा सकती हों। माध्यमिक स्कूलों के लिए, जहां भी आवश्यकता है। छात्रावास की स्थापना की जाये क्योंकि लड़कियों के लिए दूर से आना बहुत कठिन होता है और प्रायः ऐसा होता है कि माता-पिता अपनी लड़कियों को अधिक दूर स्कूल नहीं भेजते हैं।

एक और मुद्दा, जो आप के द्वारा मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि स्कूलों में लम्बी अवधि तक रहना पड़ता है जिसके कारण लड़कियों को वहां से निकाल लिया जाता है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात की जांच करें कि क्या लड़कियों को लम्बी अवधि तक स्कूल में रहने के कारण स्कूल से हटा लिया जाता है।

पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को आत्मविश्वास प्राप्त करने में सहायता मिले। विद्यार्थियों को हमारे देश की संस्कृति तथा अन्य प्रदेशों की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे विद्यार्थी हमारे देश के विभिन्न राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रणाली व्यावहारिक होनी चाहिए ताकि बालिकाएं प्रशिक्षण के पश्चात् अच्छी आर्थिक स्थिति में रहें। अधिक स्थानों में लोगों का यह विचार है कि बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का अर्थ केवल सिलाई और बुनाई सीखना है। अधिकतर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में विशेषकर ग्रामों में हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केवल सिलाई और बुनाई है और यह केवल छः महीने के लिए है। बालकों के लिए कुछ भी हो सकता किंतु, बालिकाओं के लिए यह केवल छः मास का है और वह भी केवल सिलाई और बुनाई।

आम विचारधारा यह है कि बालिकाएं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। इस विचार को बदला जाना चाहिए। छात्राओं को भी विज्ञान की शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिये।

नई शिक्षा नीति के प्रति हमारे विद्यार्थियों का जीवन में एक नया दृष्टिकोण होना चाहिये, उनमें सामाजिक चेतना होनी चाहिये और उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं को न केवल समाज में किंतु घरों में भी समान अधिकार हैं। नए शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा हमारी भावी पीढ़ी के मन में हमारी पुरानी संस्कृति के प्रति आदर होना चाहिए। किंतु उन्हें अन्धविश्वास पर नहीं चलना चाहिए। अनेक मामलों में अन्धविश्वास से आगे बढ़ने का हमारा वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। उन्हें स्वतन्त्रता आन्दोलन के विषय में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वर्तमान पीढ़ी के बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं है कि पुरानी पीढ़ी के लोगो ने देश की स्वतन्त्रता के लिए किस प्रकार के बलिदान दिये हैं। वे सोचते हैं कि स्वतन्त्रता स्वतः ही आई है। उन्हें लोगों का बराबर आदर करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग केवल धनवानों का आदर करते हैं। उन्हें श्रम की प्रतिष्ठा समझनी चाहिए जिसका देश में इस समय अभाव है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज और देश के प्रति उनके अपने कुछ कर्तव्य भी हैं।

अन्त में मेरा कहना है कि शिक्षा को राज्य सूची के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। यदि हम राष्ट्रीय एकता और अखण्डता चाहते हैं तो सारे भारत के लिए शिक्षा की एक रूपरेखा होनी चाहिये जिसमें पाठ्यक्रम भी शामिल हो। किंतु प्रत्येक राज्य को भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूप रेखा के अन्तर्गत अपनी प्रणाली तथा पाठ्यक्रम तैयार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु इस संबंध में मुझे कहना है कि भारत सरकार को हमारे देश के विभिन्न राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके कोई रूप रेखा निर्धारित करनी चाहिये।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मुख्य चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैं डा० फूलरेणु गुहा द्वारा महिला शिक्षा के संबंध में दिए गए प्रस्तावों तथा सुझावों को अपना हार्दिक समर्थन दे रही हूं। काश मैं सरकार की शिक्षा नीति के सम्बन्ध में भी ऐसा कर पाती, किंतु मुझे खेद है, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं।

हमारे सामने जो दस्तावेज रखा गया है, वह भ्रान्तियों का पुलिंदा है और इसमें विवादास्पद विचार हैं। इसमें शिक्षा के विषय को काफी उलझे हुये ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे भारतीय शिक्षा की निराशाजनक तस्वीर प्रकट होती है। इसमें नई नीति के दबावों पर चर्चा हुई है अथवा कुछ सुझाव दिए गए हैं अथवा कुछ नए सुझाव देने का प्रयास है उनमें से कुछ सुझाव तो मेरे विचार से भयंकर हैं।

अब शिक्षा नीति और इस दस्तावेज में वर्तमान सरकार का ध्यान एक ओर मुक्त शिक्षा प्रदान पर है और दूसरी ओर विशिष्ट वर्ग को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह दो मुख्य दबाव हैं। आप मुझे अधिक समय नहीं देंगे जिसके कारण मैं सभी बातों का उल्लेख नहीं कर सकती हूं किंतु मैं आपसे और थोड़ा-सा समय देने के लिए अनुरोध करूंगी ताकि मैं अपने कुछ आरोपों को सिद्ध कर सकूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धन्यवाद। आपको मुझसे बहुत सहानुभूति है। इस दस्तावेज द्वारा सरकार ने संवैधानिक प्रतिज्ञा से चतुराई से बचने का रास्ता निकाला है, और इसमें शिक्षा के लिए हमारी जनता के आन्दोलन द्वारा तैयार किए गये विचारों को बदलने की व्यवस्था की गई है जो स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् भी आगे लाए गये। इसके द्वारा विद्यार्थियों तथा अध्यापकों दोनों के प्रति आश्चर्यजनक ढंग से घृणा दिखाई गई है।

जहां तक हस्तक्षेप न करने तथा सरकार को बचाव का रास्ता उपलब्ध कराने का संबंध है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं ? यह दस्तावेज हमारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा की एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है और यह सचमुच खेदजनक है कि स्वतन्त्रता के इतने वर्ष पश्चात् साक्षरता को फैलाने और छः से ग्यारह वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को नियंत्रित करने का जहां तक सम्बन्ध है, विश्व के सबसे कम विकसित देशों में भारत सबसे नीचे हैं। इन देशों में नेपाल और बंगला देश भी शामिल हैं। यह खेदजनक स्थिति है। किंतु इससे कैसे बाहर निकला जाए ? इससे बाहर निकलने का सुझाव बहुत ही रोचक है। 1990 तक हमें शिक्षा को व्यापक बनाना है। ऐसा कैसे किया जाएगा ? 640 लाख विद्यार्थियों में जिन्हें हमें प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत लाना है, केवल 250 लाख औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत आएंगे और 390 लाख विद्यार्थियों को तथाकथित अनौपचारिक शिक्षा के हवाले किया जाएगा। मैं मानती हूं कि यदि औपचारिक शिक्षा वाले स्कूलों में तो कई जगह ब्लैक-बोर्ड नहीं हैं, पेय जल नहीं है, और कुछ स्कूलों मे अध्यापक भी नहीं हैं, तो यह बुरी बात है। किंतु क्या इसका बचाव यह हो सकता है कि इनको एक ऐसी प्रणाली में डाल दिया जाए जहां तथाकथित अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत ऐसे स्कूल का पता भी न हो। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि कई मामलों में स्कूलों के पते भी नहीं दिए गये हैं। यह सच है। दस्तावेज में कहा गया है कि अनौपचारिक प्रणाली में कोई प्रभावशाली मूल्यांकन नही किया गया है। इसके बावजूद, इतनी छोटी आयु के बालकों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। यह किसकी जिम्मेवारी है ? यह सीधे सरकार की जिम्मेवारी है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा देने की संवैधानिक जिम्मेवारी है। इस प्रकार की भ्रामिक

प्रणाली द्वारा नहीं, ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती। अत: मैं कहती हूं कि यह मुक्त प्रणाली है।

अब, मैं क्यों कहती हूं कि यह उच्चवर्गीय है? अनेक मित्रों ने पहले ही सम्मोहन के विषय में ठीक ही कहा है··· (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप दूसरी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हो सकता है इस सदन के अन्दर इतने ही हों, किंतु सदन के बाहर मैं आपको दिखाऊंगी कि वे कौन हैं और सदन में भी हो सकता है कि अनेक हों। फिर भी यह गति-निर्धारक स्कूलों और कक्षा के लिए उत्साहजनक बात है। आपको मालूम है कि कौन-सी कक्षा है? वह स्कूलों में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी-शिक्षा है। और आप जानते हैं कि गति-निर्धारक स्कूल क्या हैं? वे ऐसे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं जो सारे देश में हर जिला केन्द्र में स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थाओं को वित्तीय मामलों में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जा रही है, यह बात इस तथ्य से जानी जा सकती है, कि जहां तक मुझे याद है 1,500 करोड़ रुपये की या तो व्यवस्था की गई अथवा विचार किया गया, इसमें से 300 करोड़ रुपये इस कक्षा के लिए, अर्थात कम्प्यूटर शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और 860 करोड़ इन गति-निर्धारक स्कूल के लिए खर्च किए जाएंगे।

इसका लाभ किसे मिलेगा? हमारे छात्रों की मात्र थोड़ी सी संख्या को, जिनको सर्वव्यापीकरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार, संविधान के अनुसार, कर्त्तव्य से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में, मैं कहना चाहती हूं कि इस दस्तावेज में यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए थी कि यह तरीका नहीं है। जैसा कि मैंने अपने माननीय मानव संसाधन मन्त्री से कहा था कि चाहे मैं सभा में अकेली हूं अथवा इस समय दो सदस्य हो सकते हैं, परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि एन० सी० ई० आर० टी० ने भी इन आदर्श विद्यालयों (पेस सेटर) का विरोध किया है। मैं विश्वास करती हूं कि उनके राज्य मन्त्री उन्हें बतायेंगे कि एन० सी० ई० आर० टी० ने इन आदर्श-स्कूलों के विचार का विरोध किया था। इसी तरह से शिक्षा की योजना बनाने वाले राष्ट्रीय संस्थान ने भी विरोध किया है। मुझे विश्वास है कि कोई भी उन्हें साम्यवादी विचार धारा का नाम नहीं देगा। यही नहीं, वास्तव में, इस संभ्रांत वर्ग की ओर ध्यान देने की सारे देश के बहुत से बुद्धिजीवियों ने आलोचना की है। मेरे विचार से सरकार इस भावना की कद्र करेगी और इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

अब मैं व्यावसायिक शिक्षा के प्रश्न पर आती हूं। यद्यपि इस दस्तावेज में यह नहीं लिखा गया है, फिर भी मैं समझती हूं कि सरकार ने अन्नादुरई विश्वविद्यालय के कुलपतित्व में एक समिति गठित की थी जिसने एक दिलचस्प सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि 11 वर्ष की आयु के पश्चात् 20 प्रतिशत छात्रों को इस धारा से निकाल कर व्यावसायिक क्षेत्र की धारा में ले आना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? इस प्रश्न पर हमारी राष्ट्रीय धारणा क्या रही है? गांधी जी ने इस बारे में क्या कहा है? वह नहीं चाहते थे कि केवल कुछ छात्रों को 11 वर्ष की आयु से विशेष धारा जिसे 'व्यवसायिक धारा' कहा जाता है सम्मिलित किया जाए? वह चाहते थे कि इसको सारी शिक्षा में स्वीकार किया जाना चाहिये, विशेषकर सर्वव्यापीकरण शिक्षा के माध्यम से। कुछ ही लोगों को 11 वर्ष की

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

आयु में अलग क्यों कर देना चाहिए ? क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण केवल शिक्षा को बीच में छोड़ने वाले छात्रों के लिए ही है ? क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण के पीछे यह धारणा है ? यहां मैं फिर कहूंगी कि यह संभ्रांत वर्ग के प्रति रुझान है। मैं यहां तक कह सकती हूं कि यह और कुछ नहीं है सिर्फ राष्ट्रीय विरासत से वंचित करना है। हमारी ऐसी धारणा कभी नहीं रही। यह धारणा कर्जनस की थी, यह धारणा हट्टनस की थी और यह धारणा सर्जनस की थी, न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसके नाम पर आप शपथ लेते हैं तथा जिसके नाम पर हमारे दिल में भी कुछ आदर है क्योंकि हम भी उसी संघर्ष में शामिल रहे हैं। अतः मैं समझती हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और इसे सिर्फ हंस कर नहीं टाल देगी।

अब, मैं वित्तीय उत्तरदायित्व के प्रश्न को लेती हूं। यह बहुत ही रुचिकर है। निजीकरण के इस नये दौर में ऐसा लगता है कि शिक्षा को भी निजी वित्तीय उत्तरदायित्व के अन्तर्गत लाया जा रहा है स्वयं इस दस्तावेज में कहा गया है कि ग्राम समुदाय को विद्यालय-भवन के रख-रखाव दोपहर के भोजन ड्रेस, विशेषकर गरीब लड़कियों के लिए, का उत्तरदायित्व उठाना होगा। अब, महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है—मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूं—अगर गांव के अभिजात वर्ग तथा अमीर लोगों से वित्त जुटाया जाये। सरकार वित्त जुटाया जाये और उसका इस्तेमाल करें परन्तु वित्त अथवा प्रबन्ध की दृष्टि से सरकार इस क्षेत्र को उनकी देखरेख में न छोड़े।

अब, सरकार तकनीकी शिक्षा को भी उद्योगों को देना चाहती है। अगर सामान्य रूप से इसी बात पर जोर देना है तो मैं इसका विरोध करूंगी। संसाधन सरकार को स्वयं जुटाने होंगे। अगर यह उद्योगों से जुटाया जाता है, तो उन्हें उद्योगों से जुटाने दिया जाए, परन्तु उन्हें अपनी जिम्मेदारी से बचने या किसी अन्य पर जिम्मेदारी डालने की प्रवृति से दूर रखना होगा।

अब मैं अध्यापकों तथा छात्रों की बात करूंगी। इस दस्तावेज में राजनीतिकरण की आलोचना की गयी है। मैं यह कहूंगी कि इस राजनीतिकरण की आलोचना के पीछे बहुत से तरीके तथा उद्देश्य हैं।

3.00 म० प०

राजनीतिकरण को समाप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, इससे अध्यापकों तथा छात्रों में प्रतिष्ठान की हां में हां मिलाने वाला वर्ग उत्पन्न हो रहा है। सरकार नहीं चाहती की प्रतिष्ठान की आलोचना हो। मेरे विचार से यह हमारे देश की बपौती नहीं है। शिक्षा के प्रबन्ध में अध्यापकों तथा छात्रों के चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। वास्तव में, विचारधारा पर आधारित राजनीति का कमजोर होना विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों के संघर्ष में व्याप्त अनुशासनहीनता का मूल है, मूल स्थिति यह है इसके विपरीत नहीं। अतः आज उनको दोष देने से कोई लाभ नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को और अधिक उदीयमान तथा निष्ठावान बनाने की आवश्यकता है। यह सत्य है। परन्तु सरकार को अध्यापकों का कार्य, वेतन, शीर्ष व क्षैतिज गतिशीलता उन्नति तथा प्रशिक्षण आदि के द्वारा अधिक

आकर्षक बनाना चाहिए। अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक सेवा क्यों नहीं बनाई जाती ?

इसके अतिरिक्त महोदय दूरवर्ती शिक्षा एक और क्षेत्र है, जिसके संबंध में हम सभी बहुत ही अधिक चिंतित हैं। दूरवर्ती शिक्षा एक और नई धुन है जिसका उसकी आवश्यकतानुसार उचित आंकलन नहीं किया गया है। इसके लिए बड़े संसाधन जुटाने से पहले सरकार को इसके संबंध में फिर से गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूंगी : मैं समझती हूं कि यह दस्तावेज, जिसका मुख्य दबाव अहस्तक्षेप और संभ्रांत वर्ग की ओर ध्यान देना है सरकार की वर्तमान विचारधारा के अनुरूप है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा राष्ट्र-निर्माण की धुरी है और शिक्षा में आवश्यक रूप से समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन आना चाहिए। इसीलिए 1968 में, जब शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा था, यह सोचा गया था कि हर 5 वर्ष बाद स्थिति की समीक्षा की जाए। समय-समय पर शिक्षा-नीति पर विचार करने के लिये, समीक्षा करने के लिए कई आयोग बिठाये गये और उन्होंने अपने कुछ सुझाव भी दिए : जैसे राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग : और जो कुछ सुझाव अभी दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि आज हम इक्कीसवीं सदी के द्वार पर खड़े हैं और ऐसी स्थिति में, आज जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, वे किस प्रकार के इक्कीसवीं सदी में पढ़ेंगे, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसके बारे में अभी से सोचना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है।

शिक्षा आज समवर्ती सूची का विषय है इसलिए केन्द्रीय सरकार पर भी यह जिम्मेवारी आती है कि शिक्षा में विशेष प्रकार के परिवर्तन के लिए आगे आये। हम केवल-मात्र यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि शिक्षा राज्यों का विषय है और राज्य यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हमारे पास पैसे का अभाव है, कमी है। शिक्षा में निश्चित तौर पर परिवर्तन और परिवर्धन आना ही चाहिए।

महोदय, आज यदि हम यह देखें कि हमारे देश में शिक्षा के ऊपर कितना व्यय किया जा रहा है तो हमें पता चलेगा कि डिफेंस के बाद, दूसरे नम्बर पर हम शिक्षा पर ही व्यय करते हैं और शिक्षा पर तीन प्रतिशत व्यय किया जाता है परन्तु इसके बावजूद भी हमारे बहुत से काम नहीं हो पाते और शिक्षा में कई कमियां रह जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि शिक्षा पर होने वाले व्यय को तीन प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा में हम जिस प्रकार के परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, उसे कर सकें।

मान्यवर आज जो हमारे नीति-निर्देशक तत्व हैं, जिनमें अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, उसको हम जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा के व्यय को नहीं बढ़ायेंगे और राष्ट्र की

[प्रो॰ निर्मला कुमारी शक्तावत]

सबसे बड़ी धरोहर जो है, उसके सुनहरे स्वरूप को बनाने के लिए हमें शिक्षा के व्यय में बढ़ोत्तरी करनी ही पड़ेगी। आज भारत में श्रम.शक्ति कम पढी हुई है या अनपढ़ है, जिसका परिणाम यह होता है कि जब भी विश्व में अनपढ़ लोगों की संख्या गिरने का सवाल आता है तो उसमें सबसे अधिक हिस्सा हमारे देश का आता हैं और इस शताब्दी के अन्त तक इसके कारण यह स्थिति हो जाएगी कि 50 करोड़ व्यक्ति यानि 45 प्रतिशत लोग इस देश में निरक्षर होंगे। इसलिए हमें अपने साधनों के आधार पर परिवर्तन की बात सोचनी है।

मान्यवर, कई बार यह कहा जाता है कि हमारी शिक्षा दोषपूर्ण है इसलिये इसमें परिवर्तन होना चाहिए। आज यह एक फैशन सा बन गया है, परंतु दोष क्या है और इसमें किस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाये और शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इसके बारे में मान्यवर बहुत कम कहा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली बड़ी परिवर्तनशील रही है क्योंकि वैदिक काल में जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, मुगलकाल में उसका स्वरूप भिन्न हुआ, ब्रिटिश काल में हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, वह मुगलकालीन शिक्षा-प्रणाली से भिन्न थी और आज जो हमारे यहां शिक्षा-प्रणाली है, यह ब्रिटिश टाइम की शिक्षा-प्रणाली से भिन्न है। इस शिक्षा प्रणाली के परिणामस्वरूप ही हमारे यहां रामन्ना और खुराना जैसे बड़े-बड़े वैज्ञानिकों पैदा हुए और ऐसे ही वैज्ञानिक द्वारा हमारे देश में "हरित-क्रांति" और "श्वेत-क्रांति" जैसी महान उपलब्धियां हुईं; परन्तु समय के अनुसार इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है।

मान्यवर, आज क्या हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे इंजीनीयर्स और डाक्टर्स मिडिल ईस्ट में और इनके अलावा विश्व में और कई देशों में काम कर रहे हैं। अगर हमारी सारी शिक्षा दोषपूर्ण होती, तो इस प्रकार की उपलब्धियां हमें प्राप्त नहीं हो सकती थीं। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि इसमें जो कमी रही है, वह यह है कि हमने शिक्षा को "भारतीयता" का जामा नहीं पहनाया है। चीन, जापान और रशिया अपने स्वयं के साधनों से अपनी ओरिजनेलिटी के आधार पर आगे बढ़े हैं, किन्तु हम ऐसा नहीं कर पाए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि लार्ड मैकाले जिस पेड़ को सात समंदर पार से लाया था उसको हम कृत्रिम वातावरण बराबर देते रहे, यद्यपि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा न होते हुए भी हम उसको सहते रहे। इसलिए मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन हो, इसमें आपने जो वाद-विवाद आमन्त्रित किया है, यह बड़ा ही सराहनीय है और मुझे आशा है कि कई विद्वान इसमें भाग लेंगे और उसके आधार पर नई शिक्षा नीति के बारे में सोच-समझ कर निर्णय ले सकेंगे और इक्कीसवीं शताब्दी में हमारी शिक्षा का क्या रूप होगा, इसके बारे में सोच सकेंगे जिससे हमारे व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करते हुए कहना चाहूंगी कि शिक्षा को 5 भागों में बांटा जाए-प्रि-प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, सैकेंडरी एजूकेशन, यूनिवर्सिटी एजूकेशन और एडल्ट तथा इन-फारमल एजूकेशन। प्रि-प्राइमरी के अन्तर्गत शिक्षा से परिचय कराना होना चाहिए। आज हमारे यहां

पर आई० सी० डी० एस० प्रोग्राम चल रहे हैं, आंगनवाड़ियां चल रही हैं, परन्तु महोदय, मुझे खेद और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। हमें एस्टीमेट्स कमेटी एवं अन्य कमेटियों के माध्यम से टूअर पर जाकर इनको देखने का अवसर मिलता रहता है। खासतौर से मैं आसाम, राजस्थान और गुजरात के बारे में कहना चाहती हूं कि इन आंगनवाड़ियों की बड़ी दुर्दशा है। वहां पर बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, एक कमरे में भरकर रखते हैं, खाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है, खेलने की कोई सुविधा नहीं है। इनके लिए आपने जो स्टाफ रखा है वह पूरी तरह ट्रेंड नहीं है। इसलिए इनकी हालत बहुत खराब है। मान्यवर, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इन आंगनवाड़ियों के लिए ऐसी शिक्षिकाएं रखें जो चाइल्ड साइकौलोजी और एजूकेशन साइकौलोजी की ज्ञाता हों। आपने मैट्रिक से कम के लिए 100 रुपया और मैट्रिक है उसको 200/— रखा है, आज आपकी मिनिमम वेजिस क्या है ? आप 11 रुपये देते हैं आप उन शिक्षकों को 100 रुपया देकर काम कराना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। मेरा सुझाव है कि आज आंगनवाड़ियों में जो टीचर्स काम कर रही हैं उनके पे-स्केल में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी की जाए तभी अच्छी टीचर्स आ सकेंगी।

दूसरा सुझाव यह है कि आज जो आपकी प्राइमरी एजूकेशन है, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। हम निःशुल्क और सर्व-सुलभ शिक्षा नहीं दे पाये हैं। आज स्कूलों में न तो ब्लैक-बोर्ड हैं और न ही पढ़ाई की विशेष व्यवस्थायें हैं। राजस्थान के प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है, इस-लिए सबसे पहले हमें इस बात को देखना होगा कि उन्हें सब सुविधाएं मिल रहीं हैं या नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि यह राज्यों का विषय है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की ओर हमें ध्यान देना होगा। इसको राज्यों के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं होगा।

आज प्राइमरी स्कूल्स का जो स्लेबस है वह पूरी तरह से नीरस है। यही कारण है कि बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि शिक्षा नीति बनाते समय शिक्षा को थ्योरी के साथ प्रेक्टिकल में भी जोड़ें। टीचर्स बच्चों को साथ ले जाकर दिखायें कि किस प्रकार से नदी-नाले और पहाड़ आदि हैं। इसको यदि प्रेक्टिकल के साथ जोड़ेंगे तो शिक्षा नीरस नहीं रह कर बच्चे के लिए मंनोरंजक होगी।

दूरदर्शन के माध्यम से प्री-प्राइमरी एजूकेशन देने के बारे में भी आप सोच रहे हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। यदि नई शिक्षा नीति में प्राइमरी स्कूल्स को भी इसमें जोड़ दें तो ज्यादा उप-युक्त होगा।

आज बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं इसका कारण यह है कि गरीबी बहुत अधिक है। माता-पिता बच्चों की पढ़ाई इसलिए छुड़वा देते हैं कि वे उनके काम में सहायक होते हैं इस कारण शिक्षा में "कमाओ और पढ़ो" का प्रयोग करना पड़ेगा। कई स्टेट्स में ऐसा हुआ भी है।

आज जो टीचर्स हैं वह पूरी तरह से काबिल नहीं है। टीचर्स जो कि एक जलते हुए दीपक के समान हैं। जिससे कई दीप-शिखाएं जलती हैं, यदि वह दीपक बुझा हुआ होगा तो हम कैसे कल्पना कर

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

सकते हैं कि वह बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। इसमें मेरा सुझाव है कि अध्यापकों के लिए ओरियंटेशन कोर्स शुरू किये जाये और सिलेक्शन में विशेष सावधानी बरती जाये।

आज पब्लिक स्कूलों के बारे में बहुत विवाद उठता है। कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक स्कूल बन्द कर देने चाहियें। मेरा सुझाव है कि बहुत से पब्लिक स्कूल बहुत अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कराते हैं। हमें उनके अच्छे पैटर्न को अपनाना होगा। मान लो किसी व्यक्ति का चेहरा खराब है तो ये कहें कि जिसका अच्छा चेहरा है उसे जला दो। यह अच्छा नहीं होगा। पब्लिक स्कूल की जो अच्छी बातें हैं उनको हमें ग्रहण करना चाहिए।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। किशोरावस्था की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमें बहुत अधिक सोचना होगा। आपने आदर्श स्कूल के बारे में सोचा है। मैं इसका स्वागत करती हूं। आज डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे हैं उनको यह कहेंगे कि इन स्कूलों का रूप दूसरे स्कूल ग्रहण करें। और उस प्रकार के पैटर्न पर जो स्कूल चल रहे हैं उनको अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाये।

थ्री-लैंग्वेज फार्मूला की जो बात आपने कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। तमिलनाडु के माननीय सदस्य कल बोल रहे थे कि यह नहीं होना चाहिए लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमें अपनी स्थानीय भाषा, अंग्रेजी और हिन्दी-तीनों को ही यदि हम रखते हैं तो उपयुक्त होगा।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सेकेन्डरी एजूकेशन पूरी तरह से वोकेशनल होनी चाहिए। आपका पैटर्न आफ एजूकेशन जो है वह डेफेक्टिव है। क्वेश्चन सेटिंग का तरीका और एग्जामिनैशन का तरीका भी डेफेक्टिव है—इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप सेकेण्डरी और हायर सेकेन्डरी एजूकेशन में सेमिस्टर सिस्टम लागू करें तो उपयुक्त होगा, इससे विद्यार्थी बहुत रेग्युलर हो जायेंगे। (व्यवधान)

यूनिवर्सिटी एजूकेशन के सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी। आज हमारी यूनि-वर्सिटीज, हमारी शिक्षा के मंदिर जो हैं वह निरर्थक बेरोजगारों को ढालने के कारखाने बनकर रह गए हैं। वहां पर बेरोजगार युवक पैदा किये जाते हैं। आखिर आज स्टूडेन्ट अनरेस्ट क्यों है इसके पीछे कारण क्या है ? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज आटोनामी के नाम पर यूनिवर्सिटीज में क्षेत्रवाद भरा है इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

शिक्षा सीमावर्ती सूची का विषय है इसलिए मेरा इम्पार्टेन्ट सुझाव है कि प्राइमरी और सेकैन्डरी शिक्षा को तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए परन्तु कालेज और यूनिवर्सिटी एजूकेशन केन्द्रीय सरकार के अधीन रहनी चाहिये ताकि सभी जगह एक यूनिवर्सल और यूनिफार्म पैटर्न लागू किया जा सके, ताकि तमिल नाडू के लोग राजस्थान में और राजस्थान के तमिलनाडू में जा सकें।

(व्यवधान)

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर एक यूनिवर्सिटी सेलेक्शन कमीशन का गठन करें जिसके माध्यम से अच्छे शिक्षकों का चुनाव किया जा सके तथा एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक को दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजा जा सके। तमिलनाडु के शिक्षक को राजस्थान में और राजस्थान के शिक्षक को जम्मू कश्मीर में भेज सकें —यह तभी सम्भव होगा जबकि आप एक यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन करेंगे।··· (व्यवधान)

आज टेक्निकल एजूकेशन के जो सेन्टर्स हैं वह बहुत डेफेक्टिव हैं। साथ ही आपने जो इन्दिरा गांधी यूनिवर्सिटी का सुझाव दिया है उसका मैं स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि जिस प्रकार कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसी तरह से इन्दिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी सारी दुनिया में अपना नाम कमा सके, इस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे, उसी पैटर्न पर आप उसको चलायें। इसी आशा के साथ मैं सोचती हूं कि हमारे विद्वान मंत्री जी इन बातों पर सोचते हुए, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के बारे में कि इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा किस प्रकार की होगी उस कल्पना को साकार रूप देंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ): उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा कई वजह से स्वागत-योग्य है। उनमें से यह तथ्य कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आजादी के बाद प्रथम बार, भारतीय संसद के इतिहास में प्रथम बार, शिक्षा नीति सभा के समक्ष रखी गयी है। सरकार ने शिक्षा नीति को अन्तिम रूप देने से पहले इसे परिप्रेक्ष्य के रूप में पेश किया है। कई बार शिक्षा नीतियों पर इस सभा में चर्चा हुई है परन्तु इससे पहले कभी भी, जहां तक कार्यवाही-वृतान्त का प्रश्न है, इस सदन के समक्ष परिप्रेक्ष्य को नहीं रखा गया, इस सभा में चर्चा नहीं की गई, और न ही वास्तव में नीति को अन्तिम रूप देने से पूर्व राष्ट्रीय चर्चा शुरू नहीं करायी गयी। इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र है, इस शिक्षा की सीमित परिधि मात्र के लिए नहीं, बल्कि बड़े परिप्रेक्ष्य में क्योंकि संसद की भूमिका सरकार द्वारा नीति बनाने के बाद उनको स्वीकृत करने के लिए मोहर लगाना मात्र नहीं है, बल्कि संसद की भूमिका, परम्परागत भूमिका, सम्मानीय भूमिका, मुख्य भूमिका सरकारी नीति तैयार करने में योगदान प्रदान करने की है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मॉडल स्कूलों की स्वीकृति हमारे से परामर्श किये बिना ही; कोई चर्चा यहां किए बगैर ही, दे दी गयी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, क्योंकि आपने मुझे सीमित समय दिया है, इसलिए मैं मॉडल स्कूल के सिद्धान्त पर, जिसका मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, नहीं आऊंगा।

हम में से अधिकांश सदस्य बाल-बच्चे वाले हैं। हम में से अधिकांश, इस सभा में माडल स्कूलों के विरुद्ध बोलते हुए भी, अपने बच्चों को माडल-स्कूलों में डालने के सभी प्रयत्न करेंगे ! मुझे पक्का विश्वास है, ऐसा प्रोफेसर के साथ हुआ है, कम से कम मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं यहां पर जिस बात

[श्री प्रवुआर्दो फलीरो]

पर जोर देना चाहूंगा कि, अक्सर जो घटित होता है, उसके विपरीत सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं तथा उन पर यहां बाद में चर्चा की जाती है।

इस मामले में, मैं यहां पर परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। सिर्फ इसी सभा में राष्ट्रीय चर्चा शुरू नहीं की गयी है बल्कि इस चर्चा को सभी राज्यों में, प्रबन्ध व्यवस्था में, अध्यापकों, छात्रों के प्रतिनिधियों तथा शिक्षा से संबंधित सभी लोगों को इस चर्चा में सम्मिलित किया गया है और अन्त में यह परिप्रेक्ष्य संसद के समक्ष रखा गया है।

मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं तथा यही कहूंगा कि इस उदाहरण का अन्य मंत्रालय भी अनुसरण करें। इस पक्ष में बैठकर जब योजनाओं तथा अन्य दस्तावेजों पर चर्चा होती है तो सरकार का बचाव करने में हमें कुछ परेशानी अनुभव होती है—हमने देखा है कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू होने के चार वर्ष पश्चात् उन पर चर्चा की जाती है और इस तरह से चर्चा चलती रहती हैं। यह वास्तव में सारहीन औपचारिकता है। एक ऐसी खोखली चर्चा जिसमें उत्साह तथा विषय सामग्री की कमी है और इसलिए, ऐसा उदाहरण जिसमें संसद की भूमिका सरकारी नीतियों के बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में दृढ़ता से दोहरायी जाती हैं उनको जारी रखते हुए अन्य मंत्रालयों में भी उसके अनुसरण के लिए प्रेरित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं दस्तावेज द्रष्टव्य है। शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य। प्राय: इस प्रकार के सरकारी दस्तावेजों के साथ ऐसा नहीं होता है; यह असफलताओं पर टीका-टिप्पणी नहीं करता और सिर्फ जरूरत से अधिक उपलब्धताओं को, वास्तविक व काल्पनिक प्रकाशित करता है। प्रस्तुत दस्तावेज सरल और स्पष्ट है, जो गंभीर है, ईमानदार है तथा विशेषकर इसमें असफलताओं को स्वीकार करने का साहस है। वह विशेषकर यह कहने का साहस करता है कि हमने कहां गलती की है। पूरे उत्साह तथा ईमानदारी के साथ भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार लोगों को राष्ट्रीय शक्ति की दिशा में लगाने तथा राष्ट्रीय शक्ति को देश-निर्माण में लगाने के लिए लोगों को 21वीं सदी में ले जाने के लिए इसमें रास्ता ढूंढने का साहस है, ताकि इस महान राष्ट्र को सम्माननीय स्थान प्राप्त हो, विश्व में गौरवमय स्थान प्राप्त हो जिसका यह वास्तव में अधिकारी है।

महोदय, यह सारा ही बहुत अच्छा है। असफलताओं की दृष्टि से हम इस दस्तावेज पर नजर डालें। मैं यह कहती हूं कि इस सभा अथवा राष्ट्र के पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके कारण वे अनावश्यक रूप से निराशावादी हों।

यह वास्तव में एक तथ्य है और जिसे भी थोड़ी-सी जानकारी है, वह जानता है कि आज भारत विकासशील देशों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। यदि आप अफ्रीका अथवा हाल ही में आजाद हुए एशियायी देशों या लैटिन अमरीकी देशों की ओर देखें तो आप पायेंगे कि भारत द्वारा

तैयार की गई तकनीक कितनी उपयुक्त हैं। बार-बार यही कहा जाता रहा है कि यूरोपीय और पश्चिमी देशों की तकनीक विकासशील देशों के अनुकूल नहीं है। सही यह है कि इस देश ने कई क्षेत्रों में पाई सफलता, जिसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे तकनीशियनों द्वारा कई समस्याओं का समाधान किया है।

आज सारा विकासशील विश्व, तीसरा विश्व, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे तकनीशियनों, वैज्ञानिकों, प्रबुद्ध-वर्ग द्वारा सुझाये गये हल को मान्य मानते हैं। ऐसा कहते हुए, हम निश्चय ही आजादी के बाद की सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं, विश्व में तीसरी सबसे बड़ी तकनीशियनों की संख्या यहां ही है। इस बात की प्रशंसा करते हुए, हमें यह दस्तावेज आज उत्तेजित करता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा किये गये वायदे—संविधान के संस्थापक सदस्यों, निर्माताओं ने अनुच्छेद 45 में वादा किया है कि प्रत्येक बालक, प्रत्येक नागरिक, तथा इस देश का प्रत्येक व्यक्ति 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेगा, इस वादे को संविधान बनने और लागू होने के 10 वर्ष के भीतर लागू होना था। आह ! 30 वर्ष बीत गये हैं और अभी भी यह वायदा पूरा नहीं हुआ है, अभी सपना-सा लगता है। संविधान के अनुच्छेद 45 में, संविधान निर्माताओं ने, सरकार पर, शासन पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह 10 वर्षों के भीतर यह सुविधा मुहैया करायेगी। अब संविधान बनने के बाद के उन 10 वर्षों का क्या हुआ ? कितना समय लग गया है ? संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को—जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। हम अभी तक इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं और जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते, यानि सभी नागरिकों को शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक देश वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता। तब तक देश न केवल 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, बल्कि इस सदी के बाकी के वर्षों का सामना भी चुनौतिपूर्ण ढंग से नहीं कर पायेगा।

स्कूलों में स्थिति क्या है ? वहां क्या हो रहा है। यहां एक लेखक ने यह प्रश्न उठाया है—वह प्रश्न इस सभा में सबके लिए संगत है और शायद सरकार इस पर कुछ कहना चाहेगी। प्रश्न यह है—4,74,636 प्राथमिक स्कूलों में से, 1,64,931 एक अध्यापक वाले कितने स्कूल विद्यमान हैं ? कागजों पर कितने स्कूल हैं, और वास्तव में कितने स्कूल विद्यमान हैं। उनमें से कितने स्कूलों के पास भवन, बेंच, ब्लैक बोर्ड आदि हैं ? हर वह व्यक्ति जो ग्रामीण विकास के प्रति चिन्तित है और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया है, जानता है कि वहां थोड़ा-सा चलने पर ही आपको छज्जों में ऐसे स्कूल चल रहे हैं। आपको ऐसे स्कूल मिल जायेंगे जहां एक-एक अध्यापक पांच-पांच कक्षाओं को पढ़ाता है। यह एक चमत्कार है। यह एक ऐसी बात है जो कि असम्भव है। एक ही अध्यापक एक ही समय में पांच अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ा रहा है। ऐसा हो रहा है। कागजों पर ऐसे कितने स्कूल हैं ? एक ही अध्यापक वाले स्कूल कहां तक सफल हो सकते हैं और उन पर स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों की कुछ हद तक भी सफलता कहां तक मिल सकेगी ? 1978 के अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 9% प्राथमिक स्कूलों के पास भवन उपलब्ध नहीं हैं। प्राथमिक स्कूलों में से 9% के पास कोई भवन नहीं है। 41.5 प्रतिशत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं। यह किसी निजी व्यक्ति द्वारा दिये गये आंकड़े नहीं हैं, बल्कि 1978 में अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण द्वारा दिये गये हैं। 53 प्रतिशत स्कूलों के पास

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

खेल-मैदान नहीं हैं। यहां तक कि 89% ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में शौचालय या मूत्रालय की सुविधाएं भी नहीं हैं। स्कूलों की यह स्थिति है और इन परिस्थितियों में हम भारत के भावी नागरिकों को किस प्रकार अच्छा बना सकते हैं ?

इस शिक्षा का अर्थ क्या है ? क्या यह शिक्षा इस स्कीम से आगे निकल जाती है या योजना में निर्धारित उद्देश्यों का केवल आभास कराती है। आज ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये गम्भीर प्रश्न हैं। मैंने चुनौतियां का उल्लेख किया है। अभी मैंने स्कूल-स्तर का जिक्र किया है, मैं विश्वविद्यालय का जिक्र नहीं कर रहा। मेरे सहयोगियों ने इस विषय पर जो काफी चर्चा की है, मैं उस पर भी नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल इसी प्रश्न पर सरकार से जानना चाहूंगा कि एक ओर जहां सरकार इस शिक्षा की समस्या से निपटने के लिए दृढ़ निश्चय किये हुए है; अब सरकार क्या इन उद्देश्यों को पूरा करने जा रही है ? क्या सरकार से किसी न्यायसंगत सीमा तक अपने इन उद्देश्यों को पूरा कर पाने की आशा की जा सकती है ? इसका उत्तर यही है कि इसके लिए रखे गये प्रावधानों, राशि को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए, सरकार अपने द्वारा रखे गये उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पायेगी। सरकार अपने उद्देश्यों को ही पूरा नहीं कर पायेगी।

अगर आप धन-राशि के आवंटन को देखें तो पायेंगे कि···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए।

बजट में दिये गये धन-राशि के आबंटन से आपको पता चलेगा कि इन राशियों से ये उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आंकड़ों को पढ़ना आवश्यक नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आंकड़े तर्कसंगत हैं, क्योंकि यह बताना आवश्यक है कि सरकार ने जो उद्देश्य रखे हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षा संस्कृति, युवा कार्य, खेल आदि समेत सारे मानव संसाधन मंत्रालय के लिए केवल 6,382.64 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो कि कुल योजना खर्च का 3.5 प्रतिशत है। हालांकि इसमें सुधार हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह 2,524 करोड़ रुपये थी जो कि कुल खर्च का 2.6 प्रतिशत भाग थी।

श्रीमन्, हालांकि योजना आयोग के मानव संसाधन विकास निधि के संचालन दल ने कहा है कि 15,400 करोड़ रु० की व्यवस्था की जाए। 15,400 करोड़ रु० से घटाकर इस राशि को 6,382.64 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे क्या होने वाला है। दल ने सुझाव दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए 6,400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि मात्र प्राथमिक शिक्षा के लिए

ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सारे बजट से अधिक की राशि की आवश्यकता होगी। प्रौढ़ शिक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके लिए 1,365 करोड़ रुपये के प्रावधान का सुझाव है। ये आंकड़े क्या साबित करते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि आपने अपनी समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिश के अनुसार, आपने आधा पैसा भी नहीं रखा है और आपने एक छोटे से अनुभाग—प्राथमिक शिक्षा—के लिए जितनी राशि चाहिऐ, उससे भी कम राशि इस मंत्रालय के लिए रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

एडुआर्डो फैलीरो : श्रीमन्, इस सीमित आबंटन से भी शैक्षिक संस्थान निश्चय ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सांविधिक वादों को पूरा कर सके, जबकि केन्द्रीय सरकार इस कार्य की भागी हो, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है और इसका राष्ट्रीय स्वरूप एक है। हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप बिना वजह राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करें। हम यह कह रहे हैं कि सभी राज्यों का समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी के लिए अनुशासन होना चाहिए ताकि आरम्भ से ही प्रत्येक बच्चे का विकास हो सके। मानव-श्रम के अलावा, अगर देश को वैज्ञानिक और तकनीकी युग में प्रवेश करना है तो उन्हें देश के प्रति भी वचनबद्ध होना चाहिए।

श्रीमन्, हम में से जो यहां बैठे हैं और जिन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया है, उन्होंने किसी के भौतिक सुखों के लिए इसमें भाग नहीं लिया था। अपने जीवन को जोखिम में डालकर, उन्होंने ऐसा किया, उनके जीवन को खतरा व चुनौती थी। अपने देश के प्रति वचनबद्धता के लिए उन्होंने ये सब किया। बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका अच्छे नागरिक के रूप में विकास होना चाहिए, देश की अखण्डता के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए और 21वीं शताब्दी की तरफ गर्व से देश को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से कल मैंने मंत्री जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन मुझे पता चला है कि उन्होने काफी संक्षिप्त और स्पष्ट भाषण दिया था। जब मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री फैलीरो को सुना तो मुझे यह शेर याद आया।

[हिन्दी]

देखना तकरीर का लज्जत जो उसने कहा,
मैंने ये जाना कि गोया ये हमारे दिल में है।

[دیکھنا تقریر کا لذت جو اس نے کہا
میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہمارے دل میں ہے]

[अनुवाद]

जहां तक माननीय मंत्री जी के कल के भाषण, या श्रीमती गीता मुखर्जी या श्री फैलीरो द्वारा

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज]

या अन्य द्वारा व्यक्त किये विचारों का संबंध है, उनसे कोई असहमति नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि मात्र विचारों का ही मतभेद है। ध्येय एक ही है। मैं बहुत मुश्किल स्थिति में हूं। प्रधान मन्त्री या श्री नरसिंह राव का जो उद्देश्य है उससे मुझे सहानुभूति है। वे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चाहते हैं, मैं उनसे सहमत हूं।

जो आंकड़े, यहां दिए गए हैं, उन्हें दोहरा नहीं रहा, मैं उन्हें छोड़ रहा हूं। मैं कुछ मूल मुद्दों को उठाना चाहता हूं। हालांकि प्रधान मन्त्री और श्री नरसिंह राव द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रति मुझे सहानुभूति है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, फिर भी मुझे कुछ उलझन हो रही है। पहले उन्होंने कहा था कि वे सलाहकार समिति में हमारे साथ विचार-विमर्श करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इसे सीधे ही संसद में पेश कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं उनसे सहमत हूं कि वे इसलिए इसे संसद में लाये, क्योंकि इसमें पहले ही काफी देर हो गई है। इस अच्छे और महत्वपूर्ण दस्तावेज को अब तक तैयार कर लिया जाना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं किया गया। जहां तक आवश्यक बातों का संबंध है। मैं श्री फैलीरो के विचारों से सहमत हूं। इस दस्तावेज को श्री नरसिंह राव के लेखक का नाम भी होना चाहिए था। उन्हें कुछ विशेषज्ञों को बुलाकर कहना चाहिए कि हमने पहले ही इतने वर्ष बरबाद कर दिये हैं, लेकिन अब हमें जल्द कुछ-न-कुछ करना चाहिए। इस दस्तावेज को शिक्षा मन्त्रालय ने तैयार किया है। मुझे इस बारे में शक नहीं कि मन्त्रालय में कई विद्वान लोग हैं, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि शिक्षा मन्त्रालय ही सारी बुद्धिमत्ता का स्वामी है। अतः यह एक भारी कमी है। जब कोई दस्तावेज तैयार किया जाता है, तो उन्हें इसका उत्तर भी देना होता है। कोठारी आयोग में 10-11 सदस्य थे, वे संकाय सदस्यों, अध्यापकों, मंत्रालय या बोर्ड से बाहर के शिक्षा विशेषज्ञों के प्रति जिम्मेदार थे। इससे इस रिपोर्ट को एक दिशा मिलती। मैं श्री फैलीरो की इस बात से सहमत हूं कि पहली दफा इस प्रकार की बहस यहां हो रही है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार के प्रमाणिक दस्तावेज की अनुपस्थिति ठीक नहीं थी। इस दस्ताबेज में अनेक अच्छी बातें हैं और मैं उस विषय में बात करूंगा, किंतु जैसा मैंने कहा इसमें लेखक का नाम भी लिखा जाना था। हम जानना चाहते हैं कि किसने इसे तैयार किया है। मन्त्रालय पाल ब्रांन की भांति यह निश्चय कर सकती है कि जो कुछ भी रसोईघर में बनाया जाता है वह अनिवार्य रूप से न तो रसोईघर में ही पैदा होता है और न ही "क्या बनाया जाए" यह निर्णय वहीं लिया जाता है। उन्होंने विशेषज्ञों से परामर्श लिया होगा, किंतु इस दस्तावेज के लेखक का नाम भी दिया जाना चाहिए था। फिर भी जैसा मैंने कहा, मैं अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा। मन्त्रालय के अपने विशेषज्ञ हैं किंतु मन्त्रालय के लिए जनता से परामर्श लेना भी आवश्यक होगा किंतु मन्त्रालय ने ऐसा नहीं किया है।

अब मैं सीधे "शिक्षा की चुनौती—नीति परिप्रेक्ष्य" पर आता हूं। मुझे मानव संसाधन विकास मन्त्री को उन गोष्ठियों के आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहिए जिनका आयोजन सद्भाव से किया गया था, और जिनसे समस्त देश में खूब चर्चा हुई है। मैं कुछ गोष्ठियों में गया हूं। मैं इन गोष्ठियों के आयोजन के लिए मन्त्रालय को बधाई देता हूं। गोष्ठियों में विभिन्न विचार व्यक्त किये

गये थे, किंतु अन्त में गोष्ठियों में कुछ बातों पर सहमति हो पाई थी और मंत्रालय को उस सहमति का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं मंत्रालय को अपनी भारी असफलताओं को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अभी-अभी, श्री फैलीरो ने दस्तावेज के इस संदर्भ में हल्के-फुल्के ढंग से उल्लेख किया। यह एक निष्ठुर अनुमति है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हमें मन्त्रालय से कोई दस्तावेज मिला है अपनी असफलताओं को स्वीकार करने में बहुत ही निष्ठुर है। किंतु बाद में, उन असफलताओं तथा बाधाओं की निष्ठुर स्वीकृति के पश्चात्, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मंत्रालय ने उन क्षेत्रों का संकेत नहीं दिया जिनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब आप सभी इस बात से प्रसन्न हैं कि आपको "मानव संसाधन विकास" से सब कुछ मिला है। खेद है मैं आपसे असहमत हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहां है ? मैंने सातवीं योजना का प्रारूप पढ़ा था। मैं यह सब आपको अपनी वाक्पटुता दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं। किंतु मैं आपको उस सामग्री के आधार पर चुनौती दे रहा हूं जो आपके सामने रखी है। आपने मानव संसाधन विकास को कौन सी प्राथमिकता दी है ? इसे वही प्राथमिकता प्राप्त होगी जो इसे पहले थी। शिक्षा के लिए भी इतनी ही राशि है। राशि कहां है ? मैं आपका ध्यान सातवीं योजना के प्रारूप की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके विषय में यहां चर्चा नहीं हुई। श्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखे इसके आमुख में, मैं देखता हूं कि सब्जियां, तिलहन और अन्य चीजें पहले आई हैं किंतु बेचारी "शिक्षा" अन्त में रखी गई है। मैं कहता हूं कि यह पृष्ठ 10 पर मुद्दा संख्या चार के अन्तर्गत है। इस दस्तावेज के आमुख में इस बात का वर्णन नहीं है कि सातवीं योजना के प्रारूप में शिक्षा द्वारा क्रान्ति लाई जानी है। मैं केवल तीन पंक्तियां पढ़ता हूं क्योंकि मेरे पास कम समय है। इसमें कहा गया है :—

> "साधनों के आबंटन की प्रस्तावित प्रणाली का उद्देश्य है कि देश, खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर रहे और वनस्पति तेलों, दालों, सब्जियों तथा उद्यानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की जाएगी।"

इसमें बहुत बाद में शिक्षा के बारे में कहा गया है। जब यह शिक्षा की ओर आता है तो दस्तावेज मानव संसाधन विकास के संबंध में कुछ कहता है। किंतु यह छठी योजना में भी देखा गया है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। मैं इसी प्रकार की शैली देखता हूं। दस्तावेज के खण्ड बारह में पृष्ठ 12 पर कहा गया है :—

> "सातवीं योजना में एक और बात जिसकी ओर अधिक ध्यान दिया आएगा, वह मानव संसाधन विकास है। सामाजिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में छठी योजना की तुलना में विशेष वृद्धि हुई है। योजना में आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता तथा गौरव के जीवन के रूप में मानव क्षमता के विकास की व्यवस्था की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेय जल तथा सफाई के प्रबन्ध की व्यवस्था के वर्तमान कार्यक्रमों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में नये सूत्रपात तथा परिवर्तन के नये उपायों के बारे में विचार किया गया है।"

मैंने इस योजना के प्रारूप का अध्ययन किया है। मुझे तो नहीं लगता है कि श्री राजीव गांधी

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

और श्री नरसिंह राव ऐसी क्रान्ति ला सकते हैं। योजना प्रारूप में इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।

अब मैं संसाधनों के संबंध में चर्चा करूंगा, मैं यह सिद्ध करूंगा कि शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी गई है यद्यपि श्री नरसिंह राव ने इस पर बहुत बल दिया है। इस संबंध में मैं आपके समक्ष एक फारसी का शेर कहना चाहूंगा जो इस प्रकार है :—

[हिन्दी]

"वह हर रंगे कि ख़्वाहीं जासे जामे भी पोश।
मन अनदाजे क़ुदत रा भी शनासम ॥"

वह महबूब से कहता है, जो लिबास तुम पहनोगे, महबूब मेल या फीमेल भी हो सकता है। न्यूट्रल जेन्डर में मैंने इसका तर्जुमा किया है। मेरे महबूब जो भी लिबास पहनोगे, मैं तो आपके कदो-कामत से आपको पहचान लूंगा। आप ह्यूमन रिसोंसिस डवलपमेंट कहिए या कुछ और कहिए।

وہ ہر رنگ کہ خواہی جامے میں پوش
من انداز قدت را بھی شناسم
[وہ محبوب سے کہتا ہے ، جو لباس تم پہنوگے ۔ محبوب میل یا فی میل بھی ہو سکتا ہے
نیوٹرل جینڈر میں میں نے اسکا ترجمہ کیا ہے ۔ میرے محبوب جو بھی لباس پہنوگے
میں تو آپکے قد و قامت سے آپکو پہچان لونگا ۔ آپ ہیومن
ریسورسز ڈیولپمنٹ کہیے ۔ یا کچھ اور کہیے]

[अनुवाद]

शिक्षा को कोई प्राथमिकता नहीं है अथवा कम से कम इसे उचित प्राथमिकता नहीं दी गई है और यही बात मैं योजना प्रारूप से प्रमाणित करना चाहता हूं। आप इसे मानव संसाधन विकास कहिए किंतु इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तथ्यों से यह पता चलता है कि हमने इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है।

"शिक्षा की चुनौती" स्थिति पत्र के बारे में कुछ कहने से पूर्व मुझे यहां कुछ मूलभूत मुद्दे उठाने हैं। मैं माननीय मन्त्री को चुनौती देना चाहता हूं और यह मेरी चुनौती है। क्या वह शिक्षा के धर्मपिता बनना चाहेंगे ? यह मेरा मुद्दा है। मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि यहां सभी लोग मुझसे सहमत हैं कि उद्योग का एक धर्मपिता तो है, वाणिज्य का एक धर्मपिता है और मुझे ऐसा कहने के

लिए क्षमा कीजिए कि प्रत्येक लाभप्रद क्षेत्र में धर्मपिता होते हैं। शिक्षा-शास्त्री, विशेषज्ञ, अध्यापक, सांसद और भारत के सभी लोग यह बात मानते हैं कि शिक्षा का कोई धर्मपिता नहीं है। क्या श्री नरसिंह राव अवसर के अनुकूल इस चुनौती का सामना करेंगे और कहेंगे कि वह शिक्षा के धर्मपिता होंगे ? मेरी इच्छा थी कि वह ऐसा करते क्योंकि हाल ही में मुझे पता चला कि जब वह आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने शिक्षा को अपने पास रखकर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का ढंग अपनाया क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने शिक्षा अपने पास रखी थी जब वह जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्य मन्त्री थे।

महोदय, तत्पश्चात् यदि आप यह भूमिका स्वीकार करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्राथमिकता की इस लड़ाई को—शिक्षा और रक्षा के बीच, शिक्षा और उद्योग के बीच, शिक्षा और वाणिज्य के बीच—कृपया समाप्त करेंगे। वाणिज्य, पर्यटन, उद्योग—यह सभी महत्वपूर्ण हैं। किंतु शिक्षा सारे विकास का आधार है। अत: उस प्रकार का महत्व इसमें नहीं है। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान केवल एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा, वह यह है कि एक छोटे से क्षेत्र में शिक्षा ने एक क्रान्ति ला दी है। मैं विस्तार में नहीं जाता हूं क्योंकि इसके लिए समय नहीं है। मैं कुछ मुद्दों का प्रमाण देता हूं। मैंने अभी आरम्भ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने 12 मिनट के लिए अनुमति दी है। आप समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महिला शिक्षा को महत्व देने के कारण मृत्यु दर तथा जनन क्षमता में क्रान्ति आई है और दोनों पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 1972 तथा 1978 की नमूना पंजीकरण योजना आंकड़ों पर आधारित जनन क्षमता दर में यह गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में 13 से 37 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 13 प्रतिशत से 44 प्रतिशत थी—यह एक छोटे क्षेत्र की स्थिति है। और मैं "शिक्षा की चुनौती" दस्तावेज के आंकड़ों को स्वीकार करता हूं। आप कहते हैं, पंजीयन में सुधार हुआ है, मैं मानता हूं। आप कहते हैं कि महिला क्षेत्र में अधिक सुधार हुआ है, मैं यह तथ्य स्वीकार करता हूं। और इस कारण, मैं आपसे कहता हूं कि शिक्षा आर्थिक विकास की पूरी स्थिति में क्रान्ति ला सकती है बशर्ते कि आप इसे प्राथमिकता दें। अत: शिक्षा और उद्योग में तुलना नहीं होनी चाहिए, कि उद्योग महत्वपूर्ण है, वनस्पति महत्वपूर्ण है, खाद्य महत्वपूर्ण है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। किंतु शिक्षा तो सभी विकास का आधार है। समय न होने के कारण मैं कोठारी आयोग की रिपोर्ट से, जो अलमारियों में धूल खा रही है से कोई पैरा नहीं पढ़ रहा हूं। किंतु मेरा विचार था कि मुझे आपको यह याद दिलाने के लिए समय मिलेगा कि कोठारी आयोग में यह लिखा है कि देश में सारी प्रगति के लिए शिक्षा का अधिक महत्व है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : खाद्य महत्वपूर्ण है या शिक्षा।

एक माननीय सदस्य : दोनों।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आप दोनों नहीं देते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब मैं प्राथमिकता की बात करता हूं —शिक्षा की प्राथमिकता की। कुछ लोग कहते हैं कि यदि शिक्षा को संघ सूची में रखा जाएगा तो उसे प्राथमिकता प्राप्त होगी। मैं कहता हूं कि आप इसको समवर्ती सूची में रखिए। किंतु किसी ने फुसफुसाकर कहा कि क्या आपको मालूम नहीं यह पहले ही समवर्ती सूची में है। मैं आपसे कहता हूं कि यह समवर्ती सूची में नहीं है। यह तो माननीय मन्त्री को मालूम होगा आप ऐसा क्यों कहते हैं अथवा साबित करते हैं कि यह समवर्ती सूची में है ? यह केवल नाम के लिए समवर्ती सूची में है। मंत्रालय को इसका स्वरूप राज्यों के सामने रखना चाहिए क्योंकि मंत्रालय के पास राष्ट्रीय स्तर के एन० सी० ई० आर० टी०, एन० आई० पी० ए०, यू० जी० सी० जैसे संस्थान हैं। अत: यदि आप स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। तो आप शिक्षा को प्रभावी रूप से समवर्ती सूची में रखने का कर्तव्य पूरा कीजिए। इसमें इस प्रकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

अब आप कोई भी बात राज्यों पर नहीं छोड़ सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको बता दूंगा कि जम्मू-काश्मीर में क्या हुआ। मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं। हमने जम्मू-काश्मीर राज्य में विज्ञान और गणित को अनिवार्य बनाया था और उन्होंने मैट्रिक पास अध्यापकों की नियुक्ति की। उन्होंने एम० एस० सी० पास की तुलना में उनको प्राथमिकता दी। राज्यों को कौन पूछने वाला है कि वह क्या कर रहे हैं। अत: मन्त्रालय को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में मैं नई क्रान्ति के लिए एक नीति प्रतिपादित करना चाहता हूं। यह ऐसा दस्तावेज है, जो मैंने पहले ही स्पष्ट किया है। जब आप आरम्भ करते हैं, तो सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि शिक्षा के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको केवल एक चीज दिखाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह पहले ही कहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने अभी कहा उससे पता चलता है कि सब कुछ महत्वपूर्ण है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जहां तक संसाधनों का संबंध है केवल 6 हजार करोड़ रुपये है। मैंने हिसाब लगाया है। यह 3 प्रतिशत से थोड़ा कम है। मैं मानता हूं कि यह 3 प्रतिशत है। यह छठी योजना से अधिक नहीं है। आपको बजट का 3 प्रतिशत मिला। अत: आप कैसे कहते हैं कि आपके पास अधिक धन है और इससे भी अधिक पैसा है जिसके बारे में मन्त्री जी ने दुर्भाग्यवश यह निर्णय लिया है कि इसे माडल स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। मैं थोड़ी देर के पश्चात् इस विष[illegible] बात करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ी देर पश्चात्।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, कुछ धैर्य रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे उलझन में डाल रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अतः यह प्राथमिक बात है। शिक्षा को विश्वव्यापी बनाना मूल बात है।-मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इसमें हस्तक्षेप करें। यह एक संवैधानिक कर्तव्य है। समय नहीं है, नहीं तो मैं कोठारी आयोग के प्रतिवेदन से पढ़कर सुनाता। कोठारी ने यह स्थिति 1976 में ही भाप ली थी। हमें उस समय वैसे भी देर हुई थी। मैं आपसे कहता हूं कि शिक्षा विश्वव्यापी नहीं हुई है। यह संवैधानिक जिम्मेदारी थी। हमने ऐसा नहीं किया है।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : आप ऐसी कोई बात क्यों नहीं कहते हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं अर्थात्, मॉडल स्कूल ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने से सहमत नहीं हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस बात से हम सहमत हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : तीन बातों पर आप सहमत नहीं हैं : शिक्षा को व्यापक बनाना, शिक्षा और आदर्श स्कूलों का लोकतंत्रीकरण करना —प्रारम्भिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और योजना के दस्तावेज में श्री मनमोहन सिंह अधिकार पूर्वक कहते हैं कि वह शताब्दी के अन्त तक शिक्षा को व्यापक बनाने में सफल होंगे। यह ठीक नहीं है क्योंकि स्वयं आपकी स्वीकृति नौवीं श्रेणी तक के अनुसार बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर 76% है। मैं मानता हूं कि मन्त्री ने इस दस्तावेज में अच्छा काम किया है। इसके आंकड़ों को मैं स्वीकार करता हूं। यह सही है। जहां तक लड़कों और लड़कियों का सम्बन्ध है, भर्ती में वृद्धि हुई है। किंतु बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर 76% है। आपको पढ़ाई छोड़ने की दर और भर्ती की दर में तुलना करनी चाहिए। एन० सी० ई० आर० टी० और हाल ही में एन० ई० पी० ए० में भी पारदर्शिका, अनुसंधान तथा आंकड़ों के बैंक बनाये गये हैं। वहां भी कुछ किस्म के आंकड़े हैं। आप इन आंकड़ों को देखिए।

मैं इनको कार्यवाही में लाने के लिए कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है और मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति सुन रहा है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : आपको दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, जब आप शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और कई बातों को जारी रखते हैं और आप संभ्रान्त वर्ग के लिए ड्रामा करते हो तब आप 2050 ई० तक भी सर्वव्यापीकरण नहीं कर पाओगे। यह मेरी चुनौती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरी और अन्य लोगों की बात सुनें। शिक्षा को सर्वव्यापी बनाए, प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाएं। जो लोग स्कूल नहीं आते हैं, उनके

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

लिए जहां वे काम करते हैं स्कूल खोले जाएं। मैं उस किस्म की शिक्षा को जारी रखने के लिए सहमत हूं। लेकिन धन कहां है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया मुझे बताएं कि हम वास्तव में किस प्रकार से बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाएं क्योंकि मैं ऐसे बहुत से राज्यों को जानता हूं जहां कानून पारित किए गए हैं। शायद मेरा अपना पहला राज्य है जहां कानून पारित किया गया है। लेकिन इसे कभी कार्यान्वित नहीं किया गया है, किया ही नहीं जा सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं जानता हूं कि मन्त्री जी शिक्षा से सम्बन्धित हैं और निश्चित रूप से इससे कुछ लाभ होगा। हम एक साथ असफल नहीं हुए हैं विज्ञान सम्भाव्यता है वैज्ञानिक हैं। हम केवल तीसरी दुनिया से ही आगे नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि जहां तक सम्भाव्यता का सम्बन्ध है हम तुलना कर सकते हैं और हम किसी भी देश के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप मेरी बात का जवाब दीजिए ताकि मेरा फायदा हो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सर, मैं अभी वही कह रहा हूं।

[پروفیسر سیف الدین سوز - میں ابھی وہی کہہ رہا ہوں -]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आपके अनुरोध का लाभ उठाते हुए एक घंटे का समय लेंगे। वह समस्या है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि वह मुझे कुछ सूचना या कुछ उपाय या सुझाव देते हैं जिन पर मैं कार्रवाई कर सकता हूं तो मैं कहूंगा कि मेरे समय को काट कर इन्हें दीजिए।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : अपने भाषण के अन्त में वह सुझाव देंगे।

[हिन्दी]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : खाली टेलीग्राफिकली लेंग्वेज में बता दीजिए और कुछ नहीं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमारा पहला आश्वासन यह है कि आप बुनियादी शिक्षा के लिए बहुत

संबंधित हो। मैं जानता हूं परन्तु यदि आप शिक्षा को लोकतंत्रीय बनाते हो। यदि आप सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने का निश्चय करते हो तब मेरे पास आपके लिए एक सूत्र है। उदाहरण के लिए आप एक आदर्श स्कूल बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप 900 करोड़ रुपये लगाएंगे। आपके पास शिक्षा के लिए 1500 करोड़ और अधिक रुपये हैं। आदर्श स्कूल के लिए इसका कुछ अंश खर्च होगा। यह आदर्श स्कूल जिले पर एस 'एक्स' संख्या के छात्रों के लिए होगा, 'वाई' बाहर रहेगा। यदि उस स्कूल में 'वाई' भी आ जाएगा तो हम इसके लिए कहां से धन लाएंगे? केवल 432 आदर्श स्कूलों के लिए आपको 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।

लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां सरकारी, प्राथमिक, मिडल स्कूलों की संख्या 7 लाख हैं। मैं मन्त्रालय के आंकड़ों को स्वीकार करता हूं। प्राथमिक स्कूलों की संख्या 5 लाख है। हमारे पास 2 लाख मिडल स्कूल हैं। इन सभी 7 लाख बुनियादी स्कूलों में लोकतंत्रीय शिक्षा होनी चाहिए। इन स्कूलों के पास चार्ट नहीं हैं। कहीं-कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है। उनके पास विज्ञान के लिए किट नहीं है और विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। एन० सी० ई० आर० टी० में मैंने एक विज्ञान किट देखी है। प्राथमिक और मिडल स्कूलों के लिए कुछ उपकरण हैं। मैंने उनकी कीमत के बारे में पूछा था··· (व्यवधान) मन्त्री महोदय को यह अधिक संबद्ध है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह अब अधिक प्रासंगिक नहीं लगता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपके लिए उस किट की कीमत केवल 500/- रुपए है। और मिडल स्कूलों के लिए यह आपको केवल 800/- रुपए में मिलेगी। यदि आप सभी बुनियादी स्कूलों को उस किट को खरीदने के लिए 500 रुपए की व्यवस्था करते हैं तो आपको 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत नहीं आएगी। क्या आपने इसकी व्यवस्था अपने बजट में की है। किसी भी तरह से नहीं की। और मिडल स्कूलों में जो धन आप खर्च कर रहे हो···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं, नहीं, यह बहुत अनुचित है आपको सीधे निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए कि हमने यह नहीं लिखा है कि प्रत्येक स्कूल को यह किट मिल रही है। हम बुनियादी शिक्षा पर कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ धन की राशि : जिसमें से, हम इन स्कूलों की हमेशा सहायता कर सकते हैं जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हम स्कूल शिक्षा कार्यक्रम की अधिक सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। अतः आपको उस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। कृपया आप मुझे यह बताएं कि इसे कैसे अनिवार्य किया जाये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह धन का प्रश्न है। धन कहां है? धन नहीं है। बुनियादी स्कूलों पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जायेगा। वह वहां नहीं है। इसलिए, मैंने कहा कि सरकारी स्कूलों में आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, आपके पास बच्चों को दिखाने के लिए चित्र नहीं है। आपके पास कोई विज्ञान किट नहीं है और आपके पास कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। तब अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करने की कोई बात ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतनम

प्रो० सैफुद्दीन सोज : शिक्षा बहुत बुनियादी चीज है आप कुछ समय बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पांच मिनट दिये थे। फिर यह 12 मिनट हो गए। अब आपने 25 मिनट ले लिये हैं। अन्यों को बोलना होगा। मुझे खेद है। यदि आपके पास कुछ और है तो आप मन्त्री जी को लिखित में दे सकते हैं। यह बहुत अधिक है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह राजनैतिक चर्चा नहीं है। यह शिक्षा पर चर्चा है।... (व्यवधान) आप मुझे दस मिनट और दें। आप सभी राज्यों के उच्चतर स्कूलों के लिए कुछ पैसा लगाइये (व्यवधान)। मैं मॉडल स्कूलों के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु इन्हें कुछ समय बाद शुरू किया जा सकता है। जहां तक किसी विषय पर जोर देने का सम्बन्ध है, यहां हम में मतभेद है, यह नहीं है कि मैं माडल स्कूलों के विचार के विरुद्ध हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री जी को बाद में सुझाव दे सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही पर्याप्त है। प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी सीट लें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं खड़ा रहूंगा। यह ठीक नहीं है। आप इसे समझते क्यों नहीं हैं? मैं हिन्दी में बात नहीं कर रहा हूं। मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं और आपको समझना चाहिए कि यह बहुत संगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से अनुमति नहीं दे सकता हूं। यह बहुत अधिक है। मुझे अन्य सदस्यों को भी सुनना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे बजट के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो आप 25 मिनट में बोले हैं वह महत्वपूर्ण नहीं था।

4.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने पहले से ही 25 मिनट ले लिए हैं। आपने उस समय सभी महत्वपूर्ण बातें क्यों नहीं कहीं।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मिनिस्टर को लिखेंगे वह अलग बात है।

[پروفیسر سیف الدین سوز - منسٹر کو لکھیں گے وہ الگ بات ہے]

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यदि आपको शिक्षा में दिलचस्पी है तो आप और समय क्यों नहीं देते ?

[हिन्दी]

आपको जल्दी क्या है ?

[آپ کو جلدی کیا ہے ۔]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री जी उत्तर दें, उस समय आप अपने मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत अधिक समय दिया है। मैं यही कर सकता हूं। श्री जीवरत्नम।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं केवल पांच मिनट चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री जी जवाब देंगे तब हम देखेंगे।

*श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नये शिक्षा कार्यक्रम के नीति परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं कुछ तथ्य और आंकड़े देना चाहता हूं जिससे यह साबित होता है कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ने शिक्षा के विकास को अधिक महत्व दिया है और हमारी आजादी के बाद पिछले 38 वर्षों के दौरान शिक्षा ने पर्याप्त प्रगति की है। 1951 में मान्यता प्राप्त

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी (रूपान्तर)

[श्री आर० जीवरत्न]

शिक्षा संस्थानों की संख्या 2,31,000 से बढ़कर 1984-85 में अनुमानित 7,55,000 हो गई है। इसी अवधि के दौरान इन संस्थानों में कुल भर्ती 240 लाख से बढ़कर 1320 लाख हो गई है। केंद्रीय तथा राज्य बजट में शिक्षा पर वार्षिक और गैर-योजना व्यय पिछले 35 वर्षों में 50 गुना से अधिक बढ़ा है अर्थात 1950-51 में जो 114 करोड़ रुपये था वह, 1984-85 में 6000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। जहां तक हमारी शिक्षा का सम्बन्ध—हमारे संविधान में भी विशेष संवैधानिक उपबन्ध रखे गये हैं। ये सभी तथ्य मेरे तर्क की पुष्टि करते हैं कि देश के विकास कार्य में शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

1990 तक 6 से 14 वर्ष बीच के बच्चों में बुनियादी शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में इसे शामिल करके 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य को प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया है। इसी तरह, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15-35 वर्ष के बीच में प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन के प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। प्रतिभाशाली बच्चों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ-साथ अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए 7वीं योजना के दौरान 432 आदर्श माध्यमिक स्कूल—प्रत्येक जिले में एक—स्थापित करने का प्रस्ताव है। आधुनिक समय में ग्रामीण बच्चों को उनके घरों के आस-पास में शिक्षा देने की चोमुखी नीति का मैं स्वागत करता हूं। मैं केंद्रीय सरकार की रचनात्मक कार्य की भी प्रशंसा करता हूं कि उसने 7वीं योजना के दौरान पूरे देश में तकनीकी संस्थानों में पुराने उपकरणों को हटाने की व्यवस्था की है।

मैं माननीय संसाधन विकास मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि देश के कई स्थानों में राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र को इंजीनियरिंग कालेज, पोलिटेक्निक, आई०टी०आई० और चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति दी जा रही है। निजी क्षेत्र अर्नजित आय को एकत्र करने के लिए इस अवसर का पूरी तरह से अनुचित लाभ उठा रहा है। वे इस तरह के तकनीकी संस्थानों को छप्परों में और झोंपड़ी में प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों के बिना चलाते हैं। वे प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से 5000/-, 10000/- 50000/- रुपए प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में लेते हैं। वे अध्यापकों को निर्धारित वेतनमान नहीं देते हैं। निजी क्षेत्र में इस प्रकार के तकनीकी संस्थानों में सभी प्रकार के कदाचार व्याप्त हैं। हमारी हमेशा यह शिक्षा नीति रही है कि गरीबों को शिक्षा दी जाये। पंडित नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और कामराज ने दलित लोगों के बीच शिक्षा को फैलाने के लिए अपने को समर्पित किया था और देश में गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा देने के लिए योजनाएं बनाई थीं। परन्तु निजी क्षेत्र में अधिक बोली लगाने वालों के लिए शिक्षा बिक्री का साधन बन गई है। मुझे विश्वास है कि हमारे योग्य और प्रतिभाशाली माननीय मानव संसाधन मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव इस समस्या पर विचार करेंगे तथा निजी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों में अनुदान शुल्क लिये जाने को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। इस तथ्य के कारण कि शिक्षा का विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में है। राज्य सरकारों ने इस तरह के तकनीकी संस्थानों को

खोलने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दी है जो कि शोषण का साधन बन गई है। इस तरह के कदाचार को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय उठाने सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को निदेश देने चाहिए और निजी क्षेत्र के अपराधी शिक्षाशास्त्री को दण्ड देने तथा यदि निजी क्षेत्र के शिक्षाशास्त्री अपने रवैये और रुझान को नहीं सुधारते तो इस प्रकार के शिक्षा संस्थानों का प्रबन्ध ग्रहण कर लेना चाहिये।

मुझे खुशी है कि दिल्ली में इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय खोला गया है और अब पूरे देश में लोग इस संस्थान के माध्यम से और देश के विभिन्न भागों में इसके प्रस्तावित केन्द्रों से अनौपचारिक तथा सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

शिक्षित युवा देश के लिए उपयोगी व्यक्ति है। हमें इस राष्ट्रीय धन को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय गतिविधि के इस पहलू को सबसे अधिक महत्व दिया है और उन्होंने इस मन्त्रालय को बनाया है तथा व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए उन सारी गतिविधियों को इस मन्त्रालय के अधीन लाए हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ राजनेता, जो राष्ट्र के प्रभावशाली विचारों की वचनबद्धता तथा अपनी बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध है, ने इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय का कार्यभार संभाला है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने 7वीं योजना में मानव संसाधन के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। जैसा कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने खनिज, तेल, विद्युत आदि जैसे प्राकृतिक साधनों के उपयोग की योजना का वायदा किया है वैसे ही वह देश के मानव संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करने में दिलचस्पी रखते हैं। वह जानते हैं कि जब तक मानव संसाधनों का विकास तथा उनका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक देश में गरीबी का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। इस मानव संसाधन मन्त्रालय को बनाने में इसने उन्हें प्रेरणा दी है और मुझे विश्वास है कि देश के उद्योगीकरण के लिए शिक्षा को सबसे अधिक शक्तिशाली साधन बनाएंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मानव संसाधनों का योजनाबद्ध विकास न होने के कारण शिक्षित युवाओं में निश्चित रूप से बेरोजगारी है। हम इस तरह अमूल्य मानव संसाधनों को खो नहीं सकते। देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के प्रयास के पीछे यही मुख्य कारण है।

पोलिटेक्निकों में पुराने पड़ गये साधनों के स्थान पर नये साधन उपलब्ध कराने के लिए सातवीं योजना में व्यवस्था है। मैं माननीय मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव से जानना चाहता हूं कि क्या इस सुविधा को निजी पोलिटेक्निकों तथा इंजीनियरिंग कालेजों में भी लागू किया जाएगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें कि क्या इस प्रयोजन के लिए इस तरह की वित्तीय सहायता निजी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों को दी जानी चाहिए।

दुर्भाग्य से तमिलनाडु में पिछले एक महीने से अध्यापक हड़ताल पर हैं। अध्यापकों को यह जानना चाहिए कि हड़ताल देश के लिए ठीक नहीं है। यदि उन्हें शिकायतें हैं तो उन्हें मुख्य मन्त्री से मिलना चाहिए और अपनी शिकायतें दूर करानी चाहिएं। उन्हें इस मामले में उनकी सलाह पर ध्यान देना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि उन्हें अपनी हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्य

[श्री आर० जीवरत्न]

मन्त्री को यह मामला सुलझाने के लिए अध्यापकों को बुलाना चाहिए। इस हड़ताल से बच्चों की शिक्षा की हानि हो रही है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यापकों की समस्या हर जगह है। दिल्ली में भी लगभग 7000 अध्यापक हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाना अध्यापकों की आदत हो गई है। वास्तव में उनकी हड़ताल के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। श्री जीवरत्न, क्या आप अध्यापकों की हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं? तमिलनाडु सरकार ने पहले से ही इस मामले में विस्तार से विचार किया है तथा उसने इस प्रयोजन के लिए एक-सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। वह यहां इन सभी बातों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? यह राज्य का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अध्यापकों से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री आर० अण्णानम्बी (पोलाची) : इस समस्या को देखने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले से ही एक-सदस्यीय आयोग नियुक्त किया हुआ है।

श्री आर० जीवरत्न : मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूं। अध्यापकों को अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। जबकि बच्चों और छात्रों की शिक्षा की हानि हो रही है, क्या हम मूकदर्शक बने बैठे रह सकते हैं। मेरा सिद्धान्त यह है कि अध्यापकों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्हें अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को उन्हें बात करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। तमिलनाडु में अध्यापकों की हड़ताल को तुरन्त समाप्त करना चाहिए। अन्त में, मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा उन सभी की जीवन-कथा को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, स्कूलों और कालेजों में अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शासन संभालने के बाद देश की वर्तमान शिक्षा स्थिति के देखते हुये, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की उन्होंने शिक्षा की ओर उस विषय पर एक तजवीज भी सदन के सम्मुख पेश की गई, जिस पर कल से बहस हो रही है। जब से यह तजवीज आई है, सारे देश में बड़ी गम्भीरता के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो रही है और—मुझे आशा है कि इन बहसों के बाद जो अन्तिम रूप से नीति निर्धारित की जायेगी, उसमें व्यावहारिक रूप से शिक्षा की

गांवों में और शहरों में दिया जाएगा और उसका लाभ सबको मिलेगा। हालांकि यह बात सही है कि जब से हम आजाद हुये हैं, तब से आज तक शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए कई आयोग बने और उन्होंने बहुमूल्य सुझाव भी दिये। कई सुझाव उनके माने गये और कुछ नहीं माने गये लेकिन आज शिक्षा की जो स्थिति है, उसके बारे में जैसा और सदस्यों ने कहा है, यह बात सही है कि तजवीज में काफी तथ्यपूर्ण बातें रखी गई हैं और वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री, श्री नरसिंह राव स्वयं कुशल वक्ता और बड़े ही योग्य प्रशासक हैं। उन्होंने इस तजवीज पर बहस शुरू करते हुये जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं समझता हूं उनसे कोई भी व्यक्ति, इस सदन में या सदन के बाहर असहमत नहीं हो सकता। वे बातें ऐसी हैं, जो सार्वभौम हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि हम प्रेगमैटिक काम करना चाहते हैं और उस समय जब वे कदम बढ़ाएंगे, तो जो भी कठिनाइयां हमारे सामने आएंगी, उन पर अवश्य विचार करेंगे।

मैं केवल दो, तीन बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा जगत में छात्रों और अध्यापकों में जिस प्रकार की राजनीति घुस गई है, उसने सारी शिक्षा नीति को तितर-बितर कर दिया है और एक उथल-पुथल सी मचा दी है और कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। यूनिवर्सिटियों और कालेजों में पढ़ाई सालों पीछे पिछड़ चुकी है और कोई भी उच्च शिक्षा का स्थान आज राजनीति से परे नहीं है। संयोग से हमारे संविधान में अध्यापकों को विधान परिषद में जाने का अधिकार भी दे दिया गया है और उनका एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है और उसका असर राजनीति पर पड़ता है। इससे यूनिवर्सिटियों और कालेजों में यूनियनें बनीं और वे राजनीति में खड़े हो गये। मैं चाहता हूं कि इस विषय में और सभी दल मिल करके, जैसा कि इस सदन में अपनी राय लोग दे रहे हैं, सहमत हों कि वे राजनीति से दूर रहें और विद्यालयों, महा-विद्यालयों और यूनिवर्सिटियों में राजनीति से परे होकर वहां एक शिक्षा का वातावरण रहेगा, अध्ययन और अध्यापन और खोज और शोध का ही वातावरण रहेगा, यह बात सोचने की है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादातर कार्य राज्य सरकारों का है। हालांकि समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है लेकिन शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने की अधिकतर जिम्मेदारी राज्यों की है क्योंकि एक राज्य और दूसरे राज्य में बहुत-सी भिन्नता है बोली के कारण, भाषा के कारण, भौगोलिक परिस्थिति के कारण और वहां की ऐतिहासिक परम्पराओं के कारण। यह चीज तो रहेगी लेकिन धीरे-धीरे शिक्षा का सरकारीकरण हो गया है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यापकों के वेतन के वितरण का काम अपने हाथ में ले लिया है, अध्यापकों की नियुक्ति सरकार के हाथ में हो गयी है और स्कूलों और कालेजों को मान्यता सरकार देती है और उसकी इजाजत के बगैर कोई स्कूल नहीं खोल सकता है। प्राइमरी एजूकेशन, जो पहले लोकल बोडीज के हाथ में थी, उसको भी उससे लेकर प्रदेश की सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद को दे दिया है। तो इस प्रकार से पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने अपने ऊपर ले ली है लेकिन राज्य सरकारों की जो स्थिति है, जिसका वर्णन और सदस्यों ने भी किया है, वह यह है कि उसके पास धन

[श्री श्यामलाल यादव]

नहीं है। इसलिए यह बात संदेहपूर्ण हो जाती है। माननीय मन्त्री जी इस बहस का जवाब देते समय, इस पर प्रकाश डालें। उनके राज्य मन्त्री ने बड़े ही लुभावने शब्दों में और आकर्षक शब्दावली में अपना भाषण किया लेकिन उन्होंने भी इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि आखिर इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए क्या साधन होंगे जो केन्द्र खर्च करेगा और क्या प्रदेश को देगा। साधन के बारे में जो सुझाव और सदस्यों ने दिये हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं मंत्री जी से अवगत होना चाहूंगा कि उन साधनों के अन्दर कैसे आज की शिक्षा चल पायेगी।

मैं समझता हूं कि आज शिक्षा को राज्य सरकारों ने एकदम उसके अन्तिम कगार पर पहुंचा दिया है। हमारे देश में जहां जनतांत्रिक व्यवस्था है, वहां शिक्षा का बोझ आम जनता को भी उठाना पड़ेगा। जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, वह उनको भी चलानी पड़ेंगी। इस देश में लोगों ने प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, कालिजों से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्थापना की। जनता ने उसमें सहयोग दिया, धन दिया और सरकार ने उन्हें मान्यता दी। बाद में सरकारों ने उन्हें अनुदान भी दिया। ज्यादा जिम्मेदारी जो प्राइवेट संस्थाएं थीं, उन पर थी।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, किस निजी संस्थान ने किया ?

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव : यह मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं जहां पर प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, डिग्री कालेज तक सब प्राइवेट लोगों ने खोले। सरकार ने उन्हें अनुदान दिया और अब सरकार ने सबका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

उसका परिणाम क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि जनता का इनिशियेटिव खत्म हो गया और अध्यापकों के राज कर्मचारी हो जाने से, पहले जो उन पर दबाव रहता था, आज कोई भी दबाव रखने में सरकार असमर्थ है। सरकार पंगु हो गई है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी बजट में नये स्कूल को ग्रांट देने की स्थिति में नहीं है। आज सरकार की किसी भी स्कूल को मान्यता देने की स्कीम नहीं है। जब सरकार ने बजट में एक पैसा भी ज्यादा नहीं रखा है तो वह कैसे किसी भी स्कूल को मान्यता देकर ग्रांट देगी। हमने खुद उत्तर प्रदेश के एक गांव में स्कूल खोला। स्कूल है लेकिन सरकार उसको मान्यता नहीं दे सकती क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में नये स्कूल को देने के लिए एक पैसा नहीं रखा है। उसके पास धन नहीं है। यह मखौल उड़ाया जा रहा है, यह हंसी उड़ायी जा रही है।

प्राइमरी एजूकेशन जो लोकल बोडीज के हाथ में थी, वह भी सरकार ने ले ली है। मैं खुद गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं। जो सुविधाएं हमारे जमाने में सन् 1930-35 में गांव के स्कूल में

मिलती थीं, वे सुविधाएं आज मेरे ग्रांड सन को हासिल नहीं हैं। क्योंकि आज वहां प्राइवेट इनिशियेटिव नहीं है। आज गांव में स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं हैं, अध्यापकों के बैठने के लिए जगह नहीं है। आज गांव में अध्यापक मिट्टी का चबूतरा बनाकर उस पर बैठता है। ऐसी आर्थिक स्थिति जब देश में है तो सब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं।

इसलिए आप प्रदेश सरकारों से बात करें। जब उन्होंने सारी जिम्मेदारी ले ली है तो लोकल बोडीज क्या काम करेंगी। आज उनका अध्यापकों पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है क्योंकि उनकी यूनियनें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद आज उन अध्यापकों पर काबिज नहीं हैं। आज अध्यापक क्या करता है, इस बात का किसी को पता नहीं लगता। पहले जिला परिषद के मेम्बर होते थे, जो म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेम्बर होते थे, उनका नियन्त्रण अध्यापकों पर होता था लेकिन वह नियन्त्रण अब खत्म हो गया है। अब वे अध्यापकों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी से शिकायत की जाती है तो वह मंत्री को रिपोर्ट पेश कर देगा। मंत्री खुद जाकर तो पता लगायेगा नहीं, वह जांच के लिए अधिकारी के पास ही आती है।

इसलिए अगर शिक्षा की नीति को आपने सफल करना है तो मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि प्राइवेट इनिशियेटिव को इस देश में पुनः प्रोत्साहन दिया जाये ताकि लोग अपना पैसा लगाएं और शिक्षण संस्थाओं को चलाएं। हां सरकार का उन पर अपना नियंत्रण जरूर रहे। वह यह देखे कि संस्थाएं चल रही हैं या नहीं। हायर एजूकेशन हो या न हो, प्राइमरी एजूकेशन हो।

हायर एजूकेशन लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे लोगों को रोजगार मिलता है। हम बच्चे को हाई स्कूल तक इसलिए पढ़ाते हैं कि उसको नौकरी मिल जाये, अगर उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको कहा कि इन्टरमीडियेट कर लो, तब भी नौकरी नहीं मिली तो कहा बी०ए० पढ़ लो, बी० ए० के बाद उसे एम०ए० कराते हैं और इसलिए कराते हैं कि उसको नौकरी मिल जाये। मजबूरी में लड़के को हायर एजूकेशन देनी पड़ती है। नौकरी न मिलने से ड्राप आऊट होता है। यह बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप नौकरी दे सकते तो लोग सब नौकरी में लग जाते। सब आदमी नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में तनख्वाह और ऊपर की आमदनी और काम कुछ करने को नहीं। पहले सात दिन काम होता था अब पांच दिन का काम हो गया है। सब आराम की नौकरी करना चाहते हैं। जिसके पास दस बीघा जमीन है, रहने को अपना मकान है, गांव का वह लड़का खलासी का काम करने के लिए रेलवे में हमारे पास आता है। वह बी०ए०, एम० ए० पास है, वह रेलवे में खलासी का काम करना चाहता है, कैजुअल लेबर का काम करना चाहता है। क्योंकि वहां तनख्वाह मिलेगी और काम करने को कुछ नहीं मिलेगा नहीं। आराम से तनख्वाह लेकर घर चला जाएगा। आप कहते हैं कि जोब्स को डिग्री से डी-लिंक कर दिया जाये। इससे और परेशानी हो जायेगी, आखिर वे बच्चे कहां जाएंगे (व्यंवधान) अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ने से समस्या का समाधान तो होगा नहीं। वे डिग्री होल्डर रहेंगे, नवयुवक रहेंगे, उनका क्या किया जायेगा ? अगर उन लोगों को जोब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वे एजूकेटेड अनएंप्लाएड में चले जाएंगे।

श्री श्याम लाल यादव : वह नहीं होगा, एजूकेटेड अनएंप्लाएड में भी उनकी स्थिति यही होगी। अगर लोगों जो जाब मिलने लगे, काम मिलने लगे तो शायद इससे वे हट जाएंगे और अपने अपने काम में लग जाएंगे, जैसे और देशों में होता है, यहां भी वैसे होगा। कोई जरूरत नहीं है कि बी०ए०, एम०ए० पास करते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, जिस स्तर पर उसको काम मिल जाएगा, वह पढ़ाई छोड़ देगा। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रारम्भिक शिक्षा यूनिवर्सल की जाए, उसके पढ़ाने की व्यवस्था हो और आप अगर यूनिवर्सल कर देतें हैं तो इतने अधिक अध्यापकों की आवश्यकता होगी कि बहुत लोगों को काम मिलेगा। बी०टी०सी० ट्रेनिंग लेकर सन् 1974 से अध्यापक का काम पाने के लिए बैठे हैं कि शायद हमको काम मिल जाये, शायद नौकरी मिल सके। बी०टी०सी०, जे० टी० सी० की पढ़ाई अब तो खत्म हो गई है, पहले एक-एक जिले में 4-4 स्कूल थे, अब एक ही स्कूल रह गया है। इस तरह से ये समस्या खत्म नहीं हो सकती, यह बात ठीक है कि एजूकेशन के जरिये बहुत अधिक लोगों का काम मिला है, गांव-गांव में काम मिला है, अपने घर के पास काम मिला है, लेकिन सरकारीकरण हो जाने से, राजनीति घुस जाने से गैर-जिम्मेवारी बढ़ गई है और लोगों को लाभ नहीं हो रहा है।

एक बात और कहना चाहता हूं थ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। थ्री लैंग्वेज फार्मूला कड़ाई के साथ लागू करना पड़ेगा अगर इस देश को एक राष्ट्रभाषा देनी है और इस देश को एकता के सूत्र में बांधकर रखना है तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला रखना पड़ेगा और राज्य सरकारों की मर्जी पर नहीं छोड़ना होगा, वे चाहे जो भी थ्री लैंग्वेज हों, हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा हो, उत्तर के लोग···।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : जो भाषा संविधान में होगी, वही तो रहेगी या कोई दूसरी हो जाएगी ?

श्री श्याम लाल यादव : जो उत्तर-भारत के प्रदेश हैं वहां उचित होगा कि दक्षिण की एक भाषा सिखाई जाये। वहां थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, लेकिन वहां हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इस तरह से जो बाई पास करते हैं, यह नहीं होना चाहिये। वहां पर यह आवश्यक है कि बाध्य रूप से दक्षिण की एक भाषा रखी जाये। दक्षिण की भाषा सीखना, बोलना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे शहर वाराणसी में सारे देश की तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, सभी भाषा के बोलने वाले वहां मौजूद हैं और वहां के लोग उन भाषाओं को समझते हैं। वाराणसी के रहने वाले लोग व्यापार में, व्यवहार में, बाजार में और धार्मिक स्थानों पर सब समझते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए प्रयास होना चाहिये। इसलिए थ्री लैंग्वेज फार्मूला में ढिलाई करने से देश की एकता पर खतरा पैदा होगा और हम कभी भी एक राष्ट्र भाषा का विकास नहीं कर सकते।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। कई जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सी जगह स्टेट्स यूनिवर्सिटीज हैं। अब स्टेट यनिवर्सिटी के कायदे-कानून, उनके वेतनमान दूसरे हैं, एक ही

शहर में, वाराणसी में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यापक को कितना मिलता है और स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यापक को कितना वेतन मिलता है, बहुत फर्क है। इसलिए यह असमानता नहीं होनी चाहिए, इसको दूर करना चाहिये। अध्यापक-अध्यापक सब एक हैं, इनको एक जैसा वेतनमान, एक सी ग्रांट स्टेट यूनिवर्सिटी को और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी को दी जानी चाहिये, भेद नहीं करना चाहिए।

आप माडल स्कूल खोलने की बात कहते हैं। आपके सेन्ट्रल स्कूल पहले से खुले हैं और वे बहुत अच्छे चल रहे हैं। जहां-जहां भी सेन्ट्रल स्कूल हैं, लोग उनमें अपने बच्चों को भर्ती कराना चाहते हैं, क्योंकि वहां अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे स्कूल हैं। आप माडल स्कूलों के लिए अधिक वेतनमान पर अध्यापक रखेंगे और अधिक साज-सज्जा का सामान देंगे, विशेष रुपया देंगे तो तमाम अध्यापकों में जलन पैदा हो जायेगी और एक नाराजगी होगी। हर जगह कोशिश होगी कि वहां पर माडल स्कूल खोला जाये, माडल स्कूल तो आपके सेंट्रल स्कूल हैं, उनको आप स्ट्रेंगदन करिए, हर में शहर में हर जिले में, बड़े-बड़े स्थानों पर इनको खोलिये। स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल और कालेज हैं, उनको पैसा दीजिये, वे अच्छे स्कूल हैं. वे भी आगे बढ़ सकते हैं। माडल स्कूलों के नाम पर नये तरीके से पैसा बरबाद करने की जरूरत नहीं है और कृपा करके ये माडल स्कूल मत खोलिये। जब आप प्राइमरी एजूकेशन नहीं दे सकते और कालेज-स्कूल नहीं खोल सकते लड़कियों की शिक्षा के लिए अनुदान नहीं दे सकते तो फिर आप माडल स्कूल मत खोलिये इससे रुपया बरबाद होगा। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बैठे हुये अफसर बड़े-बड़े लोगों की नियुक्ति करने के लिए अच्छी तनख्वाहें देना चाहते हैं, बड़े लोगों के लड़के वहां पढ़ेंगे और फायदा नहीं होगा और एक शहर में आग लग जाएगी, एक तरफ माडल स्कूल और एक तरफ साधारण स्कूल। हर स्कूल माडल स्कूल हो सकता है, उसको सहयोग दीजिये। आज प्राइमरी एजूकेशन हमारे प्रदेश में नष्ट हो गई है, राज्य मन्त्री यहां मौजूद हैं। उसका ढांचा चरमरा कर टूट गया है, वे बैठ गये हैं। कृपा करके उस शिक्षा को ऊंचा उठाइये और दूसरी जगह रुपया खर्च मत कीजिए। अगर प्राइमरी एजूकेशन ठीक तरह से चलती तो गांव-गांव में आज नर्सरी स्कूल नहीं खुलते। आज हमारे प्रदेश के गांव-गांव में नर्सरी स्कूल खुल रहे हैं और लोग अधिक फीस दे रहे हैं।

मोटर से गांवों में भेज रहे हैं इसलिए कि गांवों में पैसा दे सकते हैं। आपकी प्राईमरी शिक्षा लगभग समाप्त ही हो गई है। मैं मन्त्री जी से एक निवेदन और करना चाहूंगा। जो सबसिडी या मुफ्त में खाना दिया जाता है, वह सब रुपया गंगा जी में चला जाता है। सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की नदी में डूब जाता है। बच्चों को जो मिड-डे-मील देते हैं, वह कितने बच्चों को मिल पाता है। हमेशा इस मामले में शिकायत रहती है। सब बेकार चला जाता है। पन्द्रह पैसे की दवाई दे दें या दूसरी चीज दे दें, लेकिन सबसिडी देना, सहायता करना बेकार होगा क्योंकि रुपये का सदुपयोग नहीं होता। हमें पता है क्योंकि हम लोग गांवों में घूमते हैं। मन्त्री जी जब मेम्बर रहते हैं तो गांवों में घूमते हैं लेकिन मन्त्री बन जाने के बाद इन सब बातों को भूल जाते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय भवन में आने के बाद क्यों भूल जाते हैं। यह जानकारी होनी चाहिये कि गांवों में कैसे पैसे की बरबादी होती है। किसी भी काम के लिए अनुदान का पैसा दिया जाता है। उस सबसिडी को कर्मचारी खा जाते हैं। साबित करना मुश्किल है क्योंकि गवाही नहीं मिलेगी। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है "पीठ

[श्री श्याम लाल यादव]

मारिए, पेट मत मारिये" यानी कोई भ्रष्टाचार में कितना ही डूबा क्यों न हो, कितना भी अपराध क्यों न किया हो, उसकी नौकरी मत छीनिये भले ही उसको डंडा मार दीजिए। भ्रष्टाचार कैसे पकड़ा जायेगा। प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी क्या करेंगे, जब इस देश के वातावरण में नैतिकता की इतनी गिरावट है और यह स्तर है। अकेले कोई सुधार नहीं कर सकता। कृपा करके इन चीजों पर पैसा बरबाद न किया जाए।···(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कम्पेशन अधिक हो गया है।···(व्यवधान)

श्री श्याम लाल यादव : कम्पेशन मत करिये, उतना पैसा बरबाद मत कीजिए। कभी कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। जो शिकायत करता है वह गवाही देने से भाग जाता है। मेरा अनुरोध है कि प्राईमरी एजुकेशन पर विशेष बल दीजिए और प्राईवेट इनिशिएटिव को जिन्दा कीजिए। राज्य सरकारों से कहा जाए कि इन संस्थाओं में अधिक सहयोग दें ताकि ये अधिक मजबूत हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री के साथ सहानुभूति है क्योंकि वह धन की कमी से नहीं बल्कि साधनों की विवशता से घिरे हुये हैं। उन्हें साधनों की विवशता के भीतर ही अच्छे से अच्छा काम करना होगा। अन्यथा हम सबको विश्वास है कि माननीय मन्त्री यह जानकर कि भारतीय समाज सबसे अधिक शिक्षित समाज है कि विश्व में सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति होंगे।

4.28 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

श्री जी० एम० बनातवाला : जो प्रशंसनीय उद्देश्य रखे गये हैं उन्हें सीमित साधनों के भीतर प्राप्त करने के लिए अत्युत्तम कार्यनीति बनानी होगी।

इसलिए मैं उन कुछ ही क्षेत्रों तक जिनमें कुछ विकृतियां देखने में आ रही हैं, उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए अपनी बात सीमित रखूंगा। उदाहरण के लिए हम सभी बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देते हैं, लेकिन हमारे प्रयास उतने जोरदार नहीं हैं जितने होने चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हमें वह प्रवृत्ति भी देखनी चाहिये जो वहां है। जहां तक बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध है प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 56% प्रावधान था जो छठवीं योजना में 36% तक कम कर दिया गया। दूसरी तरफ इस अवधि में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए रखा गया प्रावधान 9% से 16% तक बढ़ाया गया। इसलिए यदि हम शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की अपनी संकल्पना के लिए कोई उपयुक्त काम करना

चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि सक्रिय उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है।

इसी तरह, मैं एक अन्य विकृति बताना चाहूंगा। जबकि हमारी 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय का केवल 44% भाग ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार करने तथा उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। हम इलेक्ट्रानिक तथा यन्त्र युग की बात करते हैं। यह अच्छी बात है, शिक्षा को आधुनिक बनाने के प्रत्येक प्रयास का स्वागत होना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही हमें यह याद रखना होगा कि हमारे यहां स्कूलों में शिक्षण के मामूली सहायक साधनों तक की कमी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है हमारे स्कूलों में ब्लेक बोर्ड तक नहीं हैं जबकि हमने कम्प्यूटर तथा अन्य ऐसे साधनों की बात करनी शुरू कर दी है। इसलिए मुझे कहना चाहिये कि हमें अपनी प्राथमिकताओं पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

शिक्षा के स्तर में भी सुधार करने की आवश्यकता है। यह सुविदित है, लेकिन मैं यहां शिक्षा प्रणाली के प्रबन्ध में सुधार लाने का जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सकने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा बनाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं। नई नीतियों के प्रति समर्पित ऐसी सेवा को आरम्भ में वर्तमान संवर्ग में से ही बनाया जा सकता है।

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रश्न पर आता हूं और यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण में इसकी एक शाखा खोलना आवश्यक है क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने में बहुत अधिक समय तथा धन खर्च हो जाता है। पहले से ही ऐसी शिकायतें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिये कि उत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अधिक अनुदान मिलता है जबकि दक्षिण क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की उचित आवश्यकताओं की भी उपेक्षा की जाती है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए दक्षिण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक शाखा खोली जाए।

चूंकि मैं केरल से आया हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि इसकी स्थापना केरल में होनी चाहिए। मैं पोन्नानी का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मेरा कहना है कि इसे पोन्नानी में खोला जाना चाहिए, लेकिन यह पूर्णतः एक अलग मामला है। प्रश्न तो वास्तव में यह है कि वहां उचित स्थान पर आयोग की एक शाखा होनी चाहिये।

हम महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। मैं यहां किन्हीं आंकड़ों तथा शब्द जाल में आये बिना यह कहूंगा कि बम्बई स्थित एस० एन० डी०टी० की तरह के महिलाओं के और अधिक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है हमें एस० एन० डी० टी० की तरह के और महिला विश्व-विद्यालयों को स्थापित करने के लिए विचार करना चाहिये। अध्यापकों को भी बहुत उपेक्षा की जाती है और उनकी समस्याओं पर भी विचार करना चाहिये। मैं देखता हूं कि आजकल अध्यापकों को पढ़ने और पढ़ाने से अधिक कागजी कार्रवाई का बोझ उठाना पड़ रहा है।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

चूंकि मेरे पास समय बहुत सीमित है, मैं इन सामान्य टिप्पणियों के साथ कुछ विशेष क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनमें व्यावहारिक कार्य नीतियों की आवश्यकता है। यह देखकर निराशा हुई है कि इस पूरे दस्तावेज में अल्पसंख्यकों और उनकी शिक्षा के बारे में एक भी शब्द नहीं है एक भी शब्द नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए व्यावहारिक कार्य नीति अपनायी जानी चाहिये।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा सुविधाओं देने के बारे में अखिल भारतीय निर्णय हैं। हम देखते हैं कि इन अखिल भारतीय निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं केवल उर्दू के प्रश्न का हवाला देता हूं। केवल उत्तर प्रदेश राज्य को ही ले लें, वहां स्थिति क्या है ? हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में जहां तक उर्दू माध्यम का सम्बन्ध है, प्राथमिक शिक्षा के लिए 1974-75 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2546 थी। स्थिति से निपटने के लिए इस संख्या में वृद्धि के बजाये गिरावट आई है। 1979-80 में यह संख्या घटकर 1756 तक रह गई। 1974-75 मे संबद्ध स्कूलों की संख्या 1460 थी जो घटकर वर्ष 1979-80 में 340 रह गई। प्रतिवेदन में दिये गये अन्य वर्षों के मामले में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात है। 1974-75 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के उर्दू माध्यम वाले स्कूलों मे छात्रों की संख्या 2,74,633 थी जो घटकर 1979-80 में 2,10,192 हो गई। माध्यमिक शिक्षा के मामले में तो यह स्थिति और भी खराब है। 1976-77 में उत्तर प्रदेश में उर्दू माध्यम वाले माध्यमिक स्कूलों की संख्या 223 थी जो घटकर 1979-80 में 87 रह गई। 1976-77 में माध्यमिक शिक्षा से संबद्ध स्कूलों की संख्या 354 की और 1979-80 में यह संख्या घटकर 101 तक हो गई। इस अवधि के दौरान छात्रों की संख्या 27,663 से घटकर 17,660 रह गई। मैं जो बात बता रहा हूं वह यह है कि अखिल भारतीय निर्णयों के अनुसार भी उर्दू माध्यम के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह ऐसा क्षेत्र है जहां उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, स्कूल और कालेज में मुस्लिम छात्रों के प्रवेश के बारे में पूरे देश में फैले हुए विभिन्न जिलों में एक सर्वेक्षण किया गया था और हम देखते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में 12.39 प्रतिशत मुस्लिम छात्र थे, माध्यमिक स्कूलों में 10.70 प्रतिशत, हाई स्कूलों 4.0, 12वीं कक्षा में 2.49 प्रतिशत, इंजीनियरी शिक्षा में 3.41 प्रतिशत तथा चिकित्सा में 3.44 प्रतिशत थी। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि ऊंची कक्षाओं में अन्य समुदायों की तुलना में मुस्लिम समुदाय के छात्र 3 से 4 गुना तक पीछे हैं। तथा जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर ऊपर उठता जाता है वैसे-वैसे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या की दर बढ़ती जाती है। इसलिए जैसाकि मैंने कहा कि इस संबंध में व्यावहारिक कार्य नीति की आवश्यकता है।

हमारे स्वर्गीय दिवंगत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्ष 1983 में अपने निदेश में सुझाव दिया था कि मुस्लिम क्षेत्रों में अधिक से अधिक तकनीकी संस्थान, स्कूल और कालेज तथा पोलिटेक्निक खोले जाने चाहिए। यह उनका सुझाव था। उस सुझाव के कार्यान्वयन के बारे में क्या किया जा रहा है ? उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था और मैं प्रधान मन्त्री जी से यह देखने के लिए

अनुरोध करना चाहता हूं कि अब नीति को अन्तिम रूप दिया जाये तब इन सुझावों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

ऐसे संस्थानों को अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये जो मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक युवा लोगों को ऊंची सेवाओं के लिए परीक्षा की तैयारी कराते हैं। इसी तरह, हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को आयकर में छूट दी जा सकती है जो अल्पसंख्यकों तथा अन्य सामाजिक दृष्टि से कमजोर समुदायों से आने वाले योग्य छात्रों को वजीफा देने के लिए आगे आएं।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लेख करना तथा यह कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के कार्यकरण में व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया जाता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना तमिलनाडू और कर्नाटक में भी घटी हैं। केन्द्र की ओर से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जामिया मिलिया नाम की एक संस्था है जिसे विश्वविद्यालय के समान समझा जाता है। इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिये। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को और अधिक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह देख कर निराशा होती है कि इस दस्तावेज में जो विशेषकर शिक्षा नीति के सम्बन्ध में तैयार किया गया है; अल्प संख्यकों के लिए विशेष नीति बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इस दस्तावेज पर राष्ट्र व्यापी चर्चा होनी है।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, कृपया समाप्त कीजिये। मैंने अगले वक्ता को आमंत्रित किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं एक सेकण्ड और लूंगा। इस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिये। नीति तैयार करने से पूर्व राष्ट्र व्यापी चर्चा आमन्त्रित करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि इन मामलों के सम्बन्ध में, जो मामले उठाये जा रहे हैं, नीति तैयार करते समय सरकार उन पर समुचित बल देगी तथा विचार करेगी।

सभापति महोदय : श्री कुरियन। अभी 20 वक्ता और हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करने की चेष्टा करें।

[हिन्दी]

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सबको बोलने के लिए समय दीजिए। 5-7 मिनट में पूरे राष्ट्र के निर्माण की बात नहीं हो पायेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : आरम्भ से यह देखने में आता है कि जो लोग शुरू में बोलते हैं, वे तो जितना समय चाहे बोल लेते हैं। और शेष लोगों की उपेक्षा की जा रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चर्चा चलती रहे। श्री कुरियन कृपया जारी रखिए।

प्रो० पी०जे० कुरियन (इदुक्की) : आप उस समय को पूरा कीजिये; जो बर्बाद हो चुका है वह मेरे हिस्से का समय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय-सीमा के मामले में मैं आपके अनुदेशों को पूरा करने की चेष्टा करूंगा। आपने जो मुझे आमन्त्रित किया; उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्व प्रथम मैं शिक्षा के सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चा आयोजित करने के लिये सरकार तथा गृह मन्त्री को बधाई देता हूं। हमारे प्रधान मन्त्री ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है और एक स्थाई शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में न केवल यहां अपितु देश भर में चर्चा की जा रही है। किन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि ऐसा केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि शिक्षा के सम्बन्ध में हम लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहे हैं। वास्तव में हमारी नीति ढंग से निदेशित और सुगठित नहीं थी किंतु इसके अतिरिक्त नीतियों का कार्यान्वयन भी नहीं हो पाया था। इसके साथ ही इन नीतियों को कार्यान्वित करने वालों में निष्ठा की कमी के कारण शिक्षा के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये गये हैं वे पूरे नहीं हो पाये हैं।

कोठारी आयोग ने शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था। कुछ सदस्यों ने उसका उल्लेख भी किया है। प्रतिवेदन इस वाक्य विन्यास से आरम्भ होता है कि भारत के भाग्य का निर्माण पाठशाला की कक्षाओं में आरम्भ होता है। यह वाक्य कोठारी आयोग का है। यह बात उसने कही है। हमने इन सिफारिशों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया और वास्तव में हमें उन्हें निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करने की चिन्ता भी नहीं थी।

शिक्षा से ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि इसे मानव संसाधन विकास का अंग समझा गया है। यह सही परिप्रेक्ष्य है। शिक्षा को गलत राह से सही राह पर पुनः लाने के लिये मैं, मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी

प्रसन्नता है कि श्री नरसिम्हा राव जैसे साहित्यिक व्यक्ति इस मन्त्रालय के अध्यक्ष हैं। किंतु प्रश्न कार्यान्वियन का उठता है। संसाधनों का प्रश्न उठता है।

शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। किंतु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में इसके लिए कुछ नहीं किया है। इस समय यह विषय पूर्णतः राज्यों का विषय बना हुआ है। यदि आप शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं; तो इसे वास्तविक रूप में समवर्ती सूची में रखा जाये और शिक्षा के संबंध में केन्द्र सरकार भी अपना उत्तरदायित्व निभाये। नीति निर्धारित कर देने मात्र से काम नहीं चलेगा।

शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार लाने का विचार करते समय सर्वप्रथम यह बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाये। प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा करने से लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि यदि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है; तो इसका आधार यही है कि प्राथमिक स्तर पर ध्यान दिया जाये। प्राथमिक स्तर पर चरित्र का निर्माण होता है। प्राथमिक स्तर पर रुझान का विकास किया जा सकता है। इसलिये प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक आधार पर कार्यान्वित किया जाए। किन्तु क्या इस समय वास्तव में ऐसा हो रहा है? वास्तव में हम प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं। आंकड़ों के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला जा चुका है कि प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य में हम कितने पिछड़े हुए हैं। इसीलिए मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं। मैं भी इसके बारे में कहना चाहता था किन्तु मेरे पास समय का अभाव है। मेरे विचार से यह बात सर्वाधिक महत्व की है कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाये।

यह अच्छी बात है कि जिलों में कुछ आदर्श स्कूल हैं। मैं यह मानता हूं कि यह अच्छी बात है। किंतु इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये और अधिक राशि का आबंटन किया जाये। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कितने ही कारणों और बाधाओं के कारण एक ओर तो हम शिक्षा की सार्वभौमिकता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं; और दूसरी ओर अनेक स्थानों में स्कूलों की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। वहां शिक्षक भी नहीं हैं। यहां तक कि हम देखते हैं स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों की इमारतें तक नहीं हैं; और न वहां शिक्षक हैं, न बोर्ड हैं और न ही कोई अन्य सुविधा ही उपलब्ध है। यही मुख्य समस्या है और इसी समस्या को सुलझाना होगा।

इसके अलावा अनेक ऐसे गांव, जनजाति क्षेत्र और पिछड़े इलाके हैं जहां प्राथमिक स्कूल तक नहीं हैं। छात्रों को स्कूल जाने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है; जो सम्भव नहीं हो पाता। इस लिए यदि शिक्षा सार्वभौमिकता का लक्ष्य पूरा करना है; तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा स्कूल यथा संभव इतनी दूरी पर स्थित हों कि हर व्यक्ति वहां पर आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा और अधिक सुविधाएं दी जायें। प्राथमिक स्कूल के लिए कम से कम अपेक्षित सुविधाएं तो दी जायें। मेरे विचार से यह बात अत्यधिक महत्व की है और इसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये।

दूसरे प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि प्राथमिक

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही खतरनाक रवैया चल रहा है। हमारी प्रणाली से इस समय दो प्रकार के नागरिक विकसित हो रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कुछ समय बाद आप दो प्रकार के राष्ट्र और सर्वथा दो प्रकार के नागरिक देखेंगे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं··· (व्यवधान) मैं केवल वही कह रहा हूं; जो मैं देख रहा हूं। वास्तव में, मैं देखता हूं कि गांवों के कुछ छात्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, अंग्रेजी फैशन की पोशाक पहनते हैं और घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं तथा अंग्रेजी में ही बोलना पसन्द करते हैं। और उसी गांव में पड़ौस के अन्य छात्र साधारण सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन्हें मातृ भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है और उनका समाज किसी दूसरे वर्ग का है। मुझे पता है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां अपने पड़ौस के अन्य छात्रों को वास्तव में हेय दृष्टि से देखते हैं। मेरे विचार से यह बहुत ही खतरनाक बात है और इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा तथा मन्त्रालय को इसके बारे में सोचना होगा। सभी राज्यों यही स्थिति है। यही स्थिति केरल में भी है। हर जगह यही स्थिति है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए यह अच्छा नहीं है··· (व्यवधान) तथापि, यदि आप चाहते हैं अपने नागरिकों का विकास इस प्रकार से हो कि उन में देश प्रेम की भावना हो, राष्ट्रीय नेताओं के प्रति प्रेम हो ···तो हमारा पाठ्यक्रम एक-सा होना चाहिए और शिक्षा का माध्यम एक सा होना चाहिए। कम से कम प्राथमिक और प्रारम्भिक स्तर तक तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। यदि अंग्रेजी पढ़ानी ही है; तो उसे एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। मैं यह मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण भाषा है। इसलिए भाषा का प्रश्न भी एक गम्भीर समस्या पैदा कर रहा है। केन्द्रीय सरकार को इसकी दिशा निर्धारित करनी चाहिए।

हजारों मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। ये स्कूल शुल्क एकत्र करते हैं। साधारण आदमी का लड़का चाहे कितना ही बुद्धिमान और दक्ष क्यों न हो; वह इन स्कूलों में प्रवेश नहीं पा सकता है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि चूंकि ये मान्यता.प्राप्त स्कूल हैं; ये शुल्क लेते हैं; तथा इन्हें सरकार ने मान्यता दी है; तो सरकार को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि इन स्कूलों में कम से कम 50 प्रतिशत स्थान निर्धन वर्ग के योग्य छात्रों के लिए हों।

उच्च माध्यमिक स्तर की बात करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस स्तर पर ये समस्याएं तो हैं ही किन्तु इसके अलावा एक और समस्या शिक्षकों से संबंधित है। शिक्षक सुप्रशिक्षित नहीं हैं। वे पूर्ण योग्यता प्राप्त नहीं हैं। इसलिये, सरकार को प्रशिक्षण के पहलू पर पर भी ध्यान देना चा हिये।

विश्वविद्यालय की शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि देश में उच्च शिक्षा की ऐसी अन्य संस्थाएं हैं जो छात्रों से प्रावेशिक शुल्क लेते हैं। प्रावेशिक शुल्क की समस्या एक गम्भीर समस्या है और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रावेशिक शुल्क लेने की प्रथा समाप्त हो जाये।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकतर शहरों के कालिजों को अनुदान देता है न की ग्रामीण क्षेत्रों के कालिजों को। दक्षिण भारत के क्षेत्रों को पर्याप्त राशि नहीं मिल रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि का बराबर-बराबर विभाजन होना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय खोले जाएं जिससे दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों के साथ भी न्याय हो सके।

श्री शांताराम नायक (पणाजी) : सभापति महोदय, "शिक्षा की चुनौती-एक परिप्रेक्ष्य नीति" नाम का प्रलेख, एक महत्वपूर्ण प्रलेख है और इस सभा में इस विषय पर चर्चा के लिए उसने ठोस आधार दिया है मैं इसके एक पैरे का उल्लेख करूंगा जो मेरे विचार से प्रमुख पैरा है तथा जिससे शिक्षा नीति के भविष्य के बारे में पता चलता है मैं उद्धृत करता हूं :—

मानव इतिहास में मानव समाज के विकास में शिक्षा की शाश्वत और आधारभूत भूमिका रही है यद्यपि ज्ञान और प्रवीणता दोनों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण, मानदण्ड, योग्यता विकासशील रहे हैं; तथापि स्थिति के बदलते परिवेश में शिक्षा से मानव को बल और समुत्थान के लिए शक्ति प्राप्त होती है और जिसके परिणामस्वरूप वह सामाजिक विकास में अपना योगदान देने में सक्षम होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रों के विकास में मानव संसाधनों ने निसंदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा का मुख्य कार्य मानव संसाधनों का विकास करना है।"

मेरा विचार है कि यह उस शिक्षा नीति को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है जिसको हम अपनाएंगे और जिसको हमें अपनाना है।

भावी शिक्षा नीति के संबंध में सुझाव देते समय हमें विषयों तथा रूपरेखाओं के सम्बन्ध में ठोस सुझाव देने होंगे इस संदर्भ में मैं अपने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा 5 जनवरी, 1985 को व्यक्त किये गये विचारों से उद्धरण देना चाहूंगा।

> "शिक्षा से हमारी राष्ट्रीय एकता तथा श्रम सम्बन्धी नैतिकता को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की गरिमा और राष्ट्रीय एकता के मामले में उसके महत्व को प्रत्येक विद्यार्थी के मन में बिठाना चाहिए। हमारे स्कूल तथा कालिजों को चाहिये कि वे युवा पीढ़ी को भारत की प्राचीन परम्परा तथा संस्कृति से अवगत कराएं। पाठ्-क्रम तथा पाठ्यपुस्तकें ऐसी होनी चाहियें जो हमारी मिली जुली सभ्यता की संकीर्ण तथा साम्प्रदायिकतावादी व्याख्या को रोकें।"

यह एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर बल दिया जाना चाहिए और राज्य सरकारो को नीतिगत निदेश दिया जाना चाहिए कि वे शिक्षा के सभी स्तरों में संस्कृति और परम्परा को विषय के रूप में सम्मिलित करें एक और पहलू है कि हमें विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिये। आज-कल पाठ्यपुस्तकों में कुछ पुरानी कहानियां हैं जो मनगढ़न्त हैं और सत्य से बहुत दूर हैं। पाठ्यपुस्तकें उन्हें 10 सिरों तथा बीस हाथों वाले भगवान के अस्तित्व के बारे में कहते हैं। हमें इस प्रकार के

[श्री शांताराम नायक]

विचारों को मिटाना है ताकि हमारे विद्यार्थी गुमराह न हो जाएं। हमें उन्हें वे कहानियां नहीं बतानी हैं जो बहुत पुराने समय की कल्पनाएं हैं और जिन पर हम भी विश्वास नहीं करते हैं अपितु, वे कहानियां बतानी हैं जो विज्ञान तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित हैं। केवल ऐसा करने से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं। इन्दिरा जी ने भी पहले अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने पर बल दिया था हम आरम्भ से ही बच्चों में यह विचार-धारा बना सकते हैं ताकि भविष्य में धार्मिक अन्ध-विश्वासी दिखाई न दें। हमारे पास इन्जीनियर, वकील, डाक्टर तथा अन्य व्यवसायी हैं किंतु मूलतः उनकी शिक्षा उचित नहीं है। हमारे पास ऐसे धार्मिक अन्ध-विश्वासी नहीं होने चाहिए जो व्यापक पहलुओं और देश के हितों को और पूरे राष्ट्र का ध्यान में नहीं रखते।

एक और पहलू है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह पर्यावरण विज्ञान तथा महासागर विज्ञान का है और विशेषकर पर्यावरण विज्ञान का। आज हम जिस स्थिति पर हैं उसमें पर्यावरण पर बल देना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने कहा है कि धार्मिक लोग राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धार्मिक लोगों को राष्ट्रीयता में अटूट विश्वास है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य नहीं मान रहे हैं।

श्री शांताराम नायक : पर्यावरण विज्ञान को आरम्भ से ही पढ़ाई में शामिल करना पड़ेगा ताकि भविष्य में पूरा विद्यार्थी समुदाय अथवा सभी नागरिक इस पहलू से अवगत हो जाएं।

एक और बात है। आजकल इस बात की मांग है कि शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची से निकाल दिया जाये। मैं इसका विरोध करता हूं। यदि हम समस्त राष्ट्र के लिए एक नीति लागू करना चाहते हैं, यदि हम शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति चाहते हैं तो शिक्षा का विषय केन्द्रीय सूची में होना चाहिए। आप इसे राज्य अथवा समवर्ती सूची में नहीं रख सकते हैं। वास्तव में या तो हमें यह विषय केन्द्रीय सूची में रखना चाहिए अथवा इसे राज्यों पर छोड़ दें। केन्द्रीय सरकार को बहुत ही बुरा अनुभव है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों की ओर ध्यान नहीं देते हैं।

5.00 म० प०

शिक्षा का केन्द्रीय सूची में रहना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए हम इसको राज्य सूची में

रखते हैं तो हम देखेंगे कि क्या होता है। जब हम विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जाने के लिए कुछ नीतियां निर्धारित करें तो हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उन नीतियों का उचित रूप में पालन न करने के लिए किसी प्रकार का दण्ड भी निर्धारित किया जाए। यदि निर्धारित की गई मूल्यवान नीतियों को लागू करने के राज्य सरकारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उनका कोई भी लाभ नहीं होगा।

दूसरी बात जो हम आजकल देख रहे हैं वह यह है कि अंग्रेजी ने अच्छा स्थान ग्रहण किया है और प्रादेशिक भाषाओं का ह्रास हो रहा है जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। यह जो नीति प्रारूप प्रस्तुत किया गया है वह भी अंग्रेजी में है। इसी नीति ने प्रादेशिक भाषाओं का ह्रास किया है। राष्ट्रीय शिक्षा-संबंधी नीति में कहा गया है :

> "अंग्रेजी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। विश्वज्ञान का तेजी से विकास हो रहा है विशेषकर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में। भारत को इस विकास को न केवल जारी रखना चाहिए अपितु, इसमें अपना विशिष्ट योगदान भी देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के अध्ययन पर और बल देने की आवश्यकता है।"

निस्सन्देह हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए किंतु, हमें विशेष रूप में यह बात निर्धारित करनी है कि अंग्रेजी को क्या भूमिका निभानी है और प्रादेशिक भाषाओं को क्या भूमिका निभानी है।

अन्त में मैं अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा हमारे संविधान ने अल्पसंख्यकों को बहुत ही मूल्यवान अधिकार दिये हैं। मैं इन अल्पसंख्यक संस्थाओं के एक पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसको ठीक किया जाना है। इन अल्पसंख्यक स्कूलों के अध्यापकों को सेवा से निकाले जाने पर अपील करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें फुटबाल की भांति बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि प्रबन्धकों के विरुद्ध किसी भी अपील को अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप समझा जाता है। इसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों को चाहे वह कोई हों, अपील करने का साधारण सा अधिकार भी नहीं है अल्पसंख्यक स्कूलों के अच्छे तत्वों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस दोष को दूर कर दें तो मैं समझता हूं कि हम जनता की सच्ची सेवा करेंगे।

*श्री के० राम चन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा की चुनौती परिप्रेक्ष्य -- के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व के लिए भोजन के बाद एक मात्र इसका

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

महत्व है। शिक्षा से मनुष्य को पशुओं की सहज वृत्ति का परित्याग कर मानवीय स्तर तक पहुंचाने में सहायक होती है। इससे मनुष्य में विद्यमान पाशविक सहज-वृत्ति की उग्रता को कम करने में सहायता मिलती है। शिक्षा उसको भले और बुरे में विवेक करने का गुण प्रदान करती है। यह उसको धर्म का सूक्ष्म भेद अथवा कर्तव्य और···सदाचार सिखाती है। यह उसको···और न्याय की सूक्ष्मताएं सिखाती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उनकी तेलुगु भाषा का अनुवाद नहीं हो सकता है।

श्री के० राम चन्द्र रेड्डी : वह अनुवादक नहीं हैं। अनुवादक कोई और है जो ऐसा कर सकते हैं। अतः शिक्षा मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह अत्यन्त उचित है कि इस जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय श्री पी० वी० नरसिंह राव जैसे अत्यन्त सक्षम व्यक्ति के हाथ में है। वह भाषा वैज्ञानिक हैं। कवि और विद्वान हैं, बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न हैं। वह एक "स्थिर प्रज्ञ" हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। वह एक बहुत ही अनुभवी प्रशासक हैं। अतः मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनके कुशल नेतृत्व में मंत्रालय में तेजी से विकास होगा। मुझे इस बात की भी आशा है कि शिक्षा का विकास होगा और उनकी कुशल देख-रेख में यह शिक्षा अपनी महक सभी ओर फैला देगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार एक ऐसा विषय रहा है जो सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। किंतु कोई भी व्यक्ति और कोई भी शिक्षा-विशेषज्ञ अपने कन्धों पर जिम्मेवारी लेने सामने नहीं आया। किसी ने भी पहल नहीं की। शिक्षा-विशेषज्ञ इस विषय को छूने से भी घबरा रहे थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह ऐसे प्राणी हैं जो कोई असाधारण जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हैं। किंतु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमें श्री पी०वी० नरसिंह राव में वह व्यक्तित्व मिल सका है जो इस चुनौती का सामना करने का बीड़ा उठा सकता है। वह सभी चुनौतियों तथा कठिनाइयों का सामना करने और सभी आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं। वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली सुधारने के लिए हर तरह कृतसंकल्प हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं करता हूं। महोदया, इस शिक्षा में पहले कदम के तौर पर वह इस विषय को माननीय सदस्यों के विचार जानने के लिए संसद में लाए। देश में भी विभिन्न मंचों पर इस विषय पर चर्चा हो रही है और विख्यात व्यक्तियों द्वारा अनेक सुझाव तथा सिफारिशें की जा रही हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि संसद में और संसद के बाहर सभी सुझावों को ध्यान में रखें और नई शिक्षा नीति पर एक बृहद् रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन सभी विचारों को ध्यान में रखें। अब माननीय मन्त्री इस बात पर दृढ़ संकल्प हैं कि वर्तमान शिक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया जाए। इसी निश्चय से उन्होंने सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सामान्य विशेषता वाले लोग इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। भर्तृहरि के शब्दों में, "अल्पमति वाला व्यक्ति बाद में आने वाले अनेक खतरों तथा चुनौतियों के भय से कोई काम अपने हाथ में नहीं लेता, सामान्य मति वाला व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने में असमर्थता के कारण काम अधूरा ही छोड़ देता है और श्रेष्ठ व्यक्ति काम अपने लेते हैं, और निष्पादित करते हैं और उसे सफलतापूर्वक

पूरा करते हैं चाहे कुछ भी क्यों न हो।" श्री पी० वी० नरसिंह राव उन श्रेष्ठ व्यक्तियों में से हैं जो चुनौतियों, खतरों और आलोचना की परवाह लिये बिना अन्त तक अपना कार्य जारी रखते हैं। इसीलिए उन्होंने संसद के अन्दर और बाहर विद्वान तथा सामान्य व्यक्ति की राय जानने के लिए एक चर्चा आरम्भ करके नई शिक्षा नीति तैयार करने का काम आरम्भ किया है। उनका यह प्रयास प्रशंसनीय है।

शिक्षा क्या है ? शिक्षा-धन किस प्रकार का धन है ? यह धन अन्य प्रकार के सभी धन से श्रेष्ठ है क्योंकि यह धन खोया नहीं जा सकता है। दूसरों को बांटने से यह कम नहीं होता है। भृतृहरि के शब्दों में, "शिक्षा की सम्पत्ति को नहीं चुराया जा सकता है क्योंकि यह अदृश्य है। इससे सुख में वृद्धि होती है। इससे प्रतिष्ठा तथा हर प्रकार की सम्पत्ति आती है। इसका नाश नहीं हो सकता है और यह अन्त तक रहती है।" ऐसी है शिक्षा की महत्ता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षारूपी धन के वितरण का दायित्व श्री पी० वी० नरसिंह राव के कन्धों पर आ पड़ा है जो इस काम के लिए उचित व्यक्ति हैं।

महोदया, देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर बात करते हुए मुझे यह कहना चाहिए कि यह अच्छी तरह से नहीं चल रही है। सारी प्रणाली रुग्ण और जीर्ण हो गई है। और इसमें अनेक दोष हैं। यह लंगड़ी हो गई है इस अप्रसन्न स्थिति का कारण प्राथमिक शिक्षा के प्रति ध्यान न दिया जाना है। महोदया, यदि शिक्षा प्रणाली की तुलना शरीर से की जाए तो प्रारम्भिक शिक्षा इसके पैर हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा इसका शरीर। शरीर बढ़ गया है और सरकार से अनेक प्रोत्साहन पाकर बहुत ही स्थूलकाय हो गया है जबकि टांगें जोकि प्रारम्भिक शिक्षा हैं किसी प्रकार का पोषण न मिलने के कारण दुबली, निर्बल और जीर्ण हो गई हैं। निर्बल टांगें एक पुष्ट शरीर का बोझ सहन नहीं कर सकती हैं। अतः इस समय हमें शक्तिशाली शरीर की ही नहीं अपितु इसको सहारा देने के लिए सशक्त पैर भी चाहिएं। अतः प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इतने वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा को भुलाया गया है। अतः हमारी प्रारम्भिक शिक्षा को सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है। मन्त्री भी इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं। मैं इसलिए यह बार-बार कहता हूं कि यह बात सामने आए कि इतने वर्ष किस प्रकार इसको भुलाया गया। इस सम्बन्ध में काफी ध्यान दिया जाना है। हम पब्लिक स्कूलों, आवासी स्कूलों और आधुनिक स्कूलों पर सैकड़ों-करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। इन स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थी मुश्किल से एक या दो प्रतिशत हैं। इन स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत सीमित है। किंतु विद्यार्थियों की इस सीमित संख्या के लिए हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। देश में लाखों प्रारम्भिक स्कूल हैं जहां पर न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं हैं। करोड़ों लड़के ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाने का अवसर ही नहीं मिलता है क्योंकि उनके लिए स्कूल ही नहीं हैं। स्कूल बिल्डिंग नहीं हैं। फर्नीचर नहीं है, चाक का टुकड़ा भी नहीं है। न विद्यार्थी हैं और न ही अध्यापक हैं। देश में प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली की यह स्थिति रही है।

कई क्षेत्रों में छात्रों तथा शिक्षकों का अनुपात चिन्ताजनक है। शिक्षक को एक समय में डेढ़

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

सौ छात्रों को सम्भालना पड़ता है। एक समय में इतने छात्रों को पढ़ा पाना असम्भव कार्य है। न ही तो शिक्षक पढ़ा पाता है और न ही छात्र सीख पाते हैं। अत: इस बारे में स्थिति को सुधारने के प्रयास किये जाने चाहिए। महोदय, प्राथमिक स्कूलों का स्तर भी अति गिरा हुआ है। एक बार मेरा एक प्राथमिक विद्यालय में जाना हुआ। वहां शिक्षक कवि श्रीनाथ की कविता का गा कर पाठ कर रहा था। मैंने उस कविता में प्रयोग हुए भुजंग शब्द का अर्थ पूछा। उसके द्वारा बताये गये अर्थ पर मुझे आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार 'भुजंग' का अर्थ बाजू के साथ संलग्न अंग था, जबकि उसका अर्थ कुछ अन्य है। महोदय, हमारे प्राथमिक स्कूलों का स्तर यह है। ऐसे शिक्षक छात्रों को क्या पढ़ा सकते हैं। अत: प्राथमिक शिक्षा के स्तर को पहले सुधारा जाना चाहिए। फिर न केवल योग्य अपितु निष्ठावान लोगों को ही शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। तभी देश में प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

महोदया, आज हम राष्ट्रीय एकता पर बहुत कुछ सुनते हैं। उसे उपलब्ध करने के लिए शिक्षा मुख्य साधन है। हम पहले ही त्रिभाषा-सूत्र अपनाये हुए हैं। गैर-हिन्दी भाषी लोग अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अब हिन्दी भी सीख रहे हैं परन्तु हिन्दी क्षेत्र के लोग त्रिभाषा-सूत्र के अन्तर्गत केवल हिन्दी। हिन्दी, हिन्दी ही सीख रहे हैं। हिन्दी-भाषी लोगों का ऐसा रवैया राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यन्त घातक है। वास्तव में हिन्दी-भाषी जनता को दूसरी क्षेत्रीय भाषा सीख कर अन्य लोगों को हिन्दी सीखने को प्रेरित करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तभी अहिन्दी-भाषी लोग हिन्दी को प्रतिष्ठा देंगे। देश में भावनात्मक एकता पैदा होगी।

महोदया, तेलगु देश की मधुरतम भाषाओं में से एक है। तेलगु कवियों के सम्राट श्रीनाथ ने शताब्दियों पूर्व इस भाषा को देश की श्रेष्ठ भाषा बताया था। बाद में विजयनगर के कवि सम्राट कृष्ण देवेरिया ने उनके मत का समर्थन किया। क्यों नहीं अन्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा इस भाषा को सीखा जाता ? आप हमसे हिन्दी सीखने को कहने से पूर्व हमारी भाषा को पहले क्यों नहीं सीखते। आदान-प्रदान से बहुत लाभ होता है।

महोदया, देश भर के लिए समान पाठ्यक्रम की चर्चा है। देश में हो सकता है समान पाठ्यक्रम का अधिक लाभ हो। हमारा देश विविधताओं वाला है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी परम्पराएं जीवन-यापन के विभिन्न तरीके पृष्ठभूमियां हैं। अत: क्या इतनी विविधताओं के बीच साझा पाठ्यक्रम सम्भव है ? इसकी भी ध्यानपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० राम चन्द्र रेड्डी : महोदय, मेरी पार्टी को दस मिनट मिले हैं।

सभापति महोदय : आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं।

श्री के० राम चन्द्र रेड्डी : नहीं, मैं नहीं समझता कि मिले हैं। अत:, इस बात का पूरी तरह

पता लगाया जाना चाहिए कि क्या पूरे देश में समान पाठ्यक्रम रखना सम्भव है और क्या एक भाषा के अन्तर्गत समान पाठ्यक्रम रखा जा सकता है। महोदय, इस समय स्थिति यह है कि एक क्षेत्र का छात्र दूसरे क्षेत्र में अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकता। उसे इस आधार पर दाखला नहीं मिलेगा कि वहां पर भिन्न पाठ्यक्रम है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के किसी भी भाग के छात्र को कहीं भी अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर मिलने चाहिए। उसे दाखले से मना नहीं किया जाना चाहिए। इस उद्देश्यार्थ सरकार को आवश्यक कानून अधिनियमित करना चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी मुझे कुछ शब्द कहने हैं। शिक्षा दो तरह की है, एक है जानकारी/ज्ञान बढ़ाने वाली दूसरी है जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त करने और रोजी-रोटी कमाने में सहायता मिल सके जिससे वे सुखमय जीवन जी सकें। ज्ञानवर्धक शिक्षा रोजगार परक शिक्षा से भिन्न है। अब समय आ गया है कि इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को पृथक किया जाए। यह मेरा सुझाव है। महोदया, मन्त्री महोदय, श्री पी० वी० नरसिंह राव ने पूरी शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार का दायित्व अपने ऊपर लिया है। यह एक नया अभ्यास है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : सभापति जी, बड़ी धैर्य और प्रतीक्षा करने के बाद, आज पूरे दो दिन के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है।··· (व्यवधान) हमारे इस मन्त्रालय का पुनर्गठन किया गया, इसका विस्तार किया गया, इसमें तमाम विषय और लाए गए और हमारे वरिष्ठ तथा योग्यतम मन्त्री को यह मन्त्रालय सौंपा गया। इससे हमें एक आशा बंधी है कि जो वादा हमारे राष्ट्र नेता राजीव जी ने किया है, उसके पूर्ण होने में सन्देह नहीं है। (व्यवधान) हमारे मन्त्री जी के सामने कितनी ही चुनौतियां हैं। विरोधी दल के जो सर्वप्रथम वक्ता थे, उन्हीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कल जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो अपनी अज्ञानता और अपने संकुचित विचारों का परिचय दिया। उन्होंने यह बताया कि अब भी मैकाले की आत्मा पूरी तरह से हावी है। कितना गलत लांछन लगाया कि हिन्दी भाषा को तमिलनाडु इसलिए स्वीकार नहीं करता कि हिन्दी में व्याकरण ही नहीं है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि भाषावादी और प्रान्तवादी बातों को न कहें। अगर यह भाषा पसन्द नहीं है तो दूसरी भाषा को अपना एडवोकेट करें। हिन्दी नहीं चाहिए तो उसके विरोध में ऐसी बात न कहें कि जिससे दूसरे लोगों को दुःख हो। यह पहली चुनौती है जो आपकी झोली में डाल रहा हूं। उससे थोड़ा ऊपर कर्नाटक की तरफ जाता हूं। कर्नाटक के माननीय सदस्य को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। शिक्षा के बारे में बड़े ऊंचे शब्द कह रहे थे। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पण्डित रामदीन के पुत्र अगम, कर्नाटक में टेक्निकल शिक्षा लेने के लिए गए थे। उन्होंने सोचा था कि वहां शिक्षा की सुविधा प्राप्त होगी क्योंकि हमारे माननीय मन्त्री जी बताते हैं कि देश में सामाजिक पैटर्न आफ सोसायटी लागू है। वे अगम साहब अभी लौट कर आये हैं, एक कुण्ठा लेकर, एक सन्देश लेकर, कि वहां तो शिक्षा की सुविधाएं नीलाम की जाती हैं और जो सबसे ज्यादा नीलामी में बोली बोलता है, उसी को टैक्निकल शिक्षा दी जाती है। जब मैंने उनसे इस कुण्ठा

[श्री रणवीर सिंह]

को खत्म करने के लिए कहा तो वे कहते हैं कि तुम कैसी बात करते हो, शिक्षा तो पूर्णत: दिल्ली की होनी चाहिए। यह कैसी साझे की खेती कि कहीं प्रान्त की हो और कहीं देश की हो। मैं यहां अपने प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी जानते हैं कि शिक्षा कुछ केन्द्र का विषय है और कुछ राज्यों का विषय भी है परन्तु हमारे उत्तर प्रदेश में वह केन्द्र या राज्य का विषय न होकर जिला परिषदों और न जाने कहां तक पहुंच गया है, यह किसी का विषय नहीं रह गया है। मैं तो कहता हूं कि वह पूरी तरह से अनाथ हो गया है। अनाथ का मतलब यह नहीं है कि उसके माता-पिता नहीं रह गए हैं बल्कि मैं अनाथ उसको मानता हूं जिसके बहुत ज्यादा माता और पिता हो गए हैं, वह उतना ही ज्यादा अनाथ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बंगलौर की तरफ भी देखने की जरूरत है और वहां होने वाली नीलामी तुरन्त रोकी जानी चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान एक दूसरे विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। जब मैं बंगाल की तरफ देखता हूं तो यहां हमारी एक बहन बड़े जोर-शोर से बोल रही थीं। मैं मानता हूं कि बंगाल में हमारे बहुत से बुद्धिजीवी हुए हैं, बंगाल में बहुत-सी विभूतियां पैदा हुई हैं और तमाम नई विचार-धाराएं आई हैं लेकिन साथ ही साथ एक वृद्ध व्यक्ति धीरे से मेरे कान में यह भी कह रहे थे कि वे तमाम विचार-धाराएं अब सूखती जा रही हैं। हम बुद्ध को भूलते जा रहे हैं और हमें कंफ्यूश्यस याद आते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द और महर्षि दयानन्द को भूलकर, न मालूम हम अपनी खिड़की खोलकर कहां के विचार ला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी आपको देखना चाहिए कि इन बातों में हम अपने विचारों को न भूल जाएं जिनसे हमारी पहचान है। वे कहीं मर न जाएं, इस दौड़ में, और दूसरों के विचार हमारे ऊपर हावी होते चले जाएं।

अब मैं उन प्रदेशों की तरफ आऊंगा जो हमारे देश का बड़ा भू-भाग हैं: जिनमें राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। आज हम देखते हैं कि राजस्थान से उठने वाली वीरों की वाणी चुप हो गई है, तक्षशिला और नालन्दा की सारी बातें समाप्त हो गई हैं, बुद्ध का संदेश शान्त हो गया है और मालवीय जी तथा सर सैयद साहब के सारे प्रयास अब ठहर कर रह गए हैं। हम इस बात पर गर्व करने लग गए हैं कि हम एक स्लीपिंग जाइन्ट हैं। उसी विषय में, हमारे मन्त्री जी कल कह रहे थे कि जिस व्यक्ति को इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करना है, वह आज स्कूल में प्रवेश कर गया है। बहुत अच्छी बात है और इस तरह उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व अपने ऊपर लिया है। आप उस व्यक्ति को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वह भिक्षा-पात्र लेकर इक्कीसवीं सदी के द्वार पर न पहुंचे बल्कि अपना कोई सटीक योगदान करने के लिए तैयार होकर पहुंचे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब मैं तमाम इस तरह के बालकों से मिलता हूं और अभी परसों ही इस तरह के कुछ बालकों से मिला था जो इक्कीसवीं सदी के लिए तैयार किये जा रहे हैं ··· (घण्टी) ··· मैं आपकी घण्टी सुन रहा हूं और समय की न्यूनता को जान रहा हूं लेकिन दो मिनट का समय और चाहता हूं। जब मैं उन बालकों से मिला तो मैंने पाया कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, पीने के लिए पानी नहीं था और पुस्तकालय नाम की तो कोई बात ही नहीं थी। क्या इस तरह के बालकों को तैयार करके हम इक्कीसवीं सदी में

प्रवेश करायेंगे। मैं तो यह जानता हूं कि आज तमाम तरह के दुर्गुण हमारी शिक्षा-पद्धति में आ गए हैं और आज वे कंस की तरह बन गए हैं। उसे मारने के लिए आज सचमुच एक ऐसे व्यक्तित्व और शक्तिशाली इंसान की आवश्यकता है और वह नरसिंह राव जी ही हो सकते हैं जो उस कंस का संहार कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं। हमें पूरी आशा है कि प्रधानमन्त्री जी ने चयन करके शिक्षा के क्षेत्र में जिस महान और सुयोग्य व्यक्तित्व के हाथों में आज जिम्मेदारी सौंपी है, वह शीघ्र ही शिक्षा-पद्धति में दुर्गुण रूपी कंस को नष्ट करेगा और इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को तैयार करेगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदया, जब कोई कुशल कारीगर बेडौल पत्थरों को गढ़ता है तो उनमें भी संगीत और लय सुनाई देने लगता है। आजकल जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो उनसे यही आशा की जाती है कि वे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। जिस तरह बेडौल पत्थरों को गढ़ कर एक कुशल कारीगर नया रूप दे सकता है, उसी तरह हमारे शिक्षक भी हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुन्दर बना सकते हैं। इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज हमने अपना जीवन किन लोगों के हाथों में सौंप दिया है, यहां हमारे शिक्षा मन्त्री जी बैठे हुए हैं, जब हमने शिक्षा का प्रारूप बनाया था तथा हमारे प्रधान मन्त्री जी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मातृ-भाषा में कहा था कि इस देश का चरित्र गिर गया है। यह देश गिर गया है और हमें अपनी परम्पराओं को संभाल कर रखना है और उन परम्पराओं पर हमें गर्व करना है क्योंकि कुछ बात है ऐसी कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, किन्तु वह हस्ती मिट जाएगी अगर आप माडर्न स्कूल्स खोलेंगे, और जो आलरेडी स्कूल चल रहे हैं उनको नहीं सुधारेंगे, तो हमारी हस्ती जरूर मिट जाएगी। आज आपके स्कूलों की क्या हालत है, इसको आप देखिए– आपके माडर्न स्कूलों के कारण एक लड़का कलैक्टर बनता है, तो दूसरा लड़का पढ़-लिख कर चपरासी बनता है। यहां पर आपके ये लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछ लीजिए आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, ये कहेंगे कि हमारे बच्चे उन गांवों के स्कूलों में नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे तो माडर्न स्कूलों में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

महोदया, हमने सोचा तो यह था कि इस देश के अन्दर जो व्यक्ति हैं उनकी कथनी और करनी में एकरूपता आयेगी, लेकिन आज हमारे नेता लोग, मैं यह बात कहता हूं तो तकलीफ तो होती है, यह कहते हैं कि इतना रुपया कहां से आयेगा। अगर आप वाकई ऐसा समझते हैं और चाहते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर सुधरे और चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में ऐसे नागरिक बनें जो भारत के स्वरूप को अपनी परम्पराओं के अनुरूप ऊंचा उठा सकें, तो आप एजूकेशन-सैस लगा दीजिए, लेकिन आप शिक्षा में एकरूपता और सबको एक-सी शिक्षा देने की व्यवस्था कीजिए। सारे देश में, सम्पूर्ण भारतवर्ष की सम्पूर्ण पाठशालाओं में बेसिक एजूकेशन और प्राइमरी एजूकेशन एकसी होनी चाहिए, लेकिन मान्यवर, एजूकेशन एकसी नहीं है, वह एजूकेशन जरूरी है, लेकिन वह हम नहीं कर पा रहे हैं।

मैडम चेयरपर्सन, आज हम कालेजों में डिग्रियां लेने नहीं जा रहे हैं, आज तो हम कागज के टुकड़े लेने जा रहे हैं। हम स्कूल में ज्ञान लेने नहीं जा रहे हैं। आज तो परीक्षा देने वाले को पसीना

[श्री मूल चन्द डागा]

नहीं है बल्कि परीक्षा लेने वाले को पसीना आ रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कब विद्यार्थी छुरा निकाल ले। इस ओर तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि हम लोग इक्कीसवीं सदी में साइंस और टैक्नोलोजी की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं। हम जो पहले से संस्थाएं हैं उनको सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे भारतवर्ष की तोपरम्परा रही है कि अपने अन्दर जो सौंदर्य छुपा है, उसे पहचानो और उसे ऊपर लाओ, जो कि आज नहीं हो रहा है बल्कि बाहर के सौंदर्य को हम अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकेकारण आज विद्यार्थियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। हम अपने अन्दर की बात को समझकर ऊपर लाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमारी परम्परा है कि वासनाओं का दमन करो और अन्दर के सौंदर्य को बाहर प्रस्फुटित करो जब अन्दर का सौंदर्य बाहर प्रस्फुटित होगा तो प्रकाश अपने आप आएगा और निरक्षरता का सर्वनाश हो जाएगा। हमारे मान्यवर कवि कबीर तुलसीदास जी ने भी कहा है कि—

"पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई,
ढाई आंखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई।"

इसलिए आप बच्चों को भारतीयता के परिवेश में शिक्षा दीजिए। आप दिनों-दिन उन पर किताबों का बोझ लादते जा रहे हैं जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं आती है। मेरा निवेदन है कि उनको शिक्षा इस प्रकार से दीजिए ताकि उनमें ज्ञान का प्रसार हो, सौंदर्य का प्रस्फुटन हो, सच्चाई और ईमानदारी आए, प्यार हिन्दुस्तान से करने की भावना पैदा हो, ये शिक्षा के मूल आधार हैं, इनका प्रभाव उनमें हो, इस प्रकार की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। तभी तो कहा गया है कि "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" इसलिए मैं कहता हूं कि एजूकेशन क्या है, एजूकेशन का मतलब है इंसान ऐसा बने जिसमें सम्पूर्ण सौंदर्य आएगा और यह बाहर से नहीं यह अपने अन्दर से आएगा, तब हम सही और सच्चे अर्थों में शिक्षा के द्वारा इंसान पैदा कर सकेंगे। यही हमारी हिन्दुस्तान की परम्परा है और इस परम्परा को निभाना ही हमारा परम-कर्तव्य है।

मैडम चेयर पर्सन, हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि जब तक हमारी अन्दर की ताकत नहीं होगी, तब तक बाहर की ताकत, यह बाहर की रौनक हमें ऊपर उठा नहीं सकती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी अपनी संस्कृति है और हमारी जो अपनी पुरानी परम्पराएं हैं उनको ऊपर उठाना है, तो मैं चाहता हूं कि आप माडर्न स्कूल खोलने के पहले, सारे भारतवर्ष में सब स्कूलों में एक सी शिक्षा देने की कृपा करें।

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति महोदया, मुझे आखिर में बोलने के लिये समय मिला है, इस कारण समय भी कम है। मैं इस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं कि आज तक हमारे देश में किस प्रकार की नीति अपनायी गई और उसके क्या परिणाम हुए।

प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने जो कदम उठाया है उसका उद्देश्य यही है कि भविष्य में

किस प्रकार की नीति को निर्धारित करना है जिससे जो हमारी कमियां और खराबियां हैं, वह सब दूर हो सकें।

महोदया, एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में पहले जो कुछ सोचा गया वह केवल कुछ सीमित लोगों ने सोचा। जिसका नतीजा यह हुआ कि इस देश की जो इच्छा शक्ति इस परिवर्तन के लिये थी, वह हम पूरी नहीं कर पाये। दूसरा इस विषय में साधनों की कमी भी रही है। यह जो मसौदा है, जो कि पूरे देश में सामने रखा गया, इसका सही मंथन हुआ है। निश्चित रूप से जब समुद्र का मंथन होता है तो उसमें से अच्छी चीजें निकलती हैं, जैसे कि अमृत और विष दोनों निकलते हैं। वही अमृत हमारे देश को आगे बढ़ायेगा।

प्रधान मन्त्री जी ने यह विभाग ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द किया है जो कि इस विष को पी जायेगा और अमृत इस देश में फैला सकेगा।

हम कितनी भी अच्छी नीति बना लें, लेकिन जब तक साधन नहीं देंगे, तब तक सब बातें कार्यान्वित होने वाला नहीं है। आपने सुझाव दिया है कि गांवों में वहां की कालोनियों से शिक्षा का विस्तार करवायेंगे और जो बिजनैस हाऊसिज हैं, उनसे कम्यूनिटी एजुकेशन का विस्तार करायेंगे। मैं समझता हूं कि यह सब न-कामयाब होने वाला है। आपने अपना बजट इसी प्रकार से बनाया तो दूसरे जो दबाव है वह कभी भी शिक्षा को अधिक पैसा देने के लिये तैयार नहीं होंगे। जहां हमने एक तरफ कुछ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है, वहीं दूसरी तरफ अच्छा-खासा सम्पन्न तबका भी देश भी बना दिया है। जो चीजें लग्जरी में आती हैं जैसे रिफ्रिजरेटर, एयरकंडिशन और कारें, इनके ऊपर आप क्यों नहीं अधिक टैक्स लगाते। जो बीड़ी, सिगरेट और देशी या अंग्रेजी जैसी भी शराब का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर आप क्यों नहीं टैक्स लगाते। डीजल और पैट्रोल पर टैक्स लगाये। सार्वजनिक उपयोग के अलावा सम्पन्न लोग ही उपयोग करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं को छोड़कर जो लग्जरी आइटम्स हैं, उन पर टैक्स बढ़ा दें। ऐसा करने से ही हम शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च कर पायेंगे और साधन जुटा पायेंगे। यह साधन शिक्षा के लिए अलग से निश्चित कर दिया जाये।

दूसरा, हमने आज तक देखा था कि अभी तक हमारी काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं थी। जिससे भी इस बारे में बात करते थे वह इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। इसी कारण इसमें उदासीनता आई। वह कहते थे कि इस देश का भगवान ही मालिक है, कहां हमारी शिक्षा जायेगी और कहां हम शिक्षा को ले जायेंगे। आज खुशी की बात यह है कि आम साधारण नागरिक में यह विश्वास पैदा हुआ है कि हम शीघ्र ही एक अच्छी नीति का निर्धारण करने वाले हैं और उसका कार्यान्वयन अवश्य होगा।

अब मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। मैं सेकेण्डरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात नहीं कहना चाहता। प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जहां से अच्छा इंजीनियर, वैज्ञानिक, टेक्नीशियन बनाने से पहले अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक और अच्छा भारतीय

(श्री के० ए० प्रधान)

बनकर निकलता है ! हम अगर अच्छा नागरिक और भारतीय नहीं बना पायें तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे तेलगू देशम के माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसके साथ करीकुलम कैसे हो ? मैं यह कहना चाहता हूं कि एक-सा करीकुलम क्यों नहीं हो सकता है। मातृभाषा में यदि शिक्षा दी जाए तो क्या यह सही नहीं है। हम बच्चे की मानसिकता का विकास करने की कोशिश करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम उसको अपने देश का इतिहास पढ़ायें, हम उसको अपने देश का भूगोल पढ़ायें। हम उसको पढ़ायें कि हमारा देश वह देश है जिसमें गंगा बहती है। वह भले ही मैली हो गई हो लेकिन उसकी पवित्रता हमेशा से इस देश में कायम रही है और आगे भी कायम रहेगी। हम अपने बच्चों को शुरू से ही बहुत सारी बातें सिखाते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि साम्प्रदायिकता और जातिवाद हमारे लिए बुरे हैं। हम उनको यह भी सिखा सकते हैं कि छोटा कुटुम्ब उत्तम होता है और बड़े कुटुम्ब में बहुत सारी खराबियां होती हैं।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रधान, अब समाप्त करें। आधे घण्टे की चर्चा ली जाती है।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान : मैं एक सुझाव देकर समाप्त कर रहा हूं। आप प्राथमिक शिक्षा को पांचवीं तक ही मानते हैं। परन्तु आज गांव-गांव में स्कूल नहीं हैं इसलिए आप गांव-गांव में स्कूल खोलने की व्यवस्था कीजिए और केवल दूसरी कक्षा तक का स्कूल खोलिए। एक शिक्षक रखिए।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, कल उत्तर देंगे। अब श्री वृद्धि चन्द्र जैन के आधे घण्टे के प्रश्न पर चर्चा होगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या हम आधे घण्टे की चर्चा के समाप्त होने पर आज इस मामले को नहीं लेंगे।

सभापति महोदय : नहीं।··· (व्यवधान)

क्या बात है। मैंने श्री वृद्धि चन्द्र जैन को बुलाया है।

———

5.32 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, 1984-85 में देश में युद्ध स्तर पर दूरदर्शन केन्द्र भारतवर्ष के महत्वपूर्ण स्थानों में, कहीं जिला मुख्यालयों में, कहीं महत्त्वपूर्ण शहरों में स्थापित किए गये थे तो हमें आशा बंधी थी कि दूरदर्शन का विस्तार सारे भारतवर्ष में फैल जायेगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी और एक भी गांव इस प्रकार का नहीं रहेगा जो दूरदर्शन से लाभ न उठा सके। परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, 700 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है वह बहुत ही अपर्याप्त है। जिस प्रकार का हमें जवाब मिला है उसके अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर जिले तो अवश्य ही लाभान्वित हो सकेंगे परंतु जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर जिले इससे लाभान्वित नही हो पाएंगे जोकि सीमावर्ती जिले हैं। यह जो दूरदर्शन का विस्तार हो रहा है और दूरदर्शन के लिए योजना में जिस प्रकार की उपेक्षा की गई है उससे बड़ा भारी दुख होता है। मैं विशेष तौर से सीमावर्ती जिलों के लिए इसलिए जोर देना चाहता हूं कि हमारी सीमा से लगा हुआ पाकिस्तान है जिसके दूरदर्शन के कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर तथा बीकानेर जिलों में देखे जा सकते हैं। अभी हमारा जो वह क्षेत्र है, विशेष तौर से बाड़मेर जिले में केवल दस प्रतिशत जनसंख्या ही दूरदर्शन का लाभ उठा पा रही है। जैसलमेर की दस प्रतिशत जनसंख्या ही इसका लाभ उठा रही है तथा गंगानगर जिले की 25 प्रतिशत जनसंख्या लाभ उठा रही है। इसी प्रकार जोधपुर की 20 प्रतिशत जनसंख्या लाभ उठा रही है और बीकानेर जिले की 15% जनसंख्या दूरदर्शन का लाभ उठा पा रही है जबकि शेष भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या इसका लाभ उठा रही है। तो सीमावर्ती इलाकों की यह स्थिति शोचनीय है। अभी सातवीं योजना में बाड़मेर, जैसलमेर जिलों को लिया गया है परन्तु मैं चाहता हूं उसके साथ-साथ जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर जिलों को भी उसमें शामिल किया जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं राजस्थान के जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं — जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर उन सभी को दूरदर्शन से जोड़ा जाये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश के सभी डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को हाई पावर ट्रांसमीशन से जोड़ने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी हिस्से हैं, उन जिले हेडक्वार्टरों को हाई पावर ट्रांसमीशन से जोड़ने की कोशिश करें, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के सभी जिले उसका लाभ उठा सकें। इस बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक — बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जो उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं, वे कितनी शक्ति, कितने क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को लाभ पहुंचाएंगे तथा कितनी दूरी तक वे कार्य कर सकेंगे? क्या सारे जिलों और नगरों को कवर कर सकेंगे? यदि नहीं तो क्या एक और दस किलोवाट की उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाकर सारे गांवों और

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

नगरों का दूरदर्शन का लाभ पहुंचाया जाएगा ? दो—बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर द्वारा दूरदर्शन का कार्य कब शुरू किया जाएगा ? कब तक उसको पूरा करके दूरदर्शन का लाभ ग्रामीण जनता और शहरों को लाभ पहुंचाया जाएगा। क्या इस दूरदर्शन को एक साल के असें में ही युद्धस्तर पर पूरा किये जाने का कार्यक्रम है ? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन की स्थापना करने में दूसरों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जाएगी ? क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र जो देश के प्रहरी हैं उनका मनोबल बढ़ाना है और देश के विकास की जानकारी देनी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं, जब पाकिस्तान का दूरदर्शन हमारी सीमा में कार्यक्रम देते हैं, तो क्या हमारे कार्यक्रम ऐसे होंगे, जो उनकी सीमा में पहुंच सकें और उनके कुप्रचार का हम भली-भांति जवाब दे सकें ? क्या आप जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर जिलों को भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करेंगे, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाया जा सके ? क्या केन्द्रीय सरकार दूरदर्शन के लिए 700 करोड़ रुपये के स्थान पर 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सभी जिलों और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को दूरदर्शन का लाभ पहुंचाएंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं, अभी तक राजस्थान प्रान्त में जो दूरदर्शन का विस्तार है, उसमें कितने प्रतिशत जनता को लाभ पहुंच रहा है और कितना क्षेत्रफल उससे लाभान्वित हो रहा है। आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रतिशत जनता को लाभ पहुंचा सकेंगे ?

मैं चाहता हूं कि दूरदर्शन जो शिक्षा का एक बड़ा माध्यम हो सकता है और माध्यम है, मनोरंजन का भी माध्यम है, उसका विस्तार करना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो सरकार द्वारा कायम की गई है, उसकी एजूकेशन का भी दूरदर्शन के द्वारा हो। इस संबंध में आप की क्या नीति है, कृपया आप प्रकाश डालें ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं दूरदर्शन की सामान्य स्थिति बताना चाहूंगा और कुछ सामान्य जानकारी दूंगा।

जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं हमारे पास तीन तरह के ट्रांसमीटर हैं। एक है न्यून शक्ति वाला ट्रांसमीटर। यह 100 वाट का होता है। इसकी सामान्य क्षमता पच्चीस से तीस किलोमीटर तक होती है।

फिर एक किलोवाट का उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर है। इसका क्षेत्र विस्तार लगभग 60 किलोमीटर है तीसरा है 10 किलोवाट का उच्च शक्ति क्षमता वाला ट्रांसमीटर जिसकी सामान्य क्षमता 120 किलोमीटर है। छठी योजना के दौरान कुछ काम स्वीकृत किया गया था तथा कुछ कार्य किया गया था। जैसा कि सभा को पता है हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री महोदया के निर्देशन में 1984

में विशेष योजना तैयार की गई थी और हमने कुछ ऐसी बेजोड़ उपलब्धियां प्राप्त की थी जैसी कि किसी अन्य देश ने प्राप्त नहीं की । 116 नये ट्रांसमीटर प्रति दिन एक ट्रांसमीटर चालू किया गया। पूरा देश हमारे उन इंजीनियरों तथा प्रशासकों द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा करेगा ।

स्वभावत: आज अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। आप जहां भी जाएं लोग दूरदर्शन की मांग करते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है । छठी योजना की परियोजनाओं के सम्पन्न होने पर अभी भी कुछ क्रियान्वित के लिए बची हुई है—अनुमानतः लगभग 70 प्रतिशत आबादी को दूरदर्शन सुविधा दी जाएगी ।

योजना आयोग ने दूरदर्शन के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें न केवल राज्य में ट्रांसमीटरों का विस्तार सम्मिलित हैं, अपितु स्टूडियों उपकरणों का बदला जाना इत्यादि भी सम्मिलित है।

इस समय मैं समुचित ट्रांसमीटरों के विस्तार के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा दूंगा ।

अत: कुल राशि 700 करोड़ है । हमने बहुत अधिक मांगी थी परन्तु योजना आयोग ने अन्य आवश्यकताओं यथा विद्युत सिंचाई इत्यादि को उच्च प्राथमिकता दिये जाने के कारण इतना ही मिल सका ।

अब, हमने कौन से मापदंड लागू किए हैं ?हमने दो मापदंड लागू किए हैं। पहली है जनसंख्या। क्योंकि दूरदर्शन का पूरा उद्देश्य यही है कि अधिकतम जनसंख्या तक पहुंचा जा सके । अत: इससे स्पष्ट है उन क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाना सही नहीं है जहां पर कि जनसंख्या कम है । द्वितीय विचारण है जिसे कि हम महत्व दे रहे हैं तथा पहले भी देते आए हैं, वह सीमा क्षेत्रों के बारे में है । इस समय मैं आपको आंकड़े दूंगा कि इस बारे में हमने क्या कार्य किया है। परन्तु मुख्य कसौटी जनसंख्या है तथा मुझे उम्मीद है कि सभा मेरे साथ सहमत होगी । यदि कोई संकेत दिया जाता है जिसे कोई सुनता नहीं तो वहां पर ट्रांसमीटर लगाने का कोई उपयोग नहीं है । आज भी जब हम कहते हैं कि छठी योजना की सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर सत्तर प्रतिशत जनसंख्या इसके अन्तर्गत आ जायेगी। अत: आवश्यकता पर्याप्त संख्या में सेटों की है। मोटे हिसाब से आज भारत में लगभग 50 लाख टी० वी० सेट हैं । तथा लगभग 7 करोड़ लोग दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं। उनके लिए संकेत उपलब्ध हैं। 70 प्रतिशत का अर्थ है। 54 करोड़ । परन्तु देश में पर्याप्त मात्रा में टी० वी० सेट उपलब्ध नहीं हैं। प्रति वर्ष 20 लाख टी०वी०सेटों के निर्माण से आने वाले पांच वर्षों में टेलीविजन देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जायेगी । आज संकेत 65 प्रतिशत जनता के लिए उपलब्ध हैं। परन्तु जब छठी योजना की सभी परियोजनाएं सम्पन्न हो जाती हैं, तब यह संख्या लगभग 70 प्रतिशत हो जाएगी ।

अब सीमा क्षेत्रों के संबंध में, हमें उन्हें अधिकतम सम्मिलित करने की चेष्टा करनी चाहिए। अमृतसर भटिंडा जैसे स्थान हैं ।

[श्री वी० एन० गाडगिल]

जम्मू और कश्मीर में भी शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे और छठीं योजना में द्वारका को शामिल किया ही गया है। तो ऐसा नहीं है कि सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा नहीं है। वहां भी वही बात लागू होती है कि जनसंख्या के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वह सीमावर्ती क्षेत्र है।

जहां तक मौजूदा स्थिति का सम्बन्ध है, आजकल 174 ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। इनमें से 42—चाहे एक किलोवाट के हों या 10 किलोवाट के—उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर हैं, 132 कम शक्ति के ट्रांसमीटर हैं। जैसा कि मैंने बताया था 65 प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन के कार्यक्रम देख पा रही है। छठी योजना में कुछ ट्रांसमीटर निर्माणाधीन हैं। उनके पूरे हो जाने पर 191 ट्रांसमीटर हो जाएंगे और 70 प्रतिशत जनसंख्या इसका लाभ उठाएगी। सातवीं योजना के अन्त तक, जितनी धनराशि हमें मंजूर की गई है, उससे ट्रांसमीटरों की कुल संख्या बढ़कर 372 हो जाएगी और 80% जनसंख्या दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकेगी।

अब मैं राजस्थान पर आता हूं। माननीय सदस्य ने छः स्थानों का उल्लेख किया है। एक तथ्य जिसका उल्लेख किया जाना जरूरी है, यह हैं, कि बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर – सभी में आज कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां कम शक्ति के ट्रांसमीटर हैं। जहां तक पहले तीन स्थानों अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर और कोटा का सम्बन्ध है, वहां सातवीं योजना में 10 किलोवाट के उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये जाएंगे।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान ही ऐसा राज्य है, और मध्य प्रदेश तो अपवाद है, जहां सातवीं योजना में 10 किलोवाट की उच्च शक्ति के तीन ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे। राजस्थान की ओर हमने ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि आज भारत में जनसंख्या-वार राजस्थान और मध्य प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां बहुत कम लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम देख पाते हैं। इसलिए हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन हमने सातवीं योजना में राजस्थान में तीन उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर और कम शक्ति के कई ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय लिया है। वास्तव में, इस समय जयपुर में ही एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर है। राजस्थान में कम शक्ति के 12 ट्रांसमीटर हैं। सातवीं योजना में वहां कम शक्ति के 13 ट्रांसमीटर और लगाये जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप राजस्थान में मौजूदा 43.8 प्रतिशत जनसंख्या की तुलना में 62.3 प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकेगी अर्थात् इसमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। राजस्थान पर हमने इस तरह ध्यान दिया है।

मैं एक बात,—मैं बहस के लिए मुद्दा तैयार नहीं कर रहा – का उल्लेख करना चाहता हूं। सातवीं योजना में प्रस्तावित उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों के माध्यम से जितनी जनसंख्या दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकेगी उसका ब्योरा इस प्रकार है। बाड़मेर में 20.59 लाख और जैसलमेर में 3.71

लाख व्यक्ति दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकेंगे। मोटे तौर पर दोनों जगह 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण हमने इस ओर कितना ध्यान दिया है। उच्च शक्ति के प्रत्येक ट्रांसमीटर की लागत लगभग 4 करोड़ रुपए आएगी। जैसलमेर में 3.7 लाख व्यक्ति दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकेंगे, इसके बावजूद हम 4 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम्) : आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ऐसा किया गया है। अगर आप आर्थिक आधार पर, लागत लाभ के अनुपात को सख्ती से वहां लागू करें तो ऐसा करना उचित नहीं है। आर्थिक मापदण्ड, लागत लाभ अनुपात के आधार पर 3.7 लाख जनसंख्या पर 4 करोड़ रुपए व्यय करना उचित नहीं है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते हम जैसलमेर में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाना चाहते हैं। बाड़मेर के बारे में भी यही बात लागू होती है। अगर ये ट्रांसमीटर घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगाए जाते तो 50, 60 या 70 लाख व्यक्ति दूरदर्शन के कार्यक्रम देख पाते। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण विशेष रूप से ऐसा किया गया है।

सातवीं योजना में सामान्यतः हम सीमावर्ती क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, द्वारका और रामेश्वरम् के अलावा हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम शक्ति के 46 ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव रख रहे हैं क्योंकि वहां से भी यही शिकायत मिली है कि बंगलादेश टेलीविजन के कार्यक्रम तो वहां के टेलीविजनों पर आते हैं लेकिन हमारे कार्यक्रम नहीं। इसीलिए हमारा प्रस्ताव है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम शक्ति के 46 ट्रांसमीटर लगाए जाएं।

मैं सदन को एक और बात बताना चाहता हूं, जहां भी उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं, उनकी सामान्यतया ऊंचाई 110 मीटर होती है। और कार्यक्रमों को 120 किलोमीटर तक देख सकते हैं। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर के मामले में हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि 300 मीटर ऊंचा टावर बनाया जाये, यह आर० सी०सी० या इस्पात का हो, यह निर्णय तो विशेषज्ञ ही लेंगे, ताकि उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर का प्रभाव क्षेत्र 120 के बजाय 140 किलोमीटर हो जाए। इसके लिए हम 300 मीटर ऊंचे टावर के लिए स्वीकृति दे रहे हैं।

जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया अगर आप चाहें तो मैं क्षेत्रवार आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि जोधपुर जिले के 9 प्रतिशत क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं, सातवीं योजना के अन्त तक यह प्रतिशत बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। बीकानेर में वही 7 प्रतिशत ही रहेगा। गंगानगर में वही 36 प्रतिशत रहेगा। दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने वाली जनता के प्रतिशत में वृद्धि होगी, लेकिन क्षेत्र वही रहेगा क्योंकि इसे 100 वाट से बढ़ाकर 10 किलोवाट कर दिया जाएगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गंगानगर में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि माननीय सदस्य ने अपनी व्याख्यात्मक टिप्पणी में, जो मुद्दे उठाये थे, उनमें से एक मुद्दा यह भी था। अमृतसर और भटिंडा में भी ट्रांसमीटर हैं इसलिए अगर हमने उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया तो इससे दो-दो ट्रांसमीटर हो

[श्री वी० एन० गाडगिल]

जाएंगे। इससे भी पंजाब को फायदा होगा और ऐसा करना व्यर्थ होगा। ये कार्यक्रम उसी जनता को देखने को मिलेंगे। अतः हमारा प्रस्ताव गंगानगर में ट्रांसमीटर लगाने का नहीं है।

जहां तक जोधपुर का संबंध है, हमारे विचार से यह सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह सीमा से काफी दूर पड़ता है।

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बीकानेर भी सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है और सीमा से दूरी पर स्थित होने के कारण हमें लागत लाभ अनुपात पर विचार करना पड़ेगा। भारत के सभी भागों के सम्बन्ध में हमने यही मापदंड लागू किया है। जैसा कि मैंने बताया गंगानगर के मामले में दोहरी व्यवस्था हो जायेगी। अन्त में अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि 10% जनसंख्या दूरदर्शन के कार्यक्रम देख पाती है। सही बात है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि केवल 10% जनसंख्या ही दूरदर्शन के कार्यक्रम देख पाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सातवीं योजना से इसमें वृद्धि होगी। क्षेत्र में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि होगी और प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। इसका प्रभाव क्षेत्र 140 किलोमीटर होगा जबकि भारत में किसी भी उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर का प्रभाव क्षेत्र केवल 120 किलोमीटर है। हमने सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया है। संसाधनों की दिक्कतों के होते हुए भी हम 700 करोड़ रुपयों में से स्टूडियो और अन्य बातों को छोड़कर, टेलीविजन ट्रांसमीटर के विस्तार पर 107 करोड़ रुपये व्यय करेंगे और इस धनराशि में से सबसे अधिक दो राज्यों, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर व्यय किया जाएगा क्योंकि हम मानते हैं कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में इन दो राज्यों में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने वालों का औसत बहुत कम है। हम सबके प्रति निष्पक्ष रहने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, मैं मन्त्री जी को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ-साथ जो सात सौ करोड़ रुपया दूरदर्शन के विस्तार के लिए रखा है, उसमें बहुत कुछ उनके प्रयासों का फल है। वृद्धि चन्द्र जी को उनको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिल पाया। मैं उनकी तरफ से भी मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं उनकी तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं तो कहीं-कहीं पर मेरे दिल में कोई चीज ऐसी खटक रही है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने बड़ी मेहरबानी करके यह कहा कि जितने बार्डर एरियाज हैं, उनको कवर किया जा रहा है और आपने वहां हाई पावर ट्रांसमिटर लगाए हैं। इसमें किसी को कोई आबजेक्शन नहीं हो सकता। यह खुशी की बात है। ये ट्रांसमिटर आपने वेस्टर्न बार्डर पर लगाए हैं क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के सिगनल पकड़े जाते हैं। नार्थ-ईस्ट में लगाए हैं क्योंकि वहां बंगलादेश के टी० वी० सिगनल पकड़े जाते हैं। क्या इससे हम लोग जो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र और हिमाचल में रहने वाले हैं, यह महसूस करें और भगवान से प्रार्थना करें कि चीन को यह सद्बुद्धि दे कि हमारा जो तिब्बत का इलाका है और विशेष तौर पर जिसकी सीमा हमसे लगती है, उस इलाके में हाई पावर ट्रांसमिटर लगाएं ताकि हमारी सरकार हिमा-

चल और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी उसी प्रकार से दूरदर्शन के विस्तार के बारे में सोचे जिस प्रकार हमारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिमी सीमा के प्रान्तों के बारे में सोच रही है। माननीय मन्त्री जी, मेरी बात से सहमत होंगे कि इस समय जबकि इस योजना के अन्त में देश के 80% लोगों को दूरदर्शन का लाभ पहुंचाएंगे, वहां पर हमारे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर छ: जिलों में, नैनीताल और देहरादून में करीब 95 परसेंट पापुलेशन कवर हो जायेगी बल्कि हो सकता है कि शत-प्रतिशत ही कवर हो जाए और जो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय छह जिले हैं उनमें जो ट्रांसमिटर लगाए जा रहे हैं, उनकी संख्या मुझे मालूम है जो कि आपने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया था, उन सबके लगाने के बावजूद केवल 32% पापुलेशन ही आप कवर कर पाएंगे। उन बत्तीस परसेंट में से 10 परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत कम सिगनल मिल पाएगा या बड़ा फेंट व्यू दिखाई देगा। मैं उन क्षेत्रों की जनता की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि उन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दें, जिस प्रकार से नार्थ ईस्ट और वेस्टर्न बार्डर को दी है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय बार्डर, हिमाचल और जम्मू-काश्मीर के बार्डर एरियाज को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वहां के लोग अपने आपको नेगलेक्टेड फील करेंगे। आपके मुंह से हिमालय की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की भी बड़ी तारीफ सुनी है। जहां से गंगा, यमुना निकलती है और जिस हिमालय से आप इतने अभिभूत हैं, इतने बड़े प्रशंसक हैं, यदि वहां के रहने वाले बेटों की सेवा हो जाएगी तो हमारा दिल भी दुआ देगा।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त करिए। दो और सदस्यों ने प्रश्न पूछने हैं।

श्री हरीश रावत : महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं कर्नाटक पहाड़ियों को भी शामिल कर सकता हूं।

[हिन्दी]

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सारे बार्डर एरियाज को एक ही मापदंड के आधार पर कन्सीडर करेंगे। जिस प्रकार से नार्थ ईस्ट और वेस्टर्न बार्डर को कवर करने जा रहे हैं क्या उतना ही सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों हिमाचल और जम्मू-काश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों को भी कवर करेंगे। हमारे यहां ट्राइबल एरियाज हैं। उत्तर प्रदेश के मुंशयरी, धारचूला और जोशीमठ जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में चालीस परसेंट ट्राइबल पापुलेशन रहती है। आपका जो पालिसी स्टेटमेंट है, उसमें आपने कहा है कि ट्राइबल एरियाज को प्राथमिकता देंगे। ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर लो पावर ट्रांसमिटर भी स्थापित करने नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तीस परसेंट से ज्यादा ट्राइबल पापुलेशन है क्या उन एरियाज को कम से कम लो पावर ट्रांसमिटर देंगे या नहीं।

[श्री हरीश रावत]

6.00 म० प०

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इस योजना के अन्त तक अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 30 प्रतिशत लोग टी० वी० कवरेज के अन्तर्गत नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इदीहाट, बेरीनाग, बागेश्वर, मुंशियारी, धारचूल्हा और मानीला में आप शीघ्र ही लो पावर ट्रांसमीटर स्थापित करने जा रहे हैं, अथवा नहीं ?

[अनुवाद]

श्री रेणु पद दास (कृष्णानगर) : महोदया, मन्त्री महोदय हमें बता चुके हैं कि दूरदर्शन के नैटवर्क कार्यक्रम पर छठी योजना में कितनी राशि व्यय की गई थी और सातवीं योजना में कितनी राशि व्यय की जायेगी। महोदय, दूरदर्शन के नैटवर्क कार्यक्रम पर, जो राशि व्यय की जाती है, उसके बारे में मुझे अधिक चिंता नहीं है। अपितु मुझे दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर चिंता है और इस बात पर भी चिंता है कि वे किस प्रकार जनता तक पहुंच पा रहे हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की पूरे देश में आलोचना हो रही है

यद्यपि दूरदर्शन के दर्शकों में दूरदर्शन बहुत अधिक लोकप्रिय है। किंतु ऐसा उसके कार्यक्रमों के कारण नहीं है अपितु इसलिए है कि दर्शकों के लिए दृश्य और श्रव्य का एकमात्र साधन यही है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा कि दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा समाचार किस प्रकार दर्शाये जाते हैं।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों में यदि 'हम लोग' और 'ये जो है जिंदगी' जैसे धारावाहिकों पर ध्यान दें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन धारावाहिकों की योजना बहुत ही रद्दी है और इसलिए ये धारावाहिक इस समय नीरस, अरुचिकर, अति सामान्य और घिसे-पिटे से लगते हैं। यदि समाचारों की बात ली जाये तो समाचारों में सर्वत्र राजीव गांधी छाये हुए हैं। दूरदर्शन राजीव-दर्शन बन गया है। राजीव गांधी के दर्शन से लोग बहुत ही नाराज और चिढ़े हुए हैं।

इस सम्बन्ध में मैं दिनांक 9 दिसम्बर को डेक्कन हैराल्ड में सम्पादकीय से प्रकाशित एक लेख को उद्धृत करना चाहूंगा :—

> "क्या दूरर्शन का इरादा तीनों पीढ़ियों को दर्शाने का था ? इस दृश्यांश से किसी की कोई सहानुभूति नहीं है। लोगों ने बन्द कमरे में मनोरंजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राशि व्यय की है और यदि सारी रात इन्हें "चाचा नेहरू", "प्रियदर्शनी इन्दु" और 'हमारे अतिप्रिय प्रधान मन्त्री" आदि देखने को विवश किया जाये तो उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है···"

लागत के "अलावा दूरदर्शन के 32 ट्रांसमीटरों पर दर्शकों को छवि बनाने वाले कार्यक्रम

दिखाना न तो उचित है और न ही ठीक है, जिनके पास इसी को देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है।"

इसलिए, इस बात को ध्यान मे रखते हुए, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कार्यक्रमों की पूर्णरूपेण नई भूमिका निर्धारित की जायेगी और क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम को वास्तव में राष्ट्रीय स्वरूप के अनुरूप बनाया जायेगा? पश्चिम बंगाल को कब तक यह अवसर प्राप्त होगा कि वह अपने राज्य में अपनी प्राथमिक सेवा आरम्भ कर सकेगा और वह भी अपने राज्य की भाषा में? क्या इस वर्ष के अन्त तक दूसरा चैनल उपलब्ध हो सकेगा? क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम विशेषकर···

सभापति महोदय : आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते? आप पढ़ क्यों रहे हैं?

श्री रेणु पद दास : विशेषकर क्या हिन्दी कार्यक्रमों को दक्षिण भारत के अनेक स्टेशनों पर कुछ गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या यह सच है राष्ट्रीय एकता के नाम पर दूरदर्शन हिन्दी प्रचारिणी सभा में परिवर्तित हो गया है, और यदि नहीं। तो इसके क्या कारण हैं?

जब तक सभी राज्यों को प्राथमिक सेवा उपलब्ध नहीं हो जाती है, क्या तब के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शाम के समय क्षेत्रीय कार्यक्रमों को समुचित समय दिया जायेगा?

मैं ये सब प्रश्न माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैडम चेयर परसन, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चौथी योजना में तो आपने कीर्तिमान स्थापित कर दिए, तो दूसरे सालों में भी कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। अगर एक विभाग ऊंचाई पर पहुंच जाए और फिर धीमे कदम लेने लग जाए, तो समझ में नहीं आता। पहले जिस ऊंचाई से काम किया है, उसी ऊंचाई से काम अब भी होना चाहिए।

मैडम एक कहावत है कि जब इच्छा होती है किसी काम को करने की तो ताकत अंदर से अपने आप आ जाती है, अब यहां तो मन्त्री महोदय में, इच्छा है और ताकत भी है, इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि पाली के अन्दर, जहां प्रधान मन्त्री महोदय भी गए थे, और जो एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें आप कब तक ट्रांसमीटर लगाएंगे। उस जिले की आबादी 15 लाख है और सबसे बड़ा जिला है। मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं और वह यह भी बताने की कृपा करें कि कौन-सा साल होगा और कौन-सा महीना होगा और इसके साथ-साथ यह भी जानना चाहता हूं कि जो आप वहां पर ट्रांसमीटर लगाएंगे वह लो पावर का होगा या हाई पावर का होगा?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं तकनीकी विशेषज्ञ बनने का इच्छुक नहीं हूं किन्तु सूचना नियम 55 के अधीन दी गई है जिसमें कहा गया है कि दिये गये उत्तरों के बारे में तथ्यों के और स्पष्टीकरण की जरूरत है। इसलिए मैं तथ्यों के विवरण तक ही सीमित रहूंगा।

जहां तक मेरे युवा मित्र का सम्बन्ध है, इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं श्री वृद्धि चन्द्र जैन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके कारण मुझे यह स्पष्ट करने का अवसर मिला है कि भविष्य में हमारा क्या करने का विचार है। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस बात की चुनौती नहीं देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अथवा अन्य देशों के कार्यक्रम दिखाई पड़ते हैं। किंतु इस बात को कभी-कभी बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। यदि मेरे युवा मित्र मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें एक नक्शा दिखाना चाहूंगा जिससे यह पता चलता है कि अन्य देशों के कार्यक्रम कहां दिखाई देते हैं और यह भी पता चलता है कि यह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है।

जो प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि ट्रांसमीटर कब तक उपलब्ध हो जाएंगे और वे कब तक चालू हो सकेंगे? भारत इलेक्ट्रोनिक्स और गुजरात इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन नाम के दो एकक हैं। सरकारी क्षेत्र के ये दोनों उपक्रम ट्रांसमीटरों का निर्माण करते हैं। अब उन्होंने हमें यह बताया है कि आर्डर देने के बाद की तारीख से उन्हें 18 से 24 महीने का समय चाहिए। इसलिए ट्रांसमीटरों के प्राप्त हो जाने के बाद ही हम उन्हें चालू कर सकते हैं। इसलिए हम इतना ही कर सकते हैं कि जब तक ट्रांसमीटर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तब तक हम समय के दौरान इमारतों के निर्माण कार्य को पूरा कर लें, जिसमें 18 महीने लगेंगे और उसके पश्चात् ही हम उन्हें चालू कर सकेंगे। इसलिए इतना समय तो लगेगा ही।

मेरे मित्र श्री डागा यह जानना चाहते थे कि पाली में इसकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी। मैं पाली के बारे में विशेष रूप से कोई विचार नहीं कर सकता हूं यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि पाली में श्री डागा जैसी प्रतिभा पैदा हुई है किंतु केवल इसी आधार पर मैं उसे प्राथमिकता देने में असमर्थ हूं।

श्री मूल चन्द डागा : आप अधिक से अधिक कितना समय चाहते हैं?

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि ट्रांसमीटर उपलब्ध हो जाएं तो फिर कोई समस्या नहीं है। किंतु ट्रांसमीटर हमारे आर्डर देने के बाद 18 से 24 महीने के बाद उपलब्ध हो जाएंगे।

अब मैं श्री दास द्वारा उठाये गये मुद्दे के बारे में कहना चाहूंगा कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार भी इस मामले में दी गई सूचना के अनुसार मैं उनके प्रश्न का कोई औचित्य नहीं पाता हूं। नोटिस में कहा गया है कि :—

"दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए धनराशि का आबंटन।"

इसलिए आबंटन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना उपयुक्त होगा। इसलिए मेरा विचार अन्य प्रश्नों का उत्तर देने का नहीं है। यदि ऐसे प्रश्न पूछे गये तो किसी उपयुक्त समय पर उत्तर दूंगा। मैं उन्हें उपयुक्त उत्तर दे सकता हूं किंतु वर्तमान संदर्भ में इसका कोई औचित्य नहीं है।

किंतु मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, नीति के अनुरूप चार महानगरों के अलावा तब तक दूसरे चैनल के बारे में हम नहीं सोच सकते, जब तक कि समस्त आबादी एक चैनल पर कार्यक्रम देख सकती है। इन चार महानगरों, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली की बात पृथक है जिनके बारे में बताया जा चुका है कि वहां कब तक दूसरा चैनल चालू हो सकेगा। जहां तक कलकत्ता से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं इस सभा में बार-बार कह चुका हूं कि गैर-हिन्दी-भाषी राज्यों नें स्थानीय भाषा के कार्यक्रमों के लिए कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर सभी जगह उपलब्ध होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर सभापति महोदया, आपके कर्नाटक राज्य में बंगलोर से पूरे कर्नाटक के लिए कन्नड में कार्यक्रम प्रसारित होने चाहिए। इसके लिए सातवीं योजना में हमारा विचार दो कार्य करने का है, वह यह है कि या तो उसे माइक्रो वेव लिंक से जोड़ा जाये अथवा द्वितीय इन्सेट में एक अतिरिक्त ट्रांसमीटर अर्थात् इन्सेट-1 सी, जिसके अगले साल तक चालू होने की सम्भावना है, के माध्यम से उसे जोड़ा जाए। इन दोनों में से कोई भी सुविधा उपलब्ध हो जाने पर स्थानीय लोगों के लिए शाम को 8.40 तक स्थानीय कार्यक्रम उपलब्ध हो सकेंगे। हमने यह कार्यक्रम निर्धारित किया है और सातवीं योजना में हम इसे कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे।

सभापति महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.13 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 दिसम्बर, 1985/21 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, दिल्ली-53